दशम माला, खंड 6, अंक 4

मंगलवार, 26 नवम्बर, 1991

5 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 6, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 4, मंगलवार, 26 नवम्बर, 1991/5 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—22
*तारांकित प्रश्न संख्या 61, 62, 64 और 65	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—229
तारांकित प्रश्न संख्या 63 और 66 से 80	22—34
अतारांकित प्रश्न संख्या 662, 663, 665 से 688, 690 से 769, 771 से 828, 830 से 857, 859 से 869 और 871 से 892	34—226
बर्खास्त किए गए रेल कर्मचारियों की बहाली के बारे में	230—237
राज्य सभा के सन्देश	237
भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक	238
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
नियम 377 के अधीन मामले	238—242
(एक) तिरुपति-पकाला मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता	
श्री एम० गणेन्द्र रेड्डी	238
(दो) बस्तर के वनों का उपग्रह से सर्वेक्षण करने और वनों की कटाई को रोकने के लिए निवारक उपाय करने की आवश्यकता	
श्री मनकूराम सोडी	239

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) हिमाचल प्रदेश में पोंटा साहिब रामपुर, बुशेर और पंजौर सावरघाट मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 241

(चार) उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए चिकित्सा अधिकारियों के वेतन का शीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता

डा० परशुराम गंगवार 241

(पांच) जलगांव, महाराष्ट्र में रसोई गैस के अनधिकृत कनैक्शनों को नियमित करने की आवश्यकता

डा० गुणवन्त सरोदे 242

(छः) कानपुर देहात में तंगघाटी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कदम उठाने और वहां कृषि उत्पादों पर आधारित कुछ उद्योग बनाने की आवश्यकता

श्री केशरी लाल 242

(सात) तमिलनाडु के पेरुन्दुरई नामक स्थान पर सिपकोट परियोजना समूह के बारे में विकास केन्द्र परियोजना रिपोर्ट को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री पी० जी० नारायणन 242

मंत्री द्वारा वक्तव्य 243

रूमानिया के राजनयिक श्री लिवियु राद्र की सुरक्षित वापसी

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1991-92 243—286

श्री पवन कुमार बंसल 243

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री 248

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 251

श्री सुधीर सावंत 254

श्री चन्द्रजीत यादव 260

श्री याइमा सिंह युमनाम 264

श्री विजय नवल पाटिल 266

श्री ई० अहमद 268

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक 270

विषय	पृष्ठ
कुमारी फ्रिडा तोपनो	271
श्री अयूब खां	272
प्रो० रासा सिंह रावत	275
श्री शांताराम पोतदुखे	278
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	248
पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक	287—288
पुरःस्थापित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शांताराम पोतदुखे	287
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शांताराम पोतदुखे	288
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक	288—301
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	288
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	291
श्री हरि किशोर सिंह	293
श्री शरत चन्द्र पटनायक	297
श्री वी० धनंजय कुमार	298
श्री गोपीनाथ गजपति	299

लोक सभा

मंगलवार, 26 नवम्बर, 1991/5 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री बी०एम० मुजाहिद (धारवाड़ दक्षिण)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़)

11.02 म०पू०

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : यह सूचित करते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि हमारे एक भूतपूर्व सहयोगी श्री टी०वी० चन्द्रशेखरप्पा का निधन हो गया है।

श्री टी०वी० चन्द्रशेखरप्पा 1971-77 तथा 1980-91 के दौरान कर्नाटक के शिमोगा तथा देवांगीर निर्वाचन क्षेत्रों से पांचवी, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1978 और 1979 के दौरान वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

सक्रिय समाज सेवक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री चन्द्रशेखरप्पा ने कृषि तथा ग्रामीण विकास में गहरी दिलचस्पी लेते थे। वे कृषि के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गठित किये गये विभिन्न बोर्डों के सदस्य रहे। कुशल सांसद के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाही में गहरी रुचि दर्शायी और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी काम किया।

श्री चन्द्रशेखरप्पा का देहावसान 57 वर्ष की आयु मे 18 नवम्बर, 1991 को बंगलौर में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सभा अब थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

11.05 म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एयर इण्डिया और इंडियन एयरलाइन्स और भारत पर्यटन विकास निगम का निजीकरण

[अनुवाद]

*61. **श्री मोरेश्वर सावे†** :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा भारत पर्यटन विकास निगम का आंशिक रूप में निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०ओ०एच० फारुक) : (क) से (घ) एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और भारत पर्यटन विकास निगम के संबंध में अभी तक कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिये गए हैं।

श्री मोरेश्वर सावे : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा है कि कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। परन्तु क्या यह सच है कि मंत्रिमण्डल की आर्थिक मामलों संबंधी समिति ने अपनी दो दिन पहले हुई बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया था और सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी 41 चुनिंदा इकाइयों की सूची प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने 49% सरकारी निवेश समाप्त करने के लिए मंजूरी दी थी जबकि माननीय वित्त मंत्री ने केवल 20% तक सरकारी निवेश समाप्त करने के बारे में वक्तव्य दिया था और एयर इण्डिया तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम भी उसी सूची में शामिल हैं।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है···

अध्यक्ष महोदय : एक समय में केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप इसे भाग 'ख' कह सकते हैं न कि 'दूसरा अनुपूरक'।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके मुंह से अपनी बात कहलवा रहे हैं।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह तीनों संगठन इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं और यदि हमारा कोई प्रस्ताव हुआ तो इसे हम अलग से प्रस्तुत करेंगे।

श्री मोरेश्वर सावे : क्या यह सच है कि इन उपक्रमों को भारी पैमाने पर चोरी और दुर्विनियोजन के कारण हानि हो रही है और क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है और यदि हां, तो क्या वे इसे रोकने और इसकी जांच के लिए कोई योजना बना रहे हैं ?

श्री माधव राव सिंधिया : ऐसे मामलों पर हमेशा नजर रखी जाती है और जैसे ही कोई शिकायत आती है, समय-समय पर इस पर कार्यवाही की जाती है । हाल ही मे कोई बड़ा षडयंत्र हमारी जानकारी में आया हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हाल ही में माननीय वित्त मंत्री जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में नीति संबंधी दिशा निर्देश प्रतिपादित किये हैं भले ही ऐसा उन्होंने इस देश में रह कर नहीं बल्कि विदेश में, बैंगकाक में रह कर किया है । फिर भी उन्होंने इस बारे में स्पष्ट किया है और उस दिन सभा में भी इसी बात को दुहराया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के केवल ऐसे उपक्रम जो कि उनकी राय में अर्थक्षम नहीं है अथवा लगातार घाटे में चल रहे हैं, को बंद किये जाने के बारे में विचार किया जा सकता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय पर्यटन विकास निगम अपनी स्थापना से ही लाभ में नहीं चल रहा है । ऐसे मामले में पहली बात तो यह है कि इसे बंद किये जाने का प्रश्न ही कैसे पैदा होता है ? दूसरे, भारतीय पर्यटन विकास निगम के कामकाज और कार्यकुशलता को सुधारने के लिये सरकार स्वयं सक्रिय कदम क्यों नहीं उठाती जिसका इस समय कोई भी पूर्णकालिक चैयरमैन अथवा मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है और जिसका बोर्ड ऐसे निदेशकों से बना है जिनमें से अधिकतर मेरी राय में अपने कार्यों के प्रति कतई सतर्क नहीं हैं और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी विदेशी होटल की 'चेन' जोड़ने के प्रयास क्यों किये जा रहे हैं । यह वास्तव में एक दुस्साहसपूर्ण निर्णय था क्योंकि हाल ही में ऐसे निर्णय को दुबारा रद्द करना पड़ा । वे इस तरह से करोड़ों रुपया क्यों खर्च करना चाहते हैं ? रेडीसन होटल चेन को आमंत्रित किया गया क्योंकि उन्होंने समझा कि विदेशी पर्यटक इसके नाम से आकर्षित होंगे और करोड़ों रुपये खर्च किये गये और अब इस निर्णय को त्यागना पड़ा है । क्या हम जान सकते हैं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या इन बातों की जांच हो रही है या हर रोज केवल यही बातें होती रहेंगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद कर दिया जाए ?

श्री माधव राव सिंधिया : इस समय आई०टी०डी०सी० को बन्द करने की हमारी कोई मंशा नहीं है । कई विकल्प अभी विचाराधीन हैं । लेकिन आई०टी०डी०सी० को बन्द करने के प्रश्न पर इस समय किसी प्रकार का विचार नहीं हो रहा है ।

श्री अवन कुमार पटेल : जो जवाब सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है, उससे यह सिद्ध होता है कि सरकार तीन सरकारी उपक्रमों मे गैर सरकारी इक्विटी को भागीदारी आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इसके द्वारा पीछे प्रबन्धन में सुधार लाया जाएगा या इसके पूंजी आधार को विस्तृत किया जाएगा या फिर इसे अर्थक्षम बनाया जाएगा और अधिक कार्यकुशल बनाया जाएगा ।

चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण सम्भवतः एयर इंडिया अभी भी लाभ कमा रहा है और एयर-लाइन्स को घाटा हो रहा है, इसलिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या विदेशी सहयोग से या इसके बिना भी भारी प्रतियोगिता का माहौल बनाने के लिए सरकार समानान्तर निजी वायुदूत सेवा को घरेलू क्षेत्रों में बढ़ावा देगी ।

श्री माधव राव सिंधिया : कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं और इसका कारण यह है कि इन संगठनों को और अधिक जवाबदेह बनाना है। 'निजीकरण' जैसे शब्द के इस्तेमाल के स्थान पर 'सार्वजनिक' करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। बड़ी संख्या में शेयर धारक होने से वे प्रबन्ध को और भी ज्यादा जवाबदेह बना सकते हैं और इस प्रकार प्रबन्ध में चौकसी की भावना पैदा कर सकते हैं। एक और विचारणीय प्रस्ताव यह है कि बेड़ों में नवीकरण या इसके विस्तार कार्यक्रम के लिए पूंजी निवेश में वृद्धि की जा रही है। चूंकि एयर इंडिया जैसे संगठन को सरकारी राजस्व पर एक भार बनकर नहीं रहना चाहिए और इसे अपनी वित्त व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए, इसलिए भविष्य में इसे वृहत पूंजी निवेश की जरूरत होगी। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव भी विचारणीय होगा और शीघ्र ही इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। माननीय सदस्य द्वारा जिन दो-तीन पहलुओं का उल्लेख किया गया है, वे सभी विचाराधीन हैं।

जहां तक निजी वायु सेवा शुरू करने की अनुमति देने का प्रश्न है, पिछली सरकार द्वारा पहले ही इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि जो लोग इसको चलाने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, उन्हें उचित अवसर मिलना चाहिए। उन्हें इसमें सफलता मिलती है कि नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यह भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वे अर्थक्षम हैं कि नहीं। निवेश के बारे में भी वे स्वयं निर्णय लेंगे लेकिन अतीत में जो निर्णय लिया गया है उसके मुताबिक हम निश्चय ही यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि उन्हें उचित अवसर मिले और कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। फिर भी, मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का दूसरा पूरक प्रश्न इस प्रश्न के अन्तर्गत आता है।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि प्रबन्ध पर भारी संख्या में शेयरधारकों द्वारा नियंत्रण रखने के बदले, संसद स्वयं इस पर नियंत्रण रखने में सक्षम है। अब मेरा प्रश्न यह है कि वे कौन-सी पार्टियां हैं जिन्होंने इन परिवर्तनों के लिए सरकार को ज्ञापन दिया है। और क्या कोई विदेशी पार्टी भी है और यदि हां, तो ऐसी पार्टी का नाम बताया जाए जिन्होंने ज्ञापन दिया है।

श्री माधव राव सिंधिया : अभी तक किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री राम नाईक : उत्तर में बताया गया है कि कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

श्री माधव राव सिंधिया : कुछ ट्रेड यूनियनों ने इन्द्रजीत गुप्ता को लिखा था और उन्होंने अभ्यावेदन दिया था। ए०सी०इ०यू० ने 29 तारीख को हड़ताल करने की सूचना दी थी और यही एक अभ्यावेदन लगता है। एक और असंगठित यूनियन ने अभ्यावेदन दिया है, लेकिन किसी विदेशी पार्टी ने नहीं दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, पहले से ही कई गैर सरकारी पार्टियां 'फ्लाईट किचेन्स' के रूप में सेवा अर्पित कर रहे हैं। कलकत्ता के हवाई अड्डे पर, ओबेराय को भविष्य में निर्माण के लिए भूमि का एक बड़ा टुकड़ा आवंटित किया गया है। भारत होटल निगम निजी पार्टी के लिए क्षेत्ररक्षक का काम कर रहा है। यह लाभ कमाने वाला क्षेत्र है, फिर भी प्रश्न यह है कि पूंजी निवेश को छोड़कर निजीकरण में होने वाले अन्य लाभ क्या हैं और इन क्षेत्रों के निजीकरण के लिए वे किन-किन कारणों पर विचार किया जा रहा है।

श्री माधव राव सिंधिया : जहां तक, लाभ कमाने वाले संगठनों की बात है, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि होटल प्रमाण में आई०टी०डी०सी० लाभ कमाने वाला संगठन नहीं है। दरअसल, आई०टी०डी०सी० को लाभ तो 'ड्यूटी-फ्री' से होता है। फिर भी मैंने पहले ही कहा है कि विचारणीय मुद्दा है पूंजी निवेश को बढ़ाना, प्रबन्ध को व्यावसायिक बनाना, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर विक्रय-व्यवस्था बनाना, ज्यादा विश्वसनीय बनाना तथा सामान्य बजट में जो घाटा है उसे पूरा करने के लिए ज्यादा संसाधन प्रदान करना।

श्री ए० चार्ल्स : पूरा सदन सहमत है कि आई० टी० डी० सी०, इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इन्डिया का कार्यनिष्पादन संतोषप्रद नहीं है। यह एक बहुत बड़ा मसला है इसलिए इसे मैं यहीं छोड़ता हूं और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक छोटे से मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एयर इन्डिया और इन्डियन एयर लाइन्स की सेवाएं संतोषप्रद नहीं हैं। यहां तक कि टायलेट भी साफ नहीं रखे जाते, विदेशियों ने भी ऐसी शिकायतें दर्ज कराई थीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मामला इस प्रश्न से संबंधित है?

श्री ए० चार्ल्स : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इस प्रश्न से संबंधित है?

श्री ए० चार्ल्स : आई०टी०डी०सी० के विषय में एक मुद्दा है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की वजह से कई पद रिक्त हैं। ये भरे नहीं गए हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन रिक्त पदों को भरने के लिए कारवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री अन्ना जोशी : यह सत्य है कि 1 जनवरी, 1992 से सरकार वायुदूत की सेवा को जारी रखने के पक्ष में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। यह तो एयर इन्डिया, इन्डियन एयर लाइन्स और पर्यटन विकास से जुड़ा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : सरकारी उपक्रमों के विषय में मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों से पहले ही कई भ्रान्तियां उत्पन्न हो गई हैं। मैं समझता हूं कि आज मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से और भी भ्रान्ति पैदा होगी। वह कहते हैं कि कई विकल्प उपलब्ध हैं। सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिनमें थोड़ा निजीकरण भी शामिल है। वह यह भी कहते हैं कि होटल उद्योग लाभ अर्जित नहीं कर रहा है, इसीलिए वे इसका व्यावसायीकरण करना चाहते हैं और बेहतर विश्वसनीयता की अपेक्षा करते हैं। होटल उद्योग में आई०टी०डी०सी० के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यालय में कुछ मामले लम्बित हैं और जांच अभी जारी है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कारवाई करेगी जो भ्रष्टाचार के दोषी हैं और जिन्होंने इस उद्योग को हानि पहुंचायी है ताकि कार्यनिष्पादन में सुधार हो सके और वे जवाबदेह हो सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबन्ध-कार्य सुचारू नहीं है, हालांकि बुनियादी अवधारणा में कोई खामी नहीं है।

श्री माधव राव सिंधिया : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा दोषी पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी और सख्त कारवाई की जाएगी। जहां तक भ्रान्ति का प्रश्न है, तो मैं समझता हूं कि उसे जल्द ही दूर कर दिया जाएगा।

हिमालय पर वनों का विनाश

*62. श्री विजय कृष्ण हान्डिक† :

श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनाश एवं वनों की कटाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) हिमालय क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा खनन हेतु पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितने क्षेत्र का पट्टा रद्द करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों का विनाश और कटाई नहीं की गई। भू-दृश्य प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 और 1989 में क्रमश: 1981-83 और 1985-87 के सम्बन्ध में किए गए मूल्यांकन के दौरान हिमालय क्षेत्र में वास्तविक वनावरण 1,87,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1,94,161 वर्ग किलोमीटर हो गया है।

(ग) सरकार द्वारा हिमालय के संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है;

(2) राज्य सरकारों से कहा गया है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 मीटर से ऊपर हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाए;

(3) भोगाधिकार के आधार पर वनों की सुरक्षा में ग्राम समुदायों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं;

(4) गोविन्द वल्लभ पन्त हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान अनुसंधान और विकास अध्ययन कर रहा है।

(घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेने के बाद ही खनन परियोजनाओं के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने की अनुमति दी

जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा खनन के लिए मंजूर किये गये वन क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	बंटित वन क्षेत्र (हे० में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	4371.42
असम	0.00
बिहार	717.85
गोआ	0.00
गुजरात	107.38
हरियाणा	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00
कर्नाटक	13.42
केरल	0.00
मध्य प्रदेश	4560.04
महाराष्ट्र	22.65
मणिपुर	0.00
मेघालय	0.00
उड़ीसा	1688.18
पंजाब	0.00
राजस्थान	1.37
सिक्किम	0.00
तमिलनाडु	111.82
त्रिपुरा	0.00
उत्तर प्रदेश	1684.14
पश्चिम बंगाल	0.00

1	2
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	8.00
दादरा और नगर हवेली	0.00
दमन और दीव	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00
कुल	132806.36

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि व्यापक पैमाने पर जंगलों की कटाई नहीं हो रही है, लेकिन जैसी कि कई स्रोतों से खबरें मिली हैं कि हिमाचल प्रदेश के निम्न तट हिमालय क्षेत्र में स्थित चूना पत्थर की खदानों में किए गए विस्फोटों से जंगल समाप्त हो रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप भू-स्खलन हुआ है, वनस्पति और जीवजन्तुओं की बर्बादी हुई है, कृषि उत्पादन में कमी आई है और बाढ़ के प्रकोप में वृद्धि हुई है। बावजूद इसके चूना पत्थर उत्पादन दोगुना हो गया है। वर्ष 1987-88 में यह 4.36 लाख टन से बढ़कर पिछले फरवरी के अन्तिम सप्ताह में 7.95 टन तक पहुंच गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने जानकारी नहीं देनी है। आपने प्रश्न पूछना है। सुस्पष्ट प्रश्न करेंगे तो वैसा ही उत्तर मिलेगा।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विस्फोट को बन्द किया जाना चाहिए, फिर भी उसे बंद नहीं किया गया तो क्या सरकार यह सोचती है कि वर्तमान पर्यावरण अधिनियम वातावरण को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है अथवा क्या यह स्थिति सम्बद्ध विभागों के साठ-गांठ के कारण उत्पन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय : सच्चाई यह है कि कानूनों में तब्दीलियां लाने हेतु भिन्न-भिन्न तरीकों को अमल में लाने की जरूरत है और आप इसी प्रकार यह कर सकते हैं। खैर, मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं और वह आपको उत्तर देंगे।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य ने हिमाचल प्रदेश में चूना पत्थर खानों में विस्फोट पर चिंता व्यक्त की है। निःसन्देह, चूना पत्थर खानों में विस्फोट से वातावरण खराब होता है। अपने उत्तर में मैंने आंकड़े दिए थे कि हिमाचल प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों का खनन की दृष्टि से उपयोग हो रहा है। मैंने उस फारेस्ट भूमि से जुड़े आंकड़े यहां दिए हैं, जो वन संरक्षण अधिनियम के तहत आते हैं। लेकिन मेरे पास निजी भूमि संबंधी या खदानों के लिए इस्तेमाल होने वाली निजी भूमि जो गैर वन क्षेत्र के तहत हैं, के बारे में भी कोई आंकड़े नहीं हैं और हो भी नहीं सकते हैं।

महोदय, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल वन भूमि में वर्ष 1981-83 और 1985-87 के दौरान वृद्धि हुई है। इन चार वर्षों की अवधि का उपग्रह से प्राप्त चित्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। हिमाचल प्रदेश में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि इसे वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाए तो यह 495 वर्ग किलोमीटर है।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, वृक्षों और बागानों के विनाश को देखते हुए ऐसा लगता है कि खनन परियोजनाओं के लिए जिन क्षेत्रों में अनुमति दी गई थी उसके अतिरिक्त अधिकांश मामलों में खनन कार्य के लिए जो पट्टे दिये गये थे अथवा जो गैर कानूनी खुदाई हो रही थी वह ठीक वन क्षेत्र के भीतर हो रही थी। वन तथा पर्यावरण मंत्री द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गये सुझावों तथा उच्च न्यायालय के दिनांक 8 जनवरी, 1991 के अनुसार क्या माननीय मंत्री हिमालय के कुछ क्षेत्रों में खनन कार्य रोकने पर विचार करेंगे ताकि हिमालय के पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और मंदानी इलाके में इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

श्री कमल नाथ : महोदय, हिमालयन क्षेत्र में खनन चिंता का विषय है और मैं माननीय सदस्य की चिंता में भागीदार हूं। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध मे कतिपय टिप्पणियां की हैं। मैंने हिमालय पर्वत शृंखला में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में खनन के संबंध में पर्यावरण के सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु हाल ही में एक समिनि गठित की है क्योंकि ऐसा विचार व्यक्त किया गया था कि वहां पर बहुत से खनन उद्योग होने चाहिये। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण को भी खतरा उत्पन्न हो गया था। अतः इस मामले की जांच हेतु मैंने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। मुझे उसकी रिपोर्ट जल्दी ही मिल जायेगी। रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् हम इस पर आवश्यक कार्यवाही के लिए विचार करेंगे।

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, यह जानना बहुत दिलचस्प है कि पर्यावरण मंत्रालय ने सचमुच यह कहा है कि 1981-83 और 1985-87 के आंकड़ों के अनुसार बड़े पैमाने पर वनों का विनाश अथवा निवारण नहीं हो रहा है। तथापि हाल ही में ऊर्जा और पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रतिष्ठित लोग सम्मिलित हुए थे और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में कहा था कि हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है और उनका आगे कहना था कि हिमालय-कार्य-योजना पर तुरंत ही विचार किया जाना चाहिये। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि अगर उन्होंने हिमालय-कार्य-योजना के बारे में कुछ किया है तो इसे कब तक पूरा किये जाने का विचार है?

श्री कमल नाथ : महोदय, मेरे पास ऐसे आंकड़े हैं जो यह दर्शाते हैं कि हिमालय क्षेत्र के अन्दर वन-क्षेत्र में वृद्धि हुई है। लेकिन मैं इस समिति, लोगों के समूह चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये, से परिचित नहीं हूं जिन्होंने कुछ जानकारियां हासिल की हैं। हिमालय क्षेत्र में वनों के पारिस्थितिकीय पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इसे सभी प्रकार से महत्ता दे रहे हैं। हाल ही में अलमोड़ा में पर्यावरण और विकास हेतु जी॰बी॰ पन्त हिमालयन संस्थान खोला गया है। इसका उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण और परिस्थिति विज्ञान के संपूर्ण पहलुओं पर विचार करना है। अतः यह संस्थान इन पहलुओं को देखेगा। इसकी स्थापना हमारे द्वारा की गई है।

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उन्हें 27 सितम्बर को शिमला में हुए उच्च शक्ति प्राप्त सम्मेलन, जिसमें देश के विभिन्न भागों से विशेषज्ञ इस पर दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित रहे, के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सभी स्थानों से लोग आये थे। प्रधान मंत्री महोदय को एक योजना भी भेजी गई थी। और सभा के सामने प्रधान मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट कहा था कि वे ऐसी उच्च-शक्ति प्राप्त समिति अथवा उन्हें वास्तव में भेजी गई योजना के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं इस पर जवाब चाहूंगा।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों में से एक वन संरक्षण अधिनियम, 1980 है जो वन भूमि के अन्यथा उपयोग की जांच के लिए उपबंधित किया गया था। सभा में वाद-विवाद के दौरान, जिसमें मैंने भी भाग लिया था, मंत्री महोदय ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा था कि लगभग 1,37,000 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण एवं अवैध खनन कार्य के लिए ली गई थी। यह उन्होंने इस सभा में कहा था। ऐसी स्थिति मे उनका क्या करने का विचार है? इसका अर्थ यह है कि उत्तर में मुझे पूर्ण सत्य नहीं बताया गया।

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय सदस्य को भ्रम हो गया है। **(व्यवधान)** मैं उसे स्पष्ट करूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई अन्य प्रश्न पूछने के दौरान आप उन्हे इसी प्रकार से जवाब दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : मैं बहुत गंभीर हूं। **(व्यवधान)** मैंने यह नहीं सोचा था कि सदस्य महोदय ने इस प्रश्न को इतनी गंभीरता से लिया है जितनी गंभीरता से इसे लिया जाना चाहिये था।

श्रीमती वसुंधरा राजे : मैं इस प्रकार के जवाब की उम्मीद नहीं कर रही। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कमल नाथ : मैं सदस्य महोदय की चिंता से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छे मंत्री की भांति है।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : भाई और बहन के बीच में—भाई मेरे पीछे हैं और बहन मेरे आगे हैं—फंस गया हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती वसुंधरा राजे : आप जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इनकी आदत है, हमेशा बात को मजाक में टालने की कोशिश करते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप अपनी प्रवीणता सही दिशा में दिखायेंगे।

श्री कमल नाथ : हां, यह ठीक है।

[हिन्दी]

श्रीमती वसुंधरा राजे : अध्यक्ष महोदय, हंसी-मजाक में न जाकर इनको जवाब देना चाहिये। इनको यह नहीं मालूम कि कांफ्रेंस में क्या हुआ।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : महोदय, 7-800 गैर-सरकारी संगठन समय-समय पर बहुत अच्छी और लाभदायक गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं। वे सुझाव देते हैं। हमारे मंत्रालय को पहले कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। कुछ सुझाव अभी प्राप्त होने हैं। हम उन पर विचार अवश्य करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है—अगर आवश्यक हुआ तो मैं अपनी भूल में सुधार करूंगा—समय-समय पर जो सुझाव आये है, मैंने उनको देखा है। वह सुझाव मुझे हर रोज प्राप्त होते हैं। ऐसे सम्मेलन सारे देश में हो रहे हैं। ये बहुत ही लाभदायक सुझाव हैं। सदस्य महोदय की इच्छा थी कि मैं सभा मे एक वक्तव्य दूं।

अध्यक्ष महोदय : साधारणतः सदस्य महोदय उन उपचारात्मक उपायों के बारे में चिंतित होते हैं, जो आप अपनाना चाहेंगे।

श्री कमल नाथ : मैंने वन-भूमि के अवैध उपयोग के बारे मे नहीं बल्कि वन भूमि के अन्यथा उपयोग के बारे में आंकड़े दिये हैं। (व्यवधान) मुझे स्मरण नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्रीमती वसुंधरा राजे : मैं जानना चाहूंगी कि अतिक्रमण अवैध है अथवा वैध। 'अतिक्रमण' शब्द का प्रयोग किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उनका संकेत 'अवैध' की ओर नहीं था। उन्होंने मुझे मेरे कक्ष में बताया था।

वह अनुमति से और बिना अनुमति के किये जाने वाले अपवर्तनों में भेद कर रहे हैं।

श्री कमल नाथ : मैं स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। मैंने जो कुछ इस सभा में और राज्य सभा में कहा था, वह यह था कि कुछ क्षेत्र, जिसमें अतिक्रमण 1980 से पहले किया गया था, को विनियमित किया गया था। यह विनियमन 1980 के बाद किया गया था। वर्ष 1980 में हमने वन संरक्षण अधिनियम बनाया था। यह विनियमन 1980 के बाद किया गया लेकिन अतिक्रमण का संबंध 1980 से पहले के समय से है। यह प्रश्न उस विषय पर नहीं है। मैंने वे आंकड़े दिये थे। लेकिन अभी वे आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन हम उस पर ध्यान दे रहे हैं और इसे पूर्ण प्राथमिकता दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती वसुंधरा राजे : महोदय, उन्होने 1990 शब्द प्रयुक्त किया था। वह उससे इंकार नहीं कर सकते ··· (व्यवधान) ··· महोदय, वह एक मंत्री हैं। उन्हें उत्तरदायी होना चाहिए। मुझे उनसे इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं है। अब वह 1980 कह रहे हैं ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और जो सदस्य इस विषय मे चिंतित हैं उनके साथ आप चर्चा करना चाहेंगे। आप उन्हें बुलाकर इस पर उनके साथ चर्चा कर सकते हैं।

श्री आनन्द गजपति राजू पूसापति : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इस प्रश्न का तर्कसंगत विस्तार है। मैं उस सम्मेलन के बारे में जानना चाहूंगा जो अगले वर्ष ब्राजील मे होने जा रहा है। अब पर्यावरण का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और यह प्रश्न भी वनों की कटाई पर है।

विकास को कायम रखने की धारणा भी सामने आ रही है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि इस दिशा में सभी विकासशील देशों में चल रहे विकास कार्यों और विशेषकर भारत में क्रमिक विकास और वन संबंधी कार्यों को जारी रखने के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है।

श्री कमल नाथ : द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से होने वाले अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक जून, 1992 में ब्राजील में यू०एन०सी०ई०डी० के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भाग लिया जाएगा। पिछले अनेक महीनों से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। प्राथमिक बैठकें हो चुकी हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से गैर-सरकारी संगठनों के महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ बैठकों में भाग लिया हैं और उनके विचार प्राप्त किए हैं। हम यू०एन०सी०ई०डी० के और भारत के स्थायी विकास के लिए विस्तृत नीति तैयार करने हेतु सभी क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : चर्चा से यह स्पष्ट है कि वनों की कटाई और निवारण की धारणा में पर्याप्त अन्तर है। मंत्री महोदय ने 1981-83 और 1985-87 के भूमि संबंधी आंकड़े उद्धृत किये हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न किये गये हैं या नहीं। अगर नहीं तों क्या मंत्री महोदय हिमालय क्षेत्र में विभिन्न भागों से अद्यतन जानकारी प्राप्त करेंगे।

श्री कमल नाथ : महोदय, हमारे पास अन्तिम आंकड़े वर्ष 1989 के हैं। यह हमेशा जारी रहने वाली प्रक्रिया है और अभी भी यह प्रक्रिया जारी है। समय-समय पर उपग्रह से चित्र लिये गये हैं। यह देश के विभिन्न भागों के लिए एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन्होंने डायवरशन आफ फारेस्ट एरिया के बारे में जो लिखित जवाब दिया है, मैं जानना चाहता हूं कि फारेस्ट कंजरवेशन ऐक्ट, 1980 के तहत राज्य सरकारों ने ऐक्ट के खिलाफ जाकर क्या इनकी अनुमति लिए बगैर फारेस्ट को खत्म किया। क्या इस तरह का कोई नमूना इसके सामने आया है?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : राज्य सरकारों द्वारा वन अधिनियम का अधिक उल्लंघन नहीं किया गया है। कुछ मामलों में भ्रम था और ऐसा राज्य सरकारों की असावधानी की वजह से हुआ था। राज्य सरकारों को सूचित किया गया है और उन्होंने बात मान ली है तथा कुछेक मामलों में उपचारात्मक कदम भी उठाये हैं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में पट्टे दिए जाने का ब्यौरा क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने पट्टे ऐसे हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया कि उनकी मंजूरी दी जाए और राज्य सरकार द्वारा और कितने लोगों को पट्टे देने के लिए बात की गई और क्या भारत सरकार ने उनकी अनुमति दे दी है कि वह गवर्नमेंट से क्लीयर हो गए हैं और सारे लोग

कौन हैं जो बीस-बीस जगह पर जमीनें लेकर पर्यावरण नष्ट कर रहे हैं। मसूरी के पहाड़ों पर चूने के पत्थर की वजह से वहां पर बंदिश कर दी गई है। मेरे चुनाव क्षेत्र में पौंटा साहब से पावन तक सारा का सारा चूने का पत्थर निकाला जा रहा है। उसमें देहरादून के ठेकेदार थे जिन्होंने उन पहाड़ों का सत्यानाश किया, उन लोगों को आज भी ठेके दिए जा रहे हैं। क्या मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे कि उसको बी०जे०पी० के लोगों द्वारा दिया गया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना राज्य सरकार ने किसी को वन भूमि आवंटित की हो और पट्टे पर दी हो। जब यह बात मेरे ध्यान में लायी गई तो मैंने हिमाचल प्रदेश की सरकार से इसकी पड़ताल करवायी और मुझे बताया गया कि यह सही नहीं है।

खनन से जुड़े दूसरे प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य से मैं यह अनुरोध करूंगा कि जिन विशिष्ट मामलों का उन्होंने उल्लेख किया है, उन्हें मुझे उपलब्ध करा दें, मैं अवश्य ही उन पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसमें स्वयं कहा है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई भी भूमि का हस्तांतरण इस काम के लिए नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल में एक कमेटी बनायी गई है, इसमें उनकी विशेष रुचि है। पर्यावरण के महत्व को समझते हुए सारे हिमालयन रेंज को बचाने के लिए हिमालय का सवाल है तो इस संबंध में क्या हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आपको ऐसा सुझाव आया है कि इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न मानते हुए केन्द्रीय सरकार सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। इससे बहुत धन व्यय होगा और सारे हिमालय का पर्यावरण बचेगा। क्या पर्याप्त मात्रा में केन्द्र के साधनों से और बहुत से विदेशी राष्ट्र भी पर्यावरण को महत्व देते हुए सहायता देने के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को आप धन उपलब्ध कराएं जिससे सारे हिमाचल को पर्यावरण से बचाया जा सके। इस संबंध में क्या आप सहायता देंगे।...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण के प्रति पूरी प्राथमिकता दी जा रही है और जो भी इंटरनेशनल स्कीम्स हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी उसको प्राथमिकता दी जा रही है। माननीय सदस्य को इसकी जानकारी है। उन्होंने जिक्र किया कि एक कमेटी बनायी गई हैं। यह कमेटी खासकर के हिमालय के इलाके के लिए है। हिमालय बंगाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में भी है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की समस्या कुछ और है। जो हिमाचल प्रदेश के मुद्दे थे, उनको देखते हुए यह समिति बनायी गई है। मुझे विश्वास है कि समिति की रिपोर्ट के बाद हम आगे बढ़ सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, मंत्री के उत्तर के भाग (ग) के संबंध में, मैं यह जानना चाहूंगा कि निगरानी की सही प्रक्रिया क्या है, क्या राज्यों में मौजूदा व्यवस्था इस बड़े कार्य को करने जा रही है और यदि ऐसा है तो क्या मौजूदा स्टाफ को वृक्षारोपण के रक्षक पहलू तथा उत्पादनकारी पहलू का प्रशिक्षण प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भूतपूर्व सैनिकों के संगठन की बात कर रहे हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : जी श्रीमान, यदि आप मुझसे यही चाहते हैं ।

श्री कमल नाथ : मैं समझता हूं कि ये ऐसा ही करने जा रहे थे क्योंकि पारिस्थितिकीय कार्य दल ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और मैं समझता हूं कि यह प्रश्न इसी के बारे में था ।

महोदय, हियालयी वनों के सुधार के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं जिनमें समेकित जल-भण्डार विकास योजना, वन लघु उत्पाद योजना, क्षेत्र उन्मुखी ईंधन लकड़ी व चारा योजना तथा आदिवासी विकास के लिये लाभोन्मुखी योजना आती हैं । यदि माननीय मंत्री जी चाहें, तो इन योजनाओं के बारे में और भी व्यापक ब्यौरा देने में मुझे प्रसन्नता होगी ।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं जांच की वास्तविक प्रक्रिया मालूम करना चाहता था । जैसे कि प्रश्न के भाग (ग) में बताया गया है, सरकार द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कदम उठाये गये हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि जांच की वास्तविक प्रक्रिया क्या है; क्या सरकार मौजूदा एजेन्सियों के द्वारा अथवा अनुपूरक एजेन्सियों के माध्यम से ऐसा कर रही है और क्या मौजूदा स्टाफ को पर्याप्त रूप से इसका प्रशिक्षण दिया गया है क्योंकि अभी तक केवल उत्पादनकारी पहलू ही एफ आर० आई० के अन्तर्गत लिया गया है ।

श्री कमल नाथ : छः (6) स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं जिनमें से एक चण्डीगढ़ में भी है । मुख्य वन संरक्षक इस कार्यालय का अधिकारी होता है जो जांच और समन्वय का कार्य करता है ।

महोदय आपके माध्यम से मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि मुझे सदस्यों से परामर्श समिति की बैठकों में तथा अन्यत्र भी बहुत-सी शिकायतें मिली हैं जो कि ऐसे वृक्षों के रोपण के बारे में है जिनकी पौध लगायी गयी लेकिन विकसित नहीं हो पाये । मैंने प्रत्येक राज्य सरकार से कहा है कि वृक्षारोपण के वर्तमान मौसम में खण्ड-वार, पंचायत-वार तथा जिलावार लगाये गये पौधों के विशिष्ट आंकड़े मुझे उपलब्ध कराये जायें । एक बार मुझे आंकड़ों का पता चल जाये तो मैं प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र में लगाये गये पौधों की सूचना देने का प्रयास करूंगा ताकि वे स्वयं इस संबंध में जानकारी की रिपोर्ट मुझे दे सकें ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को हमने आधा घन्टे का समय दिया जिसमें अच्छे प्रश्न किये गये, जिनके उचित उत्तर दिये गये ।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि चतरा से बिरपुर बैराज का क्षेत्र, जो हिमालय की तराई में है, वह वृक्षों की कटाई के कारण पूर्णरूपेण बर्बाद हो चुका है, तो क्या सरकार विशेष सुविधा के तहत हिमालय की तराई में चतरा से मधुबनी तक व्हाया बिरपुर बैराज के पर्यावरण को सुधारने की विशेष व्यवस्था करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अब यह प्रश्न स्पेसिफिक है । अगर आपके पास जवाब हो, तो दे दीजिए ।

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही स्पेसिफिक क्वश्चन पूछा है। अगर ये मुझे लिखकर भेज दें कि कोई ऐसी योजना है जिसको ये प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो मैं उस पर जरूर विचार करूंगा।

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस तेजी से हिमालय और खासकर वेस्टर्न हिमालय में मिट्टी का कटाव हो रहा है, उसके कारण अगले 70 वर्षों में उत्तर भारत का क्षेत्र मरुस्थल बन जाएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए और योजना मंत्रालय की तरफ से जो एक सुझाव दिया गया था कि इसमें ईको डिवेलपमेंट अथारिटी कायम की जाए जिसमें प्रधान मंत्री उस अथारिटी के चेयरमैन हों और जो पहाड़ी प्रदेश हैं उनके मुख्य मंत्री उस अथारिटी के सदस्य हों, ताकि ठीक ढंग से उसकी देख-भाल की जा सके और इस मिट्टी के कटाव को रोकने का पूरा इंतजाम किया जाए, तो क्या सरकार योजना आयोग के इस सुझाव पर विचार करेगी और क्या ईको डिवेलपमेंट अथारिटी कायम की जाएगी ?

श्री कमल नाथ : सर, मैं समझा नहीं कि ये क्या पूछ रहे हैं।

मैं समझा नहीं कौन-सी डवलपमेंट अथारिटी है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

'ईको' शब्द मेरी समझ में नहीं आया। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : आप इनसे उत्तर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : मेरा ईअरफोन काम नहीं कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बहुत से सुझाव आये हैं। एक समस्या भूमि के कटाव की है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

श्री सुख राम : मैं समूचे हिमालय, विशेषकर पश्चिमी हिमाचल की बात कर रहा हूं।

श्री कमल नाथ : मैंने अपनी बात हिमाचल से प्रारम्भ की है और ये मुझे उससे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : भूतपूर्व योजना मंत्री जी ने कुछ सुझाव दिये हैं। अच्छा होगा आप उनसे बात करें और इसके बारे में बाद में निर्णय लें। यह उनके मंत्रालय से आया है। हो सकता है कि इसे आपकी जानकारी में न लाया गया हो। ऐसे अनेकों सुझाव हैं।

(व्यवधान)

श्री मानवेंद्र शाह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके वक्तव्य के खण्ड 1 और खण्ड 2 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पर्यावरण के भय ने पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ आधारभूत विकास कार्यों पर रोक लगा दी है ? इस संबंध में सड़क निर्माण, उच्च विद्युतगामी तार और इसी तरह के और भी उदाहरण लिये जा सकते हैं।

सच्चाई यह है कि यदि किसी स्थल पर एक भी वृक्ष है, तो वहां से सड़क नहीं निकल सकती।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये, इसे वहनीय विकास की संज्ञा दी जाती है । बहरहाल हमें इसकी चर्चा नहीं करनी है ।

श्री मानवेंद्र शाह : क्या माननीय मंत्री जी ने कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं ताकि विकास कार्य बंद न हों और पर्यावरण पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : वहनीय विकास का यही दर्शन है । यह अंतिम प्रश्न होगा ।

श्री कमल नाथ : महोदय, मेरी भी यही उम्मीद है ।

अध्यक्ष महोदय : आप राहत अनुभव कीजिये ?

श्री कमल नाथ : विलम्ब के कुछ मामले हमारे ध्यान में लाये गये हैं । हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई देरी न हो । यदि कोई विशेष किस्म की देरी हो जाती है तो हम उनका पता लगायेंगे । इसमें बहुत अधिक देरी हुई है क्योंकि राज्य सरकार से बहुत-सी सूचना प्राप्त करके प्रस्ताव के साथ भेजी जानी थी, वह नहीं भेजी जा रही थी और अब हम ऐसी प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं जिससे ऐसी देरी आगे नहीं होगी ।

वन कटाई के मामले

[हिन्दी]

*64. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार वन कटाई के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) क्या सरकार ने वृक्षों की कटाई हेतु वनों की नीलामी पर रोक लगा दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने वन कटाई पर रोक लगा दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान वननाशन/वनेतर प्रयोजन के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए अनुमोदित किए गए मामलों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

राज्य	अनुमोदित मामलों की संख्या			कुल
	1988	1989	1990	
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	12	7	7	26
असम	1	3	5	9
बिहार	3	4	4	11
गोवा	—	1	1	2
गुजरात	15	18	16	49
हरियाणा	3	6	5	14
हिमाचल प्रदेश	8	19	15	42
जम्मू और कश्मीर	—	4	4	8
कर्नाटक	9	9	9	27
केरल	3	7	17	27
मध्य प्रदेश	17	36	102	155
महाराष्ट्र	45	88	20	153
मणिपुर	1	—	—	1
मेघालय	1	4	7	12
उड़ीसा	10	12	25	47
पंजाब	—	4	5	9
राजस्थान	10	8	10	28
सिक्किम	3	2	2	7
तमिलनाडु	9	15	11	35
त्रिपुरा	—	—	1	1
उत्तर प्रदेश	45	202	99	346
पश्चिम बंगाल	1	1	6	11

1	2	3	4	5
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	6	6	1	13
दादरा और नगर हवेली	—	—	1	1
अरुणाचल प्रदेश	1	2	2	5
कुल	203	458	378	1039

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर हरे पेड़ों को काटने पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करने के बारे में सभी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों को दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। गुजरात सरकार ने 1987 से पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर दिया गया है, वह स्पष्ट नहीं है। मैंने पूछा था कि बिहार में वनों की कटाई के कितने केस सामने आये हैं? सरकार वनों की कटाई के लिए नीलामी करती है। वनों की अवैध रूप से कटाई हो रही है, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है? मैं छोटा नागपुर से आता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके ऊपर बहुत प्रश्न होते हैं, आप प्रश्न पूछें।

श्री राम टहल चौधरी : सारा जंगल समाप्त हो रहा है। केवल वहीं जंगल बचा हुआ है जहां गांव के लोगों ने, पंचायत के लोगों ने रखवाली की है, बाकी कहीं जंगल नहीं बच रहा है। लेसर मशीन के कारण भी पहाड़ों और जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है। क्या जंगलों को बचाने के लिए गांव वालों को और पंचायतों को जिम्मेदारी देने पर सरकार विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : गांव और पंचायतों को जिम्मेदारी दी जायेगी या नहीं, यह पूछा है।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य ने बिहार के बारे में कहा है, यह प्रश्न सारे देश के बारे में है। जहां तक पंचायत और ऐसी कोई कम्युनिटी या संस्था हो जिसको वृक्षारोपण में या जंगलों की देखरेख में शामिल करने की बात हो। हमने एक ऐसी योजना बनायी है ताकि यह जिम्मेदारी केवल फारेस्ट डिपार्टमेंट की न हो, यह जिम्मेदारी और यह काम पंचायत का हो या उस तरह की संस्था हो जिसमें कम्युनिटी इन्वाल्व हो।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, नीलामी पर रोक लगाने के लिए कौन-सी कारंवाई कर रहे हैं क्योंकि नीलामी के नाम पर ज्यादा जंगलों की कटाई की जा रही है, इस पर सरकार कैसे रोक लगा रही है?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : वनों की नीलामी पर रोक लगा दी गई है और यह रोक अभी भी जारी है। जिस ढंग से नीलामी आयोजित हुआ करती थी, इसमें इस तरह का कोई अवसर नहीं आया जबकि वृक्षों के काटने से भूमि के टुकड़े को ही नीलाम कर दिया गया हो। ऐसी प्रणाली पर कुछ समय पहले ही रोक लगा दी गई थी और यह रोक अभी जारी है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को वनों की नीलामी को रोकने के निर्देश दिये हैं। परिणामतया यह एक अच्छा कदम है लेकिन इससे राज्य के राजस्व को हानि पहुंचेगी। क्या भारत सरकार को राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है कि वन-संसाधनों के दोहन न करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को जो घाटा होगा, उसकी क्षतिपूर्ति की जाये ?

श्री कमल नाथ : हमने राज्य सरकार को केवल यह सिफारिश की है कि वृक्षों को काटने पर रोक लगायी जाये। देश में गुजरात राज्य की सरकार ही ऐसी अकेली सरकार है जिसमें 1987 से 5 वष के लिये वृक्षों को गिराने पर पूर्ण अधिस्थगन लागू किया है। जहां तक राजस्व के घाटे की क्षतिपूर्ति के प्रश्न का संबंध है, यह मामला उठाया गया है, और राज्य सरकार तथा योजना आयोग के चर्चाधीन है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक सीधा-सा सवाल जानना चाहता हूं कि सड़कों के किनारे आम, जामुन, कटहल के फलदार पेड़ लगाये जाते थे, इससे फल और छाया दोनों मिलती थीं लेकिन अब कांटेदार बबूल पेड़ लगाये जाते हैं जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सड़क के किनारे लगाये जाते हैं। इसका क्या कारण है? साथ ही जी० टी० रोड के किनारे या अन्य सड़कों के किनारे जो खाली पड़ी जमीनें हैं, जहां पर पेड़ काट दिये जाते हैं, क्या यहां आम नागरिकों को 2-4 पेड़ लगाने के लिए वन विभाग स्वीकृति देगा ?

अध्यक्ष महोदय : इंडिविज्युल परमीशन देने की प्रोपोजल कोई है क्या ?

श्री कमल नाथ : यदि आज की सरकार की सोशल फारेस्ट्री की नीति के अनुसार हो तो हो सकेगा। जहां तक माननीय सदस्य ने अलग-अलग पेड़ों के बारे में कहा है, मैं उनकी जानकारी अलग से दूंगा।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानने के लिए खड़ा हूं कि मध्य प्रदेश के अन्दर हमारे बहुत से जिले बस्तर, झाबुआ, शहडोल, बेतूल और धार रिजर्व फारेस्ट के अन्दर आते हैं। क्या लोगों की शिकायत मंत्री जी के पास आयी है कि वहां के फारेस्ट मिनिस्टर इन्वाल्व हैं ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार इसमें इन्वाल्व है तो जंगलों की रखवाली करने के लिए सरकार ने क्या कारंवाई की है ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, कुछ शिकायतें आयी हैं। इसपर जांच की जा रही है और उसके बाद ही फैसला किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती रीता वर्मा : पहले तो *मंत्री जी कहते हैं कि वृक्षों को गिराने पर रोक लगा दी गई* है और बाद में ये कहते हैं कि राज्य सरकार ने वृक्षों को गिराने पर रोक लगाने की सिफारिश की है और केवल गुजरात ने ऐसा किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कहने के पीछे उनका वास्तविक तात्पर्य क्या है ? क्या वे इसे और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना होता है। आप प्रश्न कीजिये। आपका प्रश्न क्या है?

श्रीमती रीता वर्मा : पहले तो वे कहते हैं कि वृक्षों को गिराने पर रोक लगा दी गयी है और फिर बाद में वे कहते हैं कि राज्य सरकार ने वृक्षों को गिराने पर रोक लगाने की सिफारिश की है। वास्तविक स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा; उन्होंने समग्र रोक और इसी तरह की बात की है।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य को मैं यह स्पष्ट करूंगा। (**व्यवधान**) मैंने कहा था कि प्लाटों की नीलामी पर रोक लगा दी गई है। जहां भूमि के कुछ प्लाट नीलाम किये गये, तो यह नीलामी पारम्परिक तरीके से आयोजित की गई। इस पर भी कुछ वर्ष पहले रोक लगा दी गई है। मैंने यह कहा है कि हमने इसकी सिफारिश की है और हम चाहते हैं कि वृक्षों को गिराने पर रोक लगानी चाहिये, विशेषकर एक हजार वर्ग मीटर के प्लाटों के बीच आने वाले वृक्षों पर।

कोचीन विमानपत्तन का विस्तार

[अनुवाद]

*65. **श्री पी० सी० चाकस**† :

श्री पाला के० एम० मंथ्यू :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन विमानपत्तन के विस्तार हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार को पहले भी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और यदि हां, तो कब ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस मामले में प्राप्त पहले के अनुरोधों और नए ज्ञापनों के आधार पर

प्राथमिक या गौण धावनपथ का विस्तार करने की व्यवहार्यता की पुनः जांच की जा रही है और इन विकल्पों के लिए संशोधित लागत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, जब आप प्राथमिक या गौण धावनपथ का विस्तार करने की सम्भावना की पुनः जांच कर रहे हैं, इदाकट्टूवयल नामक एक स्थान है जो वर्तमान विमान-पत्तन से लगभग 10-15 कि० मी० दूर है। विमानपत्तन का विस्तार करते अथवा वहां पर विमानपत्तन का निर्माण करने के लिए एक बार पहले इसे काफी अच्छा स्थान बताया गया था। इस सम्बन्ध में ज्ञापन भी दिये गये हैं। क्या सरकार विमानपत्तन का विस्तार करने अथवा वहां पर इस समय उपलब्ध जमीन की व्यवहार्यता को देखते हुए कोचीन में एक नये विमानपत्तन का निर्माण करने पर विचार करेगी ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : वर्तमान प्रस्ताव स्थिति में थोड़ा-सा परिवर्तन करके गौण धावनपथ का विस्तार करने से संबंधित है। अतएव वर्ष 1986 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार केवल इसकी लागत ही लगभग 43 करोड़ रुपये आती है। इस समय इसकी लागत लगभग 65 करोड़ रु० है तथा इसीलिए विमानपत्तन के लिए एक नये स्थल का विस्तार करने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री पी० सी० थामस : पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केन्द्र कश्मीर उन अनेक पर्यटकों के लिए अगम्य होता जा रहा है जो वहां पर जाना चाहेंगे। परन्तु लगभग कश्मीर जैसे आकर्षक केरल में अनेक पर्यटक केन्द्र हैं जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा उनका विकास किया जाना चाहिए। क्या सरकार केरल के मध्य में स्थित उस कोचीन विमान-पत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का रूप देगी ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके और विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पाला के० एम० मैथ्यू : इस कोचीन विमानपत्तन पर नौसैना का नियन्त्रण है तथा चूंकि द्वीप की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, क्या सरकार एक नये विमानपत्तन के निर्माण पर विचार करेगी जैसा कि पहले ही सुझाव दिया गया था क्योंकि उस क्षेत्र का विस्तार करना असंभव है क्योंकि कोचीन विमानपत्तन की भी कुछ सीमाएं हैं और जैसा कि सभी जानते हैं कि देश में कोचीन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शहर है तथा उस क्षेत्र में पर्यटन और अन्य प्रकार की गतिविधियों का तेजी से विकास हो रहा है। अतः वहां पर एक बड़े अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण करना बहुत जरूरी है। अतः क्या सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : जहां तक नये विमानपत्तन का सवाल है, सभी विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, तथा इस पर काफी अधिक लागत आयेगी। परन्तु निश्चित रूप से इस प्रस्ताव पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक भूमि की उपलब्धता का पता नहीं लगाया जाता तथा इसमें काफी समय लगता है। अक्तूबर में कोचीन के जिलाधीश को इसकी जांच करने और यह पता करने का आदेश दिया गया था कि क्या ऐसे किसी धावनपथ के निर्माण के लिए कोई भूमि उपलब्ध है। जब तक भूमि की उपलब्धता का निर्धारण नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री रामनिहोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र नामक स्थानों पर ऊर्जा शक्ति उपलब्ध है, एन० टी० पी० सी० है, एन० सी० एल० है, उसे देखते हुए क्या इन स्थानों पर, सिंगरौली या म्योरपुर में आप पर्यटन केन्द्र और विमानपत्तन स्थापित करने पर विचार करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप बैठिये। आप क्वेश्चन को बगैर देखे ही पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं करते हैं। आपका प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, पिछले माह माननीय मंत्री जी ने कोचीन विमानपत्तन का विस्तार करने के लिए मुझे और नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों तथा केरल सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में यह निर्णय किया गया था कि या तो प्राथमिक या गौण धावनपथ का विस्तार किया जाना चाहिए तथा यदि यह सम्भव नहीं है तब एक और विमानपत्तन का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके लिए एरणाकुलम के जिलाधीश को स्थान का पता लगाने तथा सरकार को इसकी सूचना देने का कार्य सौंपा गया था। एरणाकुलम के जिलाधीश ने पांच स्थानों का निर्धारण किया है तथा केरल सरकार के माध्यम से भारत सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है। मैं जानना चाहूंगा कि एक बार भारत सरकार को इस सूचना के मिलने के पश्चात् क्या इन स्थानों की जांच की जायेगी तथा यदि ठीक पाया गया तब कोचीन में एक नये विमानपत्तन का निर्माण करने के लिए क्या कोई कदम उठाया जायेगा ?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : जैसा मैंने पहले कहा था, प्रस्ताव आने पर ही हम इस पर विचार कर सकेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों में खान-पान सुविधा

[अनुवाद]

*63. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में विमानों में खान-पान की सुविधा प्रदान करने पर जोन-वार कुल कितनी धनराशि व्यय करती है;

(ख) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या मानदंड सभी जोनों में समान हैं अथवा हर जोन में अलग-अलग हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने वर्ष 1990-91 में खान-पान सेवाओं पर 18.75 करोड़ रुपए की राशि खर्च की। क्षेत्र-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

पश्चिमी क्षेत्र	7.59 करोड़ रुपए
पूर्वी क्षेत्र	3.23 करोड़ रुपए
उत्तरी क्षेत्र	5.14 करोड़ रुपए
दक्षिणी क्षेत्र	2.79 करोड़ रुपए

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स नास्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन जैसे खाने की व्यवस्था करता है। यह भोजन परम्परागत समय के दौरान अर्थात् क्रमशः 07.00—08.40 बजे, 13.00—14.15 बजे और 20.05—21.45 बजे दिया जाता है। इसके अलावा ऐसी उड़ानों में भी जो परम्परागत समय के बाद परिचालित्त होती हैं, काफी/चाय गार्नी, हाई टी और हल्का जलपान जैसा खाना भी परोसा जाता है। खाने के इन प्रतिमानों को मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में लिया जाता है और किसी भी क्षेत्र या सैक्टर का विचार किये बिना इनका पालन किया जाता है। कभी-कभी उड़ान समयावधि में कमी, सप्लाई को उठाने में असमर्थता आदि कारणों से इनका पालन नहीं हो पाता है। यात्रियों को बेहतर संतुष्ट पाने के लिये सामान्यतः सेवाओं का उन्नयन किया जाता है।

वायुदूत के विमानों में ब्लैक बाक्स लगाना

[हिन्दी]

*66. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत के विमानों में फ्लाइट डाटा रिकार्डर (ब्लैक बाक्स) लगा होता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन विमानों में ब्लैक बाक्स लगाने हेतु इन्हें खरीदने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक लगाये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) वायुदूत के केवल डार्नियर-228 बेड़े में ही उड़ान डाटा रिकार्डर नहीं लगे हुए हैं।

(ख) विनिर्माताओं द्वारा डार्नियर विमान में उड़ान डाटा रिकार्डर नहीं लगाये गए थे क्योंकि वे उस समय तात्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं थे।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

दिल्ली से कुमाऊं क्षेत्र के लिए रेल सम्पर्क

*67. **श्री बलराज पासी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन के विकास हेतु कुमाऊं क्षेत्र और दिल्ली को सीधी रेल सेवा से जोड़ने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह रेल सेवा कब से शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) रामपुर-लालकुआ-काठगोदाम बड़ी लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इसके 1993-94 में पूरा हो जाने की संभावना है, उसके बाद ही, दिल्ली और काठगोदाम के बीच बड़ी लाइन की सीधी गाड़ी चला पाना संभव हो सकेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में शिक्षा को अनिवार्य बनाना

*68. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में कोई नई योजना आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 14 राज्यों तथा 4 संघशासित प्रशासनों ने एक विधान बनाया है जो कि राज्य सरकारों तथा संघशासित प्रशासनों को अनिवार्य प्राईमरी शिक्षा लागू करने का अधिकार देता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) चूंकि प्राईमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाने से संबंधित निर्णय स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है, अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं

*69. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में आरम्भ की गई रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कितनी-कितनी लागत से किस-किस वर्ष पूरी होनी थी;

(ग) ये परियोजनाएं किन निर्माण-कार्यों एवं क्षेत्रों से संबंधित हैं;

(घ) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं के निर्माण-कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन-कौन-सी रेल परियोजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ) परियोजनाओं पर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति हुई थी ।

(च) आठवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) सातवीं योजना (1985-90) में शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वर्ष, जिसमें कार्य शुरू किया गया	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	समय अनुसूची
1	2	3	4	5
	नई लाइनें			
1.	गुना-इटावा	1985-86	256	संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।
	आमान परिवर्तन			
2.	छपरा-औंड़िहार	1989-90	86	संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।
	रेल विद्युतीकरण			
3.	टूंडला-आगरा-बयाना (इस खंड का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है)	1985-86	22.96	मार्च, 1991

1	2	3	4	5
	कंप्यूटरीकरण			
4.	लखनऊ यात्री आरक्षण प्रणाली	1988-89	8.72	पूरी हो चुकी है।
5.	गोरखपुर यात्री आरक्षण प्रणाली	1989-90	2.00	पूरी हो चुकी है।
6.	माल गाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली, उत्तर रेलवे	1987-88	320	1994-95
	कारखाने और शेड			
7.	खानआलमपुरा माल डिब्बा मरम्मत लाइनों में सुधार	1985-86	1.67	पूरी हो चुकी है।
8.	मुगलसराय मौजूदा फ्लैश बट झलाई संयंत्र का बदलाव	1986-87	5.89	30-4-1992
9.	मुगलसराय 120, बी० ओ० एक्स० एन० रेंकों के लिए प्राथमिक अनुरक्षण डिपो का विकास	1986-87	6.22	पूरी हो चुकी है।
10.	गाजियाबाद धारण क्षमता बढ़ाकर 100 से 120 करने के लिए, विद्युत लोको शेड का विस्तार	1986-87	2.27	पूरी हो चुकी है।
11.	चारबाग बिजली रेल इंजनों की आवधिक ओवर-हाल की सुविधाओं का सृजन	1986-87	4.0	पूरी हो चुकी है।
12.	कलट्टरबकगंज-50 रेल इंजनों के लिए डीजल शेड का निर्माण	1986-87	6.0	पूरी हो चुकी है।

1	2	3	4	5
13.	मुगलसराय—बिजली रेल इंजनों के लिए अतिरिक्त अनुरक्षण सुविधाएं	1987 88	3.66	31-12-1992
14.	इलाहाबाद—सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण	1989-90	3.64	पूरी हो चुकी है।
15.	वाराणसी—डीजल रेल इंजन कारखाना निर्माण क्षमता बढ़ाकर 150/170 इंजन करना	1989-90	19.49	31-3-1994
	सिगनल और दूर संचार			
16.	मुगलसराय—रूट रिले अन्तर्पाशन	1985-86	14.19	दिसम्बर, 1993
17.	मुगलसराय—सोननगर केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण (इसका कुछ भाग उ० प्र० में पड़ता है)	1987-88	2.09	मार्च, 1994
18.	वाराणसी—रूट रिले अन्तर्पाशन	1987-88	8.98	दिसम्बर, 1992
19.	सहारनपुर—रूट रिले अन्तर्पाशन	1988-89	5.98	मार्च, 1992
20.	दिल्ली-मुगलसराय चल रेडियो संचार नियंत्रण के लिए गाड़ी	1987-88	15.35	मार्च, 1993
21.	टूंडला-मुगलसराय मौजूदा सूक्ष्मतरंग संपर्क का 34 एम बिट डिजिटल सूक्ष्मतरंग से बदलाव	1989-90	30.08	मार्च, 1993

वन्यजीवन एवं पारिस्थितिकी का संवर्धन

[अनुवाद]

*70. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका, वन्यजीवन एवं पारिस्थितिकी के संवर्धन हेतु सहयोग करने पर सहमत हो गये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों ने भी इसे संबंध में अपना सहयोग देने के लिए सहमति व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारत-अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी उप-आयोग के पर्यावरण और पारिस्थितिकी से सम्बन्धित कार्य दल की 22-23 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में दोनों देशों के बीच संरक्षण, पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय सूचना आदान-प्रदान, प्रदूषण निवारण तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियां भावी सहयोग के अभिनिर्धारित क्षेत्र हैं ।

(ग) और (घ) हालांकि अनेक देशों के साथ सहयोग किया जा रहा है, किन्तु पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोगात्मक परियोजनाएं नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, डेनमार्क, कनाडा और आस्ट्रेलिया के साथ चल रही हैं ।

पश्चिमी घाटों पर वनों की कटाई, झूम खेती और चोरी-छिपे शिकार करना

*71. **श्री मंजय लाल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी घाटों में वनों की कटाई, झूम खेती और चोरी-छिपे शिकार किये जाने के बारे में जानकारी है, जिसके कारण वनों के शीघ्र समाप्त होने के साथ-साथ वनस्पति और जीव-जन्तुओं के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने पश्चिमी घाटों में वन्यजीवन संरक्षण और पारिस्थितिकी सन्तुलन बनाये रखने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पश्चिमी घाटों में महाराष्ट्र, गोवा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य आते हैं ।

बड़े पैमाने पर वननाशन का कोई मामला सामने नहीं आया है । फिर भी, चन्दन की लकड़ी की तस्करी के मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आये हैं ।

वन्य पशुओं, विशेषकर हाथी के चोरी-छिपे शिकार के छिट-पुट मामले सामने आए हैं । महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में झूम खेती के छिट-पुट मामलों की भी रिपोर्ट मिली है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित अनेक स्कीमों के जरिए राज्य सरकारों की सहायता करती रही है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम को अधिक कड़ा बनाया गया है।

केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी से संबंधित एक समन्वित कार्योन्मुख अनुसंधान विकास और विस्तार स्कीम भी शुरू की है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे का विभाजन

***72. श्री राम कृष्ण कोंताला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम को मुख्यालय बनाकर दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन को दो भागों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समस्तीपुर-पटना रेलगाड़ी का रद्द किया जाना

***73. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर और पटना के बीच चलने वाली एक मात्र सीधी रेलगाड़ी को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रेलगाड़ी को पुनः कब से चलाये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) हाजीपुर और पटना के बीच 2-3-1982 से महात्मा गांधी सेतु चालू कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, रेल यातायात में कमी हो जाने के कारण।

(ग) इस गाड़ी को पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन

***74. श्री पवन कुमार बंसल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सन् 2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य" का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार का आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में सन् 2000 ईसवी तक सबके लिए स्वास्थ्य के हमारे

राष्ट्रीय लक्ष्य के सन्दर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए आधुनिक चिकित्सा की भूमिका को संपूरित करने हेतु देशी *चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी की महत्वपूर्ण* भूमिका निश्चित की गई है।

सरकार चिकित्सा शिक्षा, औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुसंधान में सुधार लाने के लिए अति महत्वपूर्ण निविष्टियां (इनपुट्स) प्रदान कर रही है।

बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

***75. श्री राम विलास पासवान :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दो वर्ष पूर्व लखनऊ में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) लखनऊ में डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी एक अधिनियम अक्तूबर, 1989 में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा 244 एकड़ भूमि प्राप्त की गई है और निर्माण संबंधी कार्य भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने अब तक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 21.92 करोड़ रुपये की राशि दी है।

कर्नाटक एक्सप्रेस दुर्घटना

[अनुवाद]

***76. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर के निकट हाल ही में कर्नाटक एक्सप्रेस दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ख) इस रेल दुर्घटना के कारण क्या हैं;

(ग) मृतकों के परिवारों को तथा घायल व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में कितनी-कितनी राशि दी गयी है; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) इस दुर्घटना में 29 व्यक्तियों की जानें गईं तथा 22 व्यक्तियों को चोट लगी।

(ख) से (घ) रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण क्षेत्र बेंगलूरू, जो इस दुर्घटना की सांविधिक जांच कर रहे हैं, की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

अनुग्रह-राहत के रूप में, मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को 1,45,000 रु० और घायल व्यक्तियों को 39,250 रु० की राशि का भुगतान किया गया है।

शिशु मृत्यु-दर

[हिन्दी]

***77. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) विभिन्न राज्यों में शिशु मृत्यु-दर क्या है;

(ख) क्या राजस्थान में शिशु मृत्यु-दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसको कम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (ग) 17 राज्यों की नमूना पंजीयन पद्धति पर आधारित भारत के महापंजीयक द्वारा यथासूचित वर्ष 1990 की शिशु मृत्यु-दर जिसके लिए आंकड़े भारत के महापंजीयक द्वारा एकत्र किए जाते हैं, संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। इस अनुमान के अनुसार अखिल भारत की शिशु मृत्यु-दर 80 प्रति हजार जीवित जन्मों की तुलना में राजस्थान की शिशु मृत्यु-दर 83 प्रति हजार है।

देश में शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए पहले से ही कई कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसमें राजस्थान भी शामिल है। इन कार्यक्रमों में क्रमशः व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी कार्यक्रम, बच्चों में तीव्र श्वसनीय संक्रमण की रोकथाम संबंधी कार्यक्रम, पौषणिक रक्ताल्पता के विरुद्ध रोग निरोधक कार्यक्रम और आयरन और विटामिन 'ए' की कमी से होने वाली रतौंधी संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं।

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में प्रमुख शिशु उत्तरजीविता उपचारों को आगे और सुदृढ़ विस्तार करने का विचार है। तीव्र श्वसनीय संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे राज्य के केवल दो जिलों में ही कार्यान्वित किया जाता है, उसे चरणवार ढंग से पूरे राज्य में कार्यान्वित किया जायेगा। विटामिन 'ए' और आयरन की कमी की रोग निरोधक योजना को, समय केवल 30 प्रतिशत लाभार्थियों को कवर करती है, अब सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए व्यापक बनाया जायेगा।

उपर्युक्त उपचारों के कार्यान्वयन और व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कवरेज स्तरों में सुधार और ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी कार्यक्रम से आशा की जाती है कि शिशु मृत्यु-दर जो 1989 की 96 प्रति हजार जीवित जन्मों से घटकर 1990 में 83 (नमूना पंजीयन पद्धति अनुमान-अनन्तिम) रह गई है। यह दर और भी कम हो जायेगी।

विवरण

नमूना पंजीकरण पद्धति

प्रमुख राज्यों की अनुमानित शिशु मृत्यु-दर, 1990

(अनन्तिम)

1.	आंध्र प्रदेश	70
2.	असम	77
3.	बिहार	75
4.	गुजरात	72
5.	हरियाणा	69
6.	हिमाचल प्रदेश	68
7.	जम्मू और कश्मीर	70
8.	कर्नाटक	71
9.	केरल	17
10.	मध्य प्रदेश	111
11.	महाराष्ट्र	58
12.	उड़ीसा	123
13.	पंजाब	55
14.	राजस्थान	83
15.	तमिलनाडु	67
16.	उत्तर प्रदेश	98
17.	पश्चिम बंगाल	63
	भारत	80

भुवनेश्वर-मुम्बई उड़ान को पुनः शुरू करना

[अनुवाद]

*78. श्री सुभाष चन्द्र नायक :

डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर-मुम्बई के बीच विमान सेवा पुनः शुरू करने तथा भुवनेश्वर को विमान सेवा द्वारा कलकत्ता, पोर्टब्लेयर, मद्रास और बंगलौर से जोड़ने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इतके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भुवनेश्वर से तथा वहां के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) (क) और (ख) 1-11-1991 से भुवनेश्वर को बम्बई और मद्रास से हवाई सेवा से जोड़ दिया गया है। कलकत्ता के साथ भुवनेश्वर पहले से ही विमान सेवा से जुड़ा हुआ है। भुवनेश्वर-पोर्ट ब्लेयर और भुवनेश्वर-बंगलौर मार्गों पर विमान क्षमता की कमी और अपर्याप्त यातायात की संभावना के कारण, इस समय इन मार्गों पर सेवा आरंभ करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भुवनेश्वर भारत में मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार स्थलों के साथ पर्याप्त रूप से जुड़ा हुआ है।

रेल विभाग में कर्मचारियों की संख्या में कटौती

***79. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

श्री सूर्य नारायण सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग निकट भविष्य में कर्मचारियों की संख्या मे भारी कटौती करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसा कदम उठाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों को क्या वैकल्पिक रोजगार/मुआवजा देने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूकम्प का मानव शरीर पर प्रभाव

***80. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्तूबर, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में

"क्वेक विकटिम्स प्रोन टु किडनी फेल्योर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा हाल ही में भूकम्प से प्रभावित हुए उत्तर प्रदेश वासियों के लिए क्या एहतियाती उपाय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में हाल ही में आए भूकम्प से प्रभावित लोगों में गुर्दे निष्क्रिय होने जैसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई है।

नमक को आयोडीन युक्त बनाना

622. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक को आयोडीन युक्त करने के कार्यक्रम की स्थिति शोचनीय है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1992 तक सम्पूर्ण रूप से नमक को आयोडीन युक्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) गलगन्ड की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने देश में 1992 तक खाद्य नमक के व्यापक आयोडीकरण का निर्णय लिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान नमक के आयोडीकरण की योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां इस प्रकार हैं:—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1988-89	22.90	21.00
1989-90	30.00	22.56
1990-91	40.00	25.06

यह महसूस किया गया है कि आयोडीकृत नमक का उत्पादन इष्टतम स्तर तक नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभी भी आयोडीकृत न किए गए नमक की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाया जाना है। ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेशों के न होने के कारण इन क्षेत्रों में आयोडीकृत नमक की अधिक मांग नहीं है। इस कारण आयोडीकृत नमक के निर्माता अपने उत्पादन को बढ़ाने के इच्छुक नहीं होते।

केन्द्रीय सरकार ने ऐसी सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिन्होंने अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य प्रयोजनों के लिए आयोडीकृत न किए गए नमक के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाने की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है, अविलम्ब ऐसी अधिसूचना जारी करने को लिखा है।

सरकार आयोडीकृत नमक के निर्माताओं को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए भी राजी कर रही है।

दिल्ली में भीड़भाड़ वाले रेल फाटकों पर उपरि पुल

663. **श्री विजय नवल पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न रेल फाटकों पर यातायात के जाम होने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने रेल फाटकों पर यातायात जाम होता है;

(ग) क्या सरकार का जनता की सुविधा के लिए इन फाटकों पर उपरि पुलों का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) छः।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम द्वारा निक्षेप शर्तों पर प्रायोजित मधुबन (शाहदरा) के समीप गुड्स परिहार्य लाइन पर समपार सं० 2 ए के समीप भूमिगत मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव इस समय योजना स्तर पर है। अन्य समपारों पर ऊपरी/निचले पुलों के निर्माण पर रेलों द्वारा तभी विचार किया जा सकता है जब दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत सहमति के साथ इनके लिए प्रस्ताव प्रायोजित किए जाएं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

665. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उड़ीसा में खुर्दा रोड डिवीजन और हाल ही में बनाये गये सम्बलपुर डिवीजन के पूरे मार्ग का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जाएगा; और

(ग) इन डिवीजनों का शीघ्रता से विद्युतीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर 2294 मार्ग कि० मी० का विद्युतीकरण कर दिया गया है, जो ब० ला० के रेल नेटवर्क का 40.56% है।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के खोरधा रोड और सम्बलपुर मंडलों में आने वाले किसी भी खंड के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग 734 विमान को क्षति

666. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हैंगर में इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 734 विमान को 29 अक्तूबर, 1991 को आग लगने से काफी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है और इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। बोइंग 737 विमान वी० टी० ई० जी० एम० का 29 अक्तूबर, 1991 को हैंगर संख्या 2 में अंतिम जांच II निरीक्षण किया जा रहा था जब अग्रिम कार्गो-होल्ड तथा केबिन में कार्य कर रहे व्यक्तियों ने एक तेज रोशनी की चमक देखी। विमान की दायीं तरफ की 2 नम्बर केबिन खिड़की के साथ फ्लैश अग्नि/धुएं को देखने के पश्चात जांच-II के कार्मिक अग्नि-शमनों के साथ दौड़ पड़े तथा आग को नियंत्रित कर लिया। खिड़की संख्या-2 के नीचे फ्लोर बोर्ड लेबल पर मुख्य आक्सीजन पाईप लाइन को टूटा हुआ/जला हुआ पाया गया और लगभग एक फुट लम्बा टुकड़ा गायब पाया गया।

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशालय मामले की जांच कर रहा है।

सामान का परिवहन

667. **श्री आर्ज पर्लाण्डीज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल द्वारा सामान के परिवहन को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक दस किलोमीटर के लिए प्रत्येक क्विंटल भार के लिए रेल भाड़े की दर का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कितने वैगन बढ़ाए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) उच्च क्षमता वाले आधुनिक माल डिब्बे चलाने, लम्बी और भारी गाड़ियां चलाने, ब्लाक रेक संचलन पर कड़ी नजर रखने और ग्राहकों को कंटेनर सेवाएं प्रदान करने पर जोर देने जैसे उपायों से रेलों को अधिक यातायात ढोने तथा ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ाने में मदद मिली है।

(ख) माल भाड़ा संरचना में पण्यों के लिए किए गए वर्गीकरण तथा कर्षण दूरी के आधार पर रेल माल भाड़ा दरों का परिकलन किया जाता है।

प्रति किलोमीटर के लिए प्रति क्विंटल की औसत दर नीचे दी गई है :—

	(पैसों में)
1989-90	3.25
1990-91	3.50 (अनन्तिम)

(ग) लगभग 27,500 (चौपहिया यूनिटों के हिसाब से) माल डिब्बों के अधिप्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है लेकिन यह योजना-आबंटन पर निर्भर करेगा। साथ-साथ माल डिब्बों को नाकारा किये जाने के कारण यह वृद्धि बहुत कम होगी।

जलावन की लकड़ी और वन उत्पादों तक आदिवासियों की पैठ

668. **श्री शिव शरण वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** जलावन की लकड़ी और वन उत्पादों तक आदिवासियों की पैठ के बारे में 26 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4390 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि आदिवासियों के हित के विरुद्ध उनके किसी पारम्परिक अधिकार को समाप्त नहीं किया गया है। अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश से उत्तर प्राप्त किये जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

भारतीय हाकी टीम के सदस्यों को सामान को सिंगापुर हवाई अड्डे पर विमान से बाहर उतारना

669. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकलैंड से सिंगापुर होते हुए वापस आते समय भारतीय हाकी टीम के सदस्यों के सामान को सिंगापुर हवाई अड्डे पर विमान से उतार दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या एयर इंडिया के प्राधिकारी भारतीय टीम को रात्रि में ठहरने की सुविधा प्रदान करने में विफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) टीम ने स्वयं *ही विमान पर सवार न होने का निर्णय लिया था क्योंकि वे अधिक सामान की समस्या से निपटने* के लिए कुछ समय चाहते थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लद्दाख में चिकारा तथा बारहसिंगा का लुप्त होना

670. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में दुर्लभ तिब्बती चिकारा तथा बारहसिंगा लुप्तप्राय हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या काले गर्दन वाली सारसें भी वहां से अन्यत्र जा रही हैं; और

(घ) यदि हां; तो इन दुर्लभ प्रजातियों का बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये है अथवा उठाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) तिब्बती चिकारा और तिब्बती बारहसिंगा इस देश में वन्यजीवों की अत्यन्त खतरे में पड़ी प्रजातियों में से हैं।

(ख) इन प्रजातियों की आबादी में कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) वासस्थलों को निरावृत्त और नष्ट होगा।

(2) मांस और खाल के लिए इन प्रजातियों का अवैध शिकार।

(ग) काली गर्दन वाली सारस के मुख्य प्रजनन क्षेत्र चीन में हैं। लद्दाख इस प्रजाति के वासस्थल क्षेत्र के बाहरी अंचल में आता है। इस प्रजाति के हाल में किये गये सर्वेक्षणों के दौरान लद्दाख के चुसूल और हानले क्षेत्रों में काली गर्दन वाले बहुत कम सारस देखे गये। इस प्रजाति की भारतीय आबादी को अत्यन्त संकटापन्न समझा जाता है।

(घ) इस प्रजाति के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए और उठाए जाएंगे :—

(1) जम्मू व कश्मीर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के तहत इस प्रजाति को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करना।

(2) इन प्रजातियों को अवैध शिकार से बचाने के लिए सेना का सहयोग लेना।

(3) आवधिक स्थिति सर्वेक्षण करना और इस प्रजाति के दिखाई देने के बारे में सूचना एकत्र करना।

(4) इस क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित करना।

(5) उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास और प्रबन्ध के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना।

कला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्याय

671. **श्री राम नाईक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई तथा कितनी राशि भुगतान की गयी;

(ख) इन वर्षों के दौरान न्याय द्वारा वास्तव में कितनी राशि व्यय की गयी;

(ग) क्या इस न्यास की कार्य समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियों/सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 5 करोड़ रुपये के कोर्पस फंड के भाग के रूप में 2 वर्षों अर्थात् 1988-89 और 1989-90 में प्रत्येक वर्ष एक-एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।

(ख) वर्ष-वार किया गया वास्तविक व्यय :

1988-89	48,57,769 रुपए
1989-90	66,52,863 रुपए
1990-91	93,54,240 रुपए

(ग) कोई कार्य समिति नहीं बनायी गई है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अधीक्षक द्वारा प्राप्त किये गये संसद सदस्यों के पत्र

672. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक को पिछले छः महीनों के दौरान संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्यों के पत्रों को सदैव स्वीकार किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में पिछले 6 महीनों के दौरान संसद सदस्यों के 97 पत्र प्राप्त हुए हैं जो अधिकतर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में रोगियों के इलाज के संबंध में थे और इन सभी पत्रों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल को रेफर किए गए रोगियों को परामर्श देने और उनसे मिलने का समय निर्धारित करने/अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में तत्काल कार्रवाई की गई है ।

सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा होने वाला प्रदूषण

673. **श्री बी० धर्म भिक्षम** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सीमेंट औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं; और

(ख) जो इकाइयां सीमेंट प्रदूषण को रोकने के उपाय कर रही हैं, उनकी राज्य-वार संख्या क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से सीमेंट इकाइयों सहित भारी प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों को 31-12-1991 तक निर्धारित बहि:स्राव तथा उत्सर्जन मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया है ।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सीमेंट प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिन इकाइयों ने उपाय किये हैं, उनकी राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :

क्रम संख्या	राज्य	इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	15
4.	हरियाणा	2
5.	कर्नाटक	7
6.	केरल	2
7.	मध्य प्रदेश	10

1	2	3
8.	महाराष्ट्र	5
9.	राजस्थान	8
10.	तमिलनाडु	6
11.	उत्तर प्रदेश	4
12.	पश्चिम बंगाल	1
13.	हिमाचल प्रदेश	1

चेतक एक्सप्रेस में आगरा फोर्ट स्टेशन के लिए आरक्षण कोटा

674. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से उदयपुर जाने वाली चेतक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में आगरा फोर्ट स्टेशन के लिए आरक्षण कोटा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आगरा इस गाड़ी के मार्ग में नहीं आता है, आरक्षित स्थान की सीमित उपलब्धता और इस गाड़ी के मार्ग में स्थित मौजूदा कोटाधारी स्टेशनों पर कोटे का पूर्ण उपयोग होने के कारण 2915 दिल्ली-उदयपुर चेतक एक्सप्रेस में आगरा फोर्ट के लिए कोई आउट स्टेशन कोटा आबंटित करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, इच्छुक यात्री आगरा फोर्ट स्टेशन पर उपलब्ध आटोटेक्स्ट सुविधा के माध्यम से गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशनों को संदेश भेजकर आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

हजारीबाग में आउट एजेंसी को बन्द किया जाना

[हिन्दी]

675. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रेलवे आउट एजेंसी को बन्द कर दिया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का रेलवे आउट एजेंसी पुनः खोलने का तथा वहां आरक्षण और माल परिवहन कार्य करने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हजारीबाग स्थित आउट एजेंसी बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही थी । असन्तोषजनक कार्य तथा अपर्याप्त यातायात के कारण बिहार राज्य परिवहन निगम राज्य कार्य जारी रखने के लिए इच्छुक न होने के कारण एजेंसी को 1-8-1988 से बंद करना पड़ा था ।

(ग) और (घ) हजारीबाग में आउट एजेंसी पुन: खोलने के बारे में तभी विचार किया जा सकता है जब राज्य सरकार की एजेंसी अथवा निजी ठेकेदार मानक शर्तों पर कार्य करने के लिए इच्छुक हों ।

कक्षा I से V तक में प्रविष्ट किये गये छात्रों की संख्या

[अनुवाद]

676. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कक्षा I से V तक (6-11 वर्ष आयु वर्ग) में छात्रों को प्रविष्ट दिये जाने के संबंध में हुई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में पुर्णिया, किशनगंज और अररिया जिलों के बारे में तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में इस प्रयोजन हेतु वास्तविक रूप से राज्य-वार, कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) बिहार सरकार द्वारा पहले दो वर्षों के दौरान वास्तविक रूप से कितनी राशि व्यय की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1989-90 से संबंधित कक्षा I-V के कुल नामांकन अनुपात को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण 1986 से संबंधित ग्रेटर पुर्णिया जिले जिसमें किशनगंज और अररिया जिले भी शामिल हैं, के तत्संबंधी आंकड़े निम्नलिखित हैं :

बालक	बालिकाएं	कुल
92.82	49.12	71.04

(ग) और (घ) इन वर्षों के दौरान, इस कार्य के लिए विशेष रूप से राज्य सरकारों को कोई भी केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई ।

विवरण

कुल नामांकन अनुपात (1989-90)

क्र० सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश	कक्षा I-V (6—11 वर्ष)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	105.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	102.29
3.	असम	110.40
4.	बिहार*	81.61
5.	गोवा	105.30
6.	गुजरात	118.85
7.	हरियाणा	84.46
8.	हिमाचल प्रदेश	117.39
9.	जम्मू और कश्मीर*	86.17
10.	कर्नाटक	104.83
11.	केरल	104.58
12.	मध्य प्रदेश*	103.23
13.	महाराष्ट्र	120.55
14.	मणिपुर	111.64
15.	मेघालय	106.46
16.	मिजोरम	145.81
17.	नागालैंड*	120.82
18.	उड़ीसा	102.42
19.	पंजाब*	96.69
20.	राजस्थान	80.06
21.	सिक्किम	125.25

1	2	3
22.	तमिलनाडु	132.67
23.	त्रिपुरा	133.07
24.	उत्तर प्रदेश	80.26
25.	पश्चिम बंगाल*	127.95
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	95.71
27.	चंडीगढ़*	60.78
28.	दादर और नागर हवेली	96.90
29.	दमन और दीव	—
30.	दिल्ली	93.39
31.	लक्षद्वीप*	153.05
32.	पांडिचेरी	137.83
	अखिल भारत	99.96

* आंकड़े वर्ष 1988-89 से संबंधित हैं।

रेलवे की भूमि का अतिक्रमण

[हिन्दी]

677. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के पास बहुत-सी खाली भूमि है जिसे प्रयोग में नहीं लाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोगों ने इस भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे की कितनी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है और इस भूमि को खाली कराने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) खाली भूमि के एक हिस्से पर अतिक्रमण है।

(ग) लगभग 2000 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। इस भूमि को खाली कराने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

पश्चिम बंगाल में खेलों का विकास

[अनुवाद]

678. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान खेलों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) स्वायत्त खेल संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए ऐसी कितनी योजनाएं भेजी गई हैं;

(ग) इनमें से कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और कितनी विचाराधीन हैं; और

(घ) इन योजनाओं को लागू करने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

संसाधन विकास मन्त्रालय तथा महिला और बाल विकास (युवा कार्य और खेल-कूद) विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) गत वर्ष (1-11-90 से 31-10-91) के दौरान खेलों के विकास के लिए मात्र 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उनमें से शांतिपुर नगर पालिका का केवल एक प्रस्ताव निर्धारित पद्धति में प्राप्त हुआ था।

(ख) स्वायत्त खेल संगठनों से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई तथा एक स्वैच्छिक संगठन से मात्र एक योजना प्राप्त हुई थी।

(ग) शांतिपुर नगर पालिका से प्राप्त मात्र एक योजना विचाराधीन है। अन्य दो योजनाओं पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे निर्धारित पद्धति में प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) शून्य।

प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का विकास

679. श्री गोविन्द राव निकम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन केन्द्र बनाने पर ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए सरकार द्वारा किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि प्राकृतिक स्थलों में इन पर्यटन केन्द्रों पर ठहरने की समस्या भी विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो वहां ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार वन्य जीव एवं साहसिक पर्यटन पर बल देती है जो लोगों को प्रकृति के निकट लाता है। आवास की मौसमी एवं विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्र प्रकृति-पर्यटन से संबद्ध स्थलों पर पर्यटक गृह तथा तम्बू (टेन्टेड)-आवास एवं कैम्पों की स्थापना के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करता है।

दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम

680. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने 1990 तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया था;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सफलता मिली है;

(ग) लक्ष्य प्राप्त न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) अन्य राज्यों/संघशासित प्रदेशों की भांति संघशासित प्रदेश दिल्ली में भी प्रौढ़ निरक्षरता-उन्मूलन के लिए वर्ष 1978-79 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। बाद में की गई जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर वर्ष 1981 में 71.93 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1991 में 76.09 प्रतिशत हो गई। इस अवधि के दौरान संघशासित प्रदेश दिल्ली की जनसंख्या 62.2 लाख से बढ़कर 93.7 लाख हो गई है। जिसमें से काफी बड़ा हिस्सा प्रवासी जनसंख्या का है। संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं में एक मुख्य बाधा यह भी है। हाल ही में साक्षरता संवर्धन के प्रयासों में में दिल्ली में लगभग 50,000 स्कूली छात्रों को शामिल किया गया है। 2 अक्तूबर, 1991 को दिल्ली के अम्बेडकर नगर में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया जिसमें 5,000 स्वयंसेवी अनुदेशकों के सहयोजन से 12 महीने के भीतर ही 9-45 आयु वर्ग के 61,683 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाएगा। केन्द्रीय सरकार अम्बेडकर नगर में साक्षरता अभियान के लिए लगभग 40.00 लाख रुपए के सम्पूर्ण व्यय को वहन कर रही है। संघशासित प्रदेश दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस योजना पर योजनागत तथा योजनेतर शीर्ष के तहत क्रमशः 51.37 लाख रुपए और 212.70 लाख रुपए का कुल व्यय किया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए धनराशि

681. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च की है;

(ख) यह धनराशि किन-किन एजेन्सियों के माध्यम से खर्च की गई;

(ग) प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कितनी एजेंसियां और स्वयंसेवी संगठन सम्मिलित थे और उन्हें अलग-अलग वर्षवार कितनी राशि प्रदान की गयी;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के लिए प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को साक्षार बनाया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों में लगे राज्यों/संघशासित प्रदेशों और अन्य एजेंसियों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) साक्षरता/प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत राज्य सरकारों/संघ-शासित प्रशासनों एवं अन्य एजेंसियों को निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई :

(I) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरमा परियोजनाओं की योजना के तहत साक्षरता/प्रौढ़ शिक्षा की परियोजनाओं को चलाने के लिए राज्य सरकारों/संघ-शासित प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(II) जन शिक्षण निलयमों की योजना के तहत जन शिक्षण निलयमों की उत्तर साक्षरता और अनुवर्ती कार्यकलापों को संचालित करने के लिए राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान को गई।

(III) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने की योजना के तहत, साक्षरता/प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जन शिक्षण निलयमों, पठन-पाठन सामग्री का विकास, सेमिनारों के आयोजन आदि के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 646 स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की गई। तीन वर्षों के दौरान, स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या और उन्हें जारी की गई धनराशि निम्नलिखित है :

वर्ष	स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या	धनराशि
1988-89	250	6,99,03,500
1989-90	390	13,86,81,623
1990-91	430	11,34,08,656

(IV) कार्यात्मक साक्षरता के सामूहिक कार्य की योजना के तहत, राज्य संसाधन केन्द्रों के साक्षरता किटों के उत्पादन के लिए जिन्हें सभी सम्बद्ध एजेंसियों को जो इस कार्यक्रम को छात्रों अथवा गैर-छात्रों के माध्यम से कार्यान्वित करना चाहती है, को सप्लाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(v) राज्यों/संघशासित प्रदेशों में प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की योजना के तहत, राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में राज्य और जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य वर्ष 1990 तक 15-35 आयु वर्ग में 3 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों को तथा 1995 तक शेष 5 करोड़ लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान नामांकित किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	नामांकित व्यक्ति (लाखों में)
1988-89	83.77
1989-90	81.67
1990-91	180.00

विवरण

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	केन्द्रीय सहायता की धनराशि 1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	406.59	570.28	2275.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	36.45	42.38	15.18
3.	असम	238.38	256.10	181.82
4.	बिहार	454.22	677.36	760.93
5.	गोवा	11.26	65.47	5.47
6.	गुजरात	460.17	512.21	828.28
7.	हरियाणा	166.30	205.89	105.07
8.	हिमाचल प्रदेश	45.09	61.93	54.02
9.	जम्मू और कश्मीर	111.49	8.15	13.48
10.	कर्नाटक	488.86	393.17	1298.85

1	2	3	4	5
11.	केरल	210.33	421.91	353.11
12.	मध्य प्रदेश	563.61	726.81	1278.20
13.	महाराष्ट्र	667.44	665.40	906.20
14.	मणिपुर	84.92	81.50	22.13
15.	मेघालय	39.06	67.81	32.91
16.	मिजोरम	13.40	16.61	13.67
17.	नागालैंड	14.92	42.00	37.29
18.	उड़ीसा	216.60	493.27	609.91
19.	पंजाब	146.22	175.01	104.45
20.	राजस्थान	595.48	595.36	507.58
21.	सिक्किम	4 38	38.84	7.89
22.	तमिलनाडु	464.86	648.15	452.81
23.	त्रिपुरा	30.79	47.58	15.32
24.	उत्तर प्रदेश	1123.60	852.15	1228.81
25.	पश्चिम बंगाल	469.78	268.05	1586.58
	संघशासित प्रदेश			
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	11.96	16.00	19.38
27.	चंडीगढ़	5.94	6.51	14.31
28.	दादरा और नगर हवेली	3.54	4.30	5.51
29.	दमन और दिव	0.79	0.73	0.66
30.	दिल्ली	92.19	214.85	299.29
31.	लक्षद्वीप	4.83	1.95	0.32
32.	पांडिचेरी	18.50	50.37	40.13

बंगलौर और कालीकट के बीच विमान सेवा

682. **श्री के० एच० मुनियप्पा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलौर और कालीकट के बीच विमान सेवा प्रारंभ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद तथा सूरत शहरों के बीच गाड़ी शुरू करना

683. **कुमारी दीपिका चिखलिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और सूरत शहरों के बीच विशेष तौर पर सुबह तथा शाम के समय कम दूरी की गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण।

छोटा परिवार के मानदंड

684. **कुमारी विमला वर्मा** :

श्री डी० देवराजन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा छोटे परिवार के मानदंडों को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के लिए संशोधित नीति के एक अंग के रूप में अनेक नए प्रोत्साहनों की हाल ही में घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है जिनके सेवा-निवृत्ति के समय दो बच्चे विशेष रूप से लड़कियां होती हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम पर नये सिरे से बल देने और उसे गतिशीलता

प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से परामर्श लेते हुए कार्य योजना का एक प्रारूप तैयार किया गया है। इस कार्य योजना के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक तत्व छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों का एक नया पैकेज तैयार करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में अभी किसी प्रकार के ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं क्योंकि प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों के पैकेज को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों से आगे परामर्श करके पारित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। केवल लड़कियों के होने पर भी छोटे परिवार के मानदंड के स्वीकारकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा तन्त्रों को तैयार करने जैसे बहुत से सुझावों पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना

685. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नदी जल प्रदूषण को दूर करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत, इसमें शामिल राज्यों का ब्यौरा क्या है और देश में अत्यधिक प्रदूषित रूप में पहचानी गई नदियों के नाम क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) देश की प्रमुख नदियों के अभिनिर्धारित घोर प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय नदी कार्य योजना का प्रतिपादन किया जा रहा है। इस सम्बंध में विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

हिमालय कार्य योजना

686. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में "पर्वतीय विकास में ऊर्जा और पर्यावरण की समस्याएं" विषय पर आयोजित एक दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में ऊर्जा और पर्यावरण की समस्याओं के संबंध में विशेषज्ञों ने सरकार से "हिमालय कार्य योजना" तैयार करने की सिफारिश की है जो हिमालय क्षेत्र को विनाश से बचाने में लाभदायक सिद्ध होगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को दी गई अन्य सिफारिशों एवं सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) हाल ही में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान तथा हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी (हिमुर्जा) द्वारा शिमला में आयोजित "पर्वत विकास में ऊर्जा और पर्यावरण मुद्दे" नामक कार्यशाला की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस कार्यशाला की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ हिमालयी पुनर्निर्माण

पर एक "राष्ट्रीय कार्य योजना" शामिल है। अन्य सिफारिशों में, प्राकृतिक संसाधनों के एक आंकड़ा-आधार का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय पर्यावरण सुविधा, प्रदर्शन केन्द्रों के रूप में माडल जैव-ग्राम, औद्योगिक इकाइयों की वार्षिक पर्यावरणीय जांच, सभी पहाड़ी राज्यों में पर्यावरण कक्षों का सुदृढ़ीकरण/सृजन, पर्यावरण प्रबन्ध योजनाएं, पर्यावरण और ऊर्जा प्रणालियों के लिए नोडल एजेंसी और बजट शीर्ष, समन्वित भूमि और जल प्रबन्ध नीति, पर्वत पारि-प्रणालियों का संरक्षण, कानूनी और प्रशासनिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण, पर्यावरण के अनुकूल शहरीकरण तथा ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल शहरीकरण तथा ऊर्जा और पर्यावरण विशेषज्ञों और संस्थाओं के नेटवर्क की स्थापना शामिल हैं।

(ग) कार्यशाला में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में, सरकार हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण और स्थाई विकास के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। इनमें निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं :—

— हिमालयन क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध और स्थायी विकास के लिए कारगर नीतियां बनाने के लिए ज्ञान बढ़ाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में गोविन्द वल्लभ पन्त हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है।

— हिमालयी क्षेत्र में एक समन्वित कार्योन्मुख अनुसंधान विकास और विस्तार कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम, पारिस्थितिकीय संतुलन के अनुरूप पहाड़ी लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए है।

— दो जीवमंडल रिजर्व स्थापित किए गए हैं—एक "नन्दादेवी में और दूसरा नोकरेक में।"

— पारि-पुनरुद्धार का कार्य शुरू करने के लिए जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में एक-एक पारि-कृत्यक बल बनाये गये हैं।

तमिलनाडु में प्रदूषित नदियां

687. **श्री वी० वेवराजन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में प्रदूषित नदियों के क्या नाम हैं;

(ख) प्रत्येक नदी में प्रदूषण का स्तर क्या है; और

(ग) इन नदियों से प्रदूषण समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) नदी जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के परिणामों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में 13 अत्यधिक प्रदूषित नदी भागों का पता लगाया है। इन अत्यधिक प्रदूषित नदी भागों में से तमिलनाडु में कोई नहीं है।

(ग) सरकार ने जल प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं;

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं;

(3) उद्योगों के स्थान निर्धारण और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

(4) उद्योगों को बहिस्रावों के विसर्जनों और उत्सर्जनों को निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।

(5) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को 31 दिसम्बर, 1991 तक मानकों को पूरा करना है।

(6) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(7) साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह को सहायता देने का एक स्कीम शुरू की गई है।

उड़ीसा में सामाजिक वानिकी योजना

688. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन जिलों में यह योजना चलाई गई थी;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस राज्य में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) इस कार्य के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें सामाजिक वानिकी भी शामिल है, के अन्तर्गत उड़ीसा में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों का लक्ष्य और उपलब्धि निम्न प्रकार है :

लक्ष्य	उपलब्धि
(हैक्टेयर क्षेत्र)	
637100	552234

वर्ष 1988-89 में सूखा पड़ने और वित्तीय कठिनाइयों के कारण लक्ष्य को पूर्णतया प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ग) उड़ीसा के सभी जिलों में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप सातवीं योजना अवधि के दौरान चलाए गए।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मध्यान्ह भोजन के कारण बीमार हुए बच्चे

[हिन्दी]

690. **श्री मुमताज अन्सारी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजकीय विद्यालय, चंडीगढ में पढ़ रहे 361 बच्चे 9-10 नवम्बर, 1991 को मध्यान्ह भोजन करने के बाद बीमार पड़ गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना द्वारा उन 500 छात्रों को, जिन्होंने कुछ बिस्कुट खाए थ, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जिनमें से 473 को 3-7 घंटे के बाद छुट्टी दे दी गई। 5 छात्रों को 2-3 दिन के बाद छुट्टी दे दी गई और बाकी 22 को बाद में छुट्टी दे दी गई। बच्चों को मुहैया किए गए बिस्कुट कोलिफार्म बेक्टिरिया युक्त पाए गए। जांच के बाद इन बिस्कुटों की आपूर्ति स्कूलों में बन्द कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने बच्चों को मुहैया किए जा रहे मध्यान्ह भोजन के नमूनों की अक्सर जांच शुरू कर दी है।

अननुज्ञप्त औषध निर्माता एकक

[अनुवाद]

691. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक औषधियों का उत्पादन अननुज्ञप्त कम्पनियों द्वारा कर उनकी खुले बाजार में बिक्री की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कम्पनियों के विरुद्ध क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 (ग) के अधीन वैध लाइसेंस के बिना औषधों का विनिर्माण करना एक अपराध है। यदि किसी व्यक्ति/ कम्पनी को बिना लाइसेंस के औषधों का विनिर्माण करते हुए पाया जाता है तो राज्य लाइसेंस

प्राधिकरण द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन कार्रवाई की जाती है। जहां कहीं ऐसा मामला पाया जाता है कि कोई कम्पनी बिना लाइसेंस लिए औषधें बना रही है तो उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

प्राकृत अकादमी

692. प्रो० राम कापसे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक प्राकृत अकादमी की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में अस्पतालों की स्थापना

[हिन्दी]

693. श्री खारे लाल जाटव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में कुल कितने अस्पताल हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं और चालू योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अस्पतालों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : दिल्ली प्रशासन के अधीन 7 अस्पताल खोलने का एक प्रस्ताव है। प्रस्तावित अस्पतालों के स्थानों/नामों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० संख्या	अस्पताल का नाम	स्थान
1	2	3
1.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (100 पलंगों वाला अस्पताल)	खिचड़ीपुर
2.	बाबू जगजीवन राम मैमोरियल अस्पताल (100 पलंगों वाला अस्पताल)	जहांगीरपुरी
3.	नाम के बारे में प्राधिकारियों द्वारा अभी निर्णय नहीं किया गया है। (100 पलंगों वाला अस्पताल)	सिरसपुर
4.	-तदेव-	पूठ खुर्द
5.	-तदेव-	मैदान गढ़ी

1	2	3
6.	गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल (100 पलंगों वाला अस्पताल)	रघुबीर नगर
7.	बाबा साहेब डा० भीमराव अम्बेडकर अस्पताल (500 पलंगों वाला अस्पताल)	रोहणी

नए पर्यटन स्थलों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कृतिक बल का गठन

[अनुवाद]

694. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे नए पर्यटन स्थलों, जिनकी संभावनाओं का अभी तक पता नहीं किया गया है, का विकास करने हेतु किसी कृतक बल गठन का किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सामान्यत: इन पर्यटन स्थलों तथा विशेषत: राजस्थान के रेगिस्तान की पर्यटन क्षमता का उपयोग करने के लिए हाल में क्या प्रयास किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन की सम्भावना वाले नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक कृतिक दल (टास्क फोर्स) का गठन किया है।

(ग) पर्यटन और पर्यटन आधारिक संरचना का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्र सरकार उपलब्ध संसाधनों में से राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसी सहायता जिन राज्यों को उपलब्ध कराई गई है उनमें राजस्थान भी सम्मिलित है।

प्राचीन स्मारकों का संरक्षण

695. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजमहल सहित कई स्मारकों का तेजी से क्षय हो रहा है;

(ख) यदि हां, क्या सरकार ने क्षय के कारणों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक, जिनमें ताजमहल भी शामिल है, उनका तेजी से अपक्षय नही हो रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसके संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण हेतु वर्ष 1991-92 के लिए एक कार्य योजना पहले ही बनाई गई है।

दिल्ली से लखनऊ के लिए वायुदूत की उड़ानों को रद्द करना

[हिन्दी]

696. **श्री पंकज चौधरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान दिल्ली से कानपुर होते हुए लखनऊ के लिए वायुदूत की कितनी उडानें रद्द की गयीं और उसके परिणामस्वरूप कितनी टिकटें रद्द की गयीं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नियमित उड़ानें सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) 20 सितम्बर, 1991 से 20 नवम्बर, 1991 तक 22 बार वायुदूत उड़ानें रद्द की गई। जबकि एक बार तकनीकी खराबी के कारण उड़ान को रद्द किया गया था, अन्य उड़ानों को विमानों के उपलब्ध न होने के कारण रद्द करना पड़ा। इन उड़ानों को रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप, पुष्टिकृत 68 यात्री दिल्ली से लखनऊ की यात्रा नहीं कर सके।

बिहार में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं

697. **श्री छेदी पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सासाराम तथा झबुआ जिलों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी कार्यक्रम पर कुल कितना खर्च किया गया है, और

(ख) कार्यक्रम के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान कितना लक्ष्य उपलब्ध किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी

सिद्धार्थ) : (क) बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सासाराम और झबुआ जिलों में मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत किया गया कुल खर्च इस प्रकार है :—

वर्ष	खर्च
1986-87	रु० 2681460
1987-88	रु० 2681160
1988-89	रु० 2681160
1989-90	रु० 4391690
1990-91	रु० 6843420

(ख) बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सासाराम और झबुआ के दोनों जिलों से प्राप्त लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बिहार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सासाराम और झबुआ जिलों के लिए मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत लक्ष्य और उपलब्धियां

उपलब्धि

स्थायी तरीके

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत
1	2	3	4
1986-87	21500	9849	45.81%
1987-88	21000	13579	1(4.60%
1988-89	21000	17727	84.7 %
1989-90	17500	11943	68.25%
1990-91	18800	6716	35.72%
आई० यू० डी० निवेशन			
1986-87	9500	8458	89.03%
1987-88	10000	7455	74.55%
1988-89	12800	14162	110.00%
1989-90	14600	12241	85.01%
1990-91	7100	5485	32.08%

1	2	3	4
मुख सेव्य गोलियों के प्रयोगकर्ता			
1986-87		अभी उपलब्ध नहीं	
1987-88		अभी उपलब्ध नहीं	
1988-89	600	821	136.08%
1989-90	600	1231	205.22%
1990-91	1750	1093	62.48%
पारंपरिक गर्भ निरोधकों के प्रयोगकर्ता			
1986-87	4000	2919	72.8 %
1987-88	600	786	131.00%
1988-89	6160	6925	112.42%
1989-90	6160	7386	119.9 %
1990-91	11000	5205	47.32%
टी० टी० (माताएं)			
1986-87	20000	11487	57.4 %
1987-88	38000	40413	106.35%
1988-89	67000	75041	112.00%
1989-90	90400	71584	79.19%
1990-91	107500	63115	58.71%
डी० पी० टी०			
1986-87	20000	14654	73.27%
1987-88	58000	65390	112.74%
1988-89	58000	78657	135.62%
1989-90	58500	80775	117.92%
1990-91	80750	82589	102.28%
पोलीयो			
1986-87	20000	8429	42.1 %
1987-88	58000	58758	101.31%
1988-89	58000	76656	132.17%
1989-90	58500	80392	117.36%
1990-91	80750	82117	101.69%

1	2	3	4
बी० सी० जी०			
1986-87	27000	16654	61.7 %
1987-88	58000	166388	114.46%
1988-89	58000	69532	119.88%
1989-90	58500	71874	104.93%
1990-91	80750	76848	95.17%
खसरा			
1986-87		अभी उपलब्ध नहीं	
1987-88	41000	41168	100.41%
1988-89	26500	38912	106.84%
1989-90	68500	96068	140.25%
1990-91	80750	74729	92.54%

करूर-तूतीकोरन रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[अनुवाद]

698. **श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करूर-डिंडीगुल-मदुरै-तूतीकोरन सेक्शन में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) करूर-दिण्डीगुल-मदुरै-मणियाच्चि/तूतीकोरिन/तालैयूत्तु परियोजना चरणों में शुरू की जा रही है। मणियाच्चि से तालैयूत्तु/मिलविट्टान तक समानान्तर बड़ी लाइन मई, 1985 में चालू की गयी थी और तूतीकोरिन हार्बर तक सहायक साईडिंग अप्रैल, 1986 में चालू की गयी थी। करूर से दिण्डीगुल तक नई बड़ी लाइन अगस्त, 1988 में चालू की गयी थी। दिण्डीगुल से मदुरै तक समानान्तर बड़ी लाइन के 1992-93 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है। मदुरै-मणियाच्चि खंड पर कार्य शुरू किया गया है और इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

और अधिक संख्या में नवोदय विद्यालय खोला जाना

699. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय नवोदय विद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार का विचार देश में वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश के पौढी गढ़वाल जिलों में कुल कितने नवोदय विद्यालय खोलने का है;

(ग) सरकार ने नवोदय विद्यालय खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं और इनमें छात्रों को दाखिला देने संबंधी नियम क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन संस्थाओं के कार्यकरण का विश्लेषण करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) अब तक खोले गए 275 नवोदय विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-1 के रूप में संलग्न है।

(ख) अभी तक वर्ष 1991-92 के दौरान 14 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं तथा 5 और संस्वीकृत किए गए हैं। राज्यबार सूची विवरण-2 में दी गई है। जिला चमोली में एक नवोदय विद्यालय पहले ही कार्य कर रहा है।

(ग) नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय खोले जाने की परिकल्पना है। स्थान का चयन पहली बार में राज्य सरकार/संघ क्षेत्र के प्रशासन की पेशकश के आधार पर किया जाता है। प्रारम्भ में 2-3 वर्षों के लिए विद्यालय को चलाने के लिए, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन द्वारा शुरू-शुरू में 30 एकड़ भूमि, निःशुल्क तथा पर्याप्त भवन उपलब्ध कराये जाते हैं। इन विद्यालयों को जहां तक संभव हो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जायेगा। नवोदय विद्यालयों में कक्षा VI में दाखिला रा० शै० अनु० प्र० परिषद द्वारा तैयार तथा आयोजित परीक्षा के आधार पर किया जाता है। कम से कम 75 प्रतिशत स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए छात्रों तथा शहरी क्षेत्रों से 25 प्रतिशत छात्रों से भरे जाते हैं। अनु० जा०/अनु० ज० जा० के लिए स्थानों का आरक्षण, संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है बशर्ते कि किसी भी जिले में इस प्रकार का आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में कुल स्थानों का एक तिहाई स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) यद्यपि, योजना के निष्पादन पर निगरानी सरकार द्वारा की जा रही है फिर भी किसी भी मूल्यांकन अध्ययन का आदेश नहीं दिया गया है, क्योंकि यह अभी एक नई योजना ही है।

विवरण-1

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	बिहार	25
4.	गोवा	2
5.	गुजरात	9
6.	हरियाणा	9
7.	हिमाचल प्रदेश	8
8.	जम्मू और काश्मीर	14
9.	केरल	10
10.	कर्नाटक	18
11.	मध्य प्रदेश	29
12.	महाराष्ट्र	20
13.	मणिपुर	7
14.	मेघालय	4
15.	मिजोरम	2
16.	उड़ीसा	12
17.	पंजाब	7
18.	राजस्थान	21
19.	सिक्किम	1
20.	नागालैंड	2
21.	त्रिपुरा	2
22.	उत्तर प्रदेश	35
23.	अण्डमान और निकोबार	2

1	2	3
24.	चण्डीगढ़	1
25.	दादर और नगर हवेली	1
26.	दमन और दीव	2
27.	दिल्ली	2
28.	लक्षद्वीप	1
29.	पाण्डिचेरी	4
	कुल	275

विवरण-2

क्रम संख्या	जिला	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1.	सुरेन्दरनगर	गुजरात
2.	राजकोट	गुजरात
3.	रतलाम	मध्य प्रदेश
4.	संगली	महाराष्ट्र
5.	जयन्तिया पहाड़िया	मेघालय
6.	वोखा	नागालैण्ड
7.	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
8.	देवरिया	उत्तर प्रदेश
9.	हरदोई	उत्तर प्रदेश
10.	भदोही	उत्तर प्रदेश
11.	एटा	उत्तर प्रदेश
12.	पश्चिम जिला	दिल्ली
13.	द० त्रिपुरा जिला	त्रिपुरा
14.	सिवान	बिहार

(ख) उन जिलों की सूची जहां वर्ष 1991-92 के दौरान नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए जा रहे हैं।

क्र० सं०	जिला	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1.	एल्लेप्पी	केरल
2.	मऊ	उत्तर प्रदेश
3.	रेजन	मध्य प्रदेश
4.	पलामू	बिहार
5.	वारंगल	आंध्र प्रदेश

दिल्ली में सुरा कांड

700. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री ताराचन्द्र खंडेलवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में मिलावटी सुरा पीने के पश्चात बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अस्पतालों में कितने व्यक्ति भरती हुए और कितने लोगों की मौत हुई तथा कितने व्यक्ति विकलांग हो गये;

(ग) क्या निर्माताओं ने इस उत्पाद का विपणन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था;

(घ) यदि हां, तो इन लाइसेंसों को जारी करने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है;

(ङ) क्या इन मिलावटी उत्पादों का पता लगाने के लिए कोई छापा मारा गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सुरा की बिक्री पर रोक लगाने का विचार है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली स्थित विभिन्न अस्पतालों में अनेक व्यक्ति दाखिल किए गए, जिनमें से 199 की मृत्यु हो गई और 63 व्यक्ति इस समय अस्पतालों में दाखिल हैं। 77 व्यक्तियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और चिकित्सीय सलाह पर 6 व्यक्तियों को अस्पतालों में रखा गया।

(ग) जांच पड़ताल से पता चला कि मैसर्स करनाल फार्मेसी, गाजियाबाद, जो कर्पूरासव के नाम से नकली लिकर बनाती थी, के पास एक वैध लाइसेंस था जिसे 31 दिसम्बर, 1988 तक नवीकृत किया गया था।

(घ) निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ऐसे लाइसेंस जारी करने हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारी हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। दिल्ली पुलिस, दिल्ली उत्पादन शुल्क विभाग और औषध नियंत्रक, दिल्ली ने ऐसी नकली औषधों का पता लगाने के लिए छापे मारे हैं।

(छ) से (झ) सभी राज्य सरकारों को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि परिशोधित स्प्रिट को प्रमन्ना के विकल्प के रूप में, जो कर्पूरासव का एक संघटक है, बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मंत्रालय का भी अल्कोहल की सीमा निर्धारित करने और अल्कोहल संघटक वाली ऐसी औषधों के पैकेज के आकारों पर, जिनका दुरुपयोग होता है, प्रतिबंध लगाने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों में संशोधन करने का विचार है।

विकलांगों के लिए शिक्षा

[हिन्दी]

701. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकलांग बच्चों में शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार ने राज्यवार क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या विकलांग बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में स्कूल खोलने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार निम्नलिखित कार्यक्रम लागू कर रही है :

(i) सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा।

(ii) विकलांगों के लिए स्कूल चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना।

(iii) स्नातकोत्तर स्तर के तथा व्यावसायिक/तकनीकी अध्ययन तक शिक्षा जारी रखने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से कक्षा IX और उससे आगे छात्रवृत्ति का प्रावधान।

(iv) मानसिक और शारीरिक रूप से तथा नेत्र और कान से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान विकलांग बच्चे को उनके संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल चला रहे हैं।

(ख) से (घ) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के पास प्रत्येक जिले में विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है। कल्याण मन्त्रालय, जो वर्तमान समय में विकलांगों के लिए विशेष स्कूल स्थापित करने लिए कार्यरत है, से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रत्येक जिले में विशेष स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है।

बिहार की राज महल हिल्स में पेड़-पौधे और जीव-जन्तु

702. **श्री साइमन मरान्डी :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की राजमहल हिल्स में पेड़-पौधे और जीव-जन्तु तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन्हें संरक्षण प्रदान करने हेतु प्राणी और वनस्पति उद्यान की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार करम तोला झील को पक्षी अभ्यारण्य में बदलने का है, यदि हां, तो कब तक ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, वैज्ञानिक रुचि के पुरा वनस्पति निष्कर्षों को देखते हुए यह सिफारिश की गई है कि इस क्षेत्र को जीवाश्म उद्यान घोषित किया जाए।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नागपुर और अहमदाबाद से इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें

[अनुवाद]

703. **श्री पीयूष तीरकी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का नागपुर और अहमदाबाद के लिए कलकत्ता/भुवनेवर/अहमदाबाद से होकर जाने वाले वर्तमान वायु मार्ग का पुर्ननिर्धारण करके किसी नये मार्ग द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस बारे में कोई याचिकाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब तक तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के गया जिले स्थित नवोदय विद्यालय को अन्यत्र ले जाना

[हिन्दी]

704. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में गया जिले में स्थित जेठियन नवोदय विद्यालय को वहां की अपर्याप्त सुविधाओं और असुरक्षित स्थितियों को देखते हुए अन्यत्र ले जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं । बिहार के गया जिले में जेठियन स्थित नवोदय विद्यालय के शून्य चरण के अन्तर्गत एक स्थायी भवन का निर्माण कार्य पहले से ही आरम्भ कर दिया गया है और यह प्रोन्नत स्तर पर है ।

पूर्वोत्तर राज्यों में वनों की कटाई

[अनुवाद]

705. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

डा० एस० पी० यादव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र तेजी से घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में पिछले दशक के दौरान कितने प्रतिशत वन क्षेत्र कम हुआ है;

(ग) इस क्षेत्र में वनों के कम होने के क्या कारण हैं; और

(घ) वनों का क्षेत्र घटने को रोकने के लिए सरकार ने यदि कोई योजना बनाई है, तो वह क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) दृश्य व्याख्यात्मक उपग्रह प्रतिबिम्बिकी के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1981-83 तथा 1985-87 की अवधियों में किए गए मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित राज्यों मे वास्तविक वन क्षेत्र मे मुख्य रूप से झूम खेती और अनियंत्रित कटाई के कारण कमी आई है :—

असम	1.2 प्रतिशत
मेघालय	4.97 प्रतिशत
मिजोरम	4.78 प्रतिशत
त्रिपुरा	7.2 प्रतिशत

(घ) सरकार ने इसे रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण कार्यक्रम चलाए गए हैं;

2. सभी वन क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

3. उपलब्ध सूचना के अनुसार, झूम खेती से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत नौ राज्यों में 26,532 परिवारों को फिर से बसाने के लिए चुना गया है जिसके लिए कुल 174 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था है। 1987-88 से 1990-91 के चार वर्षों के दौरान नौ राज्यों को इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 50.91 करोड़ रु० दे दिए गए है।

पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय समिति

706. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन देने संबंधी कोई अध्ययन रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा सिफारिश किये गये प्रोत्साहन पैकेज का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ये सिफारिशें, पर्यटन क्षेत्र में गैर सरकारी पूंजी निवेश को आकृष्ट करने के लिए प्रोत्साहनों के पैकेज, पर्यटन मंत्रालय और भारत पर्यटन विकास निगम के पुनर्गठन और पर्यटन क्षेत्र में जन शक्ति के विकास की नीति के संबध में हैं। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और उन्हें व्यवहार्य सीमा तक लागू किया गया है। समिति द्वारा संस्तुत प्रोत्साहन पैकेज में, होटल परियोजनाओं एवं संस्थागत ऋणों के मामले में दी जाने वाली ब्याज इमदाद में वृद्धि करना, आयकर में रियायतें देना, सीमा-शुल्क में कमी करना आदि शामिल है।

रेल किराए में बीमे को शामिल करना

707. **श्री कड़िया मुण्डा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए हवाई टिकट के समान रेल यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए रेल किराये में बीमे को शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल यात्रियों को मिलने वाले मुआवजे में भी तदनुसार वृद्धि की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टरों की बिक्री

708. **श्री चित्त बसु** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ब्रिटेन ने इस समय बेकार पड़े वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टरों की बिक्री के संबंध में वार्ता आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा आन्दोलन की सूचना

709. **श्री मुही राम सैकिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों ने 18 नवम्बर, 1991 से चरणबद्ध आन्दोलन शुरू करने की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनसे बातचीत करने का कोई प्रयास किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने पहले इस प्रकार के आन्दोलन की घोषणा की थी परन्तु मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ हुई उनकी बैठक के बाद उन्होंने इस आन्दोलन को समाप्त कर दिया है।

(ख) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने भिन्न-भिन्न समय पर विभिन्न मांगें की हैं जिनमें चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, संगठन और इसके शासी बोर्ड में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व, पदोन्नोति कोटे में वृद्धि और अध्यापकों के विविध वर्गों के लिए पदोन्नति के अवसर, 8 वर्षों के बाद प्रवरण ग्रेड, संयुक्त परामर्श तंत्र भर्ती तथा पदोन्नति नियमावली और स्थानान्तरण नीति को युक्तियुक्त बनाना, नए विषय प्रारंभ करना, प्रत्येक अध्यापक के लिए घर, अध्यापकों के कार्यभार में कमी करना, जिलावार केन्द्रीय विद्यालय खोलना आदि शामिल है।

(ग) से (ङ) विभिन्न संगठनों के साथ वार्तालाप खुली रखी गई है और इन मामलों को संगठन में छानबीन की जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली

710. **श्री रमेश चंद तोमर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली को सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 से 1991-92 तक, वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा किस प्रयोजन के लिए उस धनराशि का उपभोग हो रहा है;

(ख) क्या इस केन्द्र के एक भवन परिसर के निर्माण के लिए नई दिल्ली में एक भूखंड आवंटित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परिसर का निर्माण इस समय किस चरण में है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली को सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 से 1991-92 तक वर्ष-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

1988-89	10.61 करोड़ रुपये।
1989-90	कुछ नहीं।
1990-91	कुछ नहीं।
1991-92	अभी तक कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई।

उपरोक्त सहायता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के भवन परिसर के निर्माण के लिए दी गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) अधिकांश निर्माण-पूर्व कार्य पूरे हो जाने बाद परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, इसकी शुरूआत सहायक ढांचों और सेवा सुविधाओं से की गई है, जो कि मुख्य भवनों के निर्माण से पहले जरूरी हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए धन-राशि नियत करना

711. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए बजट में नियत की गई धन-राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सभी विद्यालयों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत शामिल करने पर होने वाले वित्तीय व्यय का अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस धन-राशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) +2 स्तर पर केन्द्र प्रायोजित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु आबंटित बजट इस प्रकार था :

वर्ष	आबंटित राशि (करोड़ रुपयों में)
1988-89	50.00
1989-90	47.00
1990-91	84.20
1991-92	89.00

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) एवं (ङ) राज्य/संघशासित क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना करके, राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ बैठकें आयोजित करके और खर्चे के विस्तृत ब्यौरों की तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करके निगाह रखी जाती है । धनराशि के दुरुपयोग पर अंकुश रखने के दृष्टिकोण से राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी गई है कि वे सामग्रियों की खरीद एवं खर्चा करने में अधिकतम सतर्कता से काम लें ।

वन क्षेत्र

712. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितना भूमि पर वन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितना वृक्षारोपण किया गया;

(ग) वृक्षारोपण के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वृक्षारोपण के अन्तर्गत लायी गई भूमि की राज्यवार सूची का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनारक्षण का कोई भी मामला अनुमोदित नहीं किया गया।

(ग) सरकार की नीति किसी भी सरकारी वन को अनारक्षित न करना है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

वन आरक्षण का राज्यवार ब्योरा

(क्षेत्र : वर्ग कि० मी०)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वन आवरण आकलन 1985-87 की प्रतिबिम्बिकीय पर आधारित 1989 का आकलन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	47911
2.	अरुणाचल प्रदेश	68763
3.	असम	26058
4.	बिहार	26934
5.	गोवा (दमन व दीयु)	1300
6.	गुजरात	11670
7.	हरियाणा	563
8.	हिमाचल प्रदेश	13377
9.	जम्मू व कश्मीर	20424
10.	कर्नाटक	32100
11.	केरल	10149
12.	मध्य प्रदेश	133191
13.	महाराष्ट्र	44058
14.	मणिपुर	17885
15.	मेघालय	15690

1	2	3
16.	मिजोरम	18178
17.	नागालैंड	14356
18.	उड़ीसा	47137
19.	पंजाब	1151
20.	राजस्थान	12966
21.	सिक्किम	3124
22.	तमिलनाडु	17715
23.	त्रिपुरा	5325
24.	उत्तर प्रदेश	33844
25.	पश्चिम बंगाल	8394
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	7624
27.	चंडीगढ़	8
28.	दादरा व नागर हवेली	205
29.	दमन व दीयु	2
30.	दिल्ली	22
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	—
	कुल	640134

विवरण-2

वनरोपण के राज्यवार ब्यौरे

(क्षेत्र : हैक्टेयर में)

क्र० स०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	152567.00	141747.50	13 757.50

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	6352.00	7050.00	6470.00
3.	असम	24893.50	22193.50	16970.00
4.	बिहार	157600.00	180177.00	117493.50
5.	गोवा	3735.00	3686.50	3811.00
6.	गुजरात	107075.00	200680.50	194450.00
7.	हरियाणा	19000.00	31637.50	24780.00
8.	हिमाचल प्रदेश	30754.50	34186.50	32555.50
9.	जम्मू व कश्मीर	20003.00	24237.00	16190.00
10.	कर्नाटक	157610.50	154595.50	111641.50
11.	केरल	77772.00	76050.00	22743.50
12.	मध्य प्रदेश	204523.00	220800.00	195742.00
13.	महाराष्ट्र	153998.00	285000.00	191860.00
14.	मणिपुर	9012.50	9948.00	11552.00
15.	मेघालय	11078.50	16488.50	14250.00
16.	मिजोरम	13875.00	15000.00	15000.00
17.	नागालैंड	10000.00	11500.00	20550.00
18.	उड़ीसा	117002.50	138108.50	84287.50
19.	पंजाब	24776.00	28730.00	20915.50
20.	राजस्थान	58893.50	65500.00	45800.00
21.	सिक्किम	6693.50	6307.50	7193.00
22.	तमिलनाडु	95587.00	90278.50	83564.00
23.	त्रिपुरा	13356.50	13350.00	13500.00
24.	उत्तर प्रदेश	221035.50	272991.60	275012.50
25.	पश्चिम बंगाल	69554.00	55600.00	51700.00
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	5021.50	5379.50	5318.50

1	2	3	4	5
27.	चंडीगढ़	179.50	176.50	104.00
28.	दादरा व नागर हवेली	1561.00	1916.00	1562.50
29.	दमन व दीयु	26.50	63.00	112.50
30.	दिल्ली	903.00	3295.00	2150.00
31.	लक्षद्वीप	12.00	112.00	145.50
32.	पांडिचेरी	516.00	523.00	541.00
	कुल	1775567.50	2118308.50	1719824.00

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों में फ्लाइट किचन

713. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स कार ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों में फ्लाइट किचन की अनुमति देने के बारे में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के मुख्य विमानपत्तनों में विभिन्न फ्लाइट किचन प्रचालकों को आवंटित भूमि तथा दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रमुख हवाई अड्डों पर विभिन्न फ्लाइट किचन प्रचालकों को आबंटित की गई भूमि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

एजेंसी का नाम	आबंटित क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1	2
ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड	15,000
होटल कारपोरेशन आफ इंडिया	15,000
मोहन होटल लिमिटेड	14,720
इंडिया होटल कम्पनी लिमिटेड	14,440

1	2
बम्बई	
नारंग होटल	15,000
होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	14,000
ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड	21,553
अम्बेसडर स्काई शेफ	5,658
लीला पेन्टा	29,000 (होटल और फ्लाइट किचन के लिए मिश्रित)
कलकत्ता	
ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड	लगभग 7,000 वर्ग मीटर भूमि आबंटित की गई थी लेकिन अभी तक फ्लाइट किचन का निर्माण नहीं हुआ है।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने केवल भूमि की व्यवस्था की है। संबंधित प्रचालकों द्वारा आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाता है।

उड़ीसा में कटक में स्टेशनों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

714. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कटक जिले में गत तीन वर्षों के दौरान स्टेशनों पर कितनी राशि व्यय की गई है और चालू पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है; और

(ख) इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल खर्च के आंकड़े सिविल जिलेवार नहीं रखती हैं, रेलें कटक जिले के स्टेशनों सहित स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा, किसी योजना अवधि में स्टेशन का विकास/आधुनिकीकरण यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है जो धन की उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

डाक तार के पेंशन भोगियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधा

[अनुवाद]

715. **श्री अन्ना जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार विभाग के पेंशनरों की केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) डाक और तार विभाग के पेंशनभोगियों के सिवाय उनके जो पुणे, जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद में रहते हैं जहां डाक और तार विभाग के अपने ही औषधालय हैं, को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा अंतरंग चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है।

(ख) उपर्युक्त 'क' को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त स्थानों पर रहने वाले डाक और तार विभाग के पेंशनभोगियों को यह सलाह दी जाती है कि वे डाक और तार विभाग से संपर्क करें ताकि उन्हें वे चिकित्सा सुविधाएं दी जा सकें जो डाक और तार विभाग के सेवारत कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

मानव अंगों का प्रयोग करने के संबंध में कानून

716. **श्री शरद दिघे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोगोपचार के प्रयोजन से मनुष्यों के टिशू और उनके अंगों का प्रयोग करने तथा मनुष्यों द्वारा इनका दान करने के संबंध में कोई कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित कानून की मुख्य विशेषताओं में (I) मानव अंगों को हटाने और प्रत्यारोपित करने के प्रयोजन के लिए मृत्यु जिसमें "ब्रेन-स्टेम-डैड" शामिल है, की पुनःपरिभाषा, (II) ऐसे प्रतिरोपणों के लिए नामोदिष्ट अस्पतालों को प्राधिकृत करने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करने की व्यवस्था, (III) किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय अपने जीवन काल के दौरान और अपनी मृत्यु के पश्चात किसी विशिष्ट अंग/अंगों की किसी अनुमोदित संस्थान द्वारा हटाये जाने के लिए प्राधिकृत कर सकने की व्यवस्था, (IV) दाताओं को अस्पताल रिकार्ड और चिकित्सा परिचर्या की

व्यवस्था करके जीवित अंग दाताओं द्वारा आमे रिश्तेदारों को अंगों के स्वैच्छिक दान को बढ़ावा देने की व्यवस्था, (V) मानव अंगों के गैर-कानूनी व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए जुर्माने के निर्धारण की व्यवस्था।

"एसोसिएशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटी" की सिफारिशें

717. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुवनन्तपुरम में हाल ही में आयोजित "एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज" के 66वें सम्मेलन में उच्च शिक्षा के संबंध में अनेक सिफारिशें की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने 8 अक्तूबर, 1991 को तिरुवनन्तपुरम में "उच्च शिक्षा प्रणाली का विकेन्द्रीकरण" पर एक राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित किया। भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, संघ ने सम्मेलन की कारंवाई को अन्तिम रूप नहीं दिया है। भारत सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संघ से सम्मेलन की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही इनकी जांच की जाएगी।

अहमदाबाद में नई डिवीजन

[हिन्दी]

718. **श्री काशी राम राणा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदा, भोपाल और अम्बाला में नई डिवीजनें स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या अहमदाबाद में एक नई डिवीजन स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में और अधिक मेडिकल कालेज खोलना

[अनुवाद]

719. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

श्री वलाई के० एम० मैथ्यू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में निजी क्षेत्र में दो मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्हताप्राप्त चिकित्सकों की बड़ी संख्या में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार की वर्तमान नीति देश में किसी नये मेडिकल कालेज की स्थापना करने के लिए अनुमति देने की नहीं है।

आयुर्वेदिक औषधों को मंजूरी

720. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कई आयुर्वेदिक औषधों को मंजूरी दे दी गई है जिनका कभी भी प्रयोगशालाओं में परीक्षण नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 और 1991-92 के दौरान सी० जी० एच० एस०, बी० एम० एस० और पी० एण्ड टी० के आयुर्वेदिक भण्डारों में उन मंजूरी प्राप्त औषधों के नाम क्या हैं जिनकी केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किए गए परीक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध है;

(ग) घटिया औषधों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बरेली में पर्यटन विकास

[हिन्दी]

721. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बरेली और बदायूं में पर्यटन हेतु स्थलों का विकास करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में किन स्थानों का चयन किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : *(क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग* की आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय

[अनुवाद]

722. **डा० विश्वनाथम केनिथी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिछड़े क्षेत्रों में, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रो में जहां ऐसे स्कूल नहीं हैं, केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों को जिलावार आधार पर अथवा पिछड़े क्षेत्रों के मानदंड के संदर्भ में खोलने की कोई पद्धति नहीं है । नए केन्द्रीय विद्यालयों का खोलना निर्धारित प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों की उपयुक्तता, विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार और/अथवा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों की बाहुल्यता की उपस्थिति, वास्तविक सुविधाओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन का उद्देश्य मोटे तौर पर केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है ।

इंडियन एयरलाइन्स तथा एअर इंडिया का बंद किया जाना

[हिन्दी]

723. **श्री मोहन सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअरलाइन्स तथा एअर इंडिया को उनके निरंतर घाटों के कारण बन्द किए जाने की संभावना है; और

(ख) एअर इंडिया तथा इंडियन एअरलाइन्स के घाटों को कम से कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जबकि एअर इंडिया को कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन इंडियन एअरलाइन्स को मुख्यत: ए-320 विमान बेड़े को शामिल करने से हुई समस्याओं से हानि हुई है ।

इन समस्याओं को दूर किया गया है और निगम की उत्पादकता तथा कार्य-कुशलता को

सुधारने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। इंडियन एअरलाइन्स से आशा की जाती है कि वह अगले वर्ष लाभ कमायेगी।

राजकोट-दिल्ली तक सीधी हवाई उड़ान

[अनुवाद]

724. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में दिल्ली-राजकोट मार्ग पर सीधी हवाई उड़ान आरंभ करने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त हवाई उड़ान कब से आरंभ की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विमान क्षमता की कठिनाई के कारण इस समय दिल्ली और राजकोट के बीच सीधी उड़ान परिचालित करने की इस समय कोई योजना नहीं है।

गिर के वनों में आग लगना

725. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गिर के वनों में आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी वित्तीय क्षति हुई और कितने प्रतिशत वन क्षेत्र जल गया; और

(घ) भविष्य में ऐसी आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गिर के वनों में अक्तूबर, 1991 में आग लग गई थी।

(ख) यह आग दुर्घटनावश लगी थी।

(ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अग्नि शमन के लिए उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. सड़क के दोनों ओर विस्तृत अग्नि रेखाएं बनाना।

2. कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र की नियमित रूप से निगरानी।

3. *आग लगने के मौसम में आग बुझाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति ।*

4. बेतार नेट वर्क की स्थापना ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं

726. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अगस्त, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "फाइनांसियल इररेगुलेरीटीज वर्थ लैक्स इन जे० एन० यू०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जे० एन० यू० में वित्तीय अनियमितताओं की जांच आसूचना विभाग से कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा दूसरे क्या उपचारी कदम उठाये जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिनांक 31 अगस्त, 1991 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार निम्नलिखित के संदर्भ में है :

(i) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन से पेंशन का न काटा जाना ।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल में निधियों का गबन; तथा

(iii) विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान स्कूल के प्रो० ए० के० वर्मा द्वारा निधियों का दुरुपयोग ।

ये शिकायतें सरकार के ध्यान में पहले भी लाई गई थीं तथा सरकार ने विश्वविद्यालय से विस्तृत जानकारी मांगी थी ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस संबंध में निम्नलिखित स्थिति है :—

(i) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति 1-3-1988 से अपने वेतन के अतिरिक्त पेंशन ले रहे हैं । विश्वविद्यालय का विचार है कि प्रो० अगवानी का वेतन विश्वविद्यालय के विधानों की संविधि 3 के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा इन विधानों में कुलपति के वेतन में से पेंशन की कटौती का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ii) विश्वविद्यालय ने अप्रैल, 1989 में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल में डाक टिकट व फ्रैंकिंग मशीन के लिए 2.32 लाख रु० की निधि के गबन का पता लगाया था । प्राथमिक जांच के पश्चात् विश्वविद्यालय ने सितम्बर, 1989 में, निधियों के

उपर्युक्त गबन की जांच करने हेतु एक तथ्य निर्धारण समिति नियुक्त की थी। विश्वविद्यायय को जांच की रिपोर्ट अगस्त, 1990 में प्राप्त हुई थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर विश्वविद्यालय ने छः गबनकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की। जांच पूर्ण होने को है।

(iii) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति ने जीव विज्ञान स्कूल के प्रो० ए० के० वर्मा द्वारा दिसम्बर, 1990 में आयोजित कार्यशाला के संबंध में दिए गए बिलों में तथा कथित अनियमितताओं को देखने के लिए अक्तूबर, 1990 में एक तथ्य निर्धारण समिति गठित की थी। विश्वविद्यालय को समिति की रिपोर्ट जून, 1991 में प्राप्त हुई थी। विश्वविद्यालय ने समिति के निष्कर्षों के आधार पर प्रो० ए० के० वर्मा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की है।

सातवीं योजना में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दी गई सुविधाएं

727. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लक्ष्य की तुलना में कुल कितने बिस्तरों की वृद्धि की गई;

(ख) योजना के अन्त तक अस्पतालों में अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिए क्या अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिस्तरों की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा अन्य सुविधाएं देने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) सातवीं योजना अवधि के दौरान पलंगों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, सातवीं योजना अवधि के दौरान दिल्ली स्थित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 2405 पलंग जोड़े गए हैं।

(ख) अस्पतालों में अंतरंग और बहिरंग रोगियों दोनों के लिए इस योजना के अंत में प्रदान की गई कुछ अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) कैट स्कैन सुविधाएं;

(ii) अल्ट्रासाउंड जांच;

(iii) प्रमुख अस्पतालों में डाकघर के एक्सटेंशन काउंटर और केवल स्थानीय सुविधाओं वाली मुफ्त टेलीफोन सेवाएं;

(iv) आधुनिक रसोई घर की सुविधाएं;

(v) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक औषध डि-एडिक्शन यूनिट खोला गया है;

(vi) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सबद्ध अस्पताल में 24 घंटे की प्रयोगशाला सेवाएं;

(vii) एम्बुलैंस सेवाओं में वृद्धि;

(viii) पटपड़गंज में यमुना-पार क्षेत्र के लिए एक बहिरंग क्षय रोग क्लिनिक शुरू किया गया है ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

केन्द्रीय विद्यालयों में खेल-कूद/योग अध्यापक

728. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में कुछ खेल-कूद/योग अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन विद्यालयो में खेल-कूद/योग अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापकों के पद पर नियुक्त करने का विचार है जिसके लिए मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) शारीरिक शिक्षा/योग को "जमा दो" स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए इस विषय में स्नातकोत्तर अध्यापकों के पद नहीं हैं ।

उत्तरदायित्वों का विकेन्द्रीयकरण

729. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राज्य स्तरीय एजेंसियों को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनो के संबंध में अपने कुछ दायित्वों के विकेन्द्रीयकरण पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) जी, हां, परिचालन के तरीकों को अन्तिम रूप दे दिए जाने पर उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाएं

730. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन रेलवे लाइनों पर निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) इस सबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन रेल लाइनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

परियोजना का नाम	कुल लम्बाई (किमी०)	मध्य प्रदेश में किलोमीटर	प्रगति का प्रतिशत	वर्ष, जिसमें पूरी होगी
1. सतना-रीवा	50	50	60	92-93
2. गुना-इटावा	348	320	30	*
3. गोधरा-दाहोद इन्दौर तथा देवास मकसी	316	216	10	*

* आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

मुम्बई-कोल्हापुर और मुम्बई-बेलगाम वायुदूत उड़ानों का विलय

731. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड़** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-कोल्हापुर और मुम्बई-बेलगाम वायुदूत उड़ानों का विलय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1991 के दौरान अब तक इन दोनों मार्गों पर रद्द की गयी उड़ानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) बेलगाम और कोल्हापुर के लिए वायुदूत सेवाओं का वाणिज्यिक कारणों से विलय कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) इस मार्ग पर जनवरी, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक 30 उड़ानें रद्द की गई थीं। उड़ानें मुख्यतः खराब मौसम और इंजीनियरी खराबियों के कारण रद्द की गई थीं।

टी० बी० के रोगियों का उपचार

732. **श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान टी० बी० के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टी० बी० के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कई टी० बी० रोगी, जिनका उपचार किया गया था, दो-तीन वर्षों के भीतर फिर से इसका शिकार हो गए हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(छ) देश से टी० बी० को पूरी तरह से समाप्त करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) क्षय रोग न तो अधिसूचनीय रोग है और न ही देश में यह रोग किस सीमा तक है, इसका आकलन करने के लिए हर वर्ष व्याप्तता सर्वेक्षण किया जा रहा है। तथापि, इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि पिछले तीन वर्षों में देश में क्षय रोग घटनाओं में वृद्धि हुई है। क्षय रोग की जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी स्थिति ऐसी है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ क्षय रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा निर्धारित सहायता पैटर्न के अनुसार निदान किए गए क्षय रोगियों के निशुल्क उपचार के लिए राज्यों द्वारा चलाए जा रहे क्षय रोग केन्द्रों को क्षय-रोधी औषधों की पर्याप्त मात्रा प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च) जिला क्षय रोग कार्यक्रम रिपोर्टों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(छ) देश में क्षय रोग की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए क्षय रोगियों का पता लगाने और उन्हें उपचार प्रदान करने के लिए उपस्करों और कर्मचारियों से सज्जित 378 जिला क्षय रोग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त देश में लगभग 330 क्षय रोग क्लिनिक हैं। लगभग 47,000 क्षय रोग पलंग भी उपलब्ध हैं।

उपचार की अवधि 12-18 महीनों से कम करके उसे 6-8 महीने करने के लिए अल्प-अवधि रसायन-चिकित्सा औषध विधान आरम्भ किया जा रहा है जिसमें अधिक प्रभावकारी

औषधें प्रदान की जाती है। इस विधान के अन्तर्गत अब तक 253 जिलों को लाया गया है। निवारक उपाय के रूप में 0-1 वर्ष के बच्चों को बी० सी० जी० का टीका लगाया जा रहा है।

दूरदर्शन और रेडियो स्पाट्स, समाचार पत्रों में विज्ञापनों तथा पुस्तिकाओं/पैम्फलेटों के माध्यम से लोगों को क्षय रोग और इसकी रोकथाम के बारे में जानकारी दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में पत्थरों की खुदाई

[हिन्दी]

733. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए वन भूमि से पत्थरों की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण राजस्व की हानि हुई है और हजारों व्यक्ति बेकार हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कारंवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) वन क्षेत्रों से पत्थर की खुदाई पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण राजस्व और स्थानीय लोगों को रोजगार अवसरों की मामूली हानि हुई है। किन्तु इस क्षति की तुलना में इससे अधिक फायदा हुआ है क्योंकि वन क्षेत्र से पत्थर की खुदाई पर प्रतिबन्ध लगाने से वनों को नष्ट होने से बचाने में और पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने में मदद मिलती है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार के खान विभाग ने ग्राम समाज को पत्थर खुदाई के पट्टे मंजूर किए हैं जिससे सरकार के लिए राजस्व और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा होता है।

उत्सवों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा

[अनुवाद]

734. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से त्यौहारों की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इन त्यौहारों के नाम क्या हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को क्या-क्या सुविधाएं दे रही है; और

(घ) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का अब तक क्या प्रभाव पड़ा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। इस विभाग द्वारा तैयार की गई उत्सवों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उत्सवों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर धन की उपलब्धता और आपसी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) ऐसे मेलों और उत्सवों को बढ़ावा देने से देश की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी बढ़ती है और ऐसे गंतव्य-स्थलों पर पर्यटक अधिक आते हैं जहां पर उत्सव आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभिनिर्धारित महत्वपूर्ण उत्सव

उत्सव का नाम	महीना और तारीख	स्थान	राज्य
1	2	3	4
1. मरू उत्सव	28-30 जनवरी	जैसलमेर	राजस्थान
2. पतंग उत्सव	13-15 जनवरी	अहमदाबाद	गुजरात
3. पोंगल पर्व	13-17 जनवरी		तमिलनाडु
4. हाथी मार्च	16-21 जनवरी	त्रिवेन्द्रम	केरल
5. नागौर उत्सव	23-25 जनवरी	नागौर	राजस्थान
6. गणतंत्र दिवस	26 जनवरी		सम्पूर्ण भारत
7. शिल्प मेला	1-15 फरवरी	सूरज कुण्ड	हरियाणा
8. योग सप्ताह	2-7 फरवरी	ऋषिकेश	उत्तर प्रदेश
9. गोआ कार्निवल	9-12 फरवरी		गोआ
10. एलिफेंटा उत्सव	22-24 फरवरी	एलिफेंटा	महाराष्ट्र
11. हेली-स्कीइंग	फरवरी का दूसरा और तीसरा सप्ताह	मनाली	हिमाचल प्रदेश
12. चापचरकुट	23 फरवरी	समूचे राज्य में	मिजोरम
13. होला मोहल्ला उत्सव	27 फरवरी से 1 मार्च	समूचे राज्य में	पंजाब

1	2	3	4
14. बसंत उत्सव	मार्च	शान्ति निकेतन	पश्चिम बंगाल
15. खजुराहो उत्सव	12-18 मार्च	खजुराहो	मध्य प्रदेश
16. एलौरा उत्सव	21-23 मार्च	एलौरा	महाराष्ट्र
17. अंतर्राष्ट्रीय पुष्प उत्सव	मार्च-मई	गंगतोक	सिक्किम
18. अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्सव	26-28 अक्तूबर	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल
19. बोहाग बिहू रंगोनी बिहू	14-15 अप्रैल	समूचे राज्य में	असम
20. त्रिचूर पूरम	अप्रैल	त्रिचूर	केरल
21. चिथि राई उत्सव	अप्रैल-मई	मदुरै	तमिलनाडु
22. ग्रीष्म उत्सव	1-10 मई	कोहिमा	नागालैण्ड
23. हेमिस उत्सव	जून	लद्दाख	कश्मीर
24. ग्रीष्म उत्सव	1-3 जून	माउंट आबू	राजस्थान
25. हिमाचल ग्रीष्म उत्सव	10-16 जून	शिमला	हिमाचल प्रदेश
26. आम्र उत्सव	7 जुलाई	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश
27. रथ उत्सव	जुलाई का प्रथम सप्ताह	पुरी	उड़ीसा
28. एलेप्पी नौका दौड़	10 अगस्त	एलेप्पी	केरल
29. गणेश चतुर्थी	11-22 सितम्बर	बंबई/पुणे	महाराष्ट्र
30. तारनेत्र उत्सव	12-14 सितम्बर	सुरेन्द्र नगर	गुजरात
31. ओणम	सितम्बर	त्रिवेन्द्रम	केरल
32. नृत्य उत्सव	सितम्बर		आन्ध्र प्रदेश
33. गोलकुण्डा उत्सव	सितम्बर	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
34. हेकरू हितोंगबा	सितम्बर	समूचे राज्य में	मणिपुर
35. नवरात्रि उत्सव	8 अक्तूबर	बड़ौदा	गुजरात
36. दशहरा	अक्तूबर	कुल्लू मैसूर	हिमाचल प्रदेश कर्नाटक सम्पूर्ण भारत

1	2	3	4
37. दुर्गा पूजा	अक्तूबर	कलकत्ता	प० बंगाल
38. मोती उत्सव	अक्तूबर	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
39. का पोम ब्लांग नांगक्रेम	अक्तूबर-नवम्बर	समूचे राज्य में	मेघालय
40. दिवाली	नवम्बर		सम्पूर्ण भारत
41. कोणार्क उत्सव	7-13 नवम्बर	कोणार्क	उड़ीसा
42. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	14-24 नवम्बर	दिल्ली	दिल्ली
43. पुष्कर मेला	18-21 नवम्बर	पुष्कर	राजस्थान
44. सोनपुर मेला	नवम्बर	वैशाली	बिहार
45. अंतर्राष्ट्रीय समुदीप भोजन उत्सव	दिसम्बर	पणजी कोची	गोआ केरल
46. हम्पी विजय नगर उत्सव	दिसम्बर	हम्पी	कर्नाटक
47. जोड़मेला	दिसम्बर	चंडीगढ़	पंजाब

इंजन खराब हो जाने के कारण हानि

735. **श्री सुधीर सावंत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के दौरान इंजन खराब होने की कितनी घटनायें हुईं और विमान न चलने के कारण कितने उड़ान घंटों का नुकसान हुआ;

(ख) इंजन खराबी के कारण कुल कितने राजस्व की हानि हुई; और

(ग) सरकार ने विमान की उचित देखभाल हेतु और भविष्य में ऐसी घटनायें न होने देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इंजिन खराबी के कारण हानि की राशि बताना संभव नहीं है।

(ग) विशेषज्ञों द्वारा सभी इंजनों की खराबी की जांच की जाती है और जब कभी आवश्यकता होती है, उनके द्वारा सिफारिश की गई कमियों पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

वर्ष, 1991 में अब तक खराब हुए इंजिनों की संख्या इस प्रकार है।

प्रचालक का नाम	इंजिन की किस्म	विमान में फिट किए गए	कुल संख्या	उड़ान घंटों की हानि की संख्या
एयर इंडिया	(क) पी एण्ड डब्ल्यू जेटी 9 डी	बी-747-200	7	0
	(ख) जीई सीएफ 6 80 सी-2	बी-747-300	4	
इंडियन एयरलाइंस	(क) पी एण्ड डब्ल्यू जेटी 8 डी	बी-737	39	67 घंटे और 25 मिनट
	(ख) आईएई वी 2500	एअरबस ए-320	6	
	(ग) जीई सीएल-6 50 सी/सी 2	एअरबस ए-300	30	
वायुदूत	(क) गैरेट टीपीई 331	डोर्नियर	10	292 घंटे
	(ख) आर आर डार्ट 531	एचएस-748	8	
पवन हंस लिमिटेड	(क) आरआर जीईएम 531	वेस्टलैंड एच/सी	2	0
	(ख) ऐरियल आइसी	डाफिन एच/सी		
अन्य प्रचालक	विभिन्न इंजिन	विभिन्न विमान	6	जानकारी नहीं है।

केन्द्रीय विद्यालयों में फालतू अध्यापक

736. **डा० सुधीर राय :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में फालतू किए गए अध्यापकों को खपाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत चार महीनों के दौरान स्थानान्तरण के कारण फालतू अध्यापकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अध्यापकों का मनमाने ढंग से स्थानान्तरण करने, जिससे कि छात्रों का अध्ययन अवरुद्ध हो जाता है, के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) कुल मिलाकर अध्यापक फालतू नहीं हैं। किसी विशेष विद्यालय में कोई अध्यापक फालतू हो सकता है लेकिन कुल मिलाकर कोई शिक्षक फालतू नहीं है। किसी भी अध्यापक को फालतू होने के नाते नहीं निकाला गया है। सामान्यत: स्थानान्तरण मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार किये जाते हैं और बच्चों का अध्ययन अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रिंसिपलों को नियमानुसार तदर्थ अथवा आंशिक आधार पर स्थानीय रूप से रिक्त स्थान भरने के लिए प्राधिकृत किया गया है, ताकि छात्रों के अध्ययन को कोई नुकसान न हो।

बिहार में स्टेशनों का आधुनिकीकरण

737. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पटना, रोहतास और भोजपुर जिलों के स्टेशनों पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि व्यय की गई है और चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि व्यय किए जाने का विचार है; और

(ख) इन स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए सरकार के पास विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलें खर्च के आंकड़े सिविल जिले-वार नहीं रखती हैं, रेलें बिहार के पटना, रोहतास तथा भोजपुर जिलों सहित स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करती हैं, इसके अलावा, किसी योजना अवधि में स्टेशनों का विकास/आधुनिकीकरण यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है जो धन की उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

सुपर फास्ट रेलगाड़ियों की गति

[हिन्दी]

738. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर फास्ट रेलगाड़ियों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि रेलवे ने ऐसी उच्च तकनीकी रेल पटरियां विकसित कर ली हैं जिन पर रेलगाड़ियां 140 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) 140 कि० मी० प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चलाने के लिए सुपरफास्ट गाड़ियों के मार्ग पर रेलपथ को उन्नत करने हेतु आवश्यक साधन-सामग्री उपलब्ध है।

सुपरफास्ट गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने से संबंधित योजना के भाग के रूप में पहचान किए गए मार्गों पर रेलपथ को उन्नत करने का कार्य शुरू किया जाएगा।

के० स० स्वा० यो० (सी० जी० एच० एस०) औषधालयों के लिए किराए पर मकान

[अनुवाद]

739. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न विभागों के लिए गैर सरकारी भवन किराए पर लेती है और किराए में वृद्धि के लिए के० लो० नि० वि० द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और सरकार के विभिन्न विभागों को उसकी सिफारिशें स्वीकार्य होती हैं;

(ख) यदि हां, तो उन भवनों की संख्या क्या है जिनमें दिल्ली/नई दिल्ली में के० स० स्वा० यो० औषधालय चल रहे हैं और जिनका के० लो० नि० वि० ने किराए में वृद्धि के लिए पुनर्मूल्यांकन किया है; और

(ग) के० स० स्वा० यो० द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में किराए पर लिए गए भवनों के किराए बढ़ाने की के० लो० नि० वि० की सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा किराए पर लिए गए निजी भवनों के किराए में वृद्धि करने के 13 (तेरह) मामलों का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनर्निर्धारण किया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

देश में महिला पालीटेक्निक संस्थान

[हिन्दी]

740. **श्री राम बदन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने महिला पॉलीटेक्निक संस्थान हैं;

(ख) क्या इन पॉलीटेक्निकों मे आरक्षण के कोटे के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए होस्टल की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ङ) क्या सरकार वर्ष 1991-92 के दौरान अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए और अधिक होस्टल बनाने संबंधी किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) महिला पालिटेकनिकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इन पालिटेकनिकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का दाखिला आरक्षण नीति के अनुसार ही किया जाता है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) भारत सरकार के कल्याण मन्त्रालय में अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण करने की एक योजना है। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1991-92 के दौरान 8.00 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	महिला पालीटेकनिकों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	13
2.	असम	1
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	6
5.	हरियाणा	4
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू और कश्मीर	2
8.	कर्नाटक	4
9.	केरल	6
10.	मध्य प्रदेश	5
11.	महाराष्ट्र	5
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	1 (अभी शुरुआत नहीं हुई है।)
15.	उड़ीसा	3
16	पंजाब	2

1	2	3
17.	राजस्थान	2
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	10
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	9
22.	पश्चिम बंगाल	1
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	चंडीगढ़	1
4.	दादर और नगर हवेली	—
5.	दिल्ली	3
6.	गोवा, दमन और द्वीव	1
7.	लक्षद्वीप	—
8.	मिजोरम	—
9.	पांडिचेरी	1
	योग	83

झांसी और तमिलनाडु एक्सप्रेस में झांसी के लिए टिकटों की बुकिंग

741. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में झांसी और ललितपुर रेलवे स्टेशनों से नई दिल्ली और भोपाल के लिए टिकट जारी नहीं किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक और तमिलनाडु एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में नई दिल्ली से झांसी के लिए भी नई दिल्ली में टिकट जारी नहीं किए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन रेलगाड़ियों में नई दिल्ली से झांसी के लिए टिकट उप-लब्ध कराने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ललितपुर और झांसी स्टेशनों पर नई दिल्ली और भोपाल के लिए बहुत-सी एक्सप्रेस गाड़ियों की टिकटें जारी की जा रही हैं। कुछ मामलों में दूरी प्रतिबंधों के कारण टिकटें जारी नहीं की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) कर्नाटक और तमिलनाडु एक्सप्रेस सुपरफास्ट गाड़ियां हैं जो लम्बी दूरी के लिए चलाई गई हैं। इसलिए इन गाड़ियों में टिकट जारी करने के लिए 600 कि०मी० का सामान्य दूरी प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों से झांसी तक यात्रा करने के लिये नई दिल्ली स्टेशन पर उसी सीमा तक सीमित आरक्षित टिकटें जारी की जाती हैं जिस सीमा तक झांसी स्टेशन के लिए कोटा आबंटित किया गया है।

जयपुर और भोपाल के बीच सीधी रेलगाड़ी

742. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जयपुर और भोपाल को एक सीधी रेलगाड़ी से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना

[अनुवाद]

743. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडडे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निरक्षरता को दूर करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, 1986 में शामिल किया गया था, को कार्यान्वित करने के संबंध में क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार शिक्षा के व्यावसायिकरण का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा, कुशल श्रम-शक्ति की मांग एवं पूर्ति के असंतुलन को कम करना तथा ऐसे लोगों को विकल्प प्रदान करना है जो बगैर किसी विशेष रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

इन उद्देश्यों के मद्देनजर फरवरी, 1988 से माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चलाने तथा तकनीकी संसाधनों की सहायता प्राप्त करने और प्रशासनिक ढांचे की स्थापना हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अब तक 27 राज्यों/संघशासित प्रदेशों को 200 करोड़ रुपयों से अधिक की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

कार्यवाहक साक्षरता के अंग के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी प्रौढ़ निरक्षरों, अशिक्षितों को उनके आर्थिक स्तर तथा उनके सामान्य कल्याण की वृद्धि के लिए कला कौशल की शिक्षा प्रदान करता है।

विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के लिए रेलगाड़ी में शीतागार डिब्बे

744. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को ढोने के लिए रेलवे में कुल कितने शीतागार डिब्बे हैं;

(ख) दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व रेलवे को ऐसे कितने डिब्बे आबंटित किए गए हैं;

(ग) ऐसे डिब्बों की कमी के बारे में विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के समुद्री उत्पाद व्यापार में संलग्न व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) एक।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जी हां, हवड़ा को मछली यातायात के परिवहन के लिए प्रशीतित यान की सप्लाई करने के लिए विजयवाड़ा से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(घ) विगत में नश्य पार्सल के परिवहन के लिए रेलों द्वारा कुछ प्रशीतित पार्सल यानों की व्यवस्था की गई थी लेकिन इसके कम लोकप्रिय होने, अनुरक्षण की ऊंची लागत होने और टर्मिनलों पर प्रशीतित सुविधाओं का अभाव होने के कारण इन पार्सल यानों का चलाना बंद कर दिया गया था।

लड़की का एड्स रोग से ग्रस्त होना

745. **श्री रवि राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1991 के "स्टेट्समैन" में "गर्ल गेट्स एड्स ड्यटू स्वीयर नेगलिजेंस" शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस संबंध में क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(क) स्वामी दयानन्द अस्पताल, शाहदरा में गम्भीर रूप से बीमार बच्चे को उसका जीवन बचाने के लिए उसकी मां का 100 सी सी ताजा रक्त दिया गया था। अस्पताल प्राधिकारियों ने मां के रक्त को एच० आई० वी० पुष्टि परीक्षण के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली भेजा था जो कि एक सन्दर्भ प्रयोगशाला है। रक्त एच० आई० वी० संक्रमण के लिए नेगेटिव पाया गया।

आई० टी० डी० सी० द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटन संबंधी कार्यक्रम शुरू किया जाना

[हिन्दी]

746. श्री अरविन्द नेताम : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश जाने वाले पर्यटकों के लिए संबंधी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। विवरण निम्नानुसार है :—

पैकेज का नाम	इसमें कवर होने वाले स्थान	दी गई सुविधाएं	प्रशुल्क
16-8-1991 से प्रत्येक शुक्रवार को दिल्ली से परिचालित सप्ताहान्त पैकेज "हार्ट आफ हेरिटेज"	ग्वालियर, शिवपुरी, ओरछा, झांसी	इसमें आवास, परिवहन (रेलवे एवं सड़क) प्रवेश शुल्क एवं एक गाइड की सेवाएं सम्मिलित हैं।	ट्विन शेयरिंग आधार पर 999 रु० प्रति व्यक्ति
22-11-1991 से प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को दिल्ली परिचालित "नरवर ऐडवेंचर पैकेज"	ग्वालियर, नरवर, शिवपुरी	इसमें तम्बू-आवास, भोजन, परिवहन (रेलवे एवं सड़क) साहसिक क्रीड़ा सुविधाएं आदि शामिल हैं।	ट्विन शेयरिंग आधार पर 1999 रु० प्रति व्यक्ति और विद्यार्थियों के लिए 1499/- रु०

ये दोनों पैकेज 2 रात्रियों/3 दिनों के लिए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जोधपुर-अहमदाबाद तथा जयपुर-अहमदाबाद के बीच विमान सेवाएं

[अनुवाद]

747. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार जोधपुर-अहमदाबाद तथा जयपुर-अहमदाबाद के बीच विमान सेवाएं पुनः शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इन सैक्टरों पर अपर्याप्त यातायात के कारण जोधपुर और अहमदाबाद और जयपुर और अहमदाबाद के बीच विमान सेवाएं जारी रखने का औचित्य सिद्ध नहीं होता ।

महाराष्ट्र में स्टेशनों का पुनर्निर्माण

748. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रेल स्टेशनों का पुनर्निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनका विस्तार/पुनर्निर्माण किए जाने की आशा है; और

(ग) इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की जाएगी और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) स्टेशन इमारतों का पुनर्निर्माण तथा विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है और जो यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार आयु-एवं-हालत के आधार पर किया जाता है । तदनुसार महाराष्ट्र राज्य की स्टेशन इमारतों सहित स्टेशन इमारतों का अपेक्षित होने पर पुनर्निर्माण और विस्तार किया जाता है जो धन की उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करता है । इस संबंध में कार्यों का पूरा होरा धन की उपलब्धता तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है ।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

[हिन्दी]

749. **श्री यशवंत राव पाटिल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के अब तक किन देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम है;

(ख) आगामी वर्षों में सरकार द्वारा किन देशों के साथ समझौता किए जाने की सम्भावना है;

(ग) इन कार्यक्रमों में कौन-कौन से मद शामिल किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) निम्नलिखित देशों के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन हैं :

(1) माल्टा

(2) माली

(3) कोमरस

(4) मैडागास्कर

(5) चिली

(6) किरगिस्तान गणराज्य

(7) कम्बोडिया

(8) जमैका

(ग) सांस्कृतिक करारों में द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग के व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं और इनका कार्यान्वयन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें विनिमयों के ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाते हैं। इन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों में कला और संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान, फिल्म, जन-प्रचार माध्यम, युवा कार्यक्रम और खेल, पर्यटन, जन स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र व्यापक रूप से शामिल किए जाते हैं और इनमें विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों के अध्येताओं के आदान-प्रदान, कला प्रदर्शनियों, पुस्तकों और प्रकाशनों के आदान-प्रदान, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान, फिल्मोत्सवों के आयोजन, छात्रवृत्तियां प्रदान करने, संस्थागत संबंधों के विकास, खेल-विनिमयों आदि की व्यवस्था की जाती है।

विवरण

उन देशों के नाम, जिनके साथ सरकार के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम है :

1.	अफगानिस्तान	8.	बुल्गारिया
2.	अल्जीरिया	9.	चीन
3.	अर्जेंटीना	10.	क्यूबा
4.	आस्ट्रेलिया	11.	साइप्रस
5.	बहरीन	12.	चेकोस्लोवाकिया
6.	बंगला देश	13.	मिस्र
7.	बेल्जियम	14.	इथोपिया

15. फिनलैंड
16. फ्रांस
17. जर्मन संघीय गणराज्य
18. घाना
19. यूनान
20. हंगरी
21. ईरान
22. इराक
23. जोर्डन
24. इटली
25. केन्या
26. कोरिया गणराज्य (दक्षिणी कोरिया)
27. कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य (उत्तरी कोरिया)
28. कुवैत
29. लीबिया
30. मारीशस
31. मेक्सिको
32. मंगोलिया
33. मालदीव
34. मोरक्को
35. नीदरलैंड
36. नाइजीरिया
37. नार्वे
38. पाकिस्तान
39. पेरू
40. पोलैंड
41. पुर्तगाल
42. कतार
43. रोमानिया
44. रवांडा
45. सेनेगल
46. सेशल्स
47. सीरिया
48. सोमालिया
49. सूडान
50. स्पेन
51. तंजानिया
52. ट्यूनिसिया
53. तुर्की
54. संयुक्त अरब अमीरात
55. सोवियत संघ
56. युगांडा
57. वियतनाम
58. यमन गणराज्य
59. यूगोस्लाविया
60. जाम्बिया
61. जिम्बाब्वे
62. कोलम्बिया
63. श्री लंका

बंगलौर में नैशनल इंस्टीट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन

[अनुवाद]

750. **श्री जी० माडे गौडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में नैशनल इंस्टीट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी और इसके लिए धन जुटाने के अन्य साधन कौन से हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने उक्त इंस्टीट्यूट के लिए किसी भूमि का आबंटन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) इन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) लगभग 55 एकड़।

बरेली तथा कानपुर-लखनऊ के मध्य सुपरफास्ट रेलगाड़ी

[हिन्दी]

751. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बरेली जंक्शन से, वाया बदायूं-कासगंज, कानपुर और लखनऊ तक एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब से?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तिरुवनन्तपुरम और कालीकट से खाड़ी के देशों को विमान सेवा

[अनुवाद]

752. **प्रो० के० वी० थामस** :

श्री टी० जे० अंजलोस :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरूवन्तपुरम और कालीकट से खाड़ी के देशों के लिए नई विमान सेवाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) तिरुवन्तपुरम से कोई नई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कालीकट से खाड़ी के देशों को विमान सेवाएं परिचालित करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

रेडक्रास झंडा सप्ताह मनाया जाना

753. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1991 के प्रथम सप्ताह में भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ने नई दिल्ली में रेडक्रास झंडा सप्ताह मनाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ने उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी में हाल ही में आए भूकंप पीड़ितों के लिए कोई राहत कार्य किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ने सूचित किया है कि उसकी दिल्ली शाखा द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 1 नवम्बर से 7 नवम्बर, 1991 तक झंडा सप्ताह मनाया गया। दिल्ली शाखा ने चंदा इकट्ठा करने के लिए स्कूलों, कालेजों, संस्थानों तथा स्वय-सेवकों को 1,309 दान पेटियां वितरित की गईं। दिसम्बर, 1991 के अन्त तक सभी पेटियों को इस शाखा द्वारा वापस ले लिया जाएगा तथा चंदे की गिनती की जाएगी।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ने उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी क्षेत्र में हाल के भूकम्प पीड़ित के लिए राहत की व्यवस्था की है। जिसका विवरण इस प्रकार है :—

(I) कम्बल	12,745
(II) ऊनी कपड़े	16,895
(III) दुग्ध पाउडर	1,000 कि० ग्रा०
(IV) अधिक प्रोटीन युक्त बिस्कुट	2,000 कि० ग्रा०
(V) पालीथीन की चादरें	30 रोल
(VI) टेंट	675
(VII) चाय	96 कि० ग्रा०

(VIII) दाल	345 कि० ग्रा०
(IX) चीनी	350 कि० ग्रा०
(X) आटा	155 कि० ग्रा०
(XI) जूते	231 जोड़े
(XII) विविध प्रकार के कपड़े	7,470

इन आपूर्तियों का मूल्य 47 लाख रुपए से अधिक है। 16 नवम्बर, 1991 तक रेडक्रास के कार्यकर्ताओं तथा स्वयंसेवकों ने 13,335 प्रभावित परिवारों में राहत सामग्रियों का वितरण पूरा किया। शेष वस्तुओं के वितरण का कार्य चल रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उद्घाटन समारोह मनाना

754. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते घाटे के बावजूद इंडियन एयरलाइन्स ने 1 नवम्बर, 1991 के अपने शीत कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर फिजूलखर्च समारोहों का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स ने इन समारोहों पर और उपहार आदि के बांटने पर कुल कितनी राशि व्यय की;

(ग) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स के कार्यकरण को पूरा करने हेतु एक जांच समिति की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। सीमित स्थानों पर सीमित स्तर के साधारण समारोह आयोजित किए गए थे। आमंत्रित व्यक्तियों में मुख्यतः स्थानीय प्रैस के व्यक्ति, प्रमुख नागरिक तथा जनता के प्रतिनिधि शामिल थे।

(ख) व्यय की गई राशि नगण्य थी तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उपहारों पर कोई राशि खर्च नहीं की गई।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइन्स के क्रियाकलापों की सरकार द्वारा समय-समय पर निगरानी की जाती है।

हिमाचल प्रदेश में वनरोपण

[हिन्दी]

755. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :** क्या **पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान वनरोपण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा प्रथम छह महीनों के दौरान प्राप्त लक्ष्यों का क्या ब्यौरा है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस राज्य की योजना में वनरोपण के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा और अध्ययन कार्यक्रम

756. क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने स्कूलों का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कंप्यूटर शिक्षा और अध्ययन कार्यक्रम के लिए चयन किया गया है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85 से स्कूलों में लागू कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन (क्लास) परियोजना में वर्ष 1989-90 तक उत्तर प्रदेश के 276 सेकेंडरी/हायर सेकेंडरी स्कूलों को शामिल करने के लिए चुना गया है। वर्ष 1990-91 से परियोजना के अन्तर्गत किसी नए स्कूल को शामिल नहीं किया गया है। जिन 222 स्कूलों में कंप्यूटर वास्तव में लगा दिए गए हैं उनको 3500 रु० प्रति स्कूल की दर से आकस्मिक अनुदान प्रदान करने के लिए राज्य नोडल अधिकारियों को एन० सी० ई० आर० टी० के माध्यम से वितरण हेतु 7,77,000 रु० की राशि स्वीकृत की गई थी।

हिसार, सिरसा और अम्बाला हवाई अड्डों से घरेलू उड़ानें

757. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में हिसार, सिरसा और अम्बाला हवाई अड्डों से घरेलू उड़ानें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब से शुरू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से इस समय हिसार, सिरसा और अम्बाला को विमान मार्ग से जोड़ना संभव नहीं है।

भोपाल हवाई अड्डे पर एयर बसों के उतरने की सुविधाएं

758. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल हवाई अड्डे पर एयर बसों के उतरने की सुविधाएं विद्यमान हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे पर एयरबसों के उतरने के लिए हवाई पट्टी का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब आरंभ होगा तथा कब तक पूरा हो जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) भोपाल में वर्तमान धावनपथ को 5400 फुट लम्बाई एयर बस ए-320 के उतरने के लिए अपर्याप्त है ।

(ख) और (ग) ए बी-320 परिचालनों के लिए धावनपथ को 6700 फुट तक बढ़ाने का कार्य पहले ही प्रगति पर है और इसके जनवरी, 1992 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाना

[अनुवाद]

759. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री राम निहोर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** सफाई कर्मचारियों को नियमित किये जाने के बारे में 2 जनवरी, 1991 और 19 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1052 और 3403 के उत्तर के संबंध में क्रमश: यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार अंशकालिक रूप से कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) सफाई कर्मचारियों के रिक्त पद किस तिथि तक भर दिये जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सफाई कर्मचारियों की अद्यतन उपलब्ध वरीयता सूची के अनुसार, अर्थात् 22-6-88 की यथास्थिति के अनुसार, 1011 अंशकालिक सफाई कर्मचारियों में से क्रम सं० 320 तक के कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से लगभग 190 ने पहले ही नियमित सफाई कर्मचारियों के रूप में कार्यभार संभाल लिया है । शेष सफाई कर्मचारियों को पदधारियों द्वारा चिकित्सा परीक्षण तथा पुलिस जांच, आदि जैसी निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करने के बाद ही नियमित किया जा सकता है ।

अंशकालिक कर्मचारियों को जब कभी नियमित सफाई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के कारण अथवा नए अतिरिक्त स्कूलों के कारण रिक्तियां हों तो उनको पारस्परिक वरीयता के आधार पर नियमित किया जाता है । चूंकि यह एक सतत् प्रक्रिया है, अत: कोई समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है ।

वन के संरक्षण के लिए बिहार को सहायता

[हिन्दी]

760. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को वनों तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या उक्त धनराशि का पूरा उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वनों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन मन्त्रालय द्वारा बिहार सरकार को निम्नलिखित राशि दी गई :

वर्ष	राशि करोड़ रुपयों में
1988-89	13.96
1989-90	10.26
1990-91	10.45

(ख) और (ग) अधिकांश मामलों में यह राशि उपयोग में लाई जा चुकी है। फिर भी कुछ मामलों में परियोजराएं समय पर पूरी न हो सकने के कारण यह राशि पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाई जा सकी ।

गुना-इटावा रेल लाइन

761. **श्री योगानन्द सरस्वती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुना-इटावा बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

तिरुअनन्तपुरम से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

[अनुवाद]

762. श्री रमेश चेन्नितला : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुअनन्तपुरम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान सेवायें चलाने के लिए विदेशी एयरलाइनों के कितने आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं; और

(ख) इन पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) तिरु-अनन्तपुरम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान सेवाएं चलाने के लिए किसी भी विदेशी एयरलाइन का कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकृति हेतु लंबित नहीं पड़ा है। तथापि, यू० ए० ई० और सऊदी अरब की सरकारों ने अपनी विमान सेवाएं चलाने के लिए इच्छा व्यक्त की है लेकिन द्विपक्षीय परामर्शों के लिए कोई तारीख निश्चित नहीं की है।

दिल्ली में डाक्टरों द्वारा हड़ताल

763. श्री जीवन शर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सर्विस डाक्टरों द्वारा हड़ताल किये जाने से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों और कुछ अस्पतालों में कामकाज ठप्प हो गया है;

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों की मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मांगों के प्रति सरकार का क्या रवैया है; और

(घ) हड़ताल की अवधि के दौरान रोगियों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (घ) दिल्ली के बड़े अस्पतालों में कार्य सामान्य रूप से चल रहा है। औषधालयों और रेलवे अस्पतालों की सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन औषधालयों में आधारभूत सेवाएं प्रदान की गई हैं।

(ख) सर्विस डाक्टर संगठनों की संयुक्त कारंवाई परिषद् ने 1987 के पैकेज लाभों के कतिपय खंडों और टिक्कू समिति की रिपोर्ट सहित 1989 के समझौता ज्ञापन के विभिन्न अनुबंधों को समग्र रूप से लागू करने की मांग की है।

(ग) 1987 के पैकेज लाभों के प्रमुख अनुबन्धों को लागू कर दिया गया है। 1989 का समझौता ज्ञापन जो कि सर्विस डाक्टर संगठनों की संयुक्त कारंवाई परिषद् की लम्बित मांगों का पूर्ण व अन्तिम निपटारा है और इसी वजह से 1987 के पैकेज लाभों का अधिक्रमण करता है, के सभी मुख्य अनुबन्धों को भी लागू कर दिया गया है। टिक्कू समिति की रिपोर्ट पर सरकार

द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित तारीख 14-11-1991 के कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

विषय : सेवारत डाक्टरों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (टिक्कू) की सिफारिशें—उन पर लिए गए निर्णय।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के भविष्य में उन्नति के अवसरों के सभी पहलुओं और संवर्ग पुन: संरचना की जांच करने के लिए भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) श्री आर० के० टिक्कू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार किया है और निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

(1) मौजूदा सामान्य वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (5900—6700 रुपये) के दो पदों का दर्जा बढ़ाकर अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा के ऊपर महानिदेशकों (7300—7600 रुपये) के दो अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा। अपर महानिदेशकों के इन अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति अपर महानिदेशकों के मौजूदा पदों के अनुरूप ही की जाएगी।

(2) 5900—6700 रुपये के सुपर टाइम वेतनमान में चार पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1982 के नियम 4 (9) के अन्तर्गत 7300—7600 रुपये के वेतनमान में चार अतिरिक्त पदों के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(3) अस्थायी आधार पर प्रोफेसरों (4500—5700) रुपये के पदों के बराबर की संख्या के पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में निदेशक प्रोफेसर (5900—6700 रु०) के 34 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा।

(4) अस्थायी आधार पर विशेषज्ञ ग्रेड-1 (4500—5700 रुपये) के पदों के बराबर की संख्या के पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर शिक्षण विशेषज्ञ के उपसंवर्ग में परामर्शदाता (5900—6700 रुपये) के 35 रिक्त पदों का सृजन किया जाएगा।

(5) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यात्मक चयन ग्रेड (4500—5700 रुपये) और कार्यात्मक ग्रेड (4500—5700 रु०) के बीच के अन्तर को दूर कर दिया जाएगा। गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (4500—5700 रु०) के सभी सह-प्रोफेसरों को 1-12-1991 से प्रोफेसरों के रूप में पदनामित किया जाएगा। गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (4500—5700 रु०) के सभी विशेषज्ञ ग्रेड-I के अधिकारियों (गैर शिक्षण और जन स्वास्थ्य उप संवर्ग) को 1-12-1991 से विशेषज्ञ ग्रेड-I के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(6) सभी प्रोफेसर (4500—5700 रुपये) और विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारी (गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900—6700 रुपये) पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों और 4500—5700 रुपये के वेतनमान में उन्होंने कम-से-कम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो। चाहे उच्च सेवा कार्यात्मक ग्रेड अथवा 4500—5700 रुपये के गैर कार्यात्मक ग्रेड में की गई हो। सह-प्रोफेसर और विशेषज्ञ ग्रेड-II अधिकारी जो इस समय गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड में हैं और जिन्हें 1-12-91 से क्रमशः प्रोफेसर और विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाना है, को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900—5700 रुपये) पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्रता सूचियां तैयार करने के उद्देश्य से क्रमशः मौजूदा प्रोफेसरों और विशेषज्ञ ग्रेड-I के अधिकारियों के नीचे सामूहिक रूप से रखा जाएगा।

(7) जैसा कि शिक्षण उप-संवर्ग के मामले में किया गया है उसी प्रकार गैर-शिक्षण विशेषज्ञ और जन स्वास्थ्य शिक्षण विशेषज्ञ के उप-संवर्गों में भी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (3000—5000 रुपये) के रूप में भर्ती के लिए अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम अनिवार्य अर्हता स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष के अनुभव सहित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात पांच वर्ष के अनुभव सहित स्नातकोत्तर डिप्लोमा होगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती किए गए सभी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों को 3000—5000 रुपये के वेतन तल में दो वर्षों की सेवा पूरी करने पर 3700—5000 रुपये के वेतनमान में प्रोन्नत किया जाएगा बशर्ते कि वे वरिष्ठता-सह-योग्यता में पूरे उत्तरें।

(8) सुपर स्पेशियलिटी पदों की भर्ती जिसके लिए न्यूनतम अनिवार्य अर्हता डी० एम० अथवा एम० सी एच० अथवा समकक्ष है जो शिक्षण और गैर-शिक्षण विशेषज्ञता उप-संवर्गों में (3700-5000 रुपये) के वेतनमान में की जाएगी।

(9) तीनों उप-संवर्गों (शिक्षण, गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य) में 3700—5000 रु० के वेतनमान में छः वर्ष की सेवा वाले अधिकारी अथवा 3000—5000 रुपये और 3700—5000 रुपये के वेतनमानों में कुल आठ वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों को मौजूदा दिशा-निर्देशों (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुल मिलाकर अच्छे कार्य निष्पादन और पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम दो "बहुत अच्छे" मूल्यांकन के लिए व्यवस्था है) के अनुसार 4500—5700 रुपये के वेतनमान में रखा जाएगा। इस प्रकार से 4500—7300 रुपये के वेतनमान में रखे जाने पर सह-प्रोफेसरों को प्रोफेसर के रूप में और विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य) को विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारियों के रूप में पदनामित हुआ समझा जाएगा।

(10) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों 3000—4500 रुपये की वरिष्ठ चिकित्सा

अधिकारियों के रूप में छः वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर अथवा चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रूप में 10 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा पूरी करने पर, जिसमें कम से कम दो वर्षों की सेवा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में होगी, को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (3700—5000 रुपये) के वेतनमान में पदोन्नत किया जाएगा बशर्ते कि उनको रिक्तियों से बिना किसी संबंध के "अच्छे" की श्रेणी में स्वीकार कर दिया गया हो। चयन का कोई क्षेत्र नहीं होगा। यह पदोन्नतियां पदोन्नत किए गए अधिकारियों के लिए स्वस्थाने और व्यक्तिगत आधार पर होंगी। प्रसंगवश यह बात जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को एक और समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करेगी। जैसे कि वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर चिकित्सा अधिकारियों (2200—4000 रुपये) के स्तर से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (3000—4500 रुपये) के स्तर पर पहली समयबद्ध प्रोन्नति को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। जैसा कि इस समय मौजूदा दिशा-निर्देशों (पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम दो "बहुत अच्छा" मूल्यांकन सहित कुल मिलाकर अच्छा कार्य निष्पादन) के आधार पर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के सभी वरिष्ठ ड्यूटी पदों की पन्द्रह प्रतिशत सीमा तक 4500—5700 रुपये के ग्रेड में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को रखा जाना जारी रहेगा। 4500—5700 रुपये के वेतनमान में तीन वर्षों की सेवा सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा कुल सत्रह वर्षों की ग्रुप "ए" की सेवा वाले व्यक्ति वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900—6700 रुपये) पर पदोन्नति के लिए पात्र होते रहेंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों।

(11) विभिन्न अस्पतालों और शिक्षण तथा अन्य संस्थानों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी अचिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/सुपर टाइम ग्रेड अधिकारियों द्वारा धारित सभी पदों, जहां किए जाने वाले प्रमुखतः विशिष्टीकृत प्रकृति के होते हैं और सामान्यतया जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त डाक्टरों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है, को विशेषज्ञ पदों में बदल दिया जाएगा और जिन्हें विशेषज्ञों के भर्ती नियमों में मौजूदा उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा। सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग से चिकित्सा अधिकारियों/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/सुपर टाइम ग्रेड अधिकारियों के पदों की संख्या के बराबर पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। अस्पतालों और शिक्षण तथा अन्य संस्थानों में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के ऐसे पदों को विशेषज्ञ पदों में बदलने की बात खुली प्रतियोगिता के माध्यम से विशेषज्ञ उप-संवर्गों में प्रवेश करने के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग से संबंधित अर्हता अधिकारियों के लिए अवसर उत्पन्न करेगी।

(12) 4500—5700 रु० के साथ-साथ 3700—5000 रु० के स्तर पर सीधी भर्ती की जा सकती है, जो पदों के पता लगाने की बात पर निर्भर होगी।

(13) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत उपलब्ध सेवा में वृद्धि किए गए वर्षों के लाभ केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होंगे।

(14) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संवर्ग व्यवस्था से संबंधित कार्य के किसी भाग को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को स्थानांतरित करने की व्यवहार्यता और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्य को और अधिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के मामले की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जांच की जाएगी।

(15) रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य संगठन पृथक रूप से संवर्ग की पुनर्संरचना के प्रस्तावों और सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग पर लिए गए निर्णयों की बात को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कारंवाई करेंगे।

(16) डाक्टरों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के मुद्दे को उसकी विवक्षा और प्रतिक्रियाओं के बारे में और अधिक विस्तृत जांच के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्थगित रखा गया है।

(17) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अखिल भारतीय सेवा प्रभाग) यथा समय राज्य सरकारों से परामर्श लेते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा बनाने के प्रश्न की जांच करेगा।

2. सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अन्य सिफारिशों को स्वीकार करना संभव नहीं पाया है।

3. उपर्युक्त निर्णयों के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम 1982 में संशोधन जहां कहीं भी आवश्यक होंगे, यथासमय जारी किए जाएंगे।

हस्ताक्षर/-
(एस॰ हरिहरण)
उप-सचिव, भारत सरकार
(दूरभाष सं॰ 3014495)

केरल में वरकला स्थित पुल

764. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम-कोट्टयम लाइन (बड़ी लाइन) पर वरकला उपरि पुल के निर्माण में काफी विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पुल का निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार द्वारा नक्शों/अनुमान सहित कार्य के लिए पूरी योजना को अंतिम रूप दिए जाने, प्राथमिकता दे दिए जाने तथा नियमों के अनुसार लागत में हिस्सेदारी वहन करने के लिए विधिवत सहमति प्रदान करने के बाद ही रेलें इसे अपने निर्माण-कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विचार करेगी।

उड़ीसा में लड़कियों के लिए छात्रावास

765. **श्री सुबास चन्द्र नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाए गए लड़कियों के छात्रावासों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) निर्माणाधीन अथवा प्रस्तावित छात्रावासों का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उनके लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के वर्षों के दौरान 522 कामकाजी महिलाओं के लिए 8 होस्टल संस्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं के स्थान नीचे दर्शाये गए हैं :

क्र० सं०	परियोजना का स्थान	संस्वीकृत किए जाने का वर्ष
1.	भुवनेश्वर	1989-90
2.	कटक	1989-90
3.	ढेंकानल	1988-89
4.	गन्जम	1989-90
5.	क्योंझर	1989-90
6.	कोरापुट	1989-90
7.	फूलबनी	1989-90
8.	पुरी	1988-89

(ख) बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार की सहायता योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का राज्य/जिला-वार आबंटन नहीं किया जाता। संबद्ध राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से पात्र संगठनों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर भारत सरकार प्रस्तावों पर विचार करती है।

(ग) कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण के लिए उड़ीसा के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि निम्नानुसार है :

क्र० सं०	वर्ष	जारी की गई धनराशि
1.	1988-89	19,98,325 रु०
2.	1989-90	45,61,251 रु०
3.	1990-91	11,68,357 रु०

एक्सप्रेस ट्रेनों को जलेश्वर स्टेशन पर रोकना

766. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट/एक्सप्रेस ट्रेनों को बालासोर जिला (उड़ीसा) के जलेश्वर में रोकने का प्रस्ताव है ताकि उस क्षेत्र के पान पत्ता उत्पादकों की परिवहन आवश्यकता को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) 8477/8478 पुरी-निजामुद्दीन कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस गाड़ी पहले ही जलेश्वर स्टेशन पर ठहरती है। जलेश्वर स्टेशन पर 8475/8476 पुरी-नई दिल्ली नीलांचल और 2815/2816 पुरी-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात का औचित्य न होना।

शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण

767. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में भी आरक्षण लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंधित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, तकनीकी एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं के दाखिले में 15% स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 7.5% स्थान अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित होते हैं। राज्य सरकारों के अधीन संस्थाओं में, आरक्षण की सही प्रतिशतता अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्यों की जनसंख्या अनुपातों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

नई पर्यटन नीति

768. **श्री मोरेश्वर सावे :**

श्री बलराज पासी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये एक नई पर्यटन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसे कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार पर्यटन हेतु एक कार्रवाई योजना बना रही है जिसके कारण कुछ नीतिगत परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती है।

बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली लड़कियों के लिए योजनाएं

769. **श्री मोरेश्वर सावे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली लड़कियों के लिए दो नई योजनाएं "गर्ल टू गर्ल अप्रोच" तथा "बालिका मंडल" शुरू की हैं; और

(ख) यदि हां, उनकी मुख्य विशेषताएं कौन-सी हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) जी हां।

(ख) किशोर बालिकाओं के लिए दो नई योजनाओं की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

योजना-1 : (गर्ल टू गर्ल अप्रोच)

इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की स्वास्थ्य एवं पोषाहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें गांव में परिवर्तन के एजेन्टों के रूप में प्रशिक्षित करना है। इसके अन्तर्गत बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली 11—15 वर्ष के आयु वर्ग की किशोर बालिकाओं को आंगनबाड़ियां चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर छः माह में प्रत्येक आंगनबाड़ी में तीन बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन महीनों के दौरान तीन लड़कियों में से प्रत्येक को सप्ताह में दो दिन के लिए आंगनबाड़ी में लगाया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक बालिका को स्कूल पूर्व शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व आदि के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केन्द्र से सम्बद्ध रखे जाने की अवधि के दौरान, बालिकाओं को रोजाना पूरक-पोषाहार प्रदान किया जायेगा।

योजना-2 : (बालिका मंडल)

व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वच्छता, पोषाषार, होम नर्सिंग, प्राथमिक उपचार, जीवन

की वास्तविकता के संबंध में शिक्षा देने तथा उनके मौजूदा कौशलों का विकास करने के लिए कुछ प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक ब्लाक में 10 बालिका मंडल होंगे। ये बालिका मंडल साक्षरता, अनौपचारिक शिक्षा और मनोरंजन सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार ये बालिका मण्डल सामान्यतः ऐसी बालिकाओं के लिए एक संस्थान का कार्य करेंगे जो अनपढ़ हैं अथवा जिन्होंने औपचारिक शिक्षा प्रणाली की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है।

चालू वर्ष के दौरान ये योजनाएं देश के 507 ब्लाकों में कार्यान्वित की जायेंगी। ये योजनाएं समेकित बाल विकास सेवा योजना के अतिरिक्त घटकों के रूप में कार्यान्वित की जा रही हैं।

टोरी-दिल्ली लाइन को रांची तक बढ़ाना

[हिन्दी]

771. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का टोरी और दिल्ली लाइन को रांची तक बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

बिहार में हैजा, आन्त्रशोथ, कालाजार और डायरिया के कारण मौतें

[अनुवाद]

772. **श्री राम टहल चौधरी** :
श्री साईमन मराण्डी :
श्री हरि किशोर सिंह :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में हैजा, आन्त्रशोथ, कालाजार और डायरिया के परिणामस्वरूप हुई मौतों की जिलावार संख्या क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और इन रोगों की रोकथाम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में कालाजार के कारण हुई मौतों की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार गंभीर अतिसार संबंधी रोगों और हैजा के कारण हुई मौतों की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को कालाजार से जूझने के लिए दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	नगद	सामग्री	योग
1989-90	100	270.20	370.20
1990-91	—	389.49	389.49
1991-92	—	676.21	676.21

भारतीय सरकार द्वारा कालाजार की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं ।

पानी के कारण होने वाले अतिसार संबंधी रोगों जैसे हैजा एवं आंत्रशोथ के फैलाव को रोकने के लिए सामान्य रूप से उठाए गए कदम संलग्न विवरण-4 में दिए गए हैं ।

विवरण-1

कालाजार का विवरण

1988 से 1991 के दौरान हुई मौतें

क्रम सं०	प्रभावित जिले	1988 मौतें	1989 मौतें	1990 मौतें (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
	बिहार			
1.	पटना	12	3	5
2.	नालंदा	—	—	1
3.	गया	—	—	—
4.	जहानाबाद	—	—	—
5.	नवादा	—	—	—
6.	औरंगाबाद	—	—	—

1	2	3	4	5
7.	भोजपुर	—	—	5
8.	रोहतास	—	—	—
9.	सारन	—	3	3
10.	शिवान	—	2	—
11.	गोपालगंज	—	—	4
12.	पूर्वी चम्पारन	2	2	—
13.	पश्चिमी चम्पारन	—	1	1
14.	मुजफ्फरपुर	6	92	56
15.	सीतापढ़ी	1	32	54
16.	वैशाली	—	175	213
17.	दरभंगा	35	36	36
18.	मधुबनी	43	26	41
19.	समस्तीपुर	16	49	120
20.	भागलपुर	—	—	—
21.	मुंगेर	3	18	6
22.	खगरिया	—	1	8
23.	बेगूसराय	2	13	23
24.	पूर्णिया	2	3	—
25.	कटिहार	1	—	3
26.	सहरसा	—	—	3
27.	माधोपुरा	—	—	3
28.	दुमका	—	—	—
29.	साहबगंज	—	21	4
30.	गोड्डा	—	—	—
31.	रांची	—	—	—
	योग	123	477	589

विवरण-2

1990 तथा 1991 के लिए (बस सितम्बर तक) बिहार में मौतों की जिला-वार संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	1990		1991	
		हैजा मौतें	जठरांत्रशोथ मौतें	हैजा मौतें	जठरांत्र-शोथ मौतें
1.	पटना	0	78	0	0
2.	नवादा	0	0	0	0
3.	भोजपुर	0	0	0	0
4.	रोहतास	0	2	0	0
5.	सीतामढ़ी	0	39	0	29
6.	सारन	0	4	0	0
7.	भागलपुर	0	61	0	1
8.	मुंगेर	0	15	0	5
9.	कटिहार	0	3	0	0
10.	धनबाद	0	59	0	57
11.	खगरिया	0	0	0	0
12.	गोडा	0	214	0	0
13.	गुमला	0	0	0	0
14.	सिंहभूम	0	0	0	2
	योग		475		94

विवरण-3

कालाजार की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम

1. राज्य को नियमित रूप से मानीटरिंग और तकनीकी दिशा-निर्देशन।
2. औषधों और डी० डी० टी० के रूप में सामग्री सहायता प्रदान की जा रही है।
3. कालाजार के बारे में वीडियो द्रुत चित्रों का निर्माण किया गया है और ये राज्य को भेजे गए हैं।

4. स्थिति की समीक्षा करने और पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार से समय-समय पर उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श किया गया ।

5. बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कालाजार से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और मुख्य मन्त्री और बिहार सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करने के लिए 13-9-1991 और 1-10-1991 को बिहार का दौरा किया ।

6. बिहार में कालाजार का नियन्त्रण करने की आवश्यकता पर सुझाव देने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया । इस समिति (7-10-91) की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और भारत सरकार की वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है जिसमें डी० डी० टी० और कालाजार औषध की कुल लागत का प्रावधान भी शामिल है । राज्य सरकार कारगर कार्यान्वियन और कार्य नीतियों के कारगर कार्यान्वियन से संबंधित अन्य कार्यकलापों के लिए पर्याप्त धनराशि और संभार तंत्र की सुनिश्चितता के लिए वैक्टर और परजीवी दोनों और अन्य कार्यकलापों के लिए सख्त समवर्ती और बाद के पर्यवेक्षण और मूल्यांकन, मानीटरिंग और निगरानी करने के कार्य के अन्तर्गत अनुवर्ती, कारगर डी० डी० टी० छिड़काव कार्य सहित प्रशिक्षित जनशक्ति, पर्याप्त कालाजार रोधी औषध, उपयुक्त उपचार और अनुवर्ती, कारगर जानकारी, शिक्षा और संचार सहित विशेष कार्यकलाप, पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाओं की व्यवस्था करने से काफी पहले जनशक्ति विकास (प्रशिक्षण) के लिए जिला और राज्य के उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे विभिन्न स्तरों पर कालाजार नियन्त्रण संबंधी कार्यकलापों के लिए ही आधारभूत ढांचे को उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है ।

योजना आयोग ने कालाजार नियन्त्रण कार्यकलाप के लिए वार्षिक योजना 1991-92 के लिए 5 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया है । तथापि भारत सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 19.91 करोड़ रुपये की सामग्री के रूप में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है और इस समस्या की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए पुनर्विनियोजन के जरिए धनराशि प्रदान की गई है ।

विवरण-4

अतिसार संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए सामान्यतया उठाए गए कदम

1. इन रोगों की निगरानी तथा मॉनीटरिंग ।

2. पीने के साफ पानी की आपूर्ति करना तथा पीने के पानी के दूषित स्रोतों को क्लोरीनीकरण करना ।

3. मानव मल मूत्र, कूड़ा-करकट आदि का सुरक्षित निपटान ।

4. भोजन तथा निजी साफ-सफाई में सुधार करना ।

5. अतिसार संबंधी रोगों के कारण जलशून्यता के मामले में मुख-सेव्य जलपूरणता चिकित्सा पद्धति का विकास करना ।

6. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करके स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

7. लोगों को जल से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों तथा उनकी रोकथाम के बारे में विस्तृत सूचना देकर स्वास्थ्य शिक्षा उपायों को सुदृढ़ करना तथा स्वास्थ्य कार्मिकों को इसकी रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश भी देना ।

8. पर्यावरण संबंधी स्वच्छता में सुधार करना ।

9. अतिसार के घरेलू इलाज की जानकारी और दक्षता देने के कार्यकलापों में लगे चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ।

दिल्ली और रांची के बीच रेलगाड़ी चलाना

[हिन्दी]

773. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और रांची के बीच द्रुतगामी रेलगाड़ियां चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी ।

बिहार में केन्द्रीय विद्यालय

[अनुवाद]

774. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार में ऐसे और अधिक विद्यालय स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इस समय बिहार राज्य में 52 केन्द्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है ।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालयों को जिला-वार/अथवा राज्य-वार आधार पर आबंटित करने की कोई प्रणाली नहीं है । नए केन्द्रीय विद्यालय खोलना निर्धारित प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों की उपयुक्तता विशेषकर सरकार और/अथवा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के समूह की उपस्थिति, भौतिक सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

विवरण

बिहार राज्य में केन्द्रीय विद्यालय

1. बी० सी० सी० एल०, कोयला नगर, जिला धनबाद
2. ओल्ड डी० वी० एस० बिल्डिंग, धनबाद
3. बोकारो नं० 1, बोकारो स्टील सिटी, जिला धनबाद
4. बोकारो नं० 2, बोकारो स्टील सिटी, जिला धनबाद
5. बरोनी नं० 2, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, बरौनी, जिला बेंगूसराय
6. बरौनी नं० 2, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटिड, बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप, जिला बेगूसराय
7. भंडारीदाह जिला गिरिदाह
8. सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटिड, कारो स्पैशल प्रोजेक्ट, पो० ओ० संडे बाजार, जिला गिरिदाह
9. भुरकुंडा, हजारीबाग
10. पत्रातु, जिला हजारीबाग
11. बी० एफ० एफ० ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, मारू कैन्ट, हजारीबाग
12. रामगढ़ कैन्ट, जिला हजारीबाग
13. बागेश्वरी रोड, गया नं० 1
14. गया नं० 2, ए० एस० सी० सैन्टर (उत्तरी), पहाड़पुर, गया
15. पायराइट्स फोसफेट्स एंड कैमिकल्स लिमिटिड, अमझेर, जिला रोहतास
16. दानापुर कैन्ट
17. समस्तीपुर
18. चक्रधरपुर, जिला सिंहभुम
19. हिन्दुस्तान कापर लिमिटिड, पी० ओ० घाटशिला, सिंहभुम

20. मेघाहातुबुरू, जिला सिंहभुम
21. जमालपुर, जिला मुंगेर
22. जवाहर नगर, पी० ओ० सुथिहरा, जिला सीतामढ़ी
23. करकर बाग, पटना
24. दिपातोली, पी० ओ० रांची-834009
25. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, नं० 1 जगन्नाथ नगर, रांची
26. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, नं० 11, धुरवा, रांची
27. पी० ओ० हिनू, रांची
28. सेंट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटिड, दाकरा बुकबुका, नार्थ करनपुरा एरिया, पो० ओ० खालारी, जिला रांची
29. एयर फोर्स स्टेशन, सिघर्षी
30. जी० पी० सैंटर, सी० आर० पी० एफ० कैम्पस, मेकमेहघाट
31. गोविंदपुर एरिया, जिला धनबाद
32. भूली टाउनशिप, जिला धनबाद
33. चंद्रपुरा थरमल पावर स्टेशन, चंद्रपुरा, जिला गिरिदाह
34. सैन्ट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटिड, रांची
35. केदला नगर, केदला नगर साउथ कोलियरी, पो० ओ० केदला अंडरग्राउंड्स, जिला हजारीबाग
36. अरगदा एरिया, गिदि "ए" कोलियरी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटिड, पी० ओ० गिदि ए, जिला हजारीबाग
37. मैथन डैम, दामोदर वैली कारपोरेशन, पी० ओ० मैथन, जिला धनबाद
38. नामकुम, रांची
39. मुजफ्फरपुर, बिहार
40. पटना, बिहार
41. पो० ओ० कटिहार, जिला कटिहार
42. बोकारो थर्मल पावर स्टेशन; जिला गिरिदाह
43. टाटानगर, रेलवे कालोनी, जिला सिंहभुम
44. खगोल, दानापुर, जिला पटना-801105
45. सोनपुर, रेलवे कालोनी, जिला सरन-841101

46. लखी सराय, जिला मुंगेर

47. दुग्धा कोल वाशरी, पी० ओ० दुग्धा, जिला गिरिडाह

48. बोकारो स्टील सिटी (रेलवे कालोनी), जिला धनबाद

49. गोमोह, जिला धनबाद-828401

50. गरहरा, जिला बेगुसराय

51. एन० टी० पी० सी०, कहलगांव

52. राजेन्द्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा, जिला समस्तीपुर

मद्रास मेल का पिरवम रोड स्टेशन पर रुकना

775. **श्री पी० सी० थामस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास मेल को केरल में पिरवम रोड स्टेशन पर रोकने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) इस गाड़ी को पिरवम रोड स्टेशन पर ठहराव देने का औचित्य नहीं है ।

केरल में कांजिरामात्तम स्टेशन का विकास

776. **श्री पी० सी० थामस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एर्णाकुलम जिले में स्थित कांजिरामात्तम स्टेशन को विकसित करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में आरक्षित वन को पट्टे पर देना

777. **श्री पी० सी० थामस :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने किसानों और अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित वन के अन्तर्गत आने वाली भूमि को पट्टे (भूमि का पंजीकरण) पर दिये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार से जुलाई, 1986 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें त्रिचूर, एर्नाकुलम, इडुक्की,

पथनमथिट्टा और बिवलोन जिलों में उन अवैध काबिजों को 28588.159 हेक्टेयर भूमि देने की बात कही गई थी जिनके पास यह भूमि 01-01-87 से पहले से थी। इस प्रस्ताव के मंत्रालय में पहुंचने से पहले पब्लिक इंटरस्ट प्रोक्टेक्शन, एसोसिएशन मन्नार ने 1984-क के ओ० पी० नं० 10797 के तहत एक सी० पी० एम० नं० 33827/84 दिनांक 30-05-85 केरल उच्च न्यायालय में दायर कर दिया था जिसमें ओ० पी० के निलम्बित रहने तक इदुक्की जिले में वन भूमि देने या पट्टा जारी करने की सभी कारंवाइयों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 30-5-85 के आदेश के तहत अंतरिम रोक की मंजूरी दे दी थी जिसको दिनांक 30-10-85 के उनके आदेश के तहत पूर्ण रोक में परिवर्तित किया गया था। अन्त में केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहकर 3-4-91 को इस ओ० पी० को निपटा दिया कि इस मामले के गुण-दोष के आधार पर भारत सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत उचित कारंवाई करेगी। निर्णय प्राप्त हो जाने पर प्रस्ताव की जांच की गई और राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचा भेजने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार से 20-11-91 को प्राप्त तत्यात्मक सूचना पर विचार किया जा रहा है।

ताजमहल पर वायु प्रदूषण का प्रभाव

778. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा और मथुरा में स्थित अनेक फाउन्ड्रीज उद्योगों से निकलने वाले अपवाहों से ताजमहल को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : प्रदूषण से ताजतहल का बचाव करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) 1981 में दो थर्मल पावर संयत्रों को बन्द कर दिया गया है।

(ii) आगरा के रेलवे स्टेशन के यार्ड को डीजलयुक्त कर दिया गया है।

(iii) बहुत-सी फाउन्ड्रीज को हाथरस रोड पर नये क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(iv) उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने पेड़ लगाकर ताजमहल के आसपास हरी पट्टी बिछा दी है।

(v) राज्य सरकार आगरा में प्रदूषण स्तर को निगरानी कर रही है।

(vi) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार ताजमहल के आस-पास की वायु पर निगरानी कर रहा है जिससे सल्फर-डाई-आक्साईड, प्रलंबित विविक्त सामग्री तथा अन्य प्रदूषणों के साथ-साथ वायुमण्डलीय आकड़ों के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके, ताकि आवश्यकतानुसार इस प्रकार के उपचारी उपाय किए जा सकें।

वैस्टलैंड हैलीकाप्टरों की बिक्री

[हिन्दी]

779. श्री कमला मिश्र मधुकर :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री मदन लाल खुराना :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पवनहंस लिमिटेड द्वारा प्रयोग किए जा रहे सभी वैस्टलैंड हैलीकाप्टरों को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन हैलीकाप्टरों पर वार्षिक रूप से कुल कितनी राशि खर्च की है;

(घ) पवनहंस लिमिटेड के बेड़े में हैलीकाप्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) इन हैलीकाप्टरों को और कौन से देश प्रयोग कर रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) नागर विमानन मंत्रालय ने सिद्धान्त रूप में सभी वैस्टलैंड हैलीकाप्टरों के निपटान के लिए निर्णय ले लिया है। मंत्रिमंडल से आवश्यक क्लीयरेंस ली जा रही है।

(ख) परिचालनात्मक सुरक्षा और आर्थिक साध्यता के कारणों से वैस्टलैंड के बेड़े को निपटाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) पवनहंस द्वारा वैस्टलैंड हैलीकाप्टरों पर वार्षिक रूप से किया गया कुल खर्च निम्न-प्रकार से है :—

वर्ष		व्यय
		करोड़ रुपए)
1986-87		7.65
1987-88		22.40
1988-89		28.75
1989-90		28.68
1990-91		27.17
	कुल	114.65

(घ) पवनहंस लिमिटेड को परिचालनात्मक आवश्यकताओं को उपयुक्त रूप से पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के हैलीकाप्टरों के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैसर्स एयरोफ्लोट से तीन एम० आई०-8 हैलीकाप्टर पट्टे पर लिए गए हैं।

(ङ) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कोई अन्य देश जेम-60 मार्क 531 इंजिनों से युक्त वैस्टलैंड-30 हैलीकाप्टरों का उपयोग कर रहा है।

दिल्ली में गुरु तेग बहादुर अस्पताल का कार्यकरण

[अनुवाद]

780. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गुरु तेग बहादुर अस्पताल के कार्यकरण की स्थिति बहुत खराब है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस अस्पताल के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि गुरु तेग बहादुर अस्पताल अपेक्षाकृत एक नया अस्पताल है, फिर भी इसका कार्यचालन सामान्यतः संतोषजनक रहा है। इसके कार्यचालन में सुधार करने के लिए उपयुक्त उपाय किये गए हैं और इसके परिणामस्वरूप हाल ही में बहिरंग रोगी विभाग तथा अंतरंग विभाग में रोगियों की उपस्थिति में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है।

दिल्ली में निजी भवनों में सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियां

781. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कई सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियां किराए के निजी भवनों में चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरियां मकान मालिकों को नियमित रूप से किराया दे रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) समय पर किराए की अदायगी हेतु किए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) किराए के भवनों में चल रहे औषधालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बिलों के प्राप्त होने पर भवनों के किराए का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) ऊपर 'ग' को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	औषधालय का नाम
1.	अशोक विहार
2.	गीता कालोनी-कृष्णा नगर-गांधी नगर
3.	इन्द्रपुरी
4.	जनकपुरी-I
5.	करोल बाग
6.	मालवीय नगर
7.	पूर्वी पटेल नगर
8.	पश्चिम पटेल नगर
9.	पुल बंगश
10.	राजोरी गार्डन
11.	पालम कालोनी
12.	शाहदरा
13.	लक्ष्मी नगर
14.	शकूर बस्ती
15.	सब्जी मंडी
16.	त्रिनगर
17.	गुड़गांव
18.	विवेक विहार
19.	यमुना विहार
20.	जनकपुरी-II
21.	सुंदर विहार

रामपुर-हल्द्वानी रेलवे लाइन

[हिन्दी]

782. **श्री बलराज पासी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुर से हल्द्वानी तक बड़ी रेलवे लाइन कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी अनुमानित धनराशि खर्च हो जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) 1993-94 में।

(ख) 31-3-1991 तक 22.49 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 56 करोड़ रुपये है।

उड़ीसा में वनरोपण कार्यक्रम

783. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के फूलबनी और कालाहान्डी जिलों में कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न वनरोपण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पौधे कितने क्षेत्रकल में लगाए गए; और

(ग) उनमें से कितने पौधे जीवित हैं तथा विकसित हो रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभापटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

चिकित्सा संस्थाओं को श्रेणीबद्ध करने के लिए समिति

784. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संस्थाओं को सर्वोत्तम क्षेत्रीय चिकित्सा संस्था के रूप में श्रेणीबद्ध करने के लिए उनके नामों की सिफारिश हेतु किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने देश के पांच जोनों में से प्रत्येक जोन में एक-एक चिकित्सा संस्था का, चिकित्सा परिचर्या के उत्कृष्ट क्षेत्रीय संस्थानों के रूप में, दर्जा बढ़ाने के लिये पता लगाने हेतु एक समिति नियुक्त की है तथा इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्य-प्रणाली संबंधी रिपोर्ट

785. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्य प्रणाली तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपी जाने वाली शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया की रिपोर्ट मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पुनर्गठित करने के संबंध में भारत के प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद की रिपोर्ट अक्तूबर, 1991 में आयोग को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

— आयोग के सदस्यों की संख्या को मौजूदा संख्या 12 से 16 तक बढ़ाया जाना चाहिए।

— वि० अ० आ० के 4 अथवा इससे अधिक क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिए।

— क्षेत्रीय कार्यालय को कुछ सीमाओं के अन्दर विश्वविद्यालयों और कालेजों से संबधित अनुदानों के भुगतान का कार्य सौंपा जाना चाहिए परन्तु योजनाओं तथा प्रस्तावों की संस्वीकृति केन्द्रीय कार्यालय में ही प्रदान की जानी चाहिए।

— उपाध्यक्ष को विशिष्ट शैक्षिक जिम्मेदारियां सौंपी जानी चाहिए।

— कार्य-वितरण को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए और कार्यविधि निर्धारित की जानी चाहिए। वि० अ० आ० की योजनाओं का गहन निरीक्षण किया जाना चाहिए।

वन क्षेत्र में बसे गांव

786. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 26 अगस्त, 1991 वन क्षेत्र में बसे गांवों के तारांकित प्रश्न संख्या 568 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना मांगी गई है। आन्ध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादर और नागर हवेली तथा दिल्ली की सरकारों ने सूचित किया है कि उनके यहां कोई वन ग्राम नहीं है। गुजरात, मेघालय, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर मंगाया जा रहा है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वन ग्रामों की संख्या	इन ग्रामों में रहने वाले आदिवासी परिवारों की आबादी	आदिवासी परिवारों के कब्जे में भूमि का स्तर
1.	गुजरात	114	4,777 आदिवासी परिवार, जिनकी आबादी 32,278 है।	वन भूमि
2.	मेघालय	27	6,732 (आबादी)	आरक्षित वन
3.	उड़ीसा	20	2,107 (आबादी)	आरक्षित वन
4.	पश्चिम बंगाल	168	7,786 आदिवासी परिवार	आरक्षित वनों का हिस्सा

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

787. **श्री हरि केवल प्रसाद :**

श्री मदन लाल खुराना :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शुरू किये गये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं;

(ख) साक्षरता मिशन ने जिन विषयों पर विचार किया है उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में किये गये कार्यों की समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस समीक्षा के निष्कर्ष क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1995 तक (15—35) आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से मई, 1988 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मूलभूत विशेषता यह है कि यह एक सामाजिक मिशन है, जिसकी सफलता समाज को जुटाने एवं सम्भाव्य लाभग्राहियों, साक्षरता कार्यकर्ताओं और संपूर्ण समुदाय की सक्रिय भागादारी पर निर्भर करती है।

(ख) मिशन द्वारा विचार किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों में शिक्षुओं की प्रेरणा, केन्द्र आधारित कार्यक्रम की क्षमता, साक्षरता में सहायक वातावरण तैयार करना, साक्षरता कार्य में स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों के छात्रों की सहभागिता, स्वैच्छिक एजेंसियों की प्रभावी सहभागिता,

विशिष्ट क्षेत्रों और निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण साक्षरता अभियानों को प्रारंभ करने के लिए समाज के सभी वर्गों को जुटाना, परिणामोन्मुख अध्ययन, उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रावधान, विश्वसनीय एवं आवधिक अनुवीक्षण और मूल्यांकन तथा स्वायत्त, लचीले और परिणामोन्मुख प्रबंध के सृजन की व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों के मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(i) शिक्षुओं की प्रेरणा में वृद्धि करने के उद्देश्य से, अध्ययन की सुधरी गति और विषय-वस्तु (आई०पी०सी०एल०) की नई तकनीक के अन्तर्गत शिक्षण/अध्ययन सामग्री तैयार की गई है जिसको मिशन के सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रयोग में लाया जा रहा है।

(ii) राज्य एजेंसियों और स्वैच्छिक एजेंसियों के अन्तर्गत केन्द्र आधारित कार्यक्रम को पुनरीक्षित और पुनर्गठित किया गया है ताकि छोटे आकार की परियोजनाएं उपलब्ध कराई जा सकें जिससे उनका आसानी से अनुवीक्षण और प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके और एक निश्चित समय अवधि में पूर्ण साक्षरता के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण की व्यवस्था की जा सके।

(iii) राष्ट्रीय कार्यसूची में साक्षरता को मजबूती से स्थापित करने और इस प्रकार सृजित साक्षरता की मांग के प्रत्युत्तर में जन-मशीनरी को सृजित करने के उद्देश्य से देशभर में भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा आयोजित जत्थों और गांधीवादी एवं सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं के दलों और वातावरण निर्माण के लिए अन्य कई कार्यकलापों को शुरू किया गया है।

(iv) मिशन के कार्यकलापों में स्कूलों एवं कालेजों के छात्रों की सहभागिता धीरे-धीरे काफी बढ़ गई है और इस समय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में लगभग 10 लाख छात्र भाग ले रहे हैं।

(v) क्षेत्र-विशेष, समयबद्ध, स्वेच्छा-आधारित, लागत-प्रभावी और परिणामोन्मुख "पूर्ण साक्षरता अभियानों" को, पारंपरिक केन्द्र आधारित कार्यक्रम के विपरीत, देशभर के 65 जिलों में शुरू किया जा चुका है।

(vi) उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगभग 32000 जन शिक्षण निलायम स्थापित करने के अतिरिक्त, पूर्ण साक्षरता अभियानों के समापन के तत्काल बाद उत्तर साक्षरता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

(vii) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान एवं प्रबंध संस्थान जैसी बाह्य एजेंसियों द्वारा, कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जा रहा है और मिशन के अन्तर्गत प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए एक व्यापक कम्प्यूटरीकृत प्रबंध प्रणाली विकसित की जा रही है।

(viii) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान को अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, मीडिया एवं संचार पुस्तकालय एवं प्रलेखन के केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है। यह

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सहयोग से कार्य करेगा और देश में साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए निवेश की व्यवस्था करेगा ।

(ग) और (घ) यद्यपि उत्तर प्रदेश के बलिया एवं देवरिया जिलों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का कोई विशिष्ट मूल्यांकन/पुनरीक्षा नहीं की गई है, तथापि देवरिया जिले की स्वैच्छिक एजेंसियों के विरुद्ध की गई कुछ शिकायतों की जांच, राज्य सरकार द्वारा की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं

788. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गए रेल परियोजना संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इस राज्य में आरम्भ किए गए रेल के विस्तार कार्य का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) फर्रुखाबाद से हरदोई/संडीला तक नई लाइन के लिए ।

(ख) परियोजनाओं के अलाभप्रद होने तथा संसाधनों की तंगी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सातवीं योजना (1985-90) में शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र० सं०	परियोजना का नाम	वर्ष, जिसमें कार्य शुरू किया गया	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	समय अनुसूची
1	2	3	4	5
	नई लाइनें			
1.	गुना-इटावा	1985-86	256	संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

1	2	3	4	5
	आमान परिवर्तन			
2.	छपरा-औड़िहार	1989-90	86	संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
	रेल विद्युतीकरण			
3.	टूण्डला-आगरा-बयाना (इस खंड का कुछ भाग उ० प्र० में पड़ता है)	1985-86	22.96	मार्च, 1991
	कंप्यूटरीकरण			
4.	लखनऊ यात्री आरक्षण प्रणाली	1988-89	8.72	पूरी हो चुकी है।
5.	गोरखपुर यात्री आरक्षण प्रणाली	1989-90	2.00	पूरी हो चुकी है।
6.	माल गाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली, उत्तर रेलवे	1987-88	3.20	1994-95
	कारखाना और शेड			
7.	खानआलमपुरा माल डिब्बा मरम्मत लाइनों में सुधार	1985-86	1.67	पूरी हो चुकी है।
8.	मुगलसराय मौजूदा फ्लैश बट झलाई संयंत्र का बदलाव	1986-87	5.89	30-4-1992
9.	मुगलसराय 120 बी० ओ० एक्स० एन० रेकों के लिए प्राथमिक अनुरक्षण डिपो का विकास	1986-87	6.22	पूरी हो चुकी है।
10.	गाजियाबाद धारण क्षमता बढ़ाकर 100 से 120 करने के लिए विद्युत लोको शेड का विस्तार	1986-87	2.27	पूरी हो चुकी है।

1	2	3	4	5
11.	चारबाग बिजली रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल की सुविधाओं का सृजन	1986-87	4.00	पूरी हो चुकी है।
12.	कलट्टरबकगंज 50 रेल इंजनों के लिए डीजल शेड का निर्माण	1986-87	6.00	पूरी हो चुकी है।
13.	मुगलसराय बिजली रेल इंजनों के लिए अतिरिक्त अनुरक्षण सुविधाएं	1987-88	3.66	31-12-1992
14.	इलाहाबाद सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधाओं का आधुनिकी-करण	1989-90	3.64	पूरी हो चुकी है।
15.	वाराणसी डीजल रेल इंजन कारखाना निर्माण क्षमता बढ़ाकर 150/170 इंजन करना	1989-90	19.49	31-03-1994
	सिगनल और दूरसंचार			
16.	मुगलसराय रूट रिले अन्तर्पाशन	1985-86	14.19	दिसम्बर, 1993
17.	मुगलसराय सोननगर केन्द्रीकृत यातायात नियन्त्रण (इसका कुछ भाग उ० प्र० में पड़ता है)	1987-88	2.09	मार्च, 94
18.	वाराणसी रूट रिले अन्तर्पाशन	1987-88	8.98	दिसम्बर, 1992
19.	सहारनपुर रूट रिले अन्तर्पाशन	1988-89	5.98	मार्च, 1992
20.	दिल्ली—मुगलसराय चल रेडियो संचार नियंत्रण के लिए गाड़ी	1987-88	15.35	मार्च, 1993

1	2	3	4	5
21.	टूण्डला—मुगलसराय मौजूदा सूक्ष्मतरंग सम्पर्क का 34 एम० बिट डिजिटल सूक्ष्मतरंग से बदलाव	1989-90	30.08	मार्च, 1993

देवरिया और बलिया स्टेशनों का आधुनिकीकरण

789. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के देवरिया और बलिया जिलों में स्टेशनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा इस संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन स्टेशनों को आधुनिक बनाने और पूर्ण विकसित करने का है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलें खर्च के आंकड़े सिविल जिले-वार नहीं रखती हैं। रेलें बलिया और देवरिया जिलों के स्टेशनों सहित स्टेशनों पर सम्हाले आ रहे यातायात की मात्रा के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा, किसी योजना अवधि में स्टेशनों का विकास/आधुनिकीकरण यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है जो धन की उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

दिल्ली में सुरा बनाने वाली फैक्टरियां

790. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में और इसके आसपास सुरा बनाने वाली फैक्टरियों को प्रमाणपत्र जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो इन औषधों के विषैले होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सुरा का निर्माण बढ़ता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के उच्च अधिकारी लिप्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली प्रशासन ने 5 विनिर्माताओं को सुरा का विनिर्माण करने की अनुमति दी थी। दिल्ली के आसपास सुरा का विनिर्माण करने की अनुमति दिल्ली के आसपास के संबंधित राज्यों द्वारा दी जाती है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया कि दिल्ली में विनिर्माता नवम्बर, 1989 से ऐसी वस्तुओं का विनिर्माण नहीं कर रहे हैं।

(ख) इन औषधों के विषाक्त होने का एक कारण इनमें विनिर्माण प्रक्रिया में मिथाइल एल्कोहल तथा थिनर जैसे हानिकर/विषाक्त पदार्थों की मिलावट करना है।

(ग) जैसा कि दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में नवम्बर, 1989 से सुरा का कोई विनिर्माण नहीं हो रहा है।

(घ) और (ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम डिवीजन का दक्षिण-मध्य रेलवे में विलय

[अनुवाद]

791. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम डिवीजन का दक्षिण-मध्य रेलवे में विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस डिवीजन का विस्तार आन्ध्र प्रदेश में प्रथम रेलवे स्टेशन इच्छापुरम तक करने का भी प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

विशाखापत्तनम में रेलवे भर्ती बोर्ड

792. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में विशाखापत्तनम के लिए पृथक रेलवे भर्ती बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

परती भूमि में वृद्धि

793. **श्री गुरुदास कामत** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परती भूमि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परती भूमि में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इसके विकास के लिए कोई योजना तैयार की है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) परती भूमि के विस्तार और उसके बढ़ने अथवा घटने की दर का राज्यवार आधार पर देश-व्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि एक अनुमान के अनुसार परती भूमि का राज्यवार क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1985 में शुरू किए गए परती भूमि विकास कार्यक्रम का लक्ष्य भूमि के अवक्रमण को रोकना, परती भूमि को सतत् प्रयोग हेतु तैयार करना, बायोमास, विशेषकर ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता में वृद्धि करना और पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाए रखना है।

विवरण

भारत में परती भूमि का अनुमान

(लाख हैक्टेयर क्षेत्र)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	योग
1	2
आन्ध्र प्रदेश	114.16
असम	17.30
बिहार	54.58
गुजरात	78.36
हरियाणा	24.78
हिमाचल प्रदेश	19.58
जम्मू और कश्मीर	15.65
कर्नाटक	91.65
केरल	12.79
मध्य प्रदेश	201.42
महाराष्ट्र	144.01
मणिपुर	14.38
मेघालय	19.18
नागालैण्ड	13.86

1	2
उड़ीसा	63.84
पंजाब	12.30
राजस्थान	199.34
सिक्किम	2.81
तमिलनाडु	44.01
त्रिपुरा	9.73
उत्तर प्रदेश	80.61
पश्चिम बंगाल	25.36
संघ शासित प्रदेश	36.04
योग	1295.74

टिप्पणी : उपर्युक्त अनुमान देश में समस्त परती भूमि के देशव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है।

चण्डीगढ़ स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

794. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ स्टेशन पर प्रदान की गयी सुविधाएं यात्रियों के आवागमन में वृद्धि और रेल सेवाओं में सुधार के कारण अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चण्डीगढ़ में उद्योगों से कच्चे अपशिष्ट पदार्थों का निकलना

795. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उद्योगों से निकलने वाले कच्चे अपशिष्ट पदार्थों को भूमि पर बिखरने देता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अपशिष्ट पदार्थों को जल-मल शोधन संयंत्र के रास्ते ले जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक बहि:स्रावों को घरेलू मल-जल को ले जाने वाने वाली मलजल प्रणाली में उत्सर्जित किया जा रहा है। अपशिष्ट जल के एक हिस्से को ही प्राथमिक स्तर पर शोधित किया जाता है। बाकी हिस्से को भूमि पर निपटा दिया जाता है तथा इसकी बहुत कम मात्रा सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है।

(ग) बहिस्रावों की सफाई के लिए एक सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण किया गया है तथा सरकार ने उद्योगों को सलाह दी है कि वे अपने बहिस्रावों को जमीन पर न छोड़ें।

चण्डीगढ़ और अमृतसर के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी

796. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चण्डीगढ़ और अमृतसर के बीच यात्रियों की भारी भीड़भाड़ होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन दो स्टेशनों के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चंडीगढ़ और अमृतसर के बीच मौजूदा यातायात 8101/8102 टाटा-हटिया-अमृतसर एक्सप्रेस और 4587/4588 चंडीगढ़ एक्सप्रेस गाड़ियों में अमृतसर और कालका के बीच बारास्ता अम्बाला कैंट और चंडीगढ़ के बीच चल रहे 4 स्लिप सवारी डिब्बों द्वारा पर्याप्त रूप से संभाला जा रहा है। अत: इन स्टेशनों के बीच कोई सुपर फास्ट गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

चण्डीगढ़ में प्रौढ़ शिक्षा

797. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चण्डीगढ़ को प्रौढ़ शिक्षा के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को पूर्णत: साक्षर बनाया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान संघशासित प्रशासन चण्डीगढ़ को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए 29.72 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई थी। उपरोक्त अवधि के दौरान नामांकित 21893 व्यक्तियों में से 13338 व्यक्तियों को पूर्णत: साक्षर बनाया गया।

मालगाड़ी का ड्राइवर के बिना चलना

798. श्री राम विलास पासवान :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री शंकर सिंह बघेला :
श्री पी० एम० सईद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दक्षिण-मध्य रेलवे में रेखनी और पेद्दमपेट स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी 70 कि० मी० प्रति घंटे की रफ्तार से 150 कि० मी० दूरी तक ड्राइवर के बिना चली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की सरकार द्वारा जांच कराई गई और यदि हां, तो तो इसके क्या परिणाम मिले हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) 25-10-1991 को दक्षिण मध्य रेलवे के रेखनी रोड तथा बेल्लमपल्ली स्टेशनों के बीच एक माल गाड़ी ने इंजन में ड्राइविंग कर्मियों के बिना लगभग 31 कि० मी० की दूरी तय की थी।

(ख) और (ग) वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की गई है तथा दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन कारंवाई की गई है।

रेलों ने रेल इंजनों को सुरक्षित ढंग से चलाने के संबंध में ड्राइवरों को परामर्श देने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है।

हैदराबाद-नरसापुर एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होना

799. श्री राम विलास पासवान :
श्री हरिकिशोर सिंह :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में पोंडागुल स्टेशन के निकट हैदराबाद-नरसापुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की दुर्घटना में कितने लोग हताहत हुए;

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) दुर्घटना के शिकार लोगों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) 19-10-1991 को पोंडुगुला स्टेशन पर हैदराबाद-नरसापुर एक्सप्रेस की हुई दुर्घटना मे 11 व्यक्तियों की जानें गई तथा 119 व्यक्तियों को चोटें आई।

(ख) और (ग) दक्षिण मध्य क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा कारण की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(घ) घायल व्यक्तियों और मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राहत के रूप में 2.76 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

नया दक्षिण-पश्चिम रेलवे ज़ोन

800. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पश्चिम जोन की स्थापना की गयी है जिसका मुख्यालय बंगलौर में है;

(ख) यदि हां, तो इस जोन ने किस तिथि से कार्य शुरू कर दिया है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा तथा इस जोन में आने वाले क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या इन जोन के लिए कर्मचारियों की भर्ती करते समय स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या स्पष्ट नीति अपनाई जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। अभी तक मामले को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में वन क्षेत्र

[हिन्दी]

801. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान का कितना क्षेत्र वनों के लिए निर्धारित किया गया है और इसमें से कितने क्षेत्र पर वन नहीं है;

(ख) क्या वन रहित क्षेत्र मरूस्थल हैं और इससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो वन क्षेत्र के रूप में निर्धारित बंजर भूमि पर वन लगाने के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सूखे की स्थिति की रोकथाम हेतु राजस्थान में और अधिक क्षेत्र में वन लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) 1989 की स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में कुल दर्ज वन क्षेत्र 3.11 मिलियन हे॰ है और वास्तविक वनावरण के अन्तर्गत 1.29 मिलियन हे॰ क्षेत्र आता है।

(ख) वन रहित क्षेत्र पूर्णतया मरुस्थल नहीं है और इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई आंकड़े नहीं हैं कि प्राकृतिक मरुस्थल क्षेत्र सूक्ष्म पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं।

(ग) वनों का विकास करने के उद्देश्य से व्यापक वनरोपण और चरागाह विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

(घ) से (च) राजस्थान में अधिक से अधिक क्षेत्रों में वन लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

1. रेलवे लाइनों, सड़कों, नहरों के पुश्तों के किनारों पर गैर वन भूमि, राजस्व परती भूमि और पंचायत भूमि में वनरोपण कार्य किए जा रहे हैं।
2. सभी सरकारी संगठनों को निःशुल्क तथा किसानों और गैर सरकारी संगठनों को नाममात्र की कीमतों पर पौद वितरण।
3. जनता को बंजर भूमि पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने को प्रेरित करने के लिए संचार और विस्तार नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है।
4. इस वर्ष से हरित राजस्थान कार्यक्रम शुरू किया गया है।

राजस्थान में भूक्षरण

802. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** राजस्थान में भूक्षरण के बारे में 19 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3346 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब सूचना एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) राज्य सरकार से मांगी गई सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने पर उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

रेगिस्तान में रेत के टीलों का क्षेत्रफल

803. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला सीकर में वासा-रनौली से लेकर जिला अजमेर पीसागन-गोविन्दगढ़ और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के रेगिस्तान से रेत के उड़ने से जयपुर शहर और पुष्कर घाटी के आस-पास के क्षेत्र में टीले बन गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ऐसे रेत के टीले बन गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि जयपुर के निकट और पुष्कर घाटी में रेत के टीलों का निर्माण, इन स्थानों की ओर हाल ही में रेगिस्तान के फैलने के कारण हुआ है ।

अजमेर जिले का विकास

804. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : **क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अजमेर जिले को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने का कोई कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अजमेर जिले में किये गये विकास कार्यों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या संबंधित अधिकारियों से अजमेर का विकास करने और यात्री निवासों का निर्माण करते हुए पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के लिए स्वीकृति प्राप्त की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) पर्यटन का विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । तथापि केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्य सरकार को उनसे मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता देता है। सातवीं योजनावधि के दौरान, अजमेर जिले के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई :—

(1) पुष्कर में इंद्रा घाट और कर्णी घाट का सुधार और परिष्करण ।

(2) पुष्कर मे पर्यटक परिसर ।

(ग) कार्यपालक एजेंसियां होने के नाते राज्य सरकारों को पर्यटन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होती है ।

भारतीत रेलवे निर्माण कम्पनी द्वारा लिए गये ठेके

805. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान भारतीय रेलवे निर्माण कम्पनी को किन देश से ठेके मिले हैं;

(ख) इन परियोजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की लागत कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) इरकान ने पिछले वर्ष, अर्थात् 1990-91 के दौरान मलेशिया तथा इंडोनेशिया में ठेके प्राप्त किए हैं। अप्रैल, 1991 के बाद, कम्पनी ने मलेशिया और सऊदी अरब में ठेके प्राप्त किए है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	देश-वार, परियोजना का नाम	ठेका प्राप्त करने की तारीख	ठेके का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5
1990-91				
1.	**मलेशिया**			
	—रावांग और सेरेमबान के बीच टर्न की दोहरीकरण परियोजना	10-08-1990	90.00	09-02-1993
	—मलेशिया में रावांग से कजंग तक पुलों का निर्माण—"पैकेज बी"	25-02-1991	9.9	15-07-1992
	—मलेशिया में कजंग स्टेशन से सेरेमबान तक रेलवे पुलों, ऊपरी सड़क पुलों, निचले पुलों तथा सुरंग का अभिकल्प तैयार करना, निर्माण करना, इन्हें पूरा करना तथा चालू करना—"पैकेज सी"	25-02-1991	25.35	24-02-1993
2.	**इंडोनेशिया**			
	—इंडोनेशिया में जतिनेगारा-बेकसी खंड का डी० सी० विद्युतीकरण	17-11-1990	7.02	30-09-1992
	वित्त वर्ष (1990-91) की समाप्ति के बाद कम्पनी द्वारा निम्नलिखित ठेके प्राप्त किए गए हैं :			
1.	**मलेशिया**			
	—मलेशिया में पोर्ट कलांग रेलवे लाइन का दोहरीकरण तथा पुनःस्थापना—पैकेज "ए"	07-09-1991	130.00	सितम्बर, 1993

1	2	3	4	5
2.	**सऊदी अरब**			
	—दम्माम में सऊदी रेलवे संगठन के प्रमुख अनुरक्षण कारखाने के लिए अभिकल्प तैयार करना, भारी मशीन उपस्कर की सप्लाई करना तथा उसे चालू करना ।	16-11-1991	13.65	मई, 1993

नोट : ठेके का रुपयों में मूल्य ठेके पर हस्ताक्षर करते/ठेका प्राप्त करते समय विदेशी मुद्रा की परिवर्तन दर पर आधारित है ।

आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश

806. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत तौर पर प्रवेश करने के कुछ मामले देखने में आए हैं।

(ग) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :—

(i) राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता से समय-समय पर अचानक जांच की जाती है और अभियान चलाए जाते हैं और आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करते हुए पाए जाने वाले अनधिकृत यात्रियों को गाड़ी से उतार दिया जाता है और रेलवे अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जुर्माना किया जाता है। जहां कहीं समस्या गंभीर होती है वहां इसे रोकने के लिए रा० रे० पु० की सहायता प्राप्त करने के लिए उनके साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

(ii) ड्यूटी में कोताही बरतने के जिम्मेदार पाए जाने वाले कंडक्टरों/सवारी डिब्बा परिचरों/चल टिकट परीक्षकों को दंड दिया जाता है।

(iii) नये रेल अधिनियम, 1989 में कानूनी प्रावधान और अधिक कड़े करके 500 रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है जबकि पिछले अधिनियम में 20 रुपये के जुर्माने की ही व्यवस्था थी।

दिल्ली-लखनऊ लाइन का विद्युतीकरण

807. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-लखनऊ (बरास्ता मुरादाबाद) रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मार्ग पर काम कब तक शुरू हो जायेगा; और

(ग) उस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में बिना टिकट यात्रा

808. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उपनगरीय रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का आंकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषकर ई० एम० यू० रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने पर रोक लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और गत वर्ष इसमें कितनी सफलता मिली है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यद्यपि दिल्ली क्षेत्र की उपनगरीय गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है फिर भी अनुचित यात्रा की रोकथाम के लिए नियमित जांच की जाती है ताकि इस सामाजिक बुराई को रोका जा सके ।

(ग) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के संबंध में किए गए उपायों में समय-समय पर अचानक/मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करना, विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए प्रचार अभियान चलाना तथा नये रेल अधिनियम में समाविष्ट किए गए विभिन्न दंड शामिल हैं ।

1990-91 के दौरान दिल्ली क्षेत्र की उपनगरीय गाड़ियों में उचित टिकट के बिना यात्रा करते हुए लगभग 10,000 व्यक्तियों को पकड़ा गया था और उन व्यक्तियों से रेलवे को देय 3.24 लाख रुपये की राशि वसूल की गई थी ।

केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय

[अनुवाद]

809. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक वर्ष में 20 केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में हाल ही में निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कम से कम 200 केन्द्रीय विद्यालय खोलने की भारी मांग के बावजूद यह निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं। परन्तु वर्ष 1991-92 के दौरान 20 केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि, नए केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना, निर्धारित प्रयोक्ता एजेन्सियों, भौतिक सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्थानांतरण सम्बन्धी दिशानिर्देश

810. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासीमण्डल द्वारा प्रधानाध्यापकों, उप-प्रधानाध्यापकों तथा अध्यापकों के स्थानांतरण हेतु निर्धारित किये गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन दिशा निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कारंवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों में स्थानान्तरण सामान्यत: अगस्त, 1990 में बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। दिशानिर्देशों की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

शैक्षिक सत्र 1990-91 से उप-प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य और इनसे ऊपर के पदों वाले अध्यापकों के स्थानान्तरण के लिए 22-08-1990 को बोर्ड आफ गवर्नर्स की 54वीं बैठक में अनुमोदित दिशानिर्देश:—

बोर्ड आफ गवर्नर्स ने 22-08-1991 को आयोजित अपनी बैठक में उपप्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य तथा इनसे ऊपर के पदों वाले शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को स्वीकार किया है। ये दिशानिर्देश शैक्षिक सत्र 1990-91 से लागू होंगे :—

1. सामान्य तौर पर नीति यही है कि शिक्षकों, जिनमें प्रधानाचार्य भी शामिल हैं, का स्थानान्तरण जल्दी-जल्दी नहीं किया जाएगा। सामान्य तबादले केवल संगठनात्मक कारणों या अनुरोध अथवा चिकित्सा संबंधी समस्या के आधार पर किए जाएंगे।

2. स्थानान्तरण के लिए ऐसी कोई नियत अवधि नहीं होगी जिसके भीतर अध्यापक/उपप्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त का तबादला करना अनिवार्य हो। (उप-प्रधानाचार्य और उससे ऊपर के पदों वाले अध्यापकों के लिए आगामी वर्ष से 5 वर्ष की अवधि नियत होगी)।

3. पदोन्नति, नियुक्ति तबादले आदि के संबंध में निम्नलिखित अनुक्रम अपनाया जाएगा :

   (i) पदोन्नति पर स्थानान्तरण।

   (ii) अन्तर क्षेत्रीय स्थानान्तरण।

   (iii) अन्त: क्षेत्रीय स्थानान्तरण।

   (iv) सीधे भर्ती किए गए अध्यापकों की नियुक्ति।

4. जहां तक सम्भव हो, वार्षिक स्थानान्तरण ग्रीष्मावकाश के दौरान किए जाने चाहिए। तथापि कोई भी तबादले इन परिस्थितियों को छोड़कर :

   (i) प्रशासनिक आधार पर; और

   (ii) गम्भीर बीमारी के आधार पर, पति/पत्नी की मृत्यु के आधार पर भी स्थानान्तरण 31 अक्तूबर के बाद लागू किया जाएगा।

5. दिशानिर्देशों के खण्ड 3 को ध्यान में रखकर स्थानान्तरण किए जाएंगे।

6. निम्नलिखित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तबादले किए जाएंगे :

(क) प्रशासनिक आधार पर तबादले (जैसा कि ऊपर पैरा 4 में बताया गया है);

(ख) अनुरोध (प्रार्थना) पर तबादले :

(i) उस गम्भीर बीमारी के कारण तबादला, जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुरूप हो तथा जिसके इलाज के लिए वर्तमान कार्य स्थल से कहीं और ले जाना जरूरी हो गया हो।

(ii) नियत अवधि की समाप्ति पर कठिन स्थलों और एन० ई० आर० (पी० जी० टी० और उससे ऊपर) से स्थानान्तरण।

(iii) पति/पत्नी के मामले में :

— एक वर्ष अलग रहने के बाद, परिवार में शामिल होने के लिए पति/पत्नी का स्थानान्तरण।

(iv) अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा स्त्रियों का एक वर्ष की विच्छेद अवधि के पूरा होने पर उनकी सुविधा के स्थान पर स्थानान्तरण।

(v) शारीरिक रूप से विकलांगों का स्थानान्तरण बशर्ते, विकलांगता, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सेवा के दौरान तथा एक वर्ष की विच्छेद अवधि के पूरा होने के बाद हुई हो।

(vi) सामान्य मामलों में।

(vii) पारस्परिक स्थानान्तरण बशर्ते कि दोनों स्थानों के लिए उच्च प्राथमिकता का कोई और दावेदार न हो।

7. ऊपर 6 (छठे) दिशानिर्देश के (i), (iii), (v) और (vii) में बताए गए मामलों को छोड़कर सामान्य तौर पर किसी भी अध्यापक की स्थानान्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसने तीन शैक्षिक सत्रों की सेवा पूरी न कर ली हो।

8. समरूप वेततमानों के पी० आर० टी०, टी० जी० टी० तथा अन्य वर्ग के अध्यापकों को, जहां पर नियुक्त किया है, उस क्षेत्र से सामान्य तौर पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

9. सभी वर्गों के अध्यापकों को जहां तक सम्भव हो, उनके आंतरिक क्षेत्रों में ही नियुक्त किया जाएगा।

10. पी० जी० टी०/उप-प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारियों/सहायक आयुक्तों को पदोन्नति तथा सीधे भर्ती होने पर, रिक्तियों के सुलभ होने पर जिस राज्य में वे पदासीन हैं या जिस राज्य के वे रहने वाले हैं, जैसा भी मामला हो, से दूसरे राज्य में नियुक्त किया जाएगा तथा उन्हें उस राज्य से कम से कम 5 वर्षों तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा, यदि कोई अप्रतिरोध्य कारण न हों।

11. पी० जी० टी०/उप-प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, जिनके सेवानिवृत्ति के लिए 3 वर्ष या इससे भी कम समय रह गया हो तथा जो पहले ही अपने देशीय राज्य में कार्यरत हों को, रिक्तियों के सुलभ होने पर, पदोन्नति या सीधे भर्ती पर, को अन्य राज्य में नहीं भेजा जाएगा। इसी तरह, जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए तीन वर्ष या इससे भी कम समय रह गया हो तथा वे अपने देशीय राज्य से अन्यत्र नियुक्त हों, को रिक्तियां होने पर, पदोन्नति प्राथमिकता के आधार पर उनके देशीय राज्य में भेजा जाएगा।

12. प्रार्थना स्थानान्तरण पर उस अध्यापक को किसी किस्म का स्थानान्तरण भत्ता नहीं दिया जाएगा चाहे प्रार्थना का आधार कुछ भी हो, जिसने वर्तमान कार्य स्थल पर 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी न की हो (प्रार्थना स्थानान्तरण के लिए 5 वर्ष तथा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों तथा कठिन स्थलों वाले स्टेशनों के लिए 3 वर्ष)।

13. सहायक आयुक्त किसी भी अध्यापक के मुख्यालय को, किसी भी स्थान, जो उसके अनुकूल हो, पर प्रशासनिक आधार पर बदल सकता है तथा उसे वहां पर सेवा करने के लिए कह सकता है। सहायक आयुक्त ऐसे मामले को पूर्ण तथ्यों रहित आयुक्त द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली पुष्टि तथा सहमति के लिए, आयुक्त को भेज सकता है।

14. उपर्युक्त दिशानिर्देशों में किसी भी प्रावधान के बावजूद, आयुक्त दिशानिर्देशों में किसी भी तरह का अन्तर करने के लिए सक्षम है, यदि ऐसा करना, संगठन के हित में हो।

ह०/-

(वी० के० जैन)

सहायक आयुक्त (मुख्यालय)

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों की शिकायतों को निपटाने के लिए स्थायी समिति

811. डा० **लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों/एसोसिएशनों की मांगों एवं शिकायतों की जांच करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उप-आयुक्तों और सहायक आयुक्तों की एक स्थायी समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में समिति द्वारा यदि कोई सुझाव दिए गये हैं तो वे क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में उपलब्ध उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त समय-समय पर प्रशासनिक मामलों एवं अनेक

संघों द्वारा उठाए गए मामलों की भी जांच करने के लिए समिति के रूप में अनौपचारिक बैठक करते हैं। यह केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय की आंतरिक व्यवस्था है, इसलिए इस समूह की बैठकों के ब्यौरे सरकार के पास कारंवाई के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।

रेलवे क्षेत्रों का गैर-सरकारीकरण

812. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री विश्वनाथ शास्त्री :
श्री चित्त बसु :
कुमारी उमा भारती :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री सूर्य नारायण सिंह :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 सितम्बर, 1991 के इकानोमिक टाइम्स में "रेलवेज टू प्राइवेराइज वाइटल सेगमेंट्स आफ आप्रेसन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और किन-किन क्षेत्रों का गैर-सरकारीकरण किया जायेगा तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि रेलवे में गैर-सरकारीकरण की प्रक्रिया से यात्री सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलें रेलवे भूमि के वाणिज्यिक उपयोग की संभावनाओं का पता लगा रही हैं। मौजूदा विभागीय खान-पान यूनिट के निजीकरण की योजना के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

टिहरी बांध के बारे में अध्ययन रिपोर्ट

813. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "टिहरी बांध का मूल्यांकन—विस्तृत लागत लाभ समीक्षा" के बारे में "इन्टेक" द्वारा तैयार किये गये अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

— बांध के टूट जाने के खतरे को देखते हुए टिहरी बांध पर अधिक पूंजी-निवेश करना उचित प्रतीत नहीं होता।

— मौजूदा गाद भार आंकड़ों के आधार पर जलाशय की सार्थक अवधि 62 वर्ष होने की संभावना है ।

— बिजली उत्पादन की प्रति यूनिट लागत 73 पैसे है, जबकि प्रस्तावकों ने अनुमानित लागत 35 पैसे यूनिट रखी थी और बिजली के घटक पर लाभ केवल 4.52 प्रतिशत होगा, न कि 6.89 प्रतिशत, जैसा कि बताया गया है ।

— सिंचाई का लाभ लागत अनुपात 1.28 है न कि 3.68, जैसा कि बताया गया है तथा परियोजना का लाभ लागत अनुपात 0.56:1 है, जिसके लागत में हो रही वृद्धि के कारण और अधिक प्रतिकूल हो जाने की संभावना है ।

(ख) "इंटैक" ने इन निष्कर्षों पर एक सार्वजनिक बैठक में विचार-विमर्श किया है, किन्तु परियोजना प्राधिकारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं ।

जनसंख्या आयोग की स्थापना

814. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम पर नए सिरे से बल देने तथा उसे गतिशीलता प्रदान करने के लिए, कार्य योजना का एक प्रारूप राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से तैयार किया गया है । उक्त कार्य योजना प्रारूप में विचार किए जा रहे सुझावों में से एक सुझाव जनसंख्या आयोग के गठन के बारे में है जिसके विवरणों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

रेल दुर्घटनाएं

[हिन्दी]

815. **श्री पंकज चौधरी** :
श्री साईमन मरांडी :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री दिलीप सिंह भूरिया :
श्री चंद्रेश पटेल :
प्रो० के० वी० थामस :
श्री जार्ज फर्नांडीज :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1991 से अब तक रेल दुर्घटनाओं/रेलगाड़ियों के पटरियों से उतरने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है तथा इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं/पटरी से उतरने की घटनाओं के कारण कितने लोगों की जानें गईं तथा कितनी सम्पति का नुकसान हुआ;

(घ) मृतकों के परिवारों तथा घायल व्यक्तियों को दी गई मुआवजा-राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं/पटरी से उतरने की घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जुलाई-अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान 186 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई जबकि 1990 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 205 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं। दुर्घटनाएं मुख्यत: मानवीय भूल, उपस्कर की खराबी तथा तोड़-फोड़ के कारण हुई थीं। इन दुर्घटनाओं में 79 व्यक्तियो (58 यात्रियों सहित) की जानें गईं। रेल सम्पत्ति को 5.90 करोड़ रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) अभी तक किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। तथापि, घायलों तथा मृतकों के निकट संबंधियों को अनुग्रह राहत के रूप में 7.51 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

(ङ) दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए मानवीय तत्व की सहायता के लिए तकनीकी विधियां अपनाने, संवेदनशील संस्थापनाओं का गहन तथा बार-बार निरीक्षण, ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों आदि जैसी नाजुक संरक्षा कोटियों के कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखने, परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक जांच सहित गहन प्रशिक्षण, यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोक-थाम करने के लिए अचानक जांच करने, सीटी बोर्डों/गति रोधकों तथा बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर सड़क चिन्हों की व्यवस्था करने तथा सड़क उपयोगकर्ताओं और गाड़ी ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं।

घेंघा रोग पर नियंत्रण

816. **श्री पंकज चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घेंघा रोग से पीड़ित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस रोग पर नियंत्रण हेतु बनायी गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) राज्यवार किये गये नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर देश में गलगण्ड से पीड़ित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ख) देश में गलगण्ड की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए भारत सरकार ने 1986 में देश में संपूर्ण खाद्य नमक का 1992 तक व्यापक आयोडीकरण करने का निर्णय लिया।

(1) उपभोक्तओं को आयोडीकृत न किए गए नमक की तुलना में आयोडीकृत नमक कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये अगस्त, 1986 से आयोडीकृत नमक के निर्माताओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है।

(2) नमक आयुक्त रेल मंत्रालय से परामर्श करके आयोडीकृत नमक को उत्पादन केन्द्रों से गलगण्ड स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर भेजने का प्रबंध करते हैं।

(3) केवल आयोडीकृत नमक के इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य प्रयोजनों के लिए आयोडीकृत नमक को छोड़कर अन्य नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने की सलाह दी गई है।

(4) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गलगण्ड नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए नगद अनुदान दिये जाते हैं।

(5) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का गलगण्ड नियंत्रण कक्ष सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गलगण्ड नमूना/प्रभाव सर्वेक्षण कर रहा है और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

(6) आयोडीकृत नमक का वार्षिक उत्पादन जो 1985-86 में 5 लाख मी० टन था, उसे 1990-91 में बढ़ाकर लगभग 25 लाख मी० टन कर दिया गया है।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना को लागू करने के लिये 200 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

विवरण

(आंकड़े दस लाख में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित प्रभावित जनसंख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.22
3.	असम	2.80
4.	बिहार	6.30
5.	गोवा	0.31

1	2	3
6.	गुजरात	5.09
7.	हरियाणा	0.48
8.	हिमाचल प्रदेश	0.51
9.	जम्मू और काश्मीर	1.44
10.	कर्नाटक	3.19
11.	केरल	1.28
12.	मध्य प्रदेश	9.94
13.	महाराष्ट्र	8.30
14.	मणिपुर	0.47
15.	मेघालय	0.08
16.	मिजोरम	0.46
17.	नागालैंड	0.18
18.	उड़ीसा	1.26
19.	पंजाब	1.61
20.	राजस्थान	1.02
21.	सिक्किम	0.15
22.	तमिलनाडु	0.96
23.	त्रिपुरा	0.46
24	उत्तर प्रदेश	16.06
25.	पश्चिम बंगाल	2.46
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	
2.	चण्डीगढ़	0.16
3.	दादर और नगर हवेली	0.03
4.	दमन और दीव	0.01
5.	दिल्ली	2.69
6.	लक्षद्वीप	
7.	पाण्डिचेरी	
	योग	74.80 मिलियन

बिहार में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं

817. **श्री छेदी पासवान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सासाराम और झबुआ जिलों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में किए गए काम का वर्षवार ब्यौरा क्या है और लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उक्त जिलों में इन कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना बिहार सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के आबंटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

बिहार में स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन

818. **श्री छेदी पासवान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बिहार के सासाराम तथा झबुआ जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु शुरू की गई स्वास्थ्य योजनाएं कौन-कौन-सी हैं और इन जिलों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं पर कितना खर्च किया गया और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या प्रावधान किया गया है और योजनावार निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सासाराम और झबुआ जिलों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं हेतु अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया है । तथापि, बिहार राज्य को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना तथा विशेष घटक योजना के अंतर्गत आबंटन किया गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ हेतु योजनाओं के लिए निम्नलिखित आबंटन किया गया था : —

जनजातीय उप-योजना	विशेष घटक योजना
287.87 लाख रुपये	330.00 लाख रुपये

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

गढ़वाल क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय

[अनुवाद]

819. **श्री भुवन चन्द खन्डूरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र में कोई भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इन औषधालयों को खोलने हेतु क्या मानदंड निश्चित किये गए हैं;

(घ) क्या सरकार का इस क्षेत्र में सी० जी० एच० एस० औषधालयों की स्थापना करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी स्थापना किन स्थानों पर की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाएं उन शहरों को सुलभ कराई जाती हैं जहां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 7500 से अधिक है जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। गढ़वाल क्षेत्र के शहर इस मानदंड को पूरा नहीं करते। गढ़वाल क्षेत्र केशहरों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पर्यटन विकास

820. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिये जिन पर्यटन योजनाओं को सातवीं पचवर्षीय योजना में शामिल होने के बावजूद क्रियान्वित नहीं किया जा सका, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरिलिखित जिलों में पर्यटन का विकास करने और उसे प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक अन्तिस रूप दिये जाने और क्रियान्वित करने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिये केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत सभी स्कीमें लागू की जा चुकी हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

[हिन्दी]

821. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों में कितने विकास और निर्माण कार्य बन्द कर दिये हैं और पौड़ी तथा चमोली जिले में इस प्रकार के कितने कार्य बन्द किये गये हैं;

(ख) इन विकास कार्यों को शुरू करने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार को कुल कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) इनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो मंत्रालय को प्राप्त प्रत्येक लंबित प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के तहत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में कोई विकासात्मक कार्य नहीं रोका गया। फिर भी वनेत्तर प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि को उपयोग में लाने से पहले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से 31-10-1991 तक राज्य से संबंधित कुल 1016 प्रस्ताव प्राप्त हुए थ जिनमें से 734 प्रस्ताव मंजूर किये गये, 75 प्रस्तावों को गुण-दोष के आधार पर नामंजूर किया गया, 180 को आवश्यक सूचना प्राप्त न होने के कारण नामंजूर किया गया और 11 प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिये गये। लम्बित 16 प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	प्रस्ताव का नाम	लंबित रहने के कारण
1	2	3	4
1.	नैनीताल	गेठिया नहर का निर्माण	14-10-1991 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे और क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है।
2.	मिर्जापुर सोनभद्र वाराणसी	400 केवी अनपाड़ा वाराणसी पारेषण लाइन	25-10-1991 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे और क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है।

1	2	3	4
3.	सोनभद्र मिर्जापुर इलाहाबाद रायबरेली उन्नाव	800 केवी उन्नाव-अनपाड़ा पारेषण लाइन	25-10-1991 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे और क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है।
4.	वाराणसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	30-10-1991 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे मांगे गये हैं।
5.	पिथौरागढ़	धारकोट-थापा मोटर मार्ग	17-9-1991 को क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है।
6.	टिहरी	दुग्गाड नहर का निर्माण	कार्रवाई चल रही है।
7.	पिथौरागढ़	मडमनले दोबांस मोटर मार्ग का निर्माण	कार्रवाई चल रही है।
8.	गढ़वाल	चिल्ला हेप के लिए बनाज और विद्युत चैनल का निर्माण	17-9-1991 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे और क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है।
9.	चमोली	नागरसु-हरियाली कोट ताल्लमल्ला सम्पर्क मार्ग का निर्माण	निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है।
10.	अल्मोड़ा	कठपुड़ियाछीना शेराघाट मोटर मार्ग	निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है।
11.	इटावा	जीएआईएल द्वारा गैस आधारित पैट्रो-कैमिकल कम्पलैक्स का निर्माण	निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है।
12.	मिर्जापुर	हिण्डाल्को द्वारा रोड मड लेक का निर्माण	निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है।
13.	पौड़ी	लक्ष्मण झूला से झोंक गांव तक सम्पर्क मार्ग	निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है।
14.	पौड़ी	कोर बेल्ट एम०पी० में निजी भूमि के साथ वन भूमि की अदला-बदली	23-4-1991 को क्षेत्रीय कार्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है।
15.	अल्मोड़ा	सैली पाटली पेयजल आपूर्ति स्कीम	कार्रवाई चल रही है।
16.	अल्मोड़ा	पाथरखोला पेयजल आपूर्ति स्कीम	कार्रवाई चल रही है।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भारत दौरा

[अनुवाद]

822. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री गुरुदास कामत :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम द्वारा 28 अक्तूबर, 1991 से किए जाने वाले भारत दौरे को रद्द करने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने अक्तूबर-नवम्बर, 1991 के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भारत के दौरे को अन्तिम रूप दिया था। सरकार ने भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

तत्पश्चात् भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने सरकार को सूचित किया कि अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह दौरा स्थगित कर दिया गया है।

सरकार को खेद है कि अन्तिम क्षणों में यह दौरा एक पक्ष द्वारा स्थगित किया गया।

बिहार में नगवां हवाई अड्डे का विकास

[हिन्दी]

823. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के हजारीबाग जिले में नगवां हवाई अड्डे का विकास कर वहां से विमान सेवायें आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख हवाई अड्डे का उन्नयन किया जाना अनुसूचित एयरलाइनों की यातायात संभाव्यता और मांग पर निर्भर करता है। क्योंकि इंडियन एयरलाइंस अथवा वायुदूत से इस विमान क्षेत्र के लिए परिचालन के लिए कोई मांग नहीं आई है, अतः राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की नगवां हवाई अड्डे के विकास की कोई योजना है जो कि बिहार सरकार का है।

स्वास्थ्यवर्धक टानिकों को बढ़ावा

[अनुवाद]

824. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक औषध निर्माता संवीक्षा से बचने के लिए "आयुर्वेदिक टॉनिकों" के नाम पर अवैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए स्वास्थ्यवर्धक टॉनिकों का विपणन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आयुर्वेदिक उत्पादों के उत्पादन और विपणन संबंधी एक युक्तिसगत नीति तैयार करने के लिए सरकारी तथा स्वैच्छिक आबंटनों के मेडिकल विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार समिति का गठन करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : *(क) इसके बारे में निश्चित सूचना केवल सर्वेक्षण करने के बाद ही उपलब्ध हो सकती है।*

(ख) जी, नहीं ।

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र

[हिन्दी]

825. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोई क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वहां ऐसा केन्द्र स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां । मध्य प्रदेश में एक क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्र कार्य कर रहा है जिसका नाम कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली के अस्पतालों में लिथोट्रिपटर मशीन का प्रयोग

826. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल ने हाल ही में लिथोट्रिपटर मशीनें खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मशीन का मूल्य कितना है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण मशीन का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी

सिद्धार्थ) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा लियोट्रिपटर मशीनें क्रमश: लगभग 1.82 करोड़ रुपये तथा लगभग 2.36 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी गई हैं।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि रीनल तथा यूरेट्रिक पथरी के रोगियों के लिए एक्स्ट्राकार्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के लिए इस मशीन का नियमित प्रयोग किया जाता रहा है। यह उपकरण पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है तथा मूत्र विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में है।

मध्य प्रदेश में हवाई पट्टी

827. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर हवाई पट्टी का निर्माण करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में एअर टैक्सी सेवा

828. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोई एअर टैक्सी सेवा संचालित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो वहां से संचालित की जा रही साप्ताहिक उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) हवाई टैक्सी सेवाएं निजी प्रचालकों द्वारा चलाई जाती हैं और वे देश में अनुसूचित परिचालनों के लिए खुले सभी हवाई अड्डों को परिचालित कर सकते हैं।

(ख) अक्तूबर, 1991 तक हवाई टैक्सी प्रचालकों ने मध्य प्रदेश में विभिन्न गंतव्य स्थानों के लिए वहां से 13 उड़ानें परिचालित की हैं।

एअर इंडिया/इण्डियन एयरलाइंस की इक्विटी में वृद्धि

[अनुवाद]

830. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता की 40 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की इक्विटी में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार विभिन्न विकल्प सरकार के विचाराधीन हैं ।

इंडियन एयरलाइंस की बेड़ा विस्तार योजना

831. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस ने एक पन्द्रह वर्षीय बेड़ा विस्तार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस समय इसके बेड़े में कितने विमान हैं और भविष्य में कितने विमानों की योजना बनाई गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में इस समय 55 विमान हैं । 1994-95 के अंत तक इसके बेड़े में 60 विमान हो जाने की आशा है । इंडियन एयरलाइंस अपने विमान बेड़े के नवीनीकरण के लिए अध्ययन कर रही है ।

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा विज्ञापन अभियान

832. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विज्ञापन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया के लिए विज्ञापन अभियान का कार्य सौंपा था;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया ने अब अपना विज्ञापन अभियान विदेश स्थित विज्ञापन फर्मों की अपेक्षा भारत स्थित विज्ञापन फर्म को सौंप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है और इस संबंध में किये गये समझौते की शर्तें क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मैसर्स हिन्दुस्तान थाम्पसन ने एअर इंडिया के लिए और मैसर्स अक्शरारा एडवर्टाईजिंग, मैसर्स सिस्टा प्रा० लि० और एफ० एस० एडवर्टाइजिंग ने इंडियन एयरलाइंस के लिए विज्ञापन एजेंट के रूप में काम किया है ।

(ग) एअर इंडिया ने अक्तूबर, 1991 से मैसर्स उल्का को अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन अभियान का ठेका दिया है । करार के निबन्धन और शर्तें भारत विज्ञापन अभिकरण संघ द्वारा तैयार किये गये मानक करार के अनुरूप हैं । इंडियन एयरलाइंस के मामले में अक्शारा और सिस्ता पिछले वर्षों से चालू वर्ष तक चल रहे हैं ।

बिहार के चतरा जिले में नवोदय विद्यालय

[हिन्दी]

833. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के चतरा जिले में नवोदय विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) नवोदय विद्यालय का खोला जाना संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा 30 एकड़ नि:शुल्क उचित भूमि और पर्याप्त भवन तथा प्रारंभ के 2-3 वर्षों में विद्यालय को चलाने के लिए अन्य मूलभूत सुविधाएं एवं अन्य संसाधन तथा प्रशासनिक सुविधाओं के उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है। चतरा जिले में नवोदय विद्यालय खोलने के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नवोदय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों का पद

834. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में नवोदय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, अन्य श्रेणी के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के कई पद रिक्त पड़े है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार तथा राज्य-वार ब्योरा क्या हैं, और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन रिक्त पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 30-9-91 को शिक्षकों के रिक्त पदों का श्रेणी-वार तथा क्षेत्र-वार ब्योरा संलग्न विवरण 1 और 2 में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) रिक्त पद मुख्यत: वही हैं जिनका सृजन हाल में ही किया गया है। चुने हुए उम्मीदवारों द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों, जहां नवोदय विद्यालय स्थापित हैं, में पदभार ग्रहण करने में आनाकानी, प्रतिनियुक्ति पर पदभार ग्रहण करने हेतु व्यक्तियों की अनुपलब्धता तथा अर्हता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण भी पद रिक्त हैं। तथापि, सभी रिक्तियों को भरने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-1

प्रधानाध्यापक पी०जी०टी०

क्षेत्र	हिन्दी		अंग्रेजी		गणित		जीव-विज्ञान		भौतिकी/र०	
	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हैदराबाद	55	1	40	7	42	8	53	17	42	4
शिलोंग	23	3	5	1	7	5	20	13	4	1
लखनऊ	60	6	33	14	39	18	51	15	37	12
चण्डीगढ़	31	4	18	6	22	7	29	12	22	7
पुणे	34	3	23	6	26	18	28	14	28	11
भोपाल	41	2	26	13	29	17	38	17	29	17
जयपुर	31	4	20	7	20	7	30	14	20	6
योग	275	23	165	54	185	80	249	102	182	58

क्षेत्र	भौतिकी/र०		इतिहास/भू०		वाणिज्य		अर्थशास्त्र	
	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०
1	12	13	14	15	16	17	18	19
हैदराबाद	70	22	59	17	8	5	11	2
शिलांग	22	15	21	9	1	1	7	3
लखनऊ	68	29	5[illegible]	10	4	2	2	2
चण्डीगढ़	43	25	34	14	8	4	10	3
पुणे	38	18	30	14	1	+1	3	1
भोपाल	49	28	39	12	6	6	7	7
जयपुर	38	24	36	11	2	1	8	5
योग	328	161	274	87	30	18	48	23

विवरण-2

क्षेत्र	हिन्दी		अंग्रेजी		भाषा		जीव विज्ञान		सा० वि०	
	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हैदराबाद	110	23	110	43	104	28	55	6	55	7
शिलोंग	43	22	43	18	30	28	20	6	23	5
लखनऊ	114	21	114	37	102	60	54	15	60	12
चण्डीगढ़	59	15	56	19	50	15	31	30	31	9
पुणे	64	20	64	34	58	15	31	4	34	8
भोपाल	81	19	81	42	70	22	40	15	41	6
जयपुर	61	15	61	28	61	15	30	8	31	8
योग	532	135	529	221	475	183	261	64	275	55

क्षेत्र	पी०सी०एम०		संगीत		कला		पी०ई०टी०		एस०यू०पी० डब्ल्यू०		पुस्तकाध्यक्ष	
	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०	स्वी०	रि०
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
हैदराबाद	72	14	55	12	55	14	105	39	54	30	55	26
शिलोंग	23	8	20	4	20	1	27	9	20	11	20	12
लखनऊ	77	21	54	8	54	6	104	20	52	26	54	21
चण्डीगढ़	39	17	31	5	31	9	52	11	30	15	31	15
पुणे	43	18	31	7	31	8	59	16	30	8	31	8
भोपाल	53	25	40	6	40	15	74	28	39	25	40	21
जयपुर	39	19	30	12	30	10	61	10	30	11	30	10
	346	122	261	55	261	63	482	142	255	126	261	113

स्वी०—स्वीकृत

रि०—रिक्त

हवाई अड्डों का विकास

[अनुवाद]

835. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री गोविन्द राव निकम :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यात्रियों और कार्गो ट्रैफिक की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए देश में सभी हवाई अड्डों की टर्मिलन सुविधाओं और अन्य आधारभूत ढांचे का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया है और उन हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जिनका 1991-92 के दौरान विकास किया जाएगा; और

(ग) यात्रियों की मांगों को किस सीमा तक पूरा किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) सभी हवाई अड्डों पर टर्मिनल और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और उसे प्रचालकों (एयरलाइनों) द्वारा बताई गई आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए क्रमिक रूप से शुरू किया जाता है।

(ग) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(1) अहमदाबाद हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार और नये अंतर्राष्ट्रीय ब्लाक का निर्माण कार्य।

(2) भोपाल में धावनपथ का विस्तार।

(3) कोयम्बतूर हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार और नये टर्मिलन भवन का निर्माण-कार्य।

(4) ग्वालियर में नये सिविल विमान टर्मिलन काम्पलैक्स का निर्माण-कार्य। इन कार्यों के 1991-92 के दौरान पूर्ण हो जाने की आशा है।

(घ) उपरोक्त हवाई अड्डों पर इन सुविधाओं के उन्नयन से बड़े आकार वाले तथा आधुनिक विमान का परिचालन करना संभव हो सकेगा।

वायुदूत के किरायों में वृद्धि

836. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वायुदूत के घाटे को पूरा करने के लिए इसके किराए में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो किराए में वृद्धि कहां तक न्यायोचित है ;

(ग) वायुदूत में घाटा होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) वायुदूत को लाभप्रद बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वायुदूत में घाटे के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(1) गैर-किफायती विमान

(2) कम दूरी के परिचालन

(3) अलाभकारी किराया संरचना

(4) अत्यधिक मानवशक्ति।

(घ) सरकार वायुदूत के भावी ढांचे के संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कलकत्ता हवाई अड्डे का नाम बदलना

837. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता हवाई अड्डे का नाम बदलने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार और विभिन्न संगठनों ने कलकत्ता हवाई अड्डे को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हवाई अड्डा के नाम पर रखने के लिए अनुरोध किया है। सरकार ने कलकत्ता हवाई अड्डे का नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम के रूप में रखने का निर्णय लिया है। तथापि, कलकत्ता हवाई अड्डे का औपचारिक पुनः नामकरण समारोह, हवाई अड्डे पर सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक बढ़ाने के पश्चात ही किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन विकास

838. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने "निजाम पैलेस" की भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इसे पर्यटन काम्पलैक्स में परिवर्तित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और इसे विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का स्थान बनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही इस क्षेत्र को पर्यटक परिसर के रूप में बदलने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव ही प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूकम्प पीड़ितों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

839. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के भूकम्प में कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पीड़ितों के लिए चिकित्सा सुविधाएं तथा अन्य सम्बद्ध सुविधाएं प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) (i) मारे गए व्यक्तियों की संख्या : 768

(ii) घायल हुए व्यक्तियों की संख्या : 5066

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन से भेंट सामग्री के रूप में प्राप्त हुए चिकित्सीय उपस्करयुक्त (जैसा कि संलग्न विवरण-1 में दर्शाया गया है) दस पैकेट भूकंप-प्रभावित क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे गए। इसके अतिरिक्त, दवाइयों और चिकित्सीय उपस्करों से युक्त (जैसा कि संलग्न विवरण-2 में दर्शाया गया है) दो उपहार पैकेट केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा राज्य सरकार को सौंपे गए। भूकंप पीड़ितों में वितरण के लिए राज्य सरकार को 67.00 लाख रुपए की और राहत सामग्रियां भेजी गई हैं।

विवरण-1

कोलि एम० आर० : 1—7 41 कि० ग्रा० प्रत्येक में है :—

कोड संख्या	विवरण	मात्रा
1	2	3
औषध :		
024600	एसिटिलसेलिसिलिक एसिड 300 मि० ग्रा०	3 × 1000 गोली

1	2	3
43'500	एलमयुनियम हाइड्रोक्साइड 500 मि० ग्रा०	1 × 1000 गोली
370600	बेंजिल बेंजोएट एप्लीकेशन 25 प्रतिशत	1 × 1 एल
371201	सेट्रिमाइड 15 प्रतिशत क्लोरहेक्सिडाइन डि-ग्लुकोनेट 1.5 प्रतिशत	1 × 1 एल
163500	क्लोरोक्विन फास्फेट 150 मि० ग्रा० बेस	2 × 1000 गोली
512700	को-ट्रिमोक्सेजोल 400 मि० ग्रा० + 80 मि० ग्रा०	2 × 1000 गोली
595000	फैरस सल्फेट 200 मि० ग्रा०/फोलिक एसिड 0.25 मि० ग्रा०	2 × 1000 गोली
759002	जेंटियावायलेट	4 × 25 जी० आर०
134003	मेबेंडाजोल 100 मि० ग्रा०	1 × 500 गोली
685400	ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स फार 1000 मि० लि० वाटर	4 × 50 सेक०
027500	पेरासीटामोल 100 मि० ग्रा०	1 × 1000 गोली
328404	अेट्रासाइक्लिन 1 प्रतिशत आई आयन्टमेंट 5 जी आर	1 × 50 ट्यूब
रिन्युएबल सप्लाइज :		
949000	ऐडहेसिव टेप 2.50 से० मी० × 5 मि०	30 × 1 रोल
855212	बाल प्वाइंट	10 × 1 पीस
874404	ब्लाक नोट ए-6	10 × 1 पीस
876584	बुकलेट "ट्रीटमेंट गाइडलाइन्स" डब्ल्यू एच ओ/यू एन एच सी आर बेसिक किट	2 × 1 पीस
940100	कोटन वूल 500 ग्रा0	2 × 1 पीस
946301	इलास्टिक बैंडेज 8 सें० मी० × 5 मि०	20 × 1 रोल
847773	एग्जामिनेशन ग्लाउज लटेक्स मीडियम डिसपोजेबल	2 × 100 पीस
953700	गोज कम्पेरेसिज 10 × 10 सें० मी०, 12 प्लाई, नॉन स्टेराइल	5 × 100 पीस

1	2	3
906600	हेल्थ कार्ड 10.000 परस/किट इंग/ एफ आर+प्लास्टिक बैग	1 × 500 पीस
947100	हाड्रोफिलिक बैंडेज 7.5 × 10 एम०	10 × 10 रोल
840550	नोट बुक, हार्ड कवर	4 × 1 पीस
377601	सोप, अनरेपड, 200 ग्राम	1 × 10 पीस
728000	टेबलेट बैगस रिसिलेबल 60 × 80 एम० एम० मिनीगिरिप	4 × 500 पीस
725002	थर्मामीटर ओरल सी/एफ क्लीयर स्टब्बी, प्रिसमेटिक	5 × 1 पीस
उपकरण :		
731000	बोतल, 100 एम० एल० प्लास्टिक ई० 11511	1 × 1 पीस
847248	बक्केट, प्लास्टिक 10 लिटर	1 × 1 पीस
719300	डिश (किडनी) एस० एस० 24 सें0 मी०	1 × 1 पीस
738700	ड्रेसिंग ट्रे 30 × 20 × 2 सें० मी०	1 × 1 पीस
872972	ड्रम फार काटन वूल एंड गोज डायामीटर 15 सें० मी० हाई 15 सें० मी०	2 × 1 पीस
723600	फोरसेप्स, आर्टरी, टील 14.5 सें० मी०, स्ट्रेट	2 × 1 पीस
848032	गेलीपोट एस० एस०	1 × 1 पीस
731800	प्लास्टिक बोतल 1000 मि० ली० (फोरसिक्रूकैप सी० 731700)	3 × 1 पीस
730200	सीजर्स, सर्जीकल बी 1/बी 1, स्ट्रेट, 14.5 सें० मी०	2 × 1 पीस
731700	स्क्रियुकेप फार प्लास्टिक बोतल 1000 मि० ली० (731800)	3 × 1 पीस
872741	स्क्रियुकेप हप्पो० रेड 24 एम एल ई 11505 (फार ई० 11510, ई० 11511)	1 × 1 पीस

1	2	3
702201	सिरिंज ल्युर 10 एम एल डिस्प	2 × 1 पीस
894200	सर्जीकल स्क्रब ब्रश, स्टेरेलाइजेबल	2 × 1 पीस
847249	वाटर बैग, फोरडेबल, 20 लिटर स्टरोंग क्वालिटी	1 × 1 पीस
734200	1 ड्रेसिंग सेट के रूप में एस० एस० 20 × 10 × 5 सें० मी० समेत ढक्कन सहित उपकरण बाक्स	2 × 1 पीस
723600	फारसेप्स, आर्टवी, पीन 14.5 सें० मी० स्ट्रेट	2 × 1 पीस
722000	फारसेप्स, डिसएक्टिंग 14.5 सें० मी०	2 × 1 पीस
729400	सीजर्स, सर्जीकल, स्ट्रेट, 14.5 सें० मी०	2 × 1 पीस

कोलि 1—7 इंच 60 × 50 × 60 सें० मी०

योग : 7 कोलि, कुल निवल भार 287 कि० ग्रा०

विवरण-2

(पैकेज नं० 2) पैक० मदों का विवरण

1.	इंजेक्शन एम्पसिलीन	50 वायल
2.	इंजेक्शन एनलजिन 5 मि० लि० एम्प्यूल	50 एम्प्यूल
3.	इंजेक्शन डेक्ट्रोज 10%	2
4.	इंजेक्शन रिंगर्स लक्टेट	2
5.	इंजेक्शन डेक्ट्रोस सालीन	2
6.	इंजेक्शन लोमोडेक्स	1 बोतल
7.	एअरवे	5
8.	कैप० एम्पिसिलीन	1,000
9.	इंडोट्रेसिल ट्यूब (वयस्क एवं बच्चे)	10
10.	टेब पेरासीटामोल 500 मि० ग्रा०	800
11.	लरिंगोस्कोप (वयस्क एवं बच्चे)	2 सेट
12.	ट्रेकोस्टोमी सेट	2 सेट

पैक मदों की संख्या

1.	इंजेक्शन टेटनस टाक्साइड 10 मि० लि०	150 वायल्स
2.	इंजेक्शन केटामिन 10 मि० ग्रा०/मि० लि०	20 ,,
3.	इंजेक्शन पेन्टाथोल्सोडियम 0.50 मि० ग्रा०	50 ,,
4.	इंजेक्शन डोरफिलिन 2 मि० लि० एम्प्यूल	50 एम्प्यूल
5.	माउथ गाग	5
6.	इंजेक्शन डेक्समेथसोन 2 मि० लि० वायल	50 वायल्स
7.	एर्टरी फोरकेप	25
8.	निडिल होल्डर	25
9.	डिसेक्टिंग फोरकेप	26
10.	टेब डिसप्रिन	720
11.	डिसपोजेबल सिरिंग 5 मि०लि०	100

मराठवाडा क्षेत्र के लिये रेलवे परियोजनायें

840. **श्री राम कापसे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला रेलवे परिषद, नान्देड़ (महाराष्ट्र) की ओर से मराठवाड़ा क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(ख) जिला रेलवे परिषद नान्देड़ से प्राप्त अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दे तथा उस पर की गई कारवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. **मनमाड़-औरंगाबाद का आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो जाने के बाद औरंगाबाद-पर्ली बैजनाथ का आमान परिवर्तन शुरू किया जाए**

मनमाड़-औरंगाबाद आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाने के बाद अब औरंगाबाद-परभनी-पर्ली बैजनाथ का आमान परिवर्तन कार्य शुरू करने का विनिश्चय किया गया है ।

2. परभनी-पर्ली-बैजनाथ मीटर लाइन का एक वर्ष के भीतर बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन किया जाए

परभनी-पर्ली बैजनाथ मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन कार्य एक वर्ष के भीतर करना व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि इसमें गोदावरी नदी पर एक बड़े पुल को सुदृढ़ करने का कार्य शामिल है।

3. पूर्णा और आदिलाबाद के बीच समानान्तर बड़ी लाइन के भाग के रूप में समपार फाटक संख्या 147 पर छोटा-सा निचला पुल का निर्माण करना

इस योजना में मौजूदा समपार सं० 147 का विस्तार कार्य शामिल है। समपार पर समानान्तर बड़ी लाइन का कार्य शुरू करते समय इस पर विचार किया जाएगा।

4. 7569/7570 काचीगुड़ा-जयपुर एक्सप्रेस को दिल्ली तक चलाना

राजस्थान राज्य की राजधानी को आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी से जोड़ने के लिए 7569/7570 काचीगुडा-जयपुर एक्सप्रेस, जिसे पहले अजमेर तक चलाया जाता था, को 1-11-88 से जयपुर तक चलाया गया था। संसाधनों तथा खंडीय क्षमता जैसी परिचालनिक तंगियों और दिल्ली में अतिरिक्त टर्मिनल/अनुरक्षण सुविधाओं के अनुपलब्धता के कारण इसे फिलहाल दिल्ली तक चलाना व्यावहारिक नहीं है।

5. ज्ञापन में मद सं० 5 नहीं है

6. 7569/7570 काचीगुडा-जयपुर एक्सप्रेस का नाम "सचखंड-एक्सप्रेस" रखना

7569/7570 एक्सप्रेस का नाम काचीगुडा-जयपुर एक्सप्रेस है। रेलें अपनी गाड़ियों का नाम उन स्टेशनों, जिन्हें वे जोड़ती है, नदियों, पहाड़ों, पर्यटन के महत्व के स्थलों आदि पर रखने को प्राथमिकता देती हैं। किसी प्रकार का विवाद न हो इसके लिए देवताओं और धार्मिक गुरु आदि के नाम पर गाड़ियों के नाम रखने को हतोत्साहित किया जाता है।

7. दिल्ली-बम्बई ए० सी० एक्सप्रेस का नाम महाराष्ट्र एक्सप्रेस रखना

2953/2954 ए० सी० एक्सप्रेस को राजधानी एक्सप्रेस के पैटर्न पर चलाया गया है और रेलों के एक बार पुरानी राजधानी एक्सप्रेस के समान सेवा प्रदान करने की स्थिति में हो जाने पर इस गाड़ी का नाम राजधानी द्वितीय रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, महाराष्ट्र एक्सप्रेस नामक एक और गाड़ी कोल्हापुर और नागपुर के बीच पहले ही चल रही है।

8. प्रस्तावित लातूर-निजामाबाद रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य

मिराज-लातूर छो० ला० का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन तथा निजामाबाद-रामगुडंम नयी लाइन के लिये विगत में किये गये सर्वेक्षण में अपर्याप्त यातायात संभावनाओं का पता चला था। संसाधनों की तंगी के कारण लातूर-निजामाबाद नयी लाइन के लिये फिलहाल सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

समान शिक्षा नीति

841. क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में समान शिक्षा नीति अपनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा की एक राष्ट्रीय पद्धति की कल्पना की गई है जिमें जाति, संप्रदाय, लिंग अथवा क्षेत्रीय भेदभाव से परे होकर सभी विद्यार्थियों को एक निश्चित स्तर तक समान शिक्षा उपलब्ध कराने की बात शामिल है।

तमिलनाडु में द्विभाषी शिक्षा प्रणाली

842. क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त त्रिभाषा फार्म के बजाय द्विभाषी शिक्षा प्रणाली को लागू करने के निर्णय की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी हां।

(ख) स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार ने त्रिभाषा सूत्र को ईमानदारी से लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर बार-बार दबाव डाला है।

केन्द्रीय विद्यालयों में अनेक विद्यार्थियों का प्रवेश

843 **श्री मुहीराम संकिया** :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले चार महीनों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन के चेयरमैन ने विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालयों में हजारों बच्चों के प्रवेश का आदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सभी केन्द्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश का वार्षिक औसत कितना था;

(ग) क्या संगठन ने 1988-89 में इस प्रकार के प्रवेशों को रोक दिया था;

(घ) ऐसे प्रवेशों को पुन: शुरू करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रकार के प्रवेश अभी भी किए जा रहे हैं जबकि वास्तव में पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 6913 दाखिले दिए गए हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में दाखिल किए गए कुल छात्रों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	कुल नामांकन	नया दाखिला	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1988-89	5,21,492	44,908	728
1989-90	5,64,386	42,894	744
1990-91	6,00,197	35,81।	744

(ग) से (च) वर्ष 1987-88 में विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत दाखिले बंद कर दिए गए थे। तत्कालीन अध्यक्ष ने जुलाई, 1988 में इस स्थिति की समीक्षा की और यह निर्णय लिया गया कि व्यापक सामाजिक हित की दृष्टि से विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत दाखिले संभव होने चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और जन-प्रतिनिधियों के अनुरोधों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा जबकि अनुकम्पा से संबंधित मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत दिए जाने वाले दाखिलों पर पुनः रोक लगाई गई। दिसम्बर, 1990 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष ने विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग के मुद्दे की पुनः समीक्षा की और यह पाया कि संसद सदस्यों द्वारा दाखिले हेतु जनहित में की गई सिफारिशों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। अब यह निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से आयुक्त उपयुक्त मामलों में विशेष व्यवस्था के अंतर्गत दाखिले देना जारी रखेगा। विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत दाखिले अनुमत्य श्रेणी की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त दिए जाते हैं और इसलिए इनसे सुपात्र श्रेणी के अन्य बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगले शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने से पहले पूरे मुद्दे एक पर बार पुनः विचार किया जा रहा है।

संयुक्त सलाहकार तन्त्र योजना में गठित परिषद की बैठक आयोजित करना

844. **श्री मुहीराम सैकिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठग की संयुक्त सलाहकार तन्त्र योजना के तहत गठित की गयी परिषद की बैठक निकट-भविष्य में आयोजित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कानून और न्याय मन्त्रालय की सलाह पर यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय

केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ के दोनों धड़ों को अस्थायी तौर पर एक-एक सीट दे दी जाए और इस विषय से सम्बन्धित अन्य मुद्दे, संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी स्कीम के नियम 22 के अनुसार परिषद में विचार के लिए छोड़ दिए जाएं। सदस्यता की जांए से सम्बन्धित मुद्दा भी परिषद में विचार के लिए छोड़ दिया जाए।

जौनपुर, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

845. **श्री अर्जुनसिंह यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कितने विद्यालय हैं;

(ख) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्रीय विद्यालय कहां-कहां कार्य कर रहे हैं यह दर्शाने वाला विवरण संलग्न है जिला-वार/अथवा राज्य-वार विद्यालयों को आवंटित करने की कोई प्रणाली नहीं है। नये केन्द्रीय विद्यालयों का खोलना निर्धारित उपभोक्ता एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों की उपयुक्तता, विशेषकर केन्द्रीय सरकार/अथवा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों की घनी आबादी की उपस्थिति, भौतिक सुविधाओं का तथा वित्तीय ससाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थिति

1. एयर फोर्स स्टेशन, नं० 1, आगरा
2. आगरा छावनी नं० 2, ग्रैंड परेड रोड, आगरा छावनी
3. मनौरी, एयर फोर्स स्टेशन, इलाहाबाद
4. नई छावनी, इलाहाबाद
5. इफको टाऊनशिप, पो० ओ० फुलपुर, इलाहाबाद
6. आजमगढ़
7. बबीना छावनी
8. एयर फोर्स स्टेशन, इज्जतनगर, बरेली
9. बरेली नं० 1, जाट रेजीमेन्टल केन्द्र, बरेली
10. बरेली नं० 2, ए० एस० सी०न्यू रोड, बरेली छावनी

11. बीरपुर, देहरादून
12. वन अनुसंधान संस्थान, पो० ओ० न्यू फोरेस्ट, देहरादून
13. हाथीबरकला नं० 1, देहरादून
14. हाथीबरकला नं० 2, देहरादून
15. आयुध फैक्टरी, रायपुर, देहरादून
16. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, कौलागढ़ रोड, देहरादून
17. वीरभद्र, ऋषिकेश, जिला देहरादून
18. हरिद्वार नं० 1, बी० एच० ई० एल०, रानीपुर, हरिद्वार
19. हरिद्वार नं० 2, बी०एच०ई०एल०, रानीपुर, हरिद्वार
20. एयर फोर्स स्टेशन, हिण्डन, गाजियाबाद
21. आयुध फैक्टरी मुरादनगर, जिला गाजियाबाद
22. सी० आर० पी० एफ०, रामपुर
23. राणा प्रताप मार्ग, झांसी छावनी
24. अरमापुर आयुध फैक्टरी, कालपी रोड, कानपुर
25. एयर फोर्स स्टेशन, चकेरी नं० 1, कानपुर
26. एयर फोर्स स्टेशन, चकेरी नं० 2, कानपुर
27. आई० आई० टी० कानपुर
28. गढ़वाल राईफल, लैंडसडाउन जिला पौड़ी गढ़वाल
29. ए० एम० सी० केन्द्र, लखनऊ
30. आर० डी० एस० ओ०, आलमबाग, लखनऊ
31. मथुरा नं० 1, गोल्फ मैदान के नजदीक, मथुरा छावनी
32. मथुरा नं० 2, मथुरा रिफाइनरी परियोजना
33. डोगरा लाइन्स, मेरठ छावनी
34. पंजाब लाइन्स, मेरठ छावनी
35. सिख लाइन्स, मेरठ छावनी
36. मुगलसराय, जिला वाराणसी
37. वाराणसी छावनी

38. वाराणसी नं० 1, बी० एच० यू० कैम्पस०, वाराणसी

39. वाराणसी नं० 2, डीजल लोकोमोटिव कार्यशाला, वाराणसी

40. भरकाटिया, पिथौरागढ़

41. राय बरेली

42. रानीखेत, अल्मोड़ा

43. बी० ई० जी० केन्द्र, रूड़की छावनी

44. एयर फोर्स स्टेशन, सारसवा, सहारनपुर

45. स्टेशन मुख्यालय, शाहजहांपुर

46. सिंगरौली सुपर थरमल पावर परियोजना
शक्ति नगर, जिला मिर्जापुर

47. लेक त्रीयू कैम्प, तलबहाट

48. मेमौरा एयर फोर्स स्टेशन, द्वारा 56 ऐ० पी० ओ०

49. स्टेशन मुख्यालय, फैजाबाद

50. एयर फोर्स स्टेशन, गोरखपुर

51. एयर फोर्स स्टेशन, बमरौली, इलाहाबाद

52. कानपुर छावनी

53. आयुध क्लोथिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर

54. 52 एम० टी० एन० ए० आर० डी० वाई० बी० डी० ई० द्वारा 56 ए० पी० ओ०
रायवाला

55. एयर फोर्स स्टेशन, हिण्डन नं० 2

56. एस० जे० अलीगंज, लखनऊ

57. काशीपुर, जिला नैनीताल

58. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर, कुमाऊं, जिला नैनीताल

59. बनबास्सा, जिला नैनीताल

60. नौएडा कम्पलैक्स, जिला गाजियाबाद

61. उन्नाव

62. गोमती नगर, बी० ओ० ऊर्जरियम, पी० ओ० महानगर, लखनऊ

63. छिवेकी, इलाहाबाद

64. राष्ट्रीय थरमल पावर परियोजना, रिहन्द सुपर थरमल पावर बीजापुर, पो० ओ० रिहन्द नगर, जिला मिर्जापुर

65. देहरादून छावनी, जिला देहरादून

66. बी० एच० ई० एल० टाउनशिप, जगदीशपुर, औद्योमिक क्षेत्र, जिला सुल्तानपुर

67. विशेष केन्द्रीय विद्यालय, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद

68. भारतीय सेना अकादमी, देहरादून

69. एयर फोर्स स्टेशन, बक्शी-का-तालाब, लखनऊ

70. एयर फोर्स स्टेशन, चकेरी नं०-III, कानपुर

71. आयुध उपकरण फैक्टरी, हजरतपुर-283103 जिला आगरा

72. बुलन्दशहर

73. राजपूत रेजिमेन्टल केन्द्र, फतेहगढ़

74. ए० एफ० एस० दादरी, पी० ओ० धूम दादरी, गाजियाबाद

75. नं० 60 स्काडरन, ए० एफ० एस० चंडीनगर, जिला मेरठ, द्वारा 56 ए०पी०ओ०

76. कलेमेण्ट टाउन, मुख्यालय, देहरादून उप क्षेत्र, देहरादून

7'. आयुध उपकरण फैक्टरी, कानपुर छावनी, पिन-208001

78. ओ० एफ०, अरमापुर, कानपुर-208009

79. बैरेक रोड, आगरा छावनी

80. झांसी, जी० पी० ओ० झांसी

81. ईफको लि० ओनला परियोजना, चापत (ओनला) जिला बरेली

82. अल्मोड़ा पिन-263601

83. राजकीय अफीम तथा क्षरोद (खेलकेलाइड) कार्य, गाजीपुर

84. अमहट, जिला सुल्तानपुर-228001

85. न्यू टिहरी शहर, टिहरी गढ़वाल

86. कनसैन, उत्तरकाशी

87. रेलवे कालोनी, झांसी-न० III

88. मुराबाबाद-244001

89. इज्जतनगर, माडल कालोनी, जिला बरेली-243122

90. एम० जी० पी० आई० रायबरेली रोड, उत्तरलिया, लखनऊ-226001
91. आई० टी० आई० मनकापुर, ई० एस० एस० परियोजना मनकापुर, जिला गोण्डा-271302
92. आई० टी० आई०, रायबरेली-229010
93. ओराखिया गैस पावर परियोजना, डिबियापुर, जिला इटावा-206244
94. आई० टी० बी० पी०, कैम्पस, सीमाद्वार, देहरादून
95. ओ० ई० एफ० नं० II, कानपुर, पिन-208001
96. एस० एस० बी० ग्रुप केन्द्र, पी० ओ० श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल
97. आई० टी० आई० नैनी लि० पी० ओ० टी० एस० एल० नैनी, जिला इलाहाबाद
98. ई० बी० एस० पी० ओ० बाबूगढ़, जिला गाजियाबाद
99. लखनऊ छावनी-226002
100. पो० ओ० जोशीमठ, जिला चमोली
101. बाद, जिला मथुरा
102. हल्दवानी छावनी, जिला नैनीताल
103. मसूरी
104. पुरानी छावनी, इलाहाबाद
105. एन० सी० टी० पी० पी० (एन० टी० पी० सी०) दावरी, जिला गाजियाबाद
106. एन० एच० पी० सी०, टनकपुर, बनबास्सा

जौनपुर में स्टेशनों का आधुनिकीकरण

846. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के रेल स्टेशनों पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि व्यय की गई है तथा आठवीं योजना के दौरान कितनी राशि आबंटित किये जाने का विचार है; और

(ख) इन स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलें खर्च के आंकड़े सिविल जिले-वार नहीं रखती हैं । रेलें जौनपुर जिले के स्टेशनों सहित स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के आधार पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करती हैं । इसके अलावा, किसी योजना अवधि में स्टेशनों का विकास/आधुनिकीकरण यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है जो धन की उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ।

इंडियन एयरलाइंस के निष्क्रिय पड़े विमान

[अनुवाद]

847. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस के विभिन्न विमानपत्तनों पर कितने विमान कब से निष्क्रिय पड़े हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन विमानों को उड़ान योग्य बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इंडियन एयरलाइंस को इनके कारण हुए घाटे का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) विभिन्न बेसों पर इंडियन एयरलाइंस के निम्नलिखित विमानों का मुख्य रखरखाव/मरम्मत कार्य चल रहा है :

बम्बई में	कार्य
ए—300 विमान	
वीटी—ईएलडब्ल्यू	16-12-90 से जांच-II निरीक्षण, आशोधन, विंग टाप स्किन मरम्मत और लैप ज्वाइंट मरम्मत एसबी 53-228 कार्य चल रहा है।
वीटी—ईडीडब्ल्यू	17-9-91 से विंग टाप स्किन मरम्मत और आशोधन कार्य चल रहा है।
दिल्ली में	
बी—737 विमान	
वीटी—ईएके	जांच-II निरीक्षण 1-7-91 से चल रहा है।
वीटी—ईएजे	30-10-91 से मध्यवर्ती निरीक्षण चल रहा है।
वीटी—ईजीएम	30-10-91 से संरचनात्मक मरम्मत कार्य चल रहा है।
ए—320 विमान	
वीटी—ईपीबी	20-10-90 से "सी" जांच चल रही है।
वीटी—ईपीडी	26-10-90 से "सी" जांच चल रही है।

(ग) और (घ) रखरखाव पद्धति के अनुसार मरम्मत और रखरखाव कार्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। अनुसूचित रखरखाव के लिए विमानों को ग्राउंड किया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है और इस कारण से राजस्व हानि को हानि नहीं माना जाता है।

आगरा कैंट और राजा मंडी स्टेशनों का विकास

848. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगरा कैंट और राजा मंडी स्टेशनों का विकास का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक स्टेशन पर विकास कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) स्टेशनों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और यह यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो। आगरा कैंट और राजा-की-मंडी रेलवे स्टेशनों पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। आगरा कैंट और राजा-की-मंडी स्टेशनों पर क्रमशः 72.30 लाख रुपये और 2 लाख रुपये की लागत से और अधिक विकास के कार्य हाथ में हैं।

ताजमहल पर वाहन प्रदूषण का प्रभाव

[हिन्दी]

849. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगरा से होकर जाने वाले वाहनों से कितना प्रतिशत प्रदूषण फैलता है;

(ख) आगरा में ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में गोबर और लकड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग से कितने प्रतिशत प्रदूषण फैलता है;

(ग) क्या ताजमहल पर वाहनों तथा जलाऊ लकड़ी और गोबर से फैलने वाले प्रदूषण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए गठित वर्दराजन समिति ने अपनी सिफारिशें दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, ताजमहल मे 3 किलोमीटर के दायरे में रोजाना 27,313 वाहन चलते हैं। इन वाहनों के कारण, प्रतिदिन 65 किलोग्राम सल्फर डाइआक्साइड का विसर्जन होता है, जो ताजमहल पर प्रभाव डालने वाला प्रमुख प्रदूषक है।

(ख) इस संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, अन्य ईंधनों की तुलना में जलाने की लकड़ी और गोबर का प्रयोग नगण्य है।

(ग) से (ङ) वर्दराजन समिति की सिफारिशें मुख्यत: तीन स्रोतों, अर्थात् (1) आगरा मे दो कोयला ताप बिजली संयंत्र, (2) आगरा में रेलवे का भाप मार्शेलिंग यार्ड, तथा (3) लघु उद्योगों, विशेषकर ढलाई उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण, से संबंधित हैं।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास

[अनुवाद]

850. **श्री भगवान शंकर रावत :**
श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान पर्यटन के विकास के लिए कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और उनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास प्रत्येक राज्य के कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में पर्यटन आधारिक-संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और धन-राशि निम्नानुसार है :—

(लाख रु० में)

राज्य	परियोजनाओं/स्कीमों की संख्या	स्वीकृत धनराशि
उत्तर प्रदेश	36	397.87
राजस्थान	18	152.34
मध्य प्रदेश	12	234.36

(ख) जी, नहीं ।

एअर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइंस का गैर-सरकारीकरण करने के संबंध में अध्ययन दल

851. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का गैर-सरकारीकरण करने का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई नीति पत्र तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसे सभा पटल पर रखा जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बांध परियोजना की पुनरीक्षा

852. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
श्री अमर राय प्रधान :
श्री शरद दिघे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिहरी बांध अधिकारियों एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके मन्त्रालय के विशेषज्ञों द्वारा दी गई चेतावनी की उपेक्षा की थी तथा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में हाल में आये भूकम्प को देखते हुए इस परियोजना की पुनरीक्षा करने का है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) इस परियोजना को जुलाई, 1990 में इस शर्त पर मंजूरी दी गई कि इंजीनियरी कार्यों के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध आधार पर अपेक्षित पर्यावरणीय कार्य योजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी, जिसके प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में निर्माण कार्य रोक दिया जाना था। पर्यावरणीय कार्य योजनाओं में आवाह क्षेत्र शोधन, कमांड क्षेत्र विकास तथा पुनर्वास वृहत योजना तैयार करना, संकटापन्न प्रजातियों के पुनर्वास के लिए प्राणिजात और वनस्पतिजात का सर्वेक्षण, जल गुणवत्ता अध्ययन और जल गुणवत्ता अनुरक्षण योजना तथा आपदा प्रबन्ध योजना तैयार करने के लिए जोखिम मूल्यांकन आदि शामिल हैं। लगाई गई शर्तों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

कोंकण परियोजना का पुनर्निर्धारण

853. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के प्रभावशाली संगठनों से कोंकण रेल परियोजना के स्वीकृति प्राप्त मार्ग के पुनर्निर्धारण की मांग करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप मार्ग बदलने हेतु सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जनता के एक वर्ग ने मांग की है कि ओल्ड गोआ के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से होकर जाने की बजाय, रेल मार्ग को भीतरी-क्षेत्र की ओर शिफ्ट कर दिया जाए।

(ग) और (घ) एक विशेषज्ञ को इस मामले की जांच करके दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

उड़ीसा में परिवार कल्याण कार्यक्रम

[हिन्दी]

854. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान उड़ीसा में परिवार कल्याण योजना का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस संबंध से जिले-वार क्या उपलब्धि हुई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई और इसके उपयोग का जिले-वार प्रतिशत क्या रहा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सूचना उड़ीसा राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल और लॉज

855. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से निर्मित किए गए होटलों, लॉजों और यात्री निवासों की जिले-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) इस संबंध में दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार (पर्यटन मन्त्रालय) ने उड़ीसा सरकार को राज्य में निम्नलिखित आवास एककों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	जिला	मंजूर की गई राशि (लाख रु० में)
1.	बेलगढ़ वन गृह	फुलबनी	14.96
2.	टिकरपारा वन गृह	ढेकनाल	14.96
3.	चंडीवली वन गृह	भितरकानिका	14.96
4.	सतपाड़ा में यात्री निवास	पुरी	29.25
5.	कोणार्क मे यात्री निवास	पुरी	26.50
6.	चंडीपुर में यात्री निवास	बालासोर	1991-92 हेतु प्राथमिकता प्रदत्त

इसके अतिरिक्त, भारत पर्यटन विकास निगम ने पुरी में उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के साथ 51% इक्विटी से एक संयुक्त उद्यम होटल परियोजना स्थापित की है।

सघन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम

[अनुवाद]

856. **श्री अन्ना जोशी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चुनिन्दा जिलों में सघन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और राज्य-वार उन जिलों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, नहीं।

जिला स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां हैं। तथापि, देश भर में मलेरिया, कुष्ठ, क्षयरोग, कैंसर और दृष्टिहीनता जैसे रोगों का नियन्त्रण/उन्मूलन करने के लिए सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को राज्यों में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के माध्यम से निचले स्तर तक कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें मे अधिकतर कार्यक्रमों को जिले से लेकर निचले स्तर तक सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मिलाया गया है और जिला स्तर पर जिला चिकित्सा अधिकारी मुख्य कार्यान्वयन प्राधिकारी है।

रेलों में बम विस्फोट

857. **श्री अन्ना जोशी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों के दौरान रेलवे में कितने बम विस्फोट हुए;

(ख) इन विस्फोटों के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए और कितनी वित्तीय क्षति हुई; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले 6 महीने के दौरान भारतीय रेलों पर बम विस्फोट के 40 मामले हुए।

(ख) इन बम विस्फोटों में 24 व्यक्ति मारे गए और 48 व्यक्ति घायल हुए।

बम विस्फोटों के कारण लगभग 20,49,900 रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।

(ग) रेलों पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बहरहाल, प्रभावित क्षेत्रों में जन उद्घोषणा प्रणाली, क्लोज सर्किट टी० वी० पोस्टरों तथा समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से यात्री जनता को किसी संदेहास्पद वस्तु को न छूने अथवा उठाने और इसके बारे में पुलिस/रेलवे कर्मचारियों को सूचित करने के लिए चेतावनी दी जा रही है। लावारिस पड़ी वस्तुओं की पहचान करने तथा उनका पता लगाने के लिए पुलिस पार्टियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों के सामान की अचानक जांच की जा रही है।

"तम्बाकू या स्वास्थ्य" पर राष्ट्रीय सम्मेलन

859. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में "तम्बाकू या स्वास्थ्य" पर कोई राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई थीं और उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) देश में गत तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार धूम्रपान न करने वालों को रोजगार में वरीयता दिए जाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में 27-28 जुलाई, 1991 को "तम्बाकू या स्वास्थ्य" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था।

(ख) सम्मेलन में की गई सिफारिशों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है। इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार के संबंधित मन्त्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

(ग) देश में तम्बाकू के कारण होने वाली मौतों की ठीक-ठीक संख्या की जानकारी नहीं है। तथापि, अनुमान है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख व्यक्ति तम्बाकू से होने वाले रोगों से मरते हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

तम्बाकू या स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन

27-28 जुलाई, 1991, जवाहरलाल सभागार अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व
स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से आयोजित

सिफारिशें

तम्बाकू को एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या मानते हुए;

यह नोट करते हुए कि तम्बाकू का उपयोग "सबके लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य, जिमके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, अनुकूल नहीं है;

इस बात का समर्थन करते हुए कि तम्बाकू मुक्त समाज के लक्ष्य के साथ कोई टालमटोल नहीं की जा सकती; और

यह महसूस करते हुए तम्बाकू से होने वाले खतरों मे अन्य लोगों को बचाने और तम्बाकू मुक्त समाज के लिए समन्वित शैक्षिक, विधायी और कृषि-आर्थिक कार्यनीति की आवश्यकता है जिसका एक प्रचालनात्मक ढांचा हो और जिसे राजनैतिक, प्रशासनिक, वित्तीय और अनुसंधान समर्थन हो;

"तम्बाकू या स्वास्थ्य" संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित सिफारिशें करता है :—

1. तम्बाकू नियंत्रण उपायों की योजना, समन्वय तथा निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रक आयोग बनाया जाए। इस आयोग के पास पर्याप्त कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय संसाधन और एक प्रशासनिक तथा नीतिगत ढांचा हो जो योजना आयोग, संबंधित मंत्रालयों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करे। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2. निम्नलिखित उपायों को लागू करने के लिए कानून बनाए जाने चाहिएं :—

   (क) मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 27/1/3/90 दिनांक 7-5-1990 के अनुसार कुछ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए;

   (ख) अन्य सार्वजनिक कार्यालयों, परिवहन सुविधाओं, रेस्तरा, कारखानों के कार्य-स्थलों, होटल, लौबी, क्रीड़ा स्थलों, संग्रहालय जैसे पर्यटक रुचि वाले स्थानों, पुस्तकालयों आदि में तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध तथा इन स्थानों में धूम्रपान के लिए अलग स्थान की व्यवस्था करके धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों और बच्चों के अधिकारों की रक्षा जिससे कि वे तम्बाकू के धुएं से मुक्त हवा में सांस ले सकें;

(ग) नाबालिगों को, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाओं में और उनके आसपास तथा सप्ताह में कम-से-कम एक दिन तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध;

(घ) तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों और इसकी बिक्री को बढ़ावा देने पर प्रतिबन्ध;

(ङ) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के सभी पैकटों पर सांविधिक चेतावनी देना तथा इसे प्रमुखता देने और प्रभावी बनाने के लिए इसे उपयुक्त फार्मों, आकारों और भाषाओं में तैयार करना;

(च) तम्बाकू उत्पादों के सभी पैकेजों पर निकोटीन और टार के अंश का मुद्रण तथा लाइसेंस, परीक्षण और मानीटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला की स्थापना;

(छ) सभी तम्बाकू उत्पादों का अनिवार्य लाइसेंस;

(ज) तम्बाकू-संसाधन से संबंधित वननाशन की क्षतिपूर्ति के रूप में तम्बाकू उत्पादकों और तम्बाकू उद्योग द्वारा अनिवार्य क्षतिपूरक वन-रोपण किया जाना, तथा सिगरेट के लिए फर्द बनाने और तम्बाकू उत्पादों का पैंकिग करने के लिए कागज के प्रयोग पर निषेध;

(झ) तम्बाकू नियंत्रण विधान के उल्लंघन के लिए श्रेणीकृत अर्थदंड और तम्बाकू के किसानों और निर्माणकर्ताओं के अहाते में घुसने जैसे समर्थकारी कानून के प्रवर्तन के लिए गैर सरकारी संगठनों और विधिक कार्यकर्ताओं के लिए उपबन्धों की व्यवस्था करना ताकि कानून के उल्लंघन का पता लगाया जा सके तथा अपराधियों के विरुद्ध जनहित में मुकदमा किया जा सके।

(ञ) टूथपेस्ट और टूथपाउडर में तंबाकू के प्रयोग पर निषेध;

(ट) धूम्रपान करते हुए या किसी भी तंबाकू का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों का प्रदर्शन करने वाले सभी प्रशंसात्मक विज्ञापनों पर सेंसर लगाना।

3. कुछ विशेष महकमों में जैसे अध्यापकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सैनिकों, परा-सैनिकों एवं पुलिस वालों में धूम्रपान न करने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

4. तंबाकू के आर्थिक पक्ष पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की जानी चाहिए जो एक तरफ कर राजस्व, विदेशी मुद्रा अर्जन, रोजगार और उपभोक्ता खर्च तथा दूसरी ओर तंबाकू से संबंधित रोगों के इलाज के लिए महंगे तृतीय स्तरीय चिकित्सा परिचर्या सुविधाओं (आयातित उपस्कर भी शामिल), आग से होने वाले नुकसानों, वननाशन एवं तंबाकू सामग्री के प्रयोग के अवशिष्ट के निपटान से होने वाली क्षति का तुलनात्मक अध्ययन करेगी।

5. निम्नलिखित आर्थिक और कृषि औद्योगिक पुनःसंरचनात्मक उपाय किए जाने चाहिए :

(क) तंबाकू के उपभोक्ताओं और तंबाकू उत्पादों से जीवन बीमा किस्त अपेक्षाकृत ज्यादा ली जाए;

(ख) तंबाकू की खेती, तैयार तंबाकू उत्पादों के पुनः प्रसार तथा नई तंबाकू सामग्रियों को प्रचलन में लाने पर निषेध;

(ग) तंबाकू की खेती और इसके संसाधन के लिए आर्थिक सहायता देने और इसके लिए इमदाद पर निषेध;

(घ) कृषकों को तंबाकू की खेती के एवज में वैकल्पिक फसल पैदा करने के लिए आर्थिक सहायता;

(ङ) तंबाकू उद्योग में सरकारी अधिग्रहणों का हटाया जाना;

(च) सभी तंबाकू उत्पादों पर उच्चतम सीमा तक करों मे अनवरत वृद्धि और तंबाकू नियन्त्रण कार्यकलापों के लिए कर राजस्वों का प्रयोग और इनके लिए निधि प्रदान करना जिसका उपयोग एन० टी० सी० सी० द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसंधान, पुनर्वासन और अन्य तंबाकू नियन्त्रण कार्यकलापो के लिए किया जाए;

(छ) तंबाकू उद्योग मे नियुक्त व्यक्तियों का पुनर्वासन;

(ज) बीड़ी के निर्माण में लगे मजदूरों के पुनर्वास की समस्या का हल खोजने के लिए समिति नियुक्त करना।

(झ) तंबाकू उद्योग में बड़े पैमाने पर विदेशी घुसपैठ के विरुद्ध सतर्क रहना।

(ञ) तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों की खपत में गिरावट आने से होने वाली उत्पादन शुल्क राजस्व की हानि को उस राजस्व से पूरा करना जो तंबाकू से जुड़े रोगों के उपचार की अतिरिक्त लागत का बोझ उठाए बिना उपभोक्ताओं की अतिरिक्त प्रयोज्य आयों से प्राप्त होगा।

6. तंबाकू के खतरे से संघर्ष करने के लिए और लोगों को सोच-समझकर विकल्प चुनने के योग्य बनाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए जिसमें किसी भी रूप में तंबाकू के प्रयोग को छोड़ने के लिए उनके स्वास्थ्य से संबंधित पूर्ण जानकारी हो।

स्वास्थ्य शिक्षा के लिए निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया जाता है :

(क) स्वास्थ्य शिक्षा के लिए समन्वय समिति की स्थापना करना जिसमें सरकारी प्रतिनिधि, शिक्षाविद, प्रचार माध्यमों तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि हों।

(ख) प्रचार माध्यमों के प्रयोग के लिए उपयुक्त विस्तृत कार्यनीतियों का विकास

करना; विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए उचित संदेश देना, तंबाकू के प्रयोग की लत पड़ने तथा इससे होने वाले हानिरहित प्रभावों दोनों का प्रचार करना तथा योग एवं ध्यान जैसे आराम के वैकल्पिक हानिरहित तरीकों का प्रचार करना, तंबाकू रहित तथा स्वस्थ जीवन शैलियों का प्रचार; सभी प्रचार माध्यमों—इलेक्ट्रानिक, जन-प्रचार, नुक्कड़ नाटकों, थियेटर समूहों आदि का प्रयोग करना जिसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक नेताओं तथा अन्य मत वाले नेताओं का सहयोग लेना; सभी उपलब्ध मंचों जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रयोग जो चिकित्सक कालिजों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हों, विशेष तौर से वे जो बच्चों, युवकों तथा महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं; सहभागी कार्यशालाओं के ए० पी० अध्ययनों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से अन्तर वैयक्तिक तथा जन संचार दोनों के लिए प्रभावकारी स्वास्थ्य शिक्षा सामग्रियों का विकास करना; दृढ़ नैतिक तथा बौद्धिक अपील वाले प्रभावी कार्यकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग करना; उनको गांव में भेजकर तंबाकू के प्रयोग के बुरे प्रभावों के बारे में ग्रामीण जनता को बताना; तबाकू के प्रयोग से बचाने के लिए बच्चों और युवकों की शिक्षा पर अधिक जोर देना; स्कूल के बच्चों, शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सामुदायिक चिकित्सा तथा प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रमों में तबाकू के बुरे प्रभावों की जानकारी को शामिल करना; स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य सहयोगी उपायों जैसे खेलों तथा अन्य सांस्कृतिक घटनाओं का तंबाकू उद्योग द्वारा प्रायोजित करने पर पाबंदी के माध्यम से तबाकू विज्ञापन तथा इसकी बिक्री के विकास का विरोध करना जब तक इन पर कानूनी रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, तंबाकू-रोधी सिक्कों तथा डाक टिकटों को जारी करना, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करके तबाकू रोधी कार्यकलापों के लिए अवार्ड देना, बच्चों में स्वस्थ आदतों को पैदा करने के लिए उत्तरदायी पितृत्व को बढ़ावा देना, तंबाकू-रोधी दिवस जिसके लिए 11 अक्तूबर को सुझाव दिया गया है, की घोषणा करना।

7. गैर-सरकारी संगठनों, विशेष तौर से वे जो बच्चों, युवकों तथा स्त्रियों के लिए कार्य कर रही हैं, को तंबाकू नियन्त्रण कार्यक्रम में, विशेष तौर से स्वास्थ्य शिक्षा तथा तंबाकू नियन्त्रण अधिनियम के लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तबाकू नियन्त्रण कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं :

(क) तंबाकू संरक्षण के लिए कार्य कर रहे या कार्य करने के इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों की निर्देशिका तैयार करना;

(ख) राष्ट्र से जिले के स्तर तक की तंबाकू नियन्त्रण समितियों में गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व;

(ग) तबाकू नियन्त्रण कार्यकलापों के लिए गैर सरकारी संगठनों को धन देने की नीति;

(घ) ग्रामीण स्तर पर तंबाकू नियन्त्रण कार्यकलापों में गैर-सरकारी संगठनों (जैसे महिला मंडलों और युवा क्लबों) का बुनियादी स्तर पर संबंध;

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों का आपस मे समन्वय समूह तैयार करना और विभिन्न स्तरों पर तबाकू नियन्त्रण समितियों के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप।

४. यद्यपि तंबाकू नियन्त्रण कार्यकलापों को शुरू करने के लिए और अनुसंधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि ऐसे कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए और अनुसंधान और अध्ययन की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को इस कार्य में प्रस्तावित एन० टी० सी० सी० के साथ सहयोग करना चाहिए। अनुसंधान निष्कर्षों का मुख्य उपयोग यह है कि राजनैतिक नेताओं और अन्य नीति निर्णायकों, स्वास्थ्य शिक्षा कार्मिको और जन समूह को वैज्ञानिक रूप से वैध सूचना दी जाए। निम्नलिखित अनुसंधान प्राथमिकताओं की सिफारिश की जाती है :—

(क) "तंबाकू या स्वास्थ्य" पर सर्वोत्कृष्ट दस्तावेज तैयार करना;

(ख) सभी तंबाकू नियन्त्रण कार्यकलापों का मूल्यांकन;

(ग) स्नातकोत्तर, डाक्टरल और पोस्ट डाक्टरल अनुसन्धान के लिए अनुसंधान सगठनों, विश्वविद्यालय विभागों, आयुर्विज्ञान, कृषि समाजविज्ञान, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन कालेजों द्वारा प्रयोग के लिए अनुसन्धान प्राथमिकताओं के विषय बैंक का रखरखाव;

(घ) गैर-सरकारी संगठनो, महिला कल्याण संगठनों, धार्मिक संगठनों इत्यादि द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान;

(ङ) तंबाकू की आदत को शुरू करने और छोड़ने के व्यवहार पक्षों पर और योग, खेल, ध्यान इत्यादि जैसी स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली की प्रभावकारिता पर अनुसन्धान;

(च) कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तंबाकू और तेंदू की पत्तियों के लिए स्थान-विशिष्ट वैकल्पिक फसलों पर अनुसन्धान;

(छ) तंबाकू उद्योग में लगे कार्मिकों के लिए वैकल्पिक रोजगार अवसरों का मूल्यांकन करने और पता लगाने के लिए बढ़ रही जन-शक्ति की आवश्यकताओं पर सर्वेक्षण और अध्ययन;

(ज) तंबाकू और तंबाकू उत्पाद के लिए मांग को निर्धारित और नियन्त्रित करने वाले कारकों पर अध्ययन;

(झ) तंबाकू उपभोग पर सरकारी नीतियों के प्रभाव का अध्ययन;

(ञ) तंबाकू के प्रयोग की प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए आधारभूत और आवधिक अध्ययन;

(ट) तंबाकू से सम्बन्धित रोगों की गणना और मृत्यु-दर की मात्रा का पता लगाने के लिए अध्ययन;

(ठ) अंजाने धूम्रपान के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद द्वारा नियन्त्रण विषय अध्ययन;

(ड) प्रजननशीलता पर तंबाकू के प्रभाव का अध्ययन;

(ढ) बायो-केमिक, होमियोपैथिक और चिकित्सा की अन्य पद्धतियों में सुझाई गई औषधों के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा तंबाकू की लत को छोड़ने के लिए भेषज संहिता और गैर भेषज संहिता दृष्टिकोण पर अनुसन्धान ।

9. इस सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर चरणबद्ध रूप से कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय तंबाकू नियन्त्रण कार्य योजना तैयार की जाए । इसी तरह, राज्य और जिला स्तरों पर तम्बाकू नियन्त्रण कार्यकलाप योजनाएं तैयार की जाएं । इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कुछ प्रशासनिक उपायों की आवश्यकता है; राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर तम्बाकू नियन्त्रण समितियां गठित करना जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों, योजना आयोग और सम्बन्धित मन्त्रालयों के मध्य सहयोग, राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों में तम्बाकू नियन्त्रण सेल गठित करना। गैर सरकारी संगठनों और सरकारी कार्यालयों द्वारा चलाए जा रहे कार्यकलापों के ब्यौरों सहित जिला योजना तैयार करने के लिए जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की जाए और उसमें जननेताओं का सहयोग प्राप्त किया जाए ।

10. तम्बाकू पर सरकारी नीति का एक दस्तावेज तैयार किया जाए और उसे संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए ।

(**टिप्पणी** : तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधियों ने लोगों को जानकारी देने से सम्बन्धित सिफारिशों को छोड़कर अन्य सिफारिशों के विरुद्ध अपनी असहमति व्यक्त की है । अन्य प्रतिभोगियों ने मांग की है कि सम्मेलन की सिफारिशों को राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्य योजना का आधार बनाया जाना चाहिए और इस योजना को चरणों में लागू किया जाना चाहिए तथा तम्बाकू उद्योग को किन्हीं अन्य उद्योगों में लगाना चाहिए । तम्बाकू के खतरों से समाज को मुक्त कराने में सक्रिय रूप से सहायता करनी चाहिए ।)

सूरत और बड़ोदरा स्टेशनों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

860. **श्री काशी राम राणा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सूरत और बड़ोदरा स्टेशनों पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि व्यय की गई है तथा चालू वार्षिक योजना में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ख) इन स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) बड़ोदरा और सूरत स्टेशनों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ खर्च और 1991-92 के लिए किया गया आवंटन इस प्रकार है :—

स्टेशन	पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ खर्च	1991-92 के लिए आवंटन (आंकड़े लाख रुपयों में)
बड़ोदरा	45.90	35 82
सूरत	45.59	31.53

(ख) बड़ोदरा और सूरत स्टेशनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए क्रमश: 140.71 लाख और 117.74 लाख रुपये की लागत के विभिन्न निर्माण कार्य हाथ में हैं ।

स्टेशनों पर स्टालों की नीलामी

861. **श्री काशी राम राणा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर स्टालों की नीलामी होती है;

(ख) यदि हां, तो स्टेशनों पर स्टाल आवंटित करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेल विभाग को इससे कितनी राशि प्राप्त हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

862. **श्री काशी राम राणा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन कटाई के कितने मामलों का पता लगा है; और

(ख) इस बारे में क्या कारंवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल के त्रिचूर जिले में पर्यटन केन्द्र

[अनुवाद]

863. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल विकास पर्यटन निगम से त्रिचूर जिले में वैझाचल जलप्रवाह स्थित पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिचूर स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण

864. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में त्रिचूर स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) केरल में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की अद्यतन संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय केवल तिरुवनन्तपुरम स्टेशन पर कंप्यूटर द्वारा आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है ।

कोजीकोड में कारपोरेशन स्टेडियम का विकास

865. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में कोजीकोड में कारपोरेशन स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा करने और उसके विकास के लिए केरल सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इन्डोर तथा आउटडोर स्टेडियमों के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रत्येक के लिए 5.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इन्डोर स्टेडियम के लिए सम्पूर्ण धनराशि पहले ही जारी कर दी गई है। आउटडोर स्टेडियम के लिए 2.50 लाख रुपये की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है। द्वितीय तथा अन्तिम किश्त, प्रथम किश्त से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र और प्रगति रिपोर्ट केरल सरकार से प्राप्त होने पर, जारी की जायेगी।

हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता

866. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने "गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज" पपरोला तथा "हर्बल गार्डन", जोगिन्दर नगर को वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित सहायता कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	1990-91		1991-92	
	हिमाचल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता	दी गई सहायता	हिमाचल सरकार द्वारा मांगी गई सहायता	दी गई सहायता
I.	**राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पपरोला, हिमाचल प्रदेश**			
1.	10 लाख रुपये (उपकरणों की खरीद के लिए)	10 लाख रुपये	47,82,400/- रुपये (रिहाइश के लिए)	अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है।
2.	1,35,915 रुपये (75,750 रुपये उपकरणों की खरीद के लिए और 60,165 रुपये बुक बैंक के लिए)	1,35,750 रु० (1 लाख रु० प्रयोगशाला उपकरणों के लिए और 35,750 रु० बुक बैंक की स्थापना के लिए)	—	
II.	**जड़ी बूटी उद्यान, जोगिन्दर नगर, हिमाचल प्रदेश**			
1.	15 लाख रुपये	5 लाख रुपये	10 लाख रुपये	अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है।

वनों को अनाधिकृत रूप से काटना

[हिन्दी]

867. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वात की जानकारी है कि वृक्षों को अनाधिकृत रूप से काटा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे मामलों में दण्ड देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान वृक्षों को अवैध रूप से काटते हुए कितने लोगों को पकड़ा गया तथा उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई; और

(घ) इस समय देश में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र है तथा देश में सामाजिक वानिकी के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अवैध रूप से पेड़ों को काटना भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत दण्डनीय है और राज्य सरकारें अपराधियों के खिलाफ इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कारंवाई करती रही हैं।

(घ) वर्ष 1980 से 1991 तक सामाजिक वानिकी सहित वनरोपण/पौधरोपण गतिविधियों के तहत कुल 148.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया।

सामाजिक वानिकी के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है :—

(1) वर्ष 1991-92 के दौरान वनरोपण करके 10.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वन लगाए जाएंगे।

(2) वर्ष 1991-92 में कृषि वानिकी कार्यक्रम के तहत 1500 मिलियन पौध वितरित किये जाने का प्रस्ताव है।

(3) आठवीं योजना के दौरान वनरोपण गतिविधियों का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है।

2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदम

[अनुवाद]

868. **डा० विश्वनाथम कनिथी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रगति पर है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में खण्ड-वार सभी व्यक्तियों और परिवारों का पता लगाने और इसके लिए बेहतर पहचान-पत्र जारी करने एवं अनुवर्ती कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सन् 2000 ईसवी तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के विभिन्न कार्यक्रम मोटे तौर पर अच्छी तरह चल रहे हैं। इस बारे में पहचान पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कानपुर में चमड़ा एककों द्वारा प्रदूषण

[हिन्दी]

869. **श्री मोहन सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश में कानपुर की जो चमड़ा एककें अपने अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा गंगा नदी को प्रदूषित कर रही हैं उन्हें बंद कर दिया जाए अथवा उन एककों को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिएं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं ताकि कानपुर में गंगा के प्रदूषण को रोका जा सके ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा एम० सी० मेहरा बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, समादेश-याचिका (सिविल) सं० 3727/85 में कानपुर में उन चर्मशोधन शालाओं में प्राथमिक बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित नही किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 3-9-91 के निर्देश में यह पाया गया है कि उस समय तक 49 चर्मशोधनशालाओं में प्राथमिक उपचार सयंत्र नहीं स्थापित किए गए थे। जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इन चर्मशोधनशालाओं को बन्द करने के लिए कदम उठाने और उन्हें किसी भी प्रकार के चर्मशोधन कार्य आरम्भ करने की अनुमति प्रदान न करने को कहा गया था जब तक कि वे प्राथमिक उपचार संयंत्र स्थापित न कर लें। इसके परिणामस्वरूप इन सभी चर्मशोधनशालाओं को किसी भी प्रकार का चर्मशोधन कार्य आरम्भ करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई। इसके बाद उपर्युक्त 49 चर्मशोधनशालाओं में से 16 चर्मशोधनशालाओं ने प्राथमिक उपचार संयंत्र स्थापित कर लिये और उनको चर्मशोधन कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी गई है।

रेलवे में नये जोन और डिवीजन

871. **श्री मोहन सिंह** :

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कुछ और जोन और डिवीजन बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इन डिवीजनों और जोनों की स्थापना की जा रही है;

(ग) नये डिवीजनों और जोनों की स्थापना किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) नये डिवीजनों और जोनों की स्थापना करने एवं मुख्यालयों का चयन करने हेतु क्या मानदंड रखे गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) मंत्रालय कुछ जोनों का सृजन करने के बारे में विचार कर रहा है, मंडलों का नहीं ।

(ख) किसी नये जोन की स्थापना करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) और (घ) रेल सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा जोनों के कार्य-भार को ध्यान में रखते हुए नये जोनों की स्थापना करने का सुझाव दिया था ।

केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की मांग

[अनुवाद]

872. **श्री मोहन सिंह :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई, 1991 के हिन्दू (दिल्ली संस्करण) में "प्लो फार स्टेप्स टू रिजोल्व प्राब्लम्स आफ केन्द्रीय विद्यालयास टीचर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने भिन्न-भिन्न समय पर सन्दर्भाधीन प्रैस विज्ञप्ति में यथा सन्दर्भित मांगों सहित अनेक मांगें प्रस्तुत की हैं ।

संघ के प्रतिनिधियों ने मानव संसाधन विकास मन्त्री से 17-11-91 को भेंट की थी । सरकार हमेशा ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के संघों के साथ उनकी उचित मांगों की जांच करने के लिए इन मामलों पर चर्चा करने की इच्छुक है ताकि उपयुक्त समाधान किए जा सकें ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की दवाओं की गुणवत्ता

873. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री आनन्द-रत्न मौर्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों/अस्पतालों को सप्लाई की जा रही दवाओं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सरकार मेडिकल स्टोर डिपुओं से नमूने एकत्रित करने हेतु औषध नियंत्रक मे कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान दवाओं के परीक्षण के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों और अस्पतालों में प्राय: दवाएं उपलब्ध नहीं होती है;

(घ) यदि हां, तो डिस्पेंसरियों/अस्पतालों में दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों/अस्पतालों में सफाई का स्तर ठीक नहीं है; और

(च) यदि हां, तो अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को हर दृष्टि से साफ-सुथरा रखने के लिए उठाए गए कदमों अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) औषध नियंत्रक (भारत) ने फरवरी, 1991 में सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपुओं/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/अस्पतालों से नमूने उठाने के लिए मद्रास, कलकत्ता, गाजियाबाद तथा बम्बई में अपने जोनल अधिकारियों से अनुरोध किया है । बहराल नमूने इससे पहले भी उठाए जा रहे थे ।

1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान अब तक जांचे गए 114 नमूनों में से 97 नमूने मानक स्तर के पाए गए हैं तथा 17 नमूने मानक गुणवत्ता वाले नहीं पाए गए ।

(ग) से (च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/अस्पतालों में औषधों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं । इसमें डिस्पेंसरियों को जोनल आधार पर वे औषधें सप्लाई करने के लिए जो स्टॉक में नहीं हैं, प्राइवेट केमिस्टों को प्राधिकृत करना तथा खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है ।

स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सभी औषधालयों में पर्याप्त स्टाफ दिया गया है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी

874. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधालयों और अस्पतालों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को उचित, पर्याप्त और त्वरित चिकित्सा की सुविधा विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से मिल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चिकित्सक/कम्पान्डर आदि अपना कार्य समयानुसार करते हैं;

(घ) क्या औषधालयों के खुलने/बन्द होने के समयों की अचानक जांच की जाती है; और

(ङ) दिल्ली में रामकृष्णपुरम, जनकपुरी और राजौरी गार्डन के निवासियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की पोलिक्लिनिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) ऊपर 'क' को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) जनकपुरी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के रूप में पालिक्लिनिक ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इस समय आर० के० पुरम तथा राजौरी गार्डन में नया पॉलीक्लिनिक आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

875. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक अधिक "परिणाम उन्मुख बहु-उद्देशीय परिवार नियोजन कार्यक्रम" तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) पिछले कुछ महीनों में परिवार कल्याण विभाग ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से देश में जनसंख्या नियन्त्रण प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की है जिससे कि नवीन कार्यनीतियां तैयार की जा सकें और परिवार कल्याण कार्यक्रम पर नये सिरे से बल दिया जा सके तथा इसे गतिशीलता प्रदान की जा सके। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में जनसंख्या नियन्त्रण प्रयासों में फिर से तेजी लाने के लिए कार्य योजना का एक प्रारूप तैयार किया गया है। इस कार्य योजना प्रारूप में निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल हैं—(1) समाज के सभी वर्गों द्वारा

परिवार कल्याण कार्यक्रम के समर्थन तथा इसमें उनकी स्वैच्छिक भागीदारी के लिए राष्ट्रीय सहमति तैयार करना। (2) परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा इन्हें क्षेत्र सुलभ कराना। (3) कार्यक्रम में बुरी तरह से पिछड़ रहे 90 जिलों (जहां पर 1981 की जनगणना के अनुसार जन्म-दर 39 प्रति हजार तथा इससे ऊपर है) पर विशेष ध्यान देना। (4) छोटे परिवार के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों का एक नया पैकेज तैयार करना। (5) जन्म में अन्तर रखने के तरीकों को जोरदार ढंग से बढ़ावा देकर युवा आयु के दम्पतियों की कवरेज बढ़ाना। (6) नये गर्भनिरोधकों को आरम्भ करना तथा गर्भनिरोधकों की गुणवत्ता में सुधार करना। (7) शहरी विशेष रूप मे झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों में परिवार कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ करना। (8) चिकित्सा/परा-चिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्य को फिर से तेज करना जिसमें प्रेरणात्मक और परामर्शी पहलुओं पर बल दिया जाएगा। (9) व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए अच्छे कार्य को बनाए रखना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अन्य उपायों को सुदृढ़ करना। (10) जीवन से सम्बन्धित विषयों की गुणवत्ता पर बल देने तथा पारस्परिक सम्पर्क के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का पुनरभिविन्यास। (11) कार्यक्रम में सक्रिय सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक और गैर-सरकारी संगठनों को अधिकाधिक रूप से शामिल करना। (12) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करना, और (13) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों आदि पर उच्च स्तरीय अन्तर-क्षेत्रीय समन्वय तंत्र तैयार करना। कार्य योजना के इस प्रारूप को अब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है जिससे कि उन्हें इसमें दी गई बातों की और जांच करने का अवसर मिल सके और अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार वे इसमें सुधार लाने के लिए सुझाव दे सकें। राज्यों/संघ राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्रियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद अगले 2-3 महीनों में इस कार्य योजना को अंतिम रूप दिए जाने का प्रस्ताव है। आशा है कि इस तरह तैयार की गई कार्य योजना अधिक व्यावहारिक, यथार्थवादी और परिणामोन्मुखी होगी और इसका देश की जनसंख्या समस्या पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा।

डाक्टरों का विदेश पलायन

876. **श्री सुखवास कमाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों के विदेश पलायन में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन-से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिर भी विदेशों को हो रहे चिकित्सा कार्मिक शक्ति के माइग्रेशन को हतोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण लेने हेतु विदेशों में जा रहे चिकित्सा स्नातकों पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं जिनके लिए ऐसी प्रशिक्षण सुविधाएं देश में ही मौजूद हैं।

(2) कुछ विरल विशिष्टताओं के डाक्टरों को विदेशों में रोजगार के लिए प्रायोजित नहीं किया जाता है।

(3) केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों के डाक्टरों की सेवा शर्तों में समय-समय पर सुधार किए जाते हैं।

शोध छात्रों को परेशान किया जाना

877. **श्री भोगेन्द्र झा** : : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और दिल्ली विश्वविद्यालयों में गत तीन वर्षों के दौरान महिला/पुरुष शोध-छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने के कितने मामले हुए हैं;

(ख) इन आत्महत्याओं के कारणों का पता लगाने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है, तथा इस संबंध में किस-किस को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ग) 1977-83 और 1984-91 के दौरान यू० जी० सी०- जे० आर० एफ० फेलोशिप के लिए कितने उम्मीदवार सफल हुए थे;

(घ) क्या यू० जी० सी०-जे० एम० एफ० फेलोशिप के स्तरों में कोई परिवर्तन किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन का विकास

878 **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन जोनों के विकास की किसी योजना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूप-रेखा क्या है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय प्रस्तावित पूर्वोत्तर पर्यटन जोन में पश्चिम बंगाल में "टाइगर-प्रोजेक्ट" और प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध "सुन्दरवन" क्षेत्र को भी शामिल करने की व्यवहार्यता पर विचार करेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज

879. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 नवम्बर, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित अनरिकगनाइज्ड मेडिकल कालेजेज प्रिपेयर टू स्पयू ग्रेजुएट्स" आन सस्पेक्टिंग सोल्स" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार उस पर क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल नया मेडिकल कालेज खोलने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए पिछले पांच वर्षों के दौरान कुछेक ऐसे मेडिकल कालेज खोले गए हैं, जहां उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध नही है। इस कमी को दूर करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में उपयुक्त रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है।

सहार हवाई अड्डे पर माडयूल का निर्माण

880. **श्री राम नाईक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई के सहार हवाई अड्डे पर तीसरे माडयूल के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त कार्य को चालू वर्ष के बजट में शामिल किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत संभाव्यता रिपोर्ट पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड बैठक से पूर्व विचार-विमर्श किया गया है। विचार-विमर्श के अनुसार, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार को पुनः प्रस्तुत करने हेतु रिपोर्ट में संशोधन कर रहा है।

माल यातायात से एअर इंडिया को आय

881. **श्री विजय नवल पाटील** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान एअर इंडिया को माल यातायात से कुल कितनी आय हुई है;

(ख) क्या भारत से बाहर माल ले जाने से माल राजस्व के रूप में हुई आय की तुलना मे माल यातायात से हुई आय कम है; और

(ग) यदि हां, तो माल यातायात से राजस्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान एअर इंडिया द्वारा कार्गो यातायात से प्राप्त आय निम्न प्रकार थी :

वर्ष	अर्जन (करोड़ रुपये)
1989-90	238.14
1990-91	271.05

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

बीबीनगर-नडिकुडे रेल लाइन

882. **श्री धर्म भिक्षम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीबीनगर-नडिकुडे रेल लाइन (नई) का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) उक्त रेल मार्ग पर शैड, गोदाम, विश्रामगृह जैसी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) बीबीनगर-नडिकुडे खंड पर क्षमता बढ़ाने के लिए अपेक्षित सुविधाओं की पहचान कर ली गई है तथा इनसे संबंधित कार्य 1992-93 में शुरू किया जाएगा बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों ।

(ख) शेडों, गोदामों, विश्राम गृहों आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत प्रकिया है और जो मानदंडों के अनुसार की जाती हैं । इस संबंध में यातायात की आवश्यकताओं के लिए यथा-आवश्यक निर्माण कार्य, अपेक्षित होने पर शुरू किए जायेंगे जो धन की उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ।

नागार्जुन सागर पर्यटन केन्द्र

883. **श्री धर्म भिक्षम :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर पर्यटन केन्द्र को राष्ट्रीय विरासत परियोजना घोषित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध के केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां । तथापि, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत किसी स्थल को राष्ट्रीय विरासत परियोजना घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

दिल्ली नगर निगम के अध्यापकों को भविष्य निधि

884. **श्री धर्म भिक्षम** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के नगर निगम स्कूलों में अध्यापकों तथा कर्मचारियों की भविष्य निधि देयताओं तथा अन्य देयों के अंतिम निपटान में हो रहे अत्यधिक विलम्ब से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो देय राशियों के अंतिम निपटान के कितने मामले गत तीन वर्षों से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में, विशेष रूप से नगर निगम प्राथमिक विद्यालय राउज एवेन्यू और नगर निगम प्राथमिक विद्यालय गुरु राम दास नगर, लक्ष्मी नगर के लम्बित मामलों के निपटान हुतु क्या उपचारी उपाए किए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार सामान्य भविष्य निधि (जी० पी० एफ०) खातों/देयों तथा अन्य देयों का निपटारा मुख्यालय कार्यालय में होने वाली प्राप्तियों के आधार पर किया जाता है बशर्ते कि दावे सभी तरह से पूर्ण हों। दिल्ली नगर निगम के पास उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार मुख्यालय कार्यालय में सामान्य भविष्य निधि खाते का कोई मामला लबित नहो है। दिल्ली नगर निगम प्राथमिक स्कूल राउज एवेन्यू से संबंधित एक मामला लम्बित है क्योंकि मृतक के कानूनी नामिती ने औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। दिल्ली नगर निगम प्राथमिक स्कूल गुरु रामदास नगर, लक्ष्मी नगर से संबधित लम्बित मामलो, यदि कोई है, तो उसके संबध में स्थिति की जांच-पड़ताल की जा रही है।

बिहार में वनों का राष्ट्रीयकरण

[हिन्दी]

885. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संथाल परगना और छोटा नागपुर के वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जिसके फलस्वरूप लाखों आदिवासी बेकार और बेरोजगार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र के विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) संथाल परगना और छोटा नागपुर के वनों को कई वर्ष पूर्व आरक्षित वनों के रूप मे घोषित कर दिया गया था तथा इससे लाखों आदिवासी बेराजगार व बेघर नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा

886. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना जिलों में प्रत्येक वर्ष अनेक आदिवासी चिकित्सा सुविधाएं न मिलने के कारण मृत्यु के शिकार हो जाते है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन आदिवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण नहीं हुई है ।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रो में चिकित्सा और स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं औषधालयों के अलावा उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ग्रामीण स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे के जरिए उपलब्ध की जाती है ।

जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपकेन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मानदंडों को शिथिल करके सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 की आबादी के लिए एक उप-केन्द्र तथा 30,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामान्य मानदंड के स्थान पर 3,000 की आबादी के लिए एक उप-केन्द्र तथा 20,000 की आबादी के लिए 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कर दिया गया है । केन्द्र सरकार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके तथा क्षयरोग नियन्त्रण, कुष्ठ उन्मूलन, दृष्टिहीनता नियन्त्रण, मलेरिया नियन्त्रण, काला-आजार नियन्त्रण तथा रोग प्रतिरक्षण जैसे केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम चला कर राज्य सरकार के प्रयासों को पूरक बना रही है ।

अरुणाचल प्रदेश में संस्कृत को अनिवार्य बनाना

[अनुवाद]

887. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने विद्यालयों में संस्कृत को अनिवार्य बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के पीछे औचित्य क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय का कोई विरोध हुआ और उसके विरुद्ध कोई आन्दोलन उठा है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को त्रिभाषा फार्मूला के उचित कार्यान्वयन तथा मातृभाषा की अनुरक्षण के उद्देश्य से इस मामले में हस्तक्षेप करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वनों की कटाई

888. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 की तुलना में वर्तमान वन भूमि क्षेत्र कितना है;

(ख) वनों की कटाई की वार्षिक दर क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) किन-किन राज्यों में वनों की कटाई अत्यधिक हुई है; और

(घ) वनों की कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1989 के अनुसार कुल दर्ज वन क्षेत्र 75.18 मिलियन हेक्टेयर है तथा वन सांख्यिकी पुस्तक के अनुसार 1946-47 में वन क्षेत्र 34.76 मिलियन हेक्टेयर था ।

(ख) और (ग) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1989 के अनुसार वन क्षेत्र की वार्षिक क्षति 47,500 हेक्टेयर है । जिस राज्य में वनों की अधिकतम कटाई दर्शाई गई है, वह उड़ीसा है और इस वन कटाई का मुख्य कारण झूम कृषि बताया गया है ।

(घ) इस वन कटाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया है ताकि वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोका जा सके । 1988 के एक संशोधन द्वारा इस अधिनियम को और कठोर बनाया गया है ।

(2) 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण पर अधिक जोर दिया गया है । तराई, आग और अवैध कब्जों से वनों की सुरक्षा करने के लिए इसमें विशेष उपबन्ध हैं ।

(3) वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है ।

(4) घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के बदले ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है ।

(5) इमारती लकड़ी के लिए आयात नीति को उदार बनाया गया है ।

(6) लकड़ी के विकल्प के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं ।

(7) पैकिंग, रेलवे स्लीपरों, भवन निर्माण, फर्नीचर आदि में लकड़ी के वैकल्पिक सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है।

(8) झूम कृषि को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(9) वनों की सुरक्षा के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें कुछ दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं :—

(1) प्राकृतिक वनों की कटाई न करना और जहां इस प्रकार की कटाई वनवर्धन कार्यों के लिए जरूरी हो, वहां कटाई पहाड़ियों में 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नहीं की जानी चाहिए।

(2) पहाड़ियों और पर्वतों में 1000 मीटर से ऊपर हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

(3) भौगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत भाग को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा जीव मंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में अलग रखना।

रेल डिब्बों का निर्माण

889. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में बहुत अधिक संख्या में रेल डिब्बों की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में रेल डिब्बों की मांग को पूरा करने के लिए बनाई गई विस्तृत योजना का ब्यौरा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय प्रति वर्ष सरकार कितने रेल डिब्बों का निर्माण कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास में प्रति वर्ष सवारी डिब्बों की उत्पादन क्षमता 1000 से बढ़कर 1150 सवारी डिब्बे करने का कार्य मंजूर किया गया है और प्रति वर्ष 1000 सवारी डिब्बों का निर्माण करने के लिए कपूरथला में एक नया यूनिट स्थापित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन सहित रेलों द्वारा प्रति वर्ष लगभग 2200 सवारी डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है।

टिक्कू समिति की सिफारिशों को लागू करना

890. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री लालकृष्ण आडवाणी :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिक्कू समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर सरकार और डाक्टरों की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) टिक्कू समिति की सिफारिशों को दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है ।

(ख) सरकार ने दिनांक 14-11-91 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-45013/13/90-सी० एच० एम०-5 (प्रति उपाबन्ध में) के तहत टिक्कू समिति की सिफारिशों पर अपने निर्णयों की घोषणा की है । टिक्कू समिति की सिफारिशों पर डाक्टरों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है ।

विवरण-1

1. सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के अधिकारियों को 10 वर्ष की सेवा कर लेने के बाद वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर ऐसी प्रोन्नतियों को रिक्तियों के साथ जोड़े बिना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया जाए ।

2. सरकार को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों तथा विशेषज्ञ ग्रेड-II के वेतनमानों में समानता लाने पर विचार करना चाहिए ।

3. सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के अधिकारियों को रिक्तियों के साथ जोड़े बिना 14 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् 4500—5700 रुपये के ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया जाए । ऐसी प्रोन्नतियों के लिए चयन उसी तरह किया जाएगा जैसा कि विशेषज्ञों के ग्रेडों के लिए संस्तुत 4500—5700 रुपये के ग्रेड के लिए किया जाता है ।

4. कुछ समय बाद सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में पदों तथा अन्य उपसंवर्गों के पदों के बीच का अनुपात 1 : 1 तक ले आया जाए ।

5. चिकित्सा अधिकारियों के 250 पदों को अध्यापनेत्तर उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II के रूप में स्थानान्तरित कर दिया जाए । एक बारगी उपाय के रूप में इन पदों को सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में स्नातकोत्तर डिग्री तथा डिप्लोमा रखने वाले पात्र उम्मीदवारों में से आन्तरिक भर्ती द्वारा भर लिया जाए ।

6. भर्ती नियमों को औपचारिक रूप में संशोधित कर लेने के बाद आन्तरिक भर्ती के लिए अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II के वरिष्ठ वेतनमान वाले 100 पद सृजित किए जाएं ।

7. अध्यापनेत्तर उपसंवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति हो जाने पर स्नातकोत्तर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जितने पद रिक्त किए जाएं उन्हें भी सामान्य भर्ती के लिए अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ ग्रेड-2 में स्थानान्तरित कर दिया जाए ।

8. अध्यापनेत्तर उपसंवर्ग में ग्रेड-2 के भर्ती नियमों में 75 प्रतिशत प्रोन्नति और 25 प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान करने के लिए उनका संशोधन किया जाए ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में एक वर्ष की सेवा वाले पात्र स्नातकोत्तर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को प्रोन्नति कोटा के लिए निर्धारित पर पर प्रोन्नत होने के लिए योग्य घोषित कर दिया जाए।

9. ऐसे स्नातकोत्तर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी, जो अध्यापन विशेषज्ञ ग्रेड-2 के लिए अब पात्र है और नियुक्त होना चाहते हैं, उन्हें अध्यापन विशेषज्ञ ग्रेड-2 में नियुक्त कर दिया जाए और उनके द्वारा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में जो पद रिक्त किए जाएं उनको समाप्त कर दिया जाए।

10. जो अधिकारी पिछले वर्षों में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग से विशेषज्ञ उपसंवर्ग में चले गए थे, उन्हें अति विशिष्ट मामले के रूप में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में प्रत्यावर्तित होने का विकल्प दिया जाए।

11. भविष्य में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को जो जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग में प्रवेश करते हैं, 2 वर्ष की पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता दी जाए। इसी प्रकार स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों को एक वर्ष की पूर्व दिनांकित वरिष्ठता प्रदान की जाए। भविष्य में सेवा में प्रवेश करने वालों के लिए स्नातकोत्तर भत्ते को समाप्त कर दिया जाए।

12. अध्यापन उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II को जिन्हें ग्रेड 3700—5000 रु० का वरिष्ठ वेतनमान दिया जाता है, उनकी चार वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के उपरान्त 4500—5700 रु० के ग्रेड में पदोन्नत किया जाए।

13. अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती नियमों की समीक्षा की जाए तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियमों को ध्यान में रखते हुए उनमें उपयुक्त संशोधन किया जाए। यदि नियमों में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो सहायक प्रोफेसरों को उस समय अपेक्षित 2 वर्ष के बजाय 4 वर्ष के उपरान्त 3700—5000 रु० के वेतनमान में रखा जाए।

14. यदि डी० एम०, एम० सी० एच०, अथवा समकक्ष अर्हता वाले किसी डाक्टर की भर्ती केन्द्रीय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में की जाती है जिस ग्रेड में उसकी भर्ती की जाए उसमें उसे दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाएं।

15. 4500—5700 रु० के फंक्शनल ग्रेड तथा तीन विशेषज्ञ उप-संवर्गों के 4500—5700 रु० के नॉन-फंक्शनल प्लेसमेंट ग्रेड को आपस में मिला दिया जाए। वरिष्ठ टाइम वेतनमान में विशेषज्ञ ग्रेड-II अधिकारियों को उनकी सेवा के 4 वर्ष पूरे हो जाने के बाद 4500—5700 रु० के समाहित ग्रेड में पदोन्नत किया जाए। पदोन्नति चयन द्वारा होगी। अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नत करने के बारे में तभी विचार किया जाए जब वे "बहुत अच्छा" बेंच मार्क पर खरे उतरें। चयन का कोई जोन नहीं होगा।

16. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों में संशोधन करके उनमें विशेषज्ञ ग्रेड में 4500--5700 रु० तथा 3500—5000 रु० के स्तर पर, अन्य स्रोतों से व्यक्तियों को लेने का प्रावधान किया जाए तथा इतनी मात्रा में और सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित पदों का सृजन वार्षिक आधार पर किया जाए।

17. एक बारगी उपाय के रूप में जिन अधिकारियों को 1-1-1973 को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के समूह "क" में शामिल किया गया है, उनको चरणवार रूप में स्वस्थाने (व्यक्तिगत) आधार पर एस० ए० जी० के पद पद पदोन्नत कर दिया जाए ताकि वे सभी व्यक्ति जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चुने गए वर्ष 1993 के मध्य तक एस० ए० जी० हो जाएं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा मे वर्ष 1990 में, 1991, 1992 और 1993 के दौरान स्व-स्थाने क्रमश: 120, 75, 50 और 50 अधिकारियों को प्रोन्नत कर दिया जाए। इसी प्रकार इन्हीं अवधियों के दौरान रेलवे मेडिकल सेवा में 250, 100, 75 तथा 75 अधिकारियों का दर्जा बढ़ा दिया जाए। एस० ए० जी० 6 से 9 महीने की अवधि के भीतर पर्याप्त मात्रा में, जितना कि कार्य करने के लिए औचित्य हो, पद बना लिया जाए। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य के औचित्य के आधार पर निर्धारित किए गए एस० ए० जी० पदों की सख्या कुल संवर्ग सख्या का 15 प्रतिशत होना चाहिए। जिन अधिकारियों को स्वस्थाने प्रोन्नति दी गई है उन्हें स्वीकृत पदों पर तैनात किया जाए। जिन पदो पर अन्य व्यक्ति कार्यरत है और जिनका इस प्रकार समायोजन नहीं किया जा सकता उनको उसी मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिन पर ऐसे पदो पर आने से पहले तैनात थे और वे इन पदो पर नहीं रहेंगे।

18. विशेषज्ञों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए वर्ष 1990, 1991 और 1992 के दौरान अध्यापन उप-सवर्ग में 30 पदों, अध्यापनेतर उप-संवर्ग मे 46 पदो और लोक स्वास्थ्य उप-सवर्ग में 1 पद का 4500—5700 रुपये के कार्यात्मक ग्रेड से एस० ए० जी० में दर्जा बढ़ाया जाए।

19. 5900—6700 रुपये के ग्रेड में प्रोफेसर के पदों को वरिष्ठ प्रोफेसरों के पद पर नामित किया जाए और अध्यापन उप-संवर्ग में 7300—7600 रुपये के ग्रेड में मंजूर किए गए किसी भी पद को निदेशक-प्रोफेसर के रूप मे नामित किया जाए।

20. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के एसएजी के 8 पदों का 7300—7600 रुपये के ग्रेड में दर्जा बढ़ाया जाए और अपर महानिदेशक के 3 पदों का सृजन किया जाए जहां कुल संवर्ग क्षमता के कार्यात्मक रूप से तर्कसंगत एसएजी के पद 1 प्रतिशत तक मजूर किए गए हों।

21. डाक बोर्ड, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद और सीमा-शुल्क बोर्ड में पदों के आधार पर अपर महानिदेशक के 5 पद (मौजूदा दो और नए सृजन किए जाने वाले) 7300—8000 रुपये के वेतनमान में शुरू किए जाएं।

22. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से संबंधित संवर्ग प्रबंध का कार्य कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास रहना चाहिए बशर्ते कि जैसा इस पैरा में बताया गया है।

23. रेल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के पद का 8000 रुपये के नियत वेतनमान में दर्जा बढ़ाया जाए। एस ए जी के 9 पदों का 7300—7600 रुपये के वेतनमान में दर्जा बढ़ाया जाए। रेल बोर्ड द्वारा 7300—7600 रुपये के वेतनमान में एक पद को समाप्त करके 7300—8000 रुपये के ग्रेड में 2 पदों का सृजन किया जाए।

24. एकबारगी उपाय और 7300—7600 रुपये के वेतनमान में पदो का दर्जा बढ़ाने के रूप में एस ए जी के पदों के सृजन के दिशा-निर्देश भारतीय आयुध कारखाना और दिल्ली नगर निगम के पदों के लिए भी अपनाया जाए।

25. दीर्घावधि उपाय के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और सम्बद्ध संवर्ग के अधिकारियों के लिए एक अशांधित/लचीली संपूरक योजना शुरू करने के बारे मे सरकार जांच करे ताकि उनकी पदोन्नति की संभावनाओं को सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि कैरियर-प्रगति के लिए इन संवर्गों में उच्च स्तर के पदों की मंजूरी की प्रचलित पद्धति कठिन है।

26. मांग के गुणागुण पर पृथक रूप से विचार करके, हम डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाये जाने की सिफारिश करते हैं। फिर भी सरकार, सरकार की सामान्य नीति के सन्दर्भ में इस मामले मे निर्णय लेगी।

27. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) के नियम 30 के अधीन उपलब्ध सेवा मे जोड़े गए वर्षों का फायदा नियमों के उपयुक्त संशोधन द्वारा एम बी बी एस डिग्रीधारियों के साथ सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्गों की भर्ती के लिए भी लागू किया जाए।

28. प्रारम्भ में सभी राज्य सरकारों द्वारा भाग न लिए जाने पर भी कार्यान्वयन के लिए भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन किया जाना चाहिए।

29. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में आने वाले सभी नए सदस्यों को 8 से 12 सप्ताह के आधारभूत पाठ्यक्रम में भेजा जाना चाहिए। अधिशासी, सलाहकारी और उच्चतर प्रशासनिक तीन स्तरों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए।

30. अविच्छिन्न चिकित्सा शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए डाक्टरों को पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिएं।

31. चूंकि चिकित्सा क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 3 वर्ष की अवधि के होते हैं इसलिए अध्ययन अवकाश को 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष करने के लिए अध्ययन अवकाश प्राव-धानों में संशोधन किया जाना चाहिए।

32. चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधानों के लिए सारे ढांचे की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल नियुक्त किया जाना चाहिए जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा को एक एकीकृत संवर्ग के रूप मे अर्जित करने और आधार स्तर पर पदों की प्रतिशतता शुरू करके प्रतिनियुक्ति और अल्पकालिक संविदा द्वारा आने वाले

अधिकारियों पर प्रवेश स्तर पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए उपाय करने जैसे मामलों की जांच करे।

उपाबन्ध

संख्या ए० 45013/13/90-सी०एच०एस०

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक, 14 नवम्बर, 1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सेवारत डाक्टरों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (टिक्कू) की सिफारिशें—उन पर लिए गए निर्णय।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के भविष्य में उन्नति के अवसरों के सभी पहलुओं और संवर्ग पुनः संरचना की जांच करने के लिए भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) श्री आर० के० टिक्कू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार किया है और निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

(1) मौजूदा सामान्य वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (5900—6700 रुपये) के दो पदों का दर्जा बढ़ाकर अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा के ऊपर महानिदेशकों (7300—7600 रुपये) के दो अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा। अपर महानिदेशकों के इन अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति अपर महानिदेशकों के मौजूदा पदों के अनुरूप ही की जाएगी।

(2) 5900—6700 रुपये के सुपर टाइम वेतनमान मे चार पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1982 के नियम 4 (9) के अन्तर्गत 7300—7600 रुपये के वेतनमान में चार अतिरिक्त पदों के लिए कारंवाई की जाएगी।

(3) अस्थायी आधार पर प्रोफेसरों (4500—5700 रुपये) के पदों के बराबर की संख्या के पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में निदेशक प्रोफेसर (5900—6700 रु०) के 34 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा।

(4) अस्थायी आधार पर विशेषज्ञ ग्रेड-1 (4500—5700 रुपये) के पदों के बराबर की संख्या के पदों का दर्जा बढ़ाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर शिक्षण विशेषज्ञ के उपसवर्ग में परामर्शदाता (5900—6700 रुपये) के 35 रिक्त पदों का सृजन किया जाएगा।

(5) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यात्मक चयन ग्रेड (4500—5700 रुपये) और

कार्यात्मक ग्रेड (4500—5700 रु०) के बीच के अन्तर को दूर कर दिया जाएगा। गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (4500—5700 रु०) के सभी सह-प्रोफेसरों को 1-12-1991 से प्रोफेसरों के रूप में पदनामित किया जाएगा। गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (4500—5700 रु०) के सभी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (गैर शिक्षण और जन स्वास्थ्य उपसंवर्ग) को 1-12-1991 से विशेषज्ञ ग्रेड-I के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(6) सभी प्रोफेसर (4500—5700 रुपये) और विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारी (गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900—6700 रुपये) पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों और 4500—5700 रुपये के वेतनमान में उन्होंने कम-से-कम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो। चाहे उच्च सेवा कार्यात्मक ग्रेड अथवा 4500—5700 रुपये के गैर कार्यात्मक ग्रेड में की गई हो। सह-प्रोफेसर और विशेषज्ञ ग्रेड-II अधिकारी जो इस समय गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड में हैं और जिन्हें 1-12-91 से क्रमशः प्रोफेसर और विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाना है, को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900—5700 रुपये) पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्रता सूचियां तैयार करने के उद्देश्य से क्रमशः मौजूदा प्रोफेसरों और विशेषज्ञ ग्रेड-I के अधिकारियों के नीचे सामूहिक रूप से रखा जाएगा।

(7) जैसा कि शिक्षण उप-संवर्ग के मामले में किया गया है उसी प्रकार गैर-शिक्षण विशेषज्ञ और जन स्वास्थ्य शिक्षण विशेषज्ञ के उप-संवर्गों में भी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (3000—5000 रुपये) के रूप में भर्ती के लिए अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम अनिवार्य अर्हता स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष के अनुभव सहित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष के अनुभव सहित स्नातकोत्तर डिप्लोमा होगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती किए गए सभी विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों को 3000—5000 रुपये के वेतनमान में दो वर्षों की सेवा पूरी करने पर 3700—5000 रुपये के वेतनमान में प्रोन्नत किया जाएगा बशर्ते कि वे वरिष्ठता-सह-योग्यता में पूरे उत्तरें।

(8) सुपर स्पेशियलिटी से संबंधित पदों की भर्ती जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम अनिवार्य अर्हता डी० एम० अथवा एम० सी एच० अथवा समकक्ष है को शिक्षण और गैर-शिक्षण विशेषज्ञता उप-संवर्गों में (3700-5000 रुपये) के वेतनमान में की जाएगी।

(9) तीनों उप-संवर्गों (शिक्षण, गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य) में 3700—5000 रु० के वेतनमान में छः वर्ष की सेवा वाले अधिकारी अथवा 3000—5000 रुपये और 3700—5000 रुपये के वेतनमानों में कुल आठ वर्ष की सेवा वाले अधिकारियों को मौजूदा दिशा-निर्देशों (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुल मिलाकर अच्छे कार्य निष्पादन और पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम दो "बहुत अच्छे"

मूल्यांकन के लिए व्यवस्था है) के अनुसार 4500—5700 रुपये के वेतनमान में रखा जाएगा। इस प्रकार से 4500—7300 रुपये के वेतनमान में रखे जाने पर सह-प्रोफेसरों को प्रोफेसर के रूप में और विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारियों (गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य) को विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारियों के रूप में पदनामित हुआ समझा जाएगा।

(10) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (3000—4500 रुपये) की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रूप में छः वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर अथवा चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रूप में 10 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा पूरी करने पर, जिसमें कम से कम दो वर्षों की सेवा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में होगी, को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (3700—5000 रुपये) के वेतनमान में पदोन्नत किया जाएगा बशर्ते कि उनको रिक्तियों से बिना किसी संबंध के "अच्छे" की श्रेणी में क्लीयर कर दिया गया हो। चयन का कोई क्षेत्र नहीं होगा। यह पदोन्नतियां पदोन्नत किए गए अधिकारियों के लिए स्वस्थाने और व्यक्तिगत आधार पर होगी। प्रसंगवश यह बात जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को एक और समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करेगी। जैसे कि वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर चिकित्सा अधिकारियों (2200—4000 रुपये) के स्तर से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (3000—4500 रुपये) के स्तर पर पहली समयबद्ध प्रोन्नति को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। जैसा कि इस समय मौजूदा दिशा-निर्देशों (पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम दो "बहुत अच्छा" मूल्यांकन सहित कुल मिलाकर अच्छा कार्य निष्पादन) के आधार पर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के सभी वरिष्ठ ड्यूटी पदों की पन्द्रह प्रतिशत सीमा तक 4500—5700 रुपये के ग्रेड में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को रखा जाना जारी रहेगा। 4500—5700 रुपये के वेतनमान में तीन वर्षों की सेवा सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा कुल सत्रह वर्षों की ग्रुप "ए" की सेवा वाले व्यक्ति वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के पदों (5900—6700 रुपये) पर पदोन्नति के लिए पात्र होते रहेंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों।

(11) विभिन्न अस्पतालों और शिक्षण तथा अन्य संस्थानों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी अचिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/सुपर टाइम ग्रेड अधिकारियों द्वारा धारित सभी पदों, जहां किए जाने वाले प्रमुखतः विशिष्टीकृत प्रकृति के होते हैं और सामान्यतया जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त डाक्टरों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है, को विशेषज्ञ पदों में बदल दिया जाएगा और जिन्हें विशेषज्ञों के भर्ती नियमों में मौजूदा उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा। सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग से चिकित्सा अधिकारियों/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/सुपर टाइम ग्रेड अधिकारियों के पदों की संख्या के बराबर

पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। अस्पतालों और शिक्षण तथा अन्य संस्थानों में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के ऐसे पदों को विशेषज्ञ पदों में बदलने की बात खुली प्रतियोगिता के माध्यम से विशेषज्ञ उप-संवर्गों में प्रवेश करने के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग से संबंधित अर्हता अधिकारियों के लिए अवसर उत्पन्न करेगी।

(12) 4500—5700 रु० के साथ-साथ 3700 –5000 रु० के स्तर पर सीधी भर्ती की जा सकती है. जो पदों के पता लगाने की बात पर निर्भर होगी।

(13) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत उपलब्ध सेवा में वृद्धि किए गए वर्षों के लाभ केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होंगे।

(14) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के संवर्ग व्यवस्था से संबंधित कार्य के किसी भाग को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को स्थानांतरित करने की व्यवहार्यता और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्य को और अधिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के मामले की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जांच की जाएगी।

(15) रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य संगठन पृथक रूप से संवर्ग की पुनर्संरचना के प्रस्तावों और सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग पर लिए गए निर्णयों की बात को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए कार्रवाई करेंगे।

(16) डाक्टरों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के मुद्दे को उसकी विवक्षा और प्रतिक्रियाओं के बारे में और अधिक विस्तृत जांच के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्थगित रखा गया है।

(17) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अखिल भारतीय सेवा प्रभाग) यथा समय राज्य सरकारों से परामर्श लेते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा बनाने के प्रश्न की जांच करेगा।

2. सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अन्य सिफारिशों को स्वीकार करना संभव नहीं पाया है।

3. उपर्युक्त निर्णयों के फलस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम 1982 में संशोधन, जहां कहीं भी आवश्यक होंगे, यथासमय जारी किए जाएंगे।

हस्ताक्षर/-

(एस० हरिहरण)

उप-सचिव, भारत सरकार

(दूरभाष सं० 3014495)

अफ्रीकी-एशियाई सेल

891. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले वर्ष राजधानी में प्रथम अफ्रीकी-एशियाई खेल आयोजित करने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तटीय जल में घरेलू जल-मल का बहाया जाना

892. **श्री गंगाधर सानीपल्ली** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष समुद्र में कितनी मात्रा में कीटनाशक और संश्लेषित डिटर्जेन्ट बहाये जाते हैं;

(ख) तटीय जल में प्रति वर्ष कितना घरेलू जल-मल बहाया जाता है; और

(ग) समुद्री प्रदूषण की निगरानी करने और इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) तटीय जल में छोड़े जा रहे कीटनाशकों, संश्लेषित डिटरजेंट और अशोषित घरेलू मलजल के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) समुद्री जल प्रदूषण की मात्रा निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान तटीय जल की जांच कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के जरिए अधिक प्रदूषण फैलाने वाली सभी इकाइयों को निदेश दिए हैं कि वे उत्सर्जन और विसर्जन के सम्बन्ध में जारी किये गए मानकों का 31-12-91 तक अनुपालन करें।

निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं;

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किये गए हैं;

(3) उद्योगों के लिए स्थान निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश बनाए गए है;

(4) बहिस्रावों और उत्सर्जनों को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए उद्योगों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मंजूरी की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है;

(5) प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(6) साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने हेतु एक स्कीम शुरू की गई है।

[अनुवाद]

12.00 मध्याह्न

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सदन के कार्य संचालन से संबंधित एक मामले पर स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हूं।

लोक सभा कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियमों के नियम 2, जो विभिन्न पदों की परिभाषा से संबंधित है, के अन्तर्गत सदन के नेता की परिभाषा का अर्थ प्रधानमंत्री, यदि वह सदन का सदस्य है, अथवा कोई मंत्री जो सदन का सदस्य है और उसे प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में नामांकित किया जाता है; बताया गया है। मुझे इस नियम की पृष्ठभूमि मालूम है। पहले सिर्फ प्रधानमंत्री ही सदन का नेता हो सकता था। लेकिन 1966 में जब हमारे देश का प्रधान-मंत्री दूसरे सदन का सदस्य था तब यह नियम बनाया गया था ताकि सदन प्रभावी ढंग से कार्य कर सके चाहे प्रधानमंत्री दूसरे सदन का ही सदस्य क्यों न हो।

चुनावों के बाद स्थिति यह थी कि बहुमत दल का नेता इस सदन का सदस्य नहीं था इसलिए इस विशेष्टि नियम का उपयोग कर सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को सदन का नेता नियुक्त किया गया था। मेरा विचार है कि इस नियम की उचित व्याख्या वह है जो कौल और शकधर ने विशिष्ट रूप से बतायी है। मैं कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 122 को उद्धृत करता हूं—इसमें कहा गया है :

> "प्रधान मंत्री, जो लोक सभा में बहुमत वाले दल का नेता है लोक सभा में सदन के नेता के रूप में कार्य करता है सिवाय इसके जब वह लोक सभा का सदस्य नहीं होता।"

अतः मात्र अपवाद यह है कि जब वह लोक सभा का सदस्य नहीं होता तो सभा के दूसरे वरिष्ठ मंत्री को सदन का नेता नियुक्त किया जायेगा। नियम 2 में यही एक आवश्यक बात है जिसे 1966 में लाया गया था। वास्तव में, शाब्दिक रूप से, इसकी व्याख्या नियम की भावना की अनदेखी करने के लिए की जा सकती है। मैं यह मानता हूं।

मेरा निवेदन है कि इस मामले को स्पष्ट करने की जरूरत है। हाऊस आफ कामन्स में, सदन का नेता आम-तौर तथा अनिवार्यतः दूसरा मंत्री होता है और वहां पर इस प्रकार का उपबंध नहीं है कि सदन का नेता प्रधान मंत्री होगा, जैसा कि हमारे यहां है और गत 42, 44 वर्षों में, सिवाय एक संक्षिप्त अवधि के, जैसा मैंने पहले बताया था कि उस अवधि में प्रधान मंत्री दूसरे सदन के सदस्य थे और एक अन्य अवसर पर जब प्रधान मंत्री विदेश गये थे तो अन्य मंत्री को सदन का नेता बना दिया गया था, भारतीय संसद में सदैव यही परम्परा रही है।

यह मामला मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिये बिना उठाया है। मुझे इससे सरोकार नहीं है। निश्चित ही मैंने सत्ताधारी दल के सदस्यों, संसद सदस्यों और वक्ताओं को विभिन्न रूपों में बोलते देखा है—एक के अनुसार श्री पी० वी० नरसिंह राव स्वतः ही सदन के नेता हो गये हैं। मेरा कहना है कि जो कुछ किया जाता है उसकी सदन में घोषणा करनी पड़ती है। यदि सत्ता पक्ष

का सदन के सामने कोई और प्रस्ताव रखने का विचार है तो नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाये ताकि प्रक्रिया संबंधी नियमों की भाषा और भावना दोनों का सम्मान किया जा सके।

मैं यही निवेदन करना चाहता था और मैं समझता हूं कि इस बारे में अध्यक्ष पीठ द्वारा स्पष्टीकरण देना उचित होगा।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौडगढ़) : व्यक्तियों का नाम लिए बिना अथवा सत्ता पक्ष द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख किये बिना, यह कर्त्तव्य की जिम्मेदारी की बात है कि चाहे सदन का नेता किसी को भी बनाया जाये। जैसे कि आडवाणी जी ने कौल और शकधर के पृष्ठ 127 का उल्लेख किया था, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आपका ध्यान कौल और शकधर के पृष्ठ 123 की ओर भी दिलाना चाहूंगा :

"सदन नेता एक महत्वपूर्ण संसदीय अधिकारी होता है और कार्य करने के क्रम पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। सरकार की सारी नीति, विशेषकर जहां तक सभा के आन्तरिक जीवन में और सभा के कार्यक्रम से संबंधित कार्य में उपलक्षित होती है, सदन नेता में ही केन्द्रित होती है।"

सदन के नेता के कृत्यों से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार न करते हुए एक महत्वपूर्ण कृत्य, अर्थात् सरकारी कार्य को निपटाने की बात है। फिलहाल सरकारी कार्य को निपटाने का काम अक्सर वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री जैसे सक्षम व्यक्ति को सौंपा जाता है जोकि वास्तव में सदन के नेता की जिम्मेदारी होती है।

इसके अतिरिक्त, एक और अति महत्वपूर्ण मामला है जो पृष्ठ 124 पर है। इसके अनुसार :—

"सदन नेता विधान कार्य की दिशा निर्धारित करता है और यह भी फैसला करता है कि उसमें क्या होगा। कौन से संशोधन स्वीकार किये जाने हैं, गैर-सरकारी सदस्यों के किस विधेयक का समर्थन करेगी और कि किसी प्रश्न पर सदस्यों को स्वतंत्र रूप से वोट देने की अनुमति दी जाए या नहीं—इन बातों का अंतिम फैसला उसी के हाथ में होता है। इसलिए विधान बनाने की प्रक्रिया में सदन नेता सम्भवतः सबसे अधिक महत्वशाली व्यक्ति होता है।"

हमारे यह कहने का कारण यह है कि सत्र अभी शुरू ही हुआ है। सत्ता पक्ष के सामने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विधायी कार्यक्रम है। हम यह जानना चाहते हैं कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में इस विधायी कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जायेगा।

एक और पहलू है। यह पहलू प्रक्रिया संबंधी बात से निपटने का मामला नहीं है बल्कि सदन के सभी मामलों से है, व्यक्तिगत वक्तव्य आदि का मामला है। अब यदि कोई सदस्य व्यक्तिगत वक्तव्य देना चाहता है तो उसे आपकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। सामान्यतः सदन के नेता को भी उस व्यक्तिगत वक्तव्य को देखना होता है और व्यक्तिगत वक्तव्य के बारे में कुछ कहना होता है। यह पहलू है—क्षमा करें—आपके उच्च पद और सदन के नेता के बीच एक आंतरिक संबंध होता है। क्या मैं इस पहलू को पढ़ूं ?

अध्यक्ष महोदय : हमें ऐसी किसी बात की आवश्यकता नहीं है। हमें इस विषय में कोई सन्देह नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : एक और पहलू है। सदन के नेता को विपक्ष के साथ भी संबंध रखना होता है। यदि कहूं कि वास्तव में वह विपक्ष के अधिकारों, कृत्यों और सदन के भीतर उनके विशेषाधिकारों का उतना ही संरक्षक होता है जितना कि वह संपूर्ण सदन का संरक्षक होता है। इसीलिए उसे सदन का नेता कहा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन पृष्ठों को पढ़ा है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या आप जो पुस्तक में कहा गया है, उसकी कोई विशेष व्याख्या कर रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : नहीं, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। अतः पागे समिति की टिप्पणियां···(**व्यवधान**)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : यह सब किस प्रकार संगत है ?

श्री जसवंत सिंह : यह सब संगत है।

श्री चन्द्रशेखर : नहीं, यह बिल्कुल संगत नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : यदि यह संगत नहीं है तो कोई भी सदन का नेता हो सकता है। प्रधान मंत्री यह भली-भांति निश्चित कर सकता है कि क, ख अथवा ग मंत्री नहीं, बल्कि कोई भी सदन का नेता हो सकता है। आपको नियम बदल देने चाहिये। वास्तव में आवश्यकता एक उचित पद और सदन के नेता की घोषणा किये जाने की है।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से अपना नेता चुनने की जिम्मेदारी सत्ताधारी पक्ष की है। नियम इन पर रोक नहीं लगाते कि प्रधानमंत्री के सिवाय और कोई सदस्य सदन का नेता नहीं हो सकता। यह दूसरी बात है कि यदि विपक्ष के नेता वर्तमान सदन नेता की बजाय प्रधानमंत्री को अधिक सुविधाजनक सदन नेता समझते हैं तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन विपक्ष को सत्ता पक्ष से घोषणा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि सदन का नेता कौन है।

श्री जसवन्त सिंह : बात यह बिल्कुल नहीं है। महोदय, मैंने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, माननीय चन्द्रशेखरजी को केवल इसलिए बोलने का मौका दिया था क्योंकि मैंने सोचा था कि इसका कोई खास पहलू होगा। मैं नहीं समझता कि कोई था। वास्तव में, नियम स्पष्ट है। चन्द्रशेखर जी ने कहा कि नियम के प्रावधान के अंतर्गत शासक दल ऐसा कर सकता है जो वह चाहता है। यह कोई विपक्ष के नेता की सुविधा या असुविधा का अथवा किसको अधिक तरजीह दिया जाता है या किसको कम तरजीह दिया जाता है, का प्रश्न नहीं है। वास्तव में, मैं नहीं समझता कि सत्ता पक्ष को वह विकल्प उपलब्ध है। नियम (2) की व्याख्या में कुछ लचीलापन तो हो सकता है लेकिन इसके बाद तो कौल एंड शकधर की अधिकृत व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है। नियम (2) के अन्तर्गत उपलब्ध विकल्प का कौल एंड शकधर की व्याख्या में उल्लेख नहीं है। यह विपक्ष के नेता की सुविधा या असुविधा का प्रश्न नहीं है। यह तो मात्र इसका एक कार्य संबंधी पहलू है जिस पर ध्यान देने के लिए हम आपसे कह रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कृपया आधा मिनट दें। सदन के नेता के रूप में श्री अर्जुन

सिंह को देखकर हम लोग अति प्रसन्न हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के नेता का शासक दल के निकट का संबंध बन गया है। शासक दल ने गिनीज बुक में जो परिणाम दर्ज करवाया है, उससे परिणाम के संबंध में उनके पास कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध है। मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि वे किसी ऐसी बात का अनुमान लगा रहे हों जो वहां हो रहा है। इन दिनों उनके पास कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध है। शासक दल और भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस प्रकार मिल कर कार्य कर रहे हैं, उससे हमें लगता है कि उनके बीच निकट का संबंध और सहयोग कायम हो गया है···(व्यवधान) किन्तु, महोदय, मेरी इच्छा है कि श्री अर्जुन सिंह सदन का नेता बने रहें और वे इस बात की घोषणा करके सम्मान प्राप्त करें कि औद्योगिक नीति और व्यापार नीति को कार्यान्वित नहीं किया जायेगा।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : माननीय महोदय, यह पहली बार नहीं हुआ है कि मैं गलती से अथवा जान-बूझकर चर्चा का केन्द्र बन गया हूं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा···(व्यवधान)।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं है। इसे स्पष्ट किया जा चुका है।

श्री अर्जुन सिंह : क्या मैंने उस बारे में कोई बात कही है। मैं नहीं समझता कि इस पर किसी को इतना अधिक संवेदनशील होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि मैं यहां पर हूं तो किसी की सिफारिश पर नहीं आया हूं और इसलिए नहीं हूं कि कोई चाहता है कि मैं यहां रहूं या नहीं रहूं। मैं यहां सदन के नेता के रूप कार्य कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने नेता, श्री नरसिंह राव जी, प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है। दूसरी बात है, मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा परिस्थितियों के कारण किया क्योंकि उन्हें प्रधान मंत्री का पद सौंपा गया था। वे सदन के एक निर्वाचित सदस्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने सदन के नेता के रूप में सदन में कार्य करने के लिए मुझे नामोद्दिष्ट करना उचित समझा। मैं सदन में कार्य नहीं कर सकता था, जैसा कि अनेक सदस्यों की इच्छा है अथवा शायद सदन मेरे कुछ कार्यों की सराहना नहीं करती। यदि मैंने कोई कार्य ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए क्षमा मांगता हूं किन्तु, मैंने अपनी सम्पूर्ण निष्ठा के साथ जो मेरी क्षमता के भीतर है जिसे मेरे नेता ने मुझे दी है उसे करने की कोशिश की है। इस समय जो प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में मैं श्री आडवाणी की चिन्ता को समझता हूं कि प्रक्रिया और नीति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस बारे में मुझे कोई सन्देह भी नहीं है। मैं इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि चूंकि प्रधान मंत्री के इस सदन में निर्वाचित होने के पश्चात्, वे विदेश जा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि विदेश से वापस आने तक मैं इस पद पर बना रहूं। वापस आने पर श्री नरसिंह राव सदन के नेता होंगे।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है, मामला अब निपट गया है और श्री अर्जुन सिंह ने बहुत ही साफ-साफ इसका स्पष्टीकरण दे दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि विभिन्न पार्टियों के सभी नेताओं एवं सदन के नेता, श्री अर्जुन सिंह ने सदन में अति प्रशंसनीय कार्य किया है। यह काम कांग्रेस पार्टी का है कि वे किसे सदन का नेता चुनते हैं। वे जो भी निर्णय लेंगे हम सबको स्वीकार्य होगा।

———

12.16 म० प०

बर्खास्त किए गए रेल कर्मचारियों की बहाली के बारे में

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मुझे रेल मंत्री को यहां उपस्थित देखकर प्रसन्नता हो रही है। अपना वचन न निभाने के लिए वह कुख्यात हैं। आपको भी इसकी जानकारी है क्योंकि आपने भी हस्तक्षेप किया था। पिछली दो सरकारों ने न केवल वचनबद्धता दिखाई थी, बल्कि उन्होंने उन विस्थापित कामगारों को पुनः नियुक्त करने के आदेश भी दिए थे जिन्हें बिना किसी जांच, अथवा बिना किसी आरोप पत्र या सुनवाई के, रेल (अनुशासन और अपील) नियम के कुख्यात और विनाशकारी नियम 14 (2) के अन्तर्गत नौकरी से हटा दिया गया था।

इस मामले को पहले भी इस सदन में उठाया गया था। आपने कुछ टिप्पणियां की थीं। माननीय मंत्री जी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि मामले को देखा जा रहा है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। पिछले सत्र में उन्होंने कहा था कि इसे कैबिनेट को भेजा गया है। ढाई महीने बीत चुके हैं। हमें यह नहीं बताया गया है कि क्या निर्णय लिया गया है। मेरा विश्वास है कि अधिक नहीं तो कम-से-कम सप्ताह में एक बार कैबिनेट की बैठक अवश्य होती है। यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि आप इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकते। आप इस देश में बहुत-सी चीजों को बदलने में लगे हैं। संसद को विश्वास में लिए बिना यहां तक कि संसद का सत्र बुलाए बिना सम्पूर्ण औद्योगिक नीति बदल दी गई है। आपने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। यह देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के समक्ष घुटनों के बल खड़ा है। क्या आप कुछेक उन कामगारों को पुनः नियुक्त करने के बारे में एक निर्णय नहीं ले सकते जिन्हें मनमाने ढंग से रेल-सेवा से निकाल दिया गया था और जिसके लिए आपसे पूर्ववर्ती सरकार ने एक सराहनीय निर्णय लिया था। क्या पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति आपकी यही प्रतिक्रिया है? ये निर्णय कैबिनेट द्वारा लिये गये थे। मैं समझ सकता हूं कि क्या हुआ होगा। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि चूंकि श्री वी० पी० सिंह की सरकार जा रही है, इसलिये इसे यह निर्णय नहीं लेना चाहिये था, इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिये। कोई अन्य विरोधी निर्णय नहीं लिया गया था।

अतः, मेरा श्री जाफर शरीफ से अनुरोध है कि वे आज और अभी यह घोषणा करें कि पुनर्नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं अथवा आज ही जारी कर दिये जायंगे। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री को याद होगा कि इस सदन के सभी सदस्यों ने इस मांग का समर्थन किया था। पिछली लोक सभा में हमारे कुछ अति सम्माननीय सदस्य, जो उस समय सरकार में नहीं थे, इस मांग को लेकर अध्यक्ष के समक्ष बैठ गये थे। चूंकि वे इस समय सरकार में हैं, मैं देखता हूं कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न उठाये जाते हैं, वे अपने को बिल्कुल अलग कर लेते है। श्री कुमारमंगलम इसका सामना नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्यों चुप्पी साधी हुई है। मैं मांग करता हूं कि तत्काल इसकी घोषणा की जानी चाहिये। रेलवे कर्मचारी भी अपना सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं; इसलिये यह घोषणा करने का बिल्कुल उपयुक्त समय है। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारासाट) : सबकी यही मांग है ।

[हिन्दी]

श्री राम बिलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, आज हमने एक एडजर्नमेंट मोशन और कालिंग अटेंशन दिया है ! आल इंडिया रेलवे मैन फैडरेशन के करीब 50 हजार से ज्यादा एम्पलाइज आज प्रदर्शन कर रहे हैं । समान वेतन, कैजुअल स्टाफ और कांट्रैक्ट सिस्टम के एबालिशन को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं । सोमनाथ बाबू ने भी अभी यह मामला उठाया है । यह एक बहुत गम्भीर मामला है । रेलवे पब्लिक अडरटेकिंग देश का एक बहुत बड़ा उद्योग है । और जब जाफर शरीफ साहब यहां मंत्री हैं और पहले भी मंत्री रहे हैं तो इनको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे यह लगे कि यह कर्मचारियों के विरोध में हैं। इसलिये मैं चाहूंगा, बहुत अच्छी बात है कि अभी वह यहां मौजूदा हैं, भारत सरकार से और रेलवे मिनिस्टर से यह कैटेगोरिकल एश्योरेंस कि एक तो जो एम्पाइज के रीइन्स्टेटमैंट का सवाल था, डिसमिस्ड एम्पलाइज का, उस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है और दूसरे जो रेलवेमैन फेडरेशन है···(व्यवधान)···हां, वह अभी बैठे हुए हैं । दूसरे, आल इण्डिया रेलवेमैन फैडरेशन द्वारा जो विरोध चल रहा है, जो प्रदर्शन और कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके सम्बन्ध में आपको भी ज्ञापन दिया गया है, अध्यक्ष जी, आपको भी लोग मिलने वाले हैं और आपको भी ज्ञापन भेजा गया है तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में एक सकारात्मक रुख अपनाये और आज इस सम्बन्ध में सरकार को घोषणा करनी चाहिये । यह हमारी सरकार से मांग है ।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विगत में भी हमने इस मामले का समर्थन किया था और महोदय, यदि आपको याद हो, हमारे भूतपूर्व सहयोगी, श्री हरीश रावत और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री जसवन्त सिंह तुगलक रोड थाने में बन्द किये गये थे । इसलिये, महोदय, माननीय रेल मंत्री यहां उपस्थित हैं और उनसे हमें अनेकों बार आश्वासन मिल चुका है, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर कृपया विचार किया जाये क्योंकि इस मसले को लेकर सारा सदन एक साथ है ।

श्री चित्त बसु : महोदय, वास्तव में मेरा विचार है कि माननीय रेल मंत्री को उनकी पार्टी सहित इस सदन के सभी सदस्यों की मांग मान लेनी चाहिये । मैं उन्हें रेल मंत्री के रूप में उनके उत्तरदायित्वों की याद दिलाना चाहता हूं। उनके पूर्ववर्ती मंत्री ने कोई निर्णय किया हुआ है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था ।

इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्ववर्ती मंत्री द्वारा लिये गये निर्णय का अपना कोई महत्व नहीं है । इसीलिये महोदय हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सरकार अर्थात् रेल मंत्री को चाहिये कि निकाले गये मजदूरों को बहाल करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं मानें । मैं आशा करता हूं कि वे हमारी मांग पर गौर करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि जब एक बार

फैसला हो चुका है तो एम्पलाइज के विक्टीमाइजेशन का प्रोसस समाप्त करना चाहिए, इससे सौहार्द्र कायम होगा। कर्मचारियों का विक्टीमाइजेशन बहुत देर से चलता है इसलिये इसको अविलम्ब स्वीकार किया जाय। दूसरी बात मैं इसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो-जो घोषणाएं की थीं, रेलवे के मामले में, उन सभी का परिपालन किया जाय। आगरा से इलाहाबाद रेलवे लाइन की घोषणा जनेश्वर मिश्र जी ने की थी, वह भी खत्ते में डाल दी गई। जो भी फैसले किये गये हैं, उनको राजनैतिक आधार पर ठुकराया नहीं जाना चाहिए। इसी कड़ी में मैं यह कहना चाहता हूं कि एम्पाइज का रीइन्स्टेटमैंट भी अविलम्ब किया जाय और जो अन्य घोषणाएं की थीं, उन्हें भी पूरा किया जाय।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह मामला इस सभा में सभी पक्षों द्वारा कई बार उठाया गया और समूची सभा की यही भावना है। इन रेल कर्मचारियों को वर्ष 1981 में जनवरी में बरखास्त किया गया था और तब से वे बेरोजगार हैं। इस समय लगभग 700 रेल कर्मचारी बेरोजगार हैं। महोदय, उनके पूर्ववर्ती मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र द्वारा सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि पिछली सरकार अर्थात् राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा लिया निर्णय कार्यान्वित किया जाएगा और उसके बाद पुनः एक बार नहीं बल्कि दो बार वर्तमान रेल मंत्री श्री सी० के० जाफर शरीफ ने इस सभा में एक सुस्पष्ट आश्वासन दिया था कि बरखास्त किये गये इन कर्मचारियों की बहाली के बारे में सहानुभूतिपूर्वक गौर किया जाएगा। तत्पश्चात् परामर्शदात्री समिति की बैठक में मंत्री जी ने मुझे बताया था कि इस मामले में कार्मिक मंत्रालय और विधि मंत्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है और अब यह मंत्रिमंडल के विचाराधीन है।

महोदय, मामले को मंत्रिमंडल को भेजे दो महीने हो गए हैं। हम मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में जानना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी कई मामले लम्बित पड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आपको अपनी बात स्पष्ट करने के लिए इतना लम्बा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : आज बोट क्लब पर हजारों रेल कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं कि बरखास्त किए गए इन रेल कर्मचारियों की बहाली की जाए। हम चाहते हैं कि रेल मंत्री जी आज ही यह घोषणा कर दें कि बरखास्त किए गए इन रेल कर्मचारियों को बहाल किया जायेगा।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की दलील का समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि रेल मंत्री जी को ऐसी घोषणा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि इस मामले से सभी पहलुओं का अध्ययन कर लिया गया है और सरकार ने रेल मंत्री जी के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं पर गौर कर लिया था। अतः जो भी समस्याएं हैं, उसके बावजूद इन रेल कर्मचारियों की बहाली की घोषणा करना ही न्यायोचित होगा।

[हिन्दी]

श्री दत्त मेघे (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पिछले अधिवेशन में भी उठा था।

यह रेलवे के कर्मचारियों से संबंधित मामला है, कांग्रेस की नीति हमेशा एम्पलाईज के साथ रही है। जिन लोगों को डिसमिस किया गया है, उनके बारे में सिम्पेथैटिक व्यू लेकर काम पर लेना चाहिए। कांग्रेस की नीति उनके खिलाफ नहीं जायेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। रेलवे के कर्मचारी जो देश के लिये बहुत अच्छा काम करते हैं उनके साथ सिम्पैथैटिक व्यू लेकर काम पर लेना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं समझता हूं कि यह मामला इस सभा में तीसरी बार उठाया जा रहा है और सभा के सभी पक्षों ने इसको समर्थन प्रदान किया है। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने एक सुनिश्चित वक्तव्य दिया था कि वे इस मामले पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ मंत्रिमंडल जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लगभग 700 मामले हैं। पिछले दो मंत्री इस पर सहमत हो गए थे और वर्तमान मंत्री जी भी इससे सहमत हैं और उन्होंने यह जताया कि वे इस मामले को मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे और यह स्पष्ट संकेत दिया कि मंजूरी जरूर मिल जायेगी, इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे हमें निर्णय से अवगत कराएं। बस यही हम चाहते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला कई बार इस सभा में उठाया गया है और सभा के सभी पक्षों का इसे समर्थन प्राप्त है तथा सभी चाहते हैं कि बरखास्त रेल कर्मचारियों को फिर से बहाल किया जाए। मुझे याद है कि एक बार माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा था कि यह निर्णय पिछली सरकार द्वारा नहीं लिया गया था। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में रेल मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यहां एक स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि उन्होंने इन कर्मचारियों की बहाली के आदेश जारी कर दिये थे, उन्होंने यह भी कहा था कि जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, उनके निकट सम्बन्धियों या उनके लड़कों को भी रोजगार दिया जायेगा। उस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उन्हें उस निर्णय की जानकारी नहीं है।

महोदय, रेलवे में ऐसी कुछ एजेन्सियां हैं जो इन कर्मचारियों की बहाली नहीं चाहती हैं। माननीय मंत्री जी ने एक स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इसलिए, बिना हिचकिचाहट के मेरी यह राय है कि मंत्री जी को सभा में इनकी बहाली के बारे में घोषणा कर देनी चाहिए।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं अन्य सदस्यों के समान ही चिंतित हूं। इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि रेल मंत्री इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और आवश्यक आदेश जारी करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं लेकिन मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि इस मामले पर कार्यवाही न करना विश्वास तोड़ना होगा क्योंकि लगातार तीन लोक सभाओं—आठवीं, नवीं और दसवीं लोक सभा—का लग-

मग सर्वसम्मत दृष्टिकोण यही रहा है और निन्तर दो सरकारों ने—पहली सरकार जिसमें श्री जार्ज फर्नान्डीज रेल मंत्री थे और दूसरी सरकार जिसमें श्री जनेश्वर मिश्र रेल मंत्री थे—वायदा भी किया था। इस प्रकार सर्वमान्य संसदीय विचारधारा की अभिव्यक्ति के बाद तथा निरन्तर दो सरकारों, जिनके रेल मंत्री इन कर्मचारियों की बहाली के प्रति वचनबद्ध थे, के बाद इन कर्मचारियों को बहाल न किये जाने से शिकायतों के निवारण के संदर्भ में संसद के प्रति आस्था कम हो जाएगी एवं क्षमता के प्रति संदेह उत्पन्न होगा।

इसलिए मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे यहां इसी समय इनकी बहाली की घोषणा कर दें जिससे पिछली सरकारों द्वारा किया गया वायदा भी पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त श्री जाफर शरीफ सुन कर हंस रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं असल में संसद का जो एक सामूहिक विसड्म है उसके तहत आप देख रहे हैं कि सब तरफ से लोग कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करते हैं और मानते हैं। मैं आज आपके जरिए मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, जैसा कि आडवाणी जी बोले कि तीन सत्र से इस सदन में सवाल को हम लोग करते आ रहे हैं कि इसको करा लीजिए, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि मंत्री महोदय को उनकी पार्टी का समर्थन है और हमको लगता है कि केबिनेट से इन्होंने बात की होगी ओर उनका भी समर्थन प्राप्त है, तो फिर इसको ऐलान करने के लिए क्या दिक्कत है ? जबकि सारे हाउस तथा हर तरफ से समर्थन प्राप्त है। तो मैं चाहूंगा कि आप आज ऐलान करें कि जो डिसमिस एमप्लाइज हैं उनको रिएंसटेट कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं समझता हूं कि बरखास्त कर्मचारियों की बहाली के बारे में इस सभा में मतैक्य है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। इसलिए मेरा भी यही विचार है। लेकिन मंत्री जी इस बारे में यहां आज ही वक्तव्य दें, यह एक समस्या है और समस्या होगी। मैं मंत्री जी अपील करूंगा कि···**(व्यवधान)**···

हम यहां सभी बरखास्त कर्मचारियों की बहाली चाहते हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इसकी घोषणा कर दें और समुचित समय पर कार्यवाही करें। विपक्ष ने एक ऐसा माहौल पैदा कर लिया है कि हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। हम भी उनकी बहाली चाहते हैं। मंत्री महोदय समुचित समय में कर्मचारियों की बहाली के बारे में वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : जैसा कि सोमनाथ चटर्जी ने उल्लेख किया है इस मामले को सभा में कई बार उठाया गया है। यहां तक कि हम से कुछ सदस्य सभा के बीच में आकर बैठ गए। उन्होंने मुझ पर चुप रहने का आरोप लगाया, मेरी भी यही मांग है। यह एक मानवीय मामला है। हम इसके विरुद्ध नहीं है।

माननीय रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट संबंधी भाषण में कहा था कि वे इसे केबिनेट

के समक्ष लाएंगे और इस पर केबिनेट की मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा है तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी घोषणा करने में उन्हें कोई अड़चन हो।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी प्रकार से इसका जवाब देना चाहते हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैंने कभी आशा नहीं की थी कि यह अचानक हो जाएगा। फिर भी सभी सदस्यों, विशेषकर विपक्ष के नेता, भूतपूर्व प्रधान मंत्री और इस संबंध में चिंता व्यक्त करने वाले सदन के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए, मैं आशा करता हूं कि मैंने जो पहले कहा था माननीय सदस्य उसे समझेंगे। मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं। वास्तव में पिछली सरकार द्वारा लिया गया निर्णय मंत्रिमंडल का निर्णय था। इसलिए पिछले सत्र में मैंने उसके प्रति अपनी वचनबद्धता दर्शायी…**(व्यवधान)**…कृपया मेरी बात सुनिए। पिछले सत्र में मैंने इस सदन में कहा था कि यह मामला मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाएगा। मैंने यह भी कहा था कि मेरी सहानुभूति श्रमिकों के साथ रहेगी।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार अपना वादा कब पूरा करेगी। सदन की मंशा है कि यह घोषणा होनी चाहिए। यह बात इस सदन में कई बार कही जा चुकी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को कम्पलीट करने दीजिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, इस मामले से मंत्रिमंडल अब अवगत है। वास्तव में मंत्रिमंडल में अब तक इस पर विचार हो चुका होता। दुर्भाग्य से अन्य बहुत से कार्यों और प्राथमिकताओं के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। अभी हाल ही में विधि मंत्रालय द्वारा कुछ जानकारी मांगी गई थी जिसका मैंने उत्तर दे दिया था। मामला मंत्रिमंडल के विचाराधीन है। इस संसदीय सत्र के दौरान ही मंत्रिमंडल की किसी एक बैठक में मैं इसे रखूंगा। मंत्रिमंडलीय विषय मेरे अधीन हैं। मैं अब मात्र रेलवे का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं मंत्रिमंडल सचिवालय से कहूंगा कि इस मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि इस पर कोई निर्णय लिया जा सके।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह उचित नहीं है, सदन के नेता को स्थिति से स्पष्ट करना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : हम उनकी निस्सहायता को समझते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सदन को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। **(व्यवधान)** हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। अगर यही रवैया है तो हम विरोध स्वरूप सदन से बाहर चले जाएंगे। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : अब बहुत हो गया। आपने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। **(व्यवधान)** यह सदन का अपमान है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने अपना मत व्यक्त किया था। हम दो महीनों से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मंत्रिमंडल के काम करने का यही तरीका है कि आप ढाई महीनों में भी निर्णय नहीं ले सके हैं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप मंत्रिमंडल को हुक्म नहीं दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग सुनिए, आप समझिए कि इस मैटर को हल करने के रास्ते पर हम चल रहे हैं। आप सुनिए, उसके बाद आपको जो करना हो, कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं यह बात सदन की कार्रवाई में लाना चाहता हूं कि सदन के पिछले सत्र में इस मामले को उठाया गया था और उस समय भी सदस्य आज के समान एकमत थे। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तब माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ;वह इस मामले को अपनी सिफारिश सहित मंत्रिमंडल में रखेंगे, जो उन्होंने रख दी है। अब यह सत्य है कि मंत्रिमंडल इस बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है।

कई माननीय सदस्य : क्यों ? **(व्यवधान)**

श्री अर्जुन सिंह : श्री मदन लाल खुराना जी, अगर आप सुनें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पूरी बात सुन तो लें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान : सदन के नेता के रूप में क्या आप आज इसकी घोषणा करेंगे ?

श्री अर्जुन सिंह : मैं जानता हूं मुझे क्या कहना है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बात पूरी करने दें।

श्री अर्जुन सिंह : मैं समझता हूं कि कई सदस्य जिन्होंने अपनी राय व्यक्त की है इस बात को भी समझेंगे कि मंत्रिमंडल के कार्यकरण के परिमाण क्या हैं ? मैं एक मिनट के लिए भी यह नहीं कह रहा हूं कि यह मामला ऐसा नहीं है कि इस पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था किंतु तथ्य यह है कि इस मामले में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि जैसे ही माननीय प्रधान मंत्री लौटेंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को उनके

सम्मुख रखूंगा और बताऊंगा कि सदन इस पर एकमत है और मुझे विश्वास है कि वह इस सदन के विश्वास को टूटने नहीं देंगे···(**व्यवधान**)।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं सदन के नेता का धन्यवाद करता हूं। मैं समझ सकता हूं कि अन्य महत्वपूर्ण मामलों के कारण मंत्रिमंडल तकनीकी रूप से इसे पारित नहीं कर सका है। लेकिन हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि सदन में इसे इस सत्र में घोषित किया जाएगा। इसी आधार पर हम कार्यवाही में भाग ले रहे हैं। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि हमारे देश में बहुत से कुष्ठ रोगी है। एक इंस्टीच्यूट द्वारा उनकी आंखें और किडनी निकाल कर बेचने का काला धंधा बड़े पैमाने पर हो रहा है। आगरा में एक "जालमा रिसर्च इंस्टीच्यूट आफ लेपरसी" बना हुआ है। मेसे पास कई लोगों की शिकायतें आयी हैं। इस तरह के रोगियों को ले जाकर ठीक करने के नाम पर उनकी आखें और किडनी निकाल कर बेचते हैं। रोगियों से कहा जाता है कि 10—15 दिन में आपका इलाज करके आपको ठीक कर दिया जाएगा। उनको यह भी कहा जाता है कि सरकारी खर्चे पर आपका इलाज किया जाएगा। यहां पर अर्जुन सिंह जी बैठे हुए हैं। मैं हाउस से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। मैं चाहता हूं कि इसकी सी० बी० आई० जांच हो और ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो हमारे देश के कमजोर, हरिजन और अल्संख्यक लेपरसी के रोगी, लंगड़े-लूले आदि लोगों पर अन्याय और जुल्म कर रहे हैं तथा उनकी आखें और किडनी निकाल कर बेचने का घिनौना धंधा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवाएं।

12.41 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[**अनुवाद**]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 20 नवम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 1991 की एक प्रति भेजने का निदेश हुआ है।"

12.41½ म० प०

भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 1991 को सभा-पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे।

12.42 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तिरुपति-पकाला मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री महासमुद्रम राजेन्द्र रेड्डी (चित्तूर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान तिरुपति-पकाला मीटर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने तथा पकाला और कटपाड़ी के बीच समानान्तर बड़ी लाइनें बनाने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। इस बारे में सर्वेक्षण कार्य 1986-87 में किया जा चुका है। चिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 2 करोड़ रुपये देना स्वीकार किया है। इस रेल लाइन से इस क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इस मीटर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने से न केवल माल के परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने में अपितु कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से तिरुपति आने वाले तीर्थयात्रियों को आने में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा, वहां दो स्थित दो विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी इससे सुविधा होगी।

इसलिए मैं सरकार से तिरुपति-पकाला मीटर लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का अनुरोध करता हूं।

12.43 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले चल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : महोदय, पहले ही सूचना दे चुका हूं। मैं इस सभा के समक्ष इस सभा के सदस्यों की वास्तविक समस्यायें रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे बाद में सुनेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : पहले ही पांच महीने गुजर चुके हैं। लगभग 50 सदस्यों को अभी तक आवास आवंटित नहीं किए गए हैं। वे कहां जाएंगे ? इस सम्बन्ध में मैं पहले नोटिस दे

चुका हूं। आवास समिनि के अध्यक्ष यहां उपस्थित हैं। उन्हें इस विषय पर कुछ कहने के लिए कहा जाना चाहिए।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : महोदय, हम सरकार से 50 आवासों की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार के समक्ष इस सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

केवल 50 एम० पीज० को हम मकान नहीं दे पाए हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंगकब्बालू (धर्मपुरी) : महोदय, सरकार को हमारी सहायता करनी होगी। यदि सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। वह आपके रहने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

नियम 377 के अधीन मामले – जारी

(दो) बस्तर के वनों का उपग्रह से सर्वेक्षण करने और वनों की कटाई को रोकने के लिए निवारक उपाय करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनकूराम सोढ़ी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध बस्तर जिले में भारी वन-विनाश आदिवासियों द्वारा हजारों हैक्टेयर आरक्षित वनों की अवैध कटाई द्वारा हुआ है। इसके कारण बस्तर का वनक्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है। वनों में फैली लाखों हैक्टेयर खाली जमीन पेड़-पौधों के अभाव में रेतीली होती जा रही है तथा वर्षा अनियमित हो गई है। इससे पर्यावरण और आदिवासियों की जीवन शैली पर गंभीर विपरीत असर पड़ा है। यदि इस पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो बस्तर के शेष वन भी शीघ्र ही नष्ट हो जायेंगे।

अतएव मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री बस्तर के वनों का उपग्रह द्वारा वास्तविक सर्वेक्षण कराने के पश्चात वस्तुस्थिति बतायें। दूसरे, वनों को बचाने और बढ़ाने के लिए पूरे जिले में कम से कम दस साल के लिए लकड़ी व बांस की कटाई व निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए। तीसरा, यह कि वनों में खाली पड़ी लगभग पाद्रह लाख हैक्टेयर जमीन पर जनोपयोगी और पर्यावरण बचाने वाले पेड़ व्यापक रूप से लगाये जाएं। इसके लिए जरूरी हो तो निजी क्षेत्र की सेवाएं भी ली जाएं। यदि यह सब तत्काल नहीं किया गया तो यह विश्व-प्रसिद्ध वन-अंचल उजड़ जायेगा।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आपकी अनुमति से मैं कुछ कहना चाहता

हूं। मैं शून्यकाल में व्यवधान नहीं डालना चाहता था। परन्तु इस समय हम कुछ कह सकते हैं जो सामान्यत: शायद नियमों के अधीन नहीं कह सकते। मैं यह कहना चाहता हूं कि समस्त सभा एक विपक्षी सदस्य, जिनकी हाल ही में शादी हुई है, को बधाई देती है। हम सभी उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : समस्त सभा उन्हें तहे दिल से बधाई देती है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : मैं मिठाइयों के इन्तजार में बधाई देने वाले समूह में सम्मिलित हो रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : बधाई देने वालों में शामिल होते हुए, मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इस सभा के सदस्यों को विवाह समारोह में शामिल होने का अवसर नहीं दिया गया। **(व्यवधान)**

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : क्या मैं भी बधाई दे सकता हूं? जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा, हमें समारोह में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। **(व्यवधान)**

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : साम्यवादी दल के एक सदस्य श्री टी० जे० अंजलोज का भी हाल ही में विवाह हुआ है और उन्हें भी बधाई दी जानी चाहिए। मैं उन्हें बधाई देता हूं। **(व्यवधान)**

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : महिला सदस्य होने के नाते मैं भी उन्हें बधाई देती हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : व्यक्तिगत रूप से मैं अभिनंदन कर चुका हूं और उनके अभिनंदन समारोह में भी सम्मिलित हो चुका हूं। लेकिन संसद सदस्य के नाते, सदन के नेता के साथ-साथ मैं भी उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : जनता दल की ओर से दीपिका जी को बधाई देती हूं, हालांकि इन्होंने हमको आमंत्रित नहीं किया था।

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : जनता दल की ओर से दीपिका जी को बधाई देती हूं और सुखी जीवन के लिए शुभ-कामनाएं देती हूं। दुख है कि हमें नहीं बुलाया गया था।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : हनीमून मनाने के लिए हिमाचल में आ जाना। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती दीपिका चिखलिया (बड़ौदा) : मैं इस बधाई के लिए सभा की शुक्रगुजार हूं।

[हिन्दी]

माननीय सदस्यों की यह शिकायत है कि उन्हें कार्ड्स नहीं मिले। यह पोस्ट-आफिस की गलती है। दीपावली कार्ड्स के साथ मिक्स हो गया होगा।

[अनुवाद]

मैं अपने साथ लोक सभा की पूरी डायरी ले गई थी ।

[हिन्दी]

अभी नहीं मिला है तो एक महीने के बाद जरूर मिल जायेगा ।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : डिनर का इंतजाम होना चाहिए ।

श्रीमती दीपिका चिखलिया : जरूर मिल जायेगा ।

नियम 377 के अधीन मामले—जारी

(तीन) हिमाचल प्रदेश में पोंटासाहिब रामपुर बुशेर और पंजौर सवारघाट मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : हिमाचल प्रदेश में पोन्टा साहिब से एक सड़क कमराउ, रनहाट, हयुनी, हार्दकोटी रोड, समरकोट इत्यादि नगरों से होती हुई रामपुर बुशेर पहुंचती है और वहां जाकर बोर्डर (सीमावर्ती मार्ग) में प्रवेश करती है और वहां से होती हुई किन्नौर व समदोह पहुंचती है जहां से आगे तिब्बत की सीमा लगती है। इसके अतिरिक्त एक सड़क हरियाणा में पंजौर के स्थान से चलकर नालागढ़, सवारघाट, जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है, जाकर मिलती है। यह सड़क कुल्लू और मनाली होती हुई लेह, लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र से मिलती है। इन दोनों सड़कों का प्रबन्ध बोर्डर रोड के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। मैं इन दोनों मार्गों को नेशनल-हाई-वे बनाने हेतु भारत सरकार से मांग करता हूं ।

[अनुवाद]

(चार) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को वेतन का शीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : केन्द्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक-एक थर्ड एम० ओ० रखा गया है जिसका वेतन केन्द्र सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। इनकी संख्या 706 है। इन लोगों को मार्च, 1991 से अभी तक वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि केन्द्र सरकार ने ऐड (ए० आई० डी०) देना बन्द कर दिया है। इन डाक्टरों की स्थिति दयनीय हो गई है। मैंने 14 सितम्बर, 1991 को यह मामला लोक सभा में उठाया था, लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है ।

केन्द्र सरकार ने आज तक प्रदेश सरकार को न तो पैसा भेजा है और न ही कोई आदेश दिया है, जिससे कि इन डाक्टरों को वेतन मिल सके ।

अतः मेरा केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि राज्य सरकार को इन डाक्टरों को वेतन देने के लिए उचित धन की व्यवस्था करें ।

(पांच) जलगांव, महाराष्ट्र में रसोई गैस के अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित करने की आवश्यकता

डा० गुणवंत रामभाऊ सरोदे (जलगांव) : मेरे जलगांव जिला महाराष्ट्र में बहुत लोगों ने बिना रसीद के गैस सिलेंडर और रेग्युलेटर दुगुना पैसा देकर खरीदे हैं। उनकी संख्या लगभग पांच हजार है। अब तकलीफ यह है कि रेग्युलेटर बदलकर दिया गया है और गैस एजेंसी वाले रेग्युलेटर बदल नहीं रहे हैं, उसकी वजह से लोगों की तकलीफें बढ़ गई हैं और बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। मेरी प्रार्थना है कि जिनके पास बिना रसीद के गैस कनेक्शन हैं उन्हें जमा करवा कर उनके स्थान पर नये रेग्युलेटर दिये जायें।

(छः) कानपुर देहात में तंगधारी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कदम उठाने और वहां की कृषि उत्पादों पर आधारित कुछ उद्योग लगाने की आवश्यकता

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : कानपुर देहात में यमुना नदी के आसपास का बीहड़ क्षेत्र वहां के लिए सदा से ही एक समस्या के रूप में बना रहा है। समाज विरोधी तत्वों के लिए यह सम्पूर्ण क्षेत्र एक आदर्श शरणस्थली का कार्य करता है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र का कोई विकास भी नहीं हो पाता है। युवकों में बेरोजगारी बढ़ती है तथा वे भी समाज विरोधी कार्यों में लिप्त हो जाते हैं।

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस सारे क्षेत्र को बीहड़ व ऊबड़-खाबड़ जमीन का समतलीकरण करा कर के इस सारे क्षेत्र में कृषि तथा कृषि से जुड़े उद्योगों की स्थापना की जाये।

[अनुवाद]

(सात) तमिलनाडु के पेरून्दुरई नामक स्थान पर सिपकोट परियोजना समूह के बारे में विकास केन्द्र परियोजना रिपोर्ट को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, पेरिमार जिले में पेरून्दुराई एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तमिलनाडु सरकार ने वहां एक एस० आई० पी० सी० ओ० टी० परियोजना परिसर को स्वीकृति दी है और वे शिलान्यास तथा भारत सरकार से स्वीकृति का इन्तजार कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग भारत सरकार के उद्योग विभाग को 'ग्रोथ सेंटर प्रोजेक्ट रिपोर्ट' को स्वीकृति देने हेतु पहले ही लिख चुका है। एस० आई० पी० सी० ओ० टी० काम्प्लैक्स की स्थापना से पेरून्दुराई क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है तथा भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति मिलने से क्षेत्र के लोगों का बहुत सहायता मिलेगी।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह तमिलनाडु में पेरून्दुराई में सिपकोट परियोजना काम्पलैक्स की 'ग्रोथ सेंटर प्रोजेक्ट रिपोर्ट' को तत्काल स्वीकृति प्रदान करे।

———

12.54 म० पू०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

रूमानिया के राजनयिक श्री लिवियू राडू की सुरक्षित वापसी

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : महोदय, मुझे सभा को यह सूचित करते हुए खुशी है कि रोमानियाई राजनयिक श्री लिवियू राडू जिनका 9 अक्तूबर, 1991 को अपहरण कर लिया गया था, अपने नई दिल्ली स्थित निवास पर लगभग 11 बजे सकुशल वापस पहुंच गये हैं। यह बताया गया है कि श्री राडू एक टैक्सी में अकेले आए हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : क्या सरकार सभा को यह बता सकती है कि किन हालातों में उन्हें छोड़ा गया और किन हालातों में वह सकुशल लौटे अथवा क्या मात्र यही वक्तव्य है जो सभा को दिया जा रहा है ?

श्री एम० एम० जेकब : सूचना मिलने के बाद मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमारे पास और कोई सूचना नहीं है।

12.55 म०प०

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1991-92—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पंजाब के सम्बन्ध में 1991-92 के लिए अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगी और उन पर मतदान होगा। श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक अपनी चर्चा जारी रखेंगे; परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उपस्थित नहीं हैं।

श्री पवन कुमार बंसल बोलेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान द्वारा सहायता तथा राज्य में हिंसा भड़काने से पंजाब समस्या इतनी विकट हो गई है कि इस बात में कोई सन्देह नहीं रहा कि यह एक प्रमुख, एक नाजुक राष्ट्रीय समस्या है। काफी समय से हम सभी ने यह कहा है—हम सभी ने कहा है कि राष्ट्रीय चुनौती के रूप में इस हेतु एक राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता है। इसमें दलगत दृष्टिकोण सहन नहीं किया जा सकता। आरोप लगाकर इसका समाधान नहीं किया जा सकता। फिर भी हमने जो कुछ किया है, वह हमने इस बात पर ध्यान दिए बिना कि एक बिना सोचे-समझे दिए गए वक्तव्य से भावी घटनाओं के क्या घातक परिणाम होंगे, वाद-विवाद में वाह-वाही लूटने के लिए किया है।

पिछले आठ वर्षों के दौरान संसद में पंजाब पर हुए किसी भी वाद-विवाद को ले लीजिए, आप पाएंगे कि वह स्थिति से निपटने हेतु दिए गए सुझावों की अपेक्षा, आरोप-प्रत्यारोप, उत्तेजक वक्तव्यों से परिपूर्ण है।

आज स्थिति की गम्भीरता बिलकुल स्पष्ट है परन्तु संकीर्ण राजनैतिक स्वार्थ स्थिति को अस्पष्ट बना रहे हैं और हममें से कुछ लोगों के कार्यों को नियन्त्रित कर रहे हैं। पूरा देश विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव की सहमति के दृष्टिकोण से सहमत है, फिर भी हमारे माननीय मित्र श्री हरिकिशोर सिंह जी, जो फिलहाल सभा में उपस्थित नहीं हैं, ने उनके श्रेय को छीनने के लिए विवेकहीन आरोप लगाने का दुस्साहस किया था। मैंने सोचा था कि विवेकहीनता की भी कोई सीमायें होंगी। परन्तु श्री हरिकशोर सिंह जी को शायद इस बात का आभास नहीं होगा जब उन्होंने 1984 के दंगों के दौरान उनके ऊपर की गई कुछ टिप्पणियों के लिए प्रधान मंत्री पर फूहड़ आरोप लगाए थे। यह कहना कि प्रधान मंत्री जैसे अटल राष्ट्रभक्त ने साम्प्रदायिक दगे भड़काए होंगे, उनकी निन्दा करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लोगों को गुमराह करना, उन्हें धोखा देना है ताकि पंजाब जैसी समस्या चलती रहे।

महोदय, मैं इस बात से बचना चाहता था। मैंने यह कहते हुए बात शुरू की थी कि आरोप-प्रत्यारोप लगाने की अपेक्षा पंजाब के साथ बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए। परन्तु श्री हरि किशोर सिंह द्वारा दिए जा रहे भड़काऊ भाषण को सुनकर मुझे दुःख हुआ। मैं यह नहीं कहूंगा कि उनके सलाहकार श्री वी० पी० सिंह ने पंजाब को हिंसा की दलदल में और आगे कैसे धकेल दिया। किन्तु मैं उनसे केवल यही अपील करूंगा कि वह पंजाब के प्रति उदार हों। महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे अदूरदर्शितापूर्ण आरोपों अथवा वक्तव्यों से बचा जाये जिनमें स्थिति को बिगाड़ने वाली बातें हों।

श्री मदन लाल खुराना, जो एक मंजे हुए और वरिष्ठ नेता है, ने पाकिस्तान का उल्लेख करते हुए यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के वक्तव्य परस्पर विरोधी हैं तथा उनका मंशा लोगों को भ्रमित करने की थी। मैं उनकी निर्णय बुद्धि पर सवाल नहीं उठाऊंगा, किन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता। मैं केवल यही कहूंगा कि श्री खुराना का यह सुझाव कि देश को पाकिस्तान के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करनी चाहिए, हो सकता है इस समय राष्ट्रीय हित में न हो। इसे तो वर्तमान सरकार के ही विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिये। किन्तु मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र में चलाये जा रहे अनेक प्रशिक्षण शिविरों को बन्द कराने के लिये पाकिस्तान पर अधिकतम राजनयिक दबाब डालना पड़ेगा। सरकार 15 फरवरी तक पंजाब विधान सभा के चुनाव करवाने के लिए वचनबद्ध है। किन्तु दूसरे पक्ष के हमारे कुछ मित्रगण उस निर्वाचन प्रक्रिया को जो वास्तव में आरम्भ ही नहीं हुई और जिसकी घोषणा, अनुचित हड़बड़ी में की गयी थी तथा जिसे देश को विखंडित करने हेतु बलात् जनमत संग्रह में बदल दिया गया था—के विरुद्ध अपने उग्र भाषण जारी रखे हुए हैं। इस मामले में की गयी टीका-टिप्पणियां परस्पर-विरोधी तथा भ्रामक हैं। एक ओर तो वे सरकार से राज्य में हिंसा पर नियन्त्रण करने की अपेक्षा करते हैं जो कि ठीक ही है; तथा दूसरी ओर, समस्या की विशदता तथा अंतर्ग्रस्त कार्य की विशालता को पूरी तरह जानते हुए भी, उन्हें वहां पर सेना की तैनाती तथा पुलिस महानिदेशक की तैनाती से भी शिकायत है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया मुझे कुछ और समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा में अभी बहुत लोगों को भाग लेना है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मुझे कुछ और समय दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करिये।

श्री पवन कुमार बंसल : ऐसा करके वे अनजाने ही उन लोगों का कार्यसाधन कर रहे हैं जो चाहते हैं कि पंजाब राज्य में अराजकता तथा विवेकहीन की हिंसा का वातावरण व्याप्त हो जाये।

महोदय, भारतीय सेना कर्तव्य परायणता और करुणा का प्रतीक है। उसे हमारे अपने लोगों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के दमन से जोड़ना अनुचित है। देश में बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों का प्रवेश हो चुका है और वह इस समय उन आतंकवादियों के हाथों में है जिन्हें सीमा पार से विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। इससे राज्य की पुलिस निष्प्रभावी हो गयी है और हालत ऐसी है कि राज्य में सेना तैनात करना अत्यावश्यक हो गया है; और यदि इस कार्यवाही के विरुद्ध हम अपनी उंगली उठाते हैं, तो मैं पूर्ण विनम्रता से कहूंगा कि हम यहां बैठने वाले पंजाब के विषय में बोलने वाले वह काम नहीं कर रहे हैं जिसकी हमसे अपेक्षा की जाती है।

इसी तरह श्री के० पी० एस० गिल ने फिर से पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। वह मिथ्या आलोचना के शिकार रहे हैं। राज्य में अपने पहले के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने पुलिस बल का दृढ़ संकल्प तथा साहस के साथ नेतृत्व किया; और उन्होंने वहां पर लोगों को आवश्यक प्रेरणा प्रदान की। उससे उनका मनोबल बना रहा तो उन पर ज्यादतियों तथा दमन का आरोप लगाना, मैं फिर से सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा, उन लोगों की भाषा बोलना है जिनकी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना उनका मिशन है। उन पर सिख-विरोधी होने का आरोप लगाना कितना अविश्वसनीय है? श्री के० पी० एस० गिल स्वयं एक सिख हैं। उन पर हिंसाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह एक मृत व्यक्ति तथा जीवित व्यक्ति में कोई अन्तर नहीं करते। इससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सहायता नहीं मिलती। मैं कहूंगा कि वक्त का तकाजा है कि हम इन तुच्छ बातों से ऊपर उठें और दूसरों में दोष निकालना बन्द करें। मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब से श्री गिल के हटाये जाने के बाद, वहां की स्थिति बदतर हो गयी थी और उनकी वापसी से लोगों के मन में आशा की भावना का संचार हुआ है तथा वह विश्वास फिर से लौट आया है जो तीन महीने पहले डगमगा गया था।

परन्तु, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पंजाब में किंचित सफलता पाने हेतु भी हमें केवल राजनैतिक प्रक्रिया पुनः आरम्भ करने से ही सहायता मिल सकती है। गत आठ वर्षों के दौरान, विधान सभा केवल 18 महीने ही रही है। पहले, चुनाव कराये गए और उसके पश्चात् राष्ट्रपति शासन का लम्बा दौर रहा जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन ने लोगों के साथ अपना तालमेल खो दिया है। वह लोगों के दुख-दर्द के प्रति संवेदनाहीन हैं। पुलिस ज्यादतियों के मामले भी हुए हैं। मैं इससे इन्कार नहीं करता। ऐसे मामले हैं जिनमें निर्दोष लोगों को केवल सन्देह होने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इससे लोग और अलग-अलग हो जाते हैं। राज्यपाल महोदय के **खुले दरबार**, जो प्रशासन द्वारा आयोजित होते हैं, राज्य के वर्तमान वातावरण में कोई बदलाव नहीं ला पाये हैं। साधारण लोगों की पहुंच किस व्यक्ति (अधिकारी) तक हो सकती है? यह

बड़ा सवाल हमारे सामने है। केवल एक निर्वाचित सरकार ही उस उत्तरदायित्व को पूरा कर सकती है। नतीजा यह है कि लोगों की प्रशासन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति ही अरुचि हो गयी और इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। इसे रोकना जरूरी है।

आशा है, एक निर्वाचित सरकार स्थिति को सुधारने में सहायक होगी। 15 फरवरी तक चुनाव कराने का निर्णय बहुत ही सकारात्मक है। किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ अकाली यह कहते सुनायी पड़ते हैं कि वे चुनावों का बहिष्कार करना चाहते हैं। मेरा विचार है, हमें इसके लिए उनकी निंदा करने की जरूरत नहीं है। हमें उनकी उस व्यथा को समझना चाहिए जिसमें वे आज अपने को पाते हैं। हिंसा के लम्बे दौर ने उन्हें अप्रासंगिक और शक्तिहीन बना दिया है। समय का तकाजा है कि सभी लोकतांत्रिक शक्तियां एकजुट हो जायें। मैंने पिछली बार भी यह कहा था। समय का यह पुरजोर तकाजा है कि देश के सामने पंजाब में जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए हम एक संयुक्त मोर्चे के रूप में आ जायें। उस प्रयास में हमें अकालियों को भी शामिल करना है। यह कहते समय मैं इस तथ्य के प्रति भी सचेत हूं कि कुछ समय पूर्व कांग्रेस सरकार ने पंजाब में अनेक वाद-विवादों, अनेक जनसभाओं का आयोजन किया था। दुर्भाग्यवश, उस मंच को भी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के मंच में बदल दिया गया। विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता, जो दिल्ली में स्थित थे, जिन्हें पंजाब की जमीनी वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं था, यहां से जाते थे और पंजाब में सरकार के विरुद्ध बोल कर लौट आते थे। परिणाम यह हुआ कि लोग और विमुख होते चले गये। लोगों के मन में सरकार की सदाशयता के सम्बन्ध में फिर से सन्देह उत्पन्न कर दिया गया। इसे आज दूर करना है। यदि जरूरत पड़े तो अनौपचारिक रूप से बैठकें आयोजित की जायें। यदि विभिन्न नेता महसूस करें तो बैठकें औपचारिक रूप से भी आयोजित की जा सकती हैं। किन्तु, मैं समझता हूं, चुनाव से पहले यह प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। केवल तभी हम अकालियों को राष्ट्र निर्माण के काम में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

सौभाग्यवश, पंजाब के लोग अलगाववादियों के साथ नहीं हैं और उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनके अन्दर विश्वास का संचार किया जाना है। उन्हें आतंकवादियों से लड़ना है। ऐसे मामले भी हुए हैं जिनमें साधारण लोगों ने बिना हथियार ही आतंकवादियों का पीछा किया और उनसे युद्ध करने में कुछ हद तक सफलता पायी। यदि हम यह नहीं करते हैं और सब आपस में एकजुट होते हैं, तो अन्य बहुत से लोगों की तरह मैं भी यह महसूस करता हूं कि पंजाब राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने की बात केवल एक मृगतृष्णा बनी रहेगी।

समय की मांग यह है कि हम समस्त बाधाओं और पूर्वाग्रहों को छोड़कर अकालियों को इस बात के लिए राजी करें कि वे अपनी जिम्मेदारी नहीं त्यागें।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि अकालियों के चुनावों का बहिष्कार करने के उनके निर्णय के बारे में उनके वर्तमान पक्ष से सरकार चुनाव करवाने के अपने संकल्प से नहीं हटेगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब कभी भी चुनावों की घोषणा होती है, तो कुछ लोग कहते है कि यह निरर्थक प्रयास होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को चुनाव करवाने के इरादे से कोई बात डिगा नहीं सकेगी। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम राजनैतिक प्रक्रिया की बात करते हैं— मेरा मतलब उग्र राष्ट्रीयतावाद से नहीं है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से आया हूं, किन्तु मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं—चुनावों तक चंडीगढ़ के बारे में कोई एकतरफा निर्णय किसी भी

स्थिति में लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। पहले भी आपने देखा है कि एकपक्षीय निर्णय लिये गए हैं और रियायतों की घोषणा की गयी है। इससे सौहाद्रपूर्ण वातावरण बनाने में मदद नहीं मिली। मेरे विचार से चंडीगढ़ आज कोई मुद्दा नहीं है। महोदय, आज जो मुद्दे उठाए गए हैं, इनका समाधान ईमानदारी से करना है। यह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का प्रश्न है, चुनावों के बाद अथवा अभी से हमें यह सुनिश्चित करने का कार्य करना है कि राज्यों को भारत संघ के सशक्त एकक बनाने के लिए क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं? महोदय, आज लोगों में सद्भाव और सौहार्द्र का वातावरण बनाने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि यदि हम प्रयास करें, तो यह कठिन कार्य नहीं होगा।

चुनावों के सम्बन्ध में, मैं केवल दो छोटे-छोटे सुझाव देना चाहता हूं। विपक्ष की ओर से कहा गया था कि हमें चुनाव संबंधी कानूनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इन विचारों का मैं भी समर्थन करता हूं कि इस स्थिति में जो पंजाब में चुनाव लड़ना चाहता है, उसे इसकी अनुमति दी जाए। इस सम्बन्ध में हमें कोई संशोधन नहीं करना चाहिए और वास्तव में सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। किन्तु मैं दो संशोधनों का सुझाव देता हूं जिन्हें शीघ्र ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में सम्मिलित किया जाए और पंजाब से ही चुनाव सुधारों की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। प्रथम, चुनाव अभियान की अवधि कम करके दस दिन की जाए। इससे चुनाव खर्चे में भारी कमी आयेगी और उम्मीदवारों को कम अवधि तक सुरक्षा सम्बन्धी खतरों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, चुनाव प्रक्रिया अवरुद्ध करने के लिए किए गए प्रयास के कारण हम पहले ऐसा संशोधन लायें, वह दुबारा लाया जाये कि निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु के बाद चुनाव रद्द न किए जाएं।

महोदय, मैं समय सीमा के बारे में आपकी चिन्ता समझता हूं। संक्षेप में, मैं केवल एक या दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे सरकार अकेले कर सकती है, यह सुनिश्चित करना है कि सेना में भर्ती के सम्बन्ध में पंजाब के लोगों की शिकायतें दूर की जायें। उन्हें पहले की ही तरह सेना में शामिल होने के बेहतर अवसर दिये जायें। दूसरा, जो व्यक्ति जहां-कहीं भी उत्पीड़न का दोषी पाया गया, उसे दंडित किया जाये। तीसरा, पंजाब की उन्नति और विकास के कदम उठाये जायें। निदेशक, भाषा विभाग, पंजाब, निदेशक, पाठ्य पुस्तक बोर्ड, सचिव पंजाबी साहित्य अकादमी और पटियाला स्थित उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं। इन पदों को भरने के लिए कदम उठाये जायें।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व आर्थिक क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमने बार-बार कहा है कि अर्द्धसैनिक बलों पर काफी धनराशि खर्च की जाती है, यह केवल पंजाब का ही प्रश्न नहीं है। यदि अर्द्धसैनिक बलों के रखरखाव पर भारी धनराशि खर्च की जाती है, तब यह केन्द्र की प्राथमिक चिन्ता है। आपको पंजाब पुलिस में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ानी है या उनके लिए अच्छे उपकरण खरीदने हैं, इन सबकी लागत केन्द्र को चुकानी चाहिए।

उद्योग के सम्बन्ध में, जिस कागज मिल की आधारशिला स्वयं श्री राजीव गांधी ने रखी थी, को भी सरकार ने आरम्भ नहीं किया है। यदि इसे हम राज्य से उद्योगों का समाप्त होना न कहें, तो क्या कहें? महोदय, उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये।

पंजाब में वर्तमान स्थिति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रवासियों के कल्याण का है। लोगों की यह इच्छा नहीं है कि वह अपने घर-बार छोड़कर चले जायें और कहीं और शरण लें। महोदय, मैंने पाया कि निर्णय लिये जाने के बावजूद इंडिया गेट के लान में पड़े अनेक लोगों को सहायता नहीं दी गयी है। उनके लिए कुछ करना है। उन्हें अन्य लोगों के समान माना जाए। उन्हें कुछ आर्थिक सहायता देनी है। उन्हें आश्वासन देना है ताकि वे पंजाब लौट सकें।

अन्त में, मैं भारतीय खाद्य निगम के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं। वे ठेकेदारों के चंगुल से मुक्त होने के लिए काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं तथा उन्हें विभाग का सीधा कर्मचारी माना जाए। जब यह अन्य राज्यों में किया गया है, तो पंजाब मे क्यों नहीं किया जा सकता ? लिपकीय तथा अन्य विभिन्न संवर्गों के लोगों को लाभ को दिया गया है किन्तु इन निचली श्रेणी के लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। जैसा कि कल उल्लेख किया गया था कि संरूगर में अशान्ति के कारण अनेक लोगों के घायल हुए थे। मुझे विश्वास है कि माननीय खाद्य मंत्री इस मामले की जांच करेंगे। किन्तु, चूंकि यह पंजाब राज्य से सम्बन्धित समस्या है और चूंकि पंजाब समस्या पर भिन्न-भिन्न परिप्रेक्ष और दृष्टिकोण से विचार किया जाना है, मैं इस समय सभा में उपस्थित वित्त मंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि इस मामले में पहल करें तथा यह सुनिश्चित करें कि पंजाब के लोगों की वास्तविक शिकायतें दूर की जायें।

इन शब्दों के साथ, मैं पंजाब बजट के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब भोजनावकाश होगा और 2.15 बजे म० प० पर सभा पुनः समवेत होगी।

1.16 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

14.20 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 14.20 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री राजेश कुमार (गया)।

---

14 21 म० प०

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1991-92—जारी

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, सवाल यह है कि पंजाब में लोकतंत्र के आधार पर जनता की चुनी हुई सरकार लगभग पिछले बहुत लम्बे अर्से से नहीं है और जनता की चुनी हुई सरकार न होने के कारण संसद को पिछले पांच बार पंजाब का बजट पास करना पड़ा है। सदन की यह भावना है कि बजट को पास करते समय पजाब की समृद्धि और

खुशहाली वापस होनी चाहिए, पंजाब के आम नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए। यह सदन पंजाब का बजट एक मत से पास कर रहा है, लेकिन पंजाब में समृद्धि और खुशहाली आज किसी भी क्षेत्र में देखने को प्राप्त नहीं हो रही है। इस प्रक्रिया से लोकतंत्र पर एक प्रश्न बन करके खड़ा हो गया है, क्या पंजाब की आज की परिस्थितियां वहां की जनता को सुख और समृद्धि दे रही हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष जी, सबको यह याद रखना चाहिए कि हमारे यहां एक संविधान है, उसके नियम और कायदे बने हुये हैं। हर आदमी को आजादी को अहसास होना चाहिए, कोई भी आदमी यह न समझे कि उसकी इज्जत के ऊपर या मर्यादा के ऊपर हमला हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब में लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार कायम होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज पंजाब की जो परिस्थितियां हैं और आपने 15 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा की है, लेकिन क्या पंजाब में चुनाव कराने का माहौल है ? मैं इस बात के लिए समर्थन करता हूं, मैं ही नहीं मेरा दल और हिन्दुस्तान की जनता इस बात के लिए समर्थन कर रही है कि पंजाब के अन्दर चुनाव होने चाहिए, पंजाब की जनता के हाथ में अपना भविष्य हमको सौंपना चाहिए। लेकिन आज पंजाब के अन्दर शान्ति का माहौल नहीं है, तो क्या पंजाब के अन्दर बन्दूक की नोक पर चुनाव कराने की बात सोची जा रही है। इस बात पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि आज सारा देश इस बात के लिए चिंतित है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि पंजाब के अन्दर शांति-व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिए जिससे कि देश टूटे, देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता, आज एक चुनौती का प्रश्न बन कर के खड़ा हो जाए।

माननीय मंत्री महोदय, मुझे विश्वास है कि आप हिन्दुस्तान की जनता को यह विश्वास देंगे। मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं और आज पूरा सदन इस बात के लिए सहमत है कि पंजाब में आम लोगों का विश्वास टूट गया है। विश्वास इतना टूट गया है कि पंजाब में हमारे सामने इस तरह के उदाहरण उपस्थित हैं, जिनसे पता चलता है कि वहां का संपूर्ण प्रशासन उग्रवादियों के हाथों में आ गया है। वहां का उद्योगपति इतना भयभीत हो गया है कि अपनी जान की रक्षा के लिए उन्होंने उग्रवादियों की निश्चित आमदनी का कोटा बांध दिया है और आज वहां पर उग्रवादियों की समानांतर सरकार चल रही है। जायदाद संबंधी निपटारे किए जाते हैं, न्याय-व्यवस्था अपंग हो गई है, न्यायाधीश डरते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। न्याय की दृष्टि से जो फैसले जनता को मिलने चाहिए, वे नहीं मिल पा रहे हैं। पंजाब में आज जिला प्रशासन शून्य है और उग्रवादियों का सिक्का चल रहा है। हर क्षेत्र में उग्रवादियों का सिक्का चल रहा है। दैनिक अखबारों में समाचार पढ़ने को मिलते हैं, बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारी अखबारों में विज्ञापन देकर उग्रवादियों से क्षमा मांगते हैं, उनके आगे घुटने टेकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान को सबसे बड़ी चुनौती पंजाब दे रहा है, देश की एकता और अखण्डता तथा केन्द्रीय सत्ता को पंजाब चुनौती दे रहा है और किसके माध्यम से, अलगाववादी और उग्रवादी शक्तियों के माध्यम से। पंजाब के अन्दर अलगाववादी और उग्रवादी शक्तियां कहां से पैदा हुई हैं, कहां से

पनप रही हैं, क्यों पनप रही हैं, यहां पर कई बार इस तरह के प्रश्न उठाए गए हैं। आज पाकिस्तान खुले रूप मे पंजाब के अन्दर उग्रवादियों और अलगाववादी ताकतों को पूरी शक्ति दे रहा है, आधुनिकतम हथियार दे रहा है और हथियार ही नहीं, उनको धन दे रहा है और धन के साथ-साथ गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दे रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने सीमाओं को सील क्यों नहीं किया। इस सदन में इस सरकार के गृह मंत्री ने, पिछली सरकार और उससे पिछली सरकार के गृह मंत्री ने कई बार आश्वासन दिया है कि पंजाब के अन्दर शांति के लिए उग्रवादियों को मिलने वाली मदद बंद करनी होगी और उसका एक ही रास्ता है कि बार्डर सील किया जाए। आवश्यकता पड़े तो दीवार बनाई जाए, तार लगाई जाए, और आवश्यकता पड़े तो सैन्य बल को बढ़ाया जाए। यह सरकार कहती तो है, जनता को आश्वासन तो देती है, लेकिन मैं समझता हूं कि सदन को गुमराह करती है। आज पंजाब के अंदर उग्रवादियों को खुले रूप से पाकिस्तान की ओर से भरपूर ताकत मिल रही है और हिन्दुस्तान की सरकार की सत्ता वहां पर अवश्य है, लेकिन प्रशासन नहीं है। पंजाब में पाकिस्तान के बलबूते पर उग्रवादी और अलगाववादियों की समानांतर सरकार चल रही है और कहना चाहिए कि आपका प्रशासन सिकुड़ रहा है। सिकुड़ कर बैठ गया है, केन्द्रीय सत्ता पंजाब में सिकुड़ कर रह गई है और यह हिन्दुस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। माननीय मंत्री महोदय सदन में उपस्थित हैं और मैं समझता हूं कि वे इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे।

मान्यवर, पंजाब की आर्थिक स्थिति आज जरजर हो चुकी है। इस देश का 40-45 वर्ष का जो लोकतांत्रिक इतिहास है, वह इस बात की गवाही देता है कि आज हिन्दुस्तान के बाकी प्रदेशों से पंजाब की आर्थिक स्थिति बहुत गिर गई है। जो पंजाब देश की खुशहाली में बहुत बड़ा हाथ बंटाता था, उसकी आज क्या हालत है। पंजाब देश में खाद्य आपूर्ति करता था। खाद्य सामग्री नहीं, पंजाब के अन्दर बहुत से ऐसे उद्योग-धन्धे थे जो सारे हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को पनपाते थे। लेकिन माननीय मंत्री जी, आज पंजाब की आर्थिक हालत बहुत जर्जर हो गयी है। पंजाब का बजट तो सदन पास करेगा लेकिन क्या माननीय मंत्री जी, इस सदन को यह आश्वासन देंगे कि जो उद्योग-धंधे पंजाब के अन्दर बन्द पड़े हैं, जिसमें सरकार की पूंजी लगी हुई है, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर काम करते थे और पंजाब के अन्दर उद्योग-धंधे बन्द होने के कारण आज वहां के नौजवान बेकार हैं। जब उद्योग-धंधे बन्द हैं तो नौजवान बेकार हैं। नौजवान के हाथ में काम नहीं है, वहां मांग नहीं बढ़ती है।...**घण्टी**...

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल तीन मिनट का समय आपसे और लूंगा। आज सदन को पूरा आश्वासन देना चाहिए कि जो उद्योग-धन्धे पंजाब के अन्दर बन्द हैं, जो उद्योग-धंधों की इकाइयां पंजाब के अन्दर बन्द पड़ी हैं, वे एक निश्चित समय के अन्दर प्रारम्भ होंगी और उनको प्रारम्भ करने में जो भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी वह सरकार मदद के रूप में देगी। क्योंकि आज सरकार के निकम्मेपन के कारण, वहां उद्योग-धंधे पनपते थे, आज कमजोर हालत में पड़े हुए हैं।

माननीय मंत्री जी, पंजाब का किसान बहुत दुःखी है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, पंजाब में जो प्रशासन चल रहा है आप उससे पूछिए और सदन को बताइये कि क्या कारण है खरीफ की फसल के पहले किसानों को बीज और खाद समय पर क्यों नहीं मुहैया करायी गयी? यह

गलती कहां हुई ? क्या उनके पास पैसे का अभाव था ? खाद की बोरियां उन्हें बुवाई के पहले क्यों नहीं मंगवायीं ? पंजाब के अन्दर जो सिंचाई की व्यवस्था जिस माध्यम से होती थी, आज किसानों के हाथ में बिजली क्यों नहीं दी गयी । जब किसान को बिजली प्राप्त नहीं होगी तो ट्यूबवैल नहीं चलेंगे । सरकार के द्वारा जो सिंचाई के माध्यम किसानों को प्राप्त होते थे, आज वे सारे माध्यम उखड़े पड़े हैं या टूटे पड़े हैं । वे छोटी-छोटी नहरें, छोटी-छोटी नालियां जो पानी को रोकती थीं, आज कहना चाहिए कि आपका प्रशासन न होने के कारण, आतंकवादियों के दवाब के कारण आज किसान सिंचाई के लिए पानी प्राप्त नहीं कर सका । माननीय मंत्री जी, किसान को खेती के लिए पानी मिलेगा नहीं, खाद नहीं मिलेगी, समय पर बीज नहीं मिलेगा तो मंत्री जी, आप जानते हैं कि किसान कमजोर होगा । जब किसान की हालत कमजोर होगी तो गांव में भुखमरी बढ़ेगी । किसान के अन्दर भुखमरी बढ़ेगी, गांव में भुखमरी बढ़ेगी । तो सारा प्रदेश आज गरीबी और भुखमरी का शिकार बन गया है । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि पंजाब के भाग्य का फैसला वहां की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार से होगा । मुझे आशंका है कि इस सदन में पंजाब के चुनाव को कराने के लिए आपने ही नहीं आपकी पिछली सरकारों ने भी वायदा किया है । मुझे पूर्व प्रधान मंत्री श्री वी० पी० सिंह का भाषण याद है । मैं समझता हूं कि वह भाषण खोखला निकला है । मैं समझता हूं कि आपकी कही हुई बात, प्रधान मंत्री जी के माध्यम से गृह मंत्री जी ने जो बात कही है कि 15 फरवरी को पंजाब में चुनाव होंगे । मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । मैं कहता हूं कि आज इस सदन का कर्तव्य है, हिन्दुस्तान की जनता की पुकार है कि पंजाब के अन्दर जनता की चुनी हुई सरकार को स्थापित करना चाहिए । इस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए । लेकिन चुनाव बन्दूक की नोंक पर नहीं होने चाहिएं, बन्दूक के साए पर नहीं होने चाहिए। चुनाव निष्पक्ष आधार पर होने चाहिए और शान्ति व्यवस्था के आधार पर होने चाहिए । इसलिए चुनाव के संबंध में मंत्री महोदय को अभी से इस प्रकार का माहौल बनाने की योजना चलानी चाहिए । मैं उपाध्यक्ष महोदय आपको बार-बार धन्यवाद देता हूं कि पंजाब के बजट पर मुझे आपने अपने विचार रखने का मौका दिया ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब को अनुदान मांगों पर मुझे बोलने का मौका मिला है । पंजाब में अभी कोई सरकार नहीं है, वहां पर विधान सभा नहीं है । यह आज से नहीं बल्कि यह लगता है कि जब से मैं सदन में आया हूं और जब से बरनाला सरकार समाप्त हुई है तब से वहां कोई सरकार नहीं है और हम लोक सभा से ही वहां का बजट पास करते हैं । यह दुख की बात है कि वहां का कोई सदस्य नहीं है जो वहां की स्थिति के बारे में बता सके । बजट का जो विवरण हमें देखने को मिला है उसमें सिर्फ मांग है कि विभाग की इतनी मांग है । जबकि उसमें पूरा विवरण होना चाहिए । इससे तो ऐसा लगता है कि रस्म अदायगी करके हम पास करते हैं । पंजाब में बहुत दिनों से घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और घटना के क्रम में वहां की चुनी हुई सरकार को समाप्त किया गया था यह कहकर कि यह सरकार हत्याओं को नहीं रोक सकी और इनके जो मंत्रीगण हैं वे अपराधियों को संरक्षण देते हैं । आठवीं लोक सभा में भी मैंने यह कहा था कि वहां चुनी हुई सरकार को खत्म करके राष्ट्रपति शासन लागू करना गैर-मुनासिब है, यह पंजाब के नुकसान के लिए है । यह बात रिकार्ड में दर्ज है । वहां अभी भी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं । ये लोग जब शासन में थे तो पंजाब को ऐसा क्यों बना दिया । हम लोगों ने इस सदन में सर्वसम्मति से यह तय किया था कि हम सारे जोखिमों को सहते हुए

पंजाब में चुनाव करायेंगे और फरवरी का समय फिक्स किया गया है। सब कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए। वहां पर शांति का वातावरण बनाना पड़ेगा और राजनीनिक माहौल पैदा करना पड़ेगा तभी वहां चुनाव हो सकते हैं। अगर कोई डर से वोट नहीं देता तो आप यह कहते हैं कि वहां निर्भीकता से सही वोटिंग होनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि वहां पुलिस प्रशासन भी किस हालत में पहुंच गया है। वहां आतंकवादियों ने कुटुम्बों को समाप्त करने का अभियान चला रखा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सोचने का समय है। चारों तरफ से कीचड़ उछाला जा रहा है। चाहे वे सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष के हों। इस कीचड़ उछालने से काम चलाने वाला नहीं है। ईमानदारी से इस पर सोचना होगा। एकताबद्ध होकर हम चुनाव कराने के लिए प्रोग्राम तय करें। सत्ता पक्ष अकेले खिचड़ी पकाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब और काश्मीर को नहीं संभाल सके। सभी पार्टियों से पूछकर और निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। ऐसा वातावरण होगा तो हम सामान स्थिति ला सकते हैं। लेकिन यह जब तक नहीं हो सकता है, हम समझते हैं कि हम जो पंजाब में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वहां चुनाव नहीं कराये जा सकते। इसके लिए जरूरी है कि सब लोगों के सुझाव लिये जायें।

हमारे माननीय सदस्य मलिक साहब, जो कि कांग्रेस (इ) के सांसद हैं, कल पंजाब पर अपना भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पंजाब से ज्यादा हत्यायें बिहार में हो रही हैं। यह बात सही है, बिहार में भी हत्यायें हो रही हैं। लेकिन पंजाब में जो हत्यायें हो रही हैं वे उग्रवादियों द्वारा की जा रही हैं और वहां पर आन्दोलनकारी ऐसा कर रहे हैं। जबकि हमारे राज्य बिहार में ऐसा नहीं है, यहां शोषण के खिलाफ, जुर्म और अत्याचार के खिलाफ आन्दोलन हो रहे हैं इसलिए वे हत्यायें हो रही हैं। इन दोनों में आपको अन्तर करना होगा। मैं समझता हूं कि बिहार में भी पंजाब से कम आन्दोलन नहीं है, हमारे जहानाबाद में ही कल हत्या हुई थी, परसों भी हुई थी और यह सिलसिला बराबर चल रहा है। लेकिन पंजाब जैसी स्थिति देश में अन्य भाग में नहीं आनी चाहिए। आप पंजाब तो सम्भाल नहीं पा रहे हैं, बिहार और असम को कैसे सम्भाल पायेंगे। पंजाब में जो आन्दोलन हो रहा है वह बेकारी और भुखमरी के सवाल पर नहीं हो रहा है। पंजाब देश का एक धनाढ्य देश था वहां से हिन्दुस्तान के अन्न का भण्डार भरा जाता था। वह अन्न के मामले में हमें ज्यादा से ज्यादा अनाज देता था। अगर कुछ कमी होती तो हमारे यहां से हजारो की तादाद में लोग वहां काम के लिए जाते थे, अब भी ऐसी स्थिति में भी वहां लोग काम करने के लिए जाते हैं। इसी तरह से कहीं पर धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। क्या वहां भी पंजाब नहीं बनेगा? धार्मिक उन्माद इस देश को आखिर कहां ले जायेगा। अगर धर्म के सहारे ही देश को बनाना है तो जैसे अन्य देशों में धर्म के नाम पर राज हो रहा है वैसा ही आप भी करिये। लेकिन फिर आप लोकतन्त्र की दुहाई क्यों देते हो। आप देखें कि रोज हत्यायें हो रही हैं, साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। बनारस में क्या स्थिति हुई। वहां के लोग कह रहे हैं कि दस-तेरह बरस तक भी बनारस पुरानी स्थिति में नहीं आ पायेगा, पिछली 13 तारीख को वहां इतनी बर्बादी हुई है। क्या यह पंजाब से कम हो रही है? धार्मिक उन्माद पैदा करने वालों से मेरा अनुरोध है कि आप पंजाब की बात करते है, लेकिन दूसरी जगह पर ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं, यह न करें।

आठवीं लोक सभा में भी एक दिन मैंने कहा था शाह बानो के केस में कि सुप्रीम कोर्ट के

फैसले को खत्म न करो। आपने उस फैसले को खत्म कर दिया। किसलिए, जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय है तो उसके फैसले को क्यों खत्म करते हो। कल्याण सिंह ने क्या कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको हम मानेंगे, लेकिन हम अलग कानून बनायेंगे। उस फैसले को खत्म करने के लिए इनको किसने सिखाया। वह आपने ही सिखाया है। सदन में जो बात होती है उसको याद रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमने जो किया है उसका असर क्या पड़ेगा।

मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो गड़बड़ियां हुई हैं वह तो हुई हैं, लेकिन अब इस देश को चलाने के लिए, एकता को मजबूत करने के लिए आपको विपक्षी दलों को साथ लेकर चलना चाहिए। यह ठीक है कि यह अल्पमत की सरकार है इसलिए इसका काम यह होना चाहिए कि वह सबको साथ लेकर चले। जो स्थिति देश में है उससे तभी निपटा जा सकता है। चुनाव आप करायेंगे, बिना चुनाव के काम नहीं चलेगा, लेकिन शांति कायम करके चुनाव कराने चाहिए और इसके लिए आपको सोचना चाहिए।

आपने असम में चुनाव कराये थे, सी० पी० आई० भी साथ थी, लेकिन उसका क्या परिणाम निकला, लोग मारे गये। लेकिन इससे कोई सोचे कि वोट है, बक्से में सिर जायेगा और बहुमत हो जायेगा। बहुमत से काम नहीं चलेगा। असम में क्या हुआ ? आपने लोगों की मनोदशा बदलने के लिए उपाय किये थे। दूसरी बात यह है कि सुरक्षा के उपायों में कमी नहीं होनी चाहिए। इसमें मजबूती से होना चाहिए लेकिन उसके साथ ही साथ विकास का कार्य भी चलना चाहिये। अगर विकास के कार्य नहीं चलते हैं तो खाली बंदूक गोली से काम नहीं होगा। वहां से लोग भाग भी सकते हैं, यदि विकास का कार्य उनके साथ जोड़ा जायेगा तो वे लोग बंधे रहेंगे। सरकार एक ऐसी स्थिति पैदा करने जा रही है कि अब फिर लोगों को नयी जिन्दगी बनेगी। राजनैतिक पार्टियों को भी एकताबद्ध होकर इसमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन राजनैतिक लाभ के लिए सबसे बड़ी गलती यह हुई कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को पीछे धकेल दिया है। इसलिए हम सबको ईमानदारी से काम करना चाहिए ताकि देश बचे।

उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी का लोंगोवाल के साथ जो इकरार हुआ, उसको लागू क्यों नहीं किया गया ? उसको मजबूती से लागू किया जाना चाहिये था। जब कांग्रेस सरकार थी उनके पास 400 से ऊपर लोक सभा सदस्य थे, तब क्यों नहीं किया गया ? इस संबंध में कई आयोग बैठाये गये लेकिन फैसला लागू नहीं किया गया, क्यों ? मैं इसके साथ बिहार की बात भी जोड़ना चाहूंगा क्योंकि आज बिहार में आग लगी हुई है। क्यों लगी हुई है ? इस बारे में हमने अपने समय से सभी प्रधानमन्त्रियों से कहा है। मेरे जहानाबाद जिला में 11 लाख आबादी है जिसमें से 7 लाख निरक्षर हैं, जिनको पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि जिस गांव में हजार से ऊपर आबादी हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों की है, वहां भी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। यह भेदभाव है। यहां तक कि जब सवर्ण लोगों के चेयरमैन, वाईस चेयरमैन थे तो वहां स्कूल वगैरह खुले लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों के गांवों में स्कूल नहीं खुले हैं। मैंने इस सम्बन्ध में स्व० राजीव जी, वी० पी० सिंह, चन्द्रशेखर सिंह और श्री पी० वी० नरसिम्हा राव को लिखा है। बिहार के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उनको लिखाकर दिया। तो यह सब कैसे होगा ? अगर वहां पढ़ाने-लिखाने की व्यवस्था करें तो आतंकवाद समाप्त हो सकता है। गरीब

विद्यार्थी ही पढ़कर इससे दूर हो सकते हैं। गरीब तबके वहां पर कैम्प में काम कर रहे हैं, एन० सी० सी, पार्टी मीटिंग और लिबरेशन चल रहे है। वहां पर धनी व्यक्ति हैं, ताकतवार हैं, वे अलग फौज का संगठन कर रहे हैं और ऐसे ही गरीब तबके के लोग तीन तरह की फौज बना रहे हैं। इसमें गरीबों की हत्यायें हो रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पंजाब में भी विकास का कार्य तेज किया जाये ताकि पंजाब सही दिशा में जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी संसद में पंजाब पर वाद-विवाद हुए हैं और पूरे दशक तक प्रेस में भी इस बारे में काफी कुछ कहा गया है किंतु अधिकांशतः यह चर्चाएं शब्दाडम्बर और एक दूसरे पर आरोप लगाने से संबंधित हैं और हम पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कोई बुनियादी कार्यवाही करने में समर्थ नहीं हुए हैं। विगत समय में सतलज में काफी खून बहाया जा चुका है। अब वह समय आ गया है जब हमें इस खूनखराबे को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए।

इन सभी चर्चाओं में वास्तविकता को नजर-अंदाज किया गया है। इसीलिए जहां तक वहां चुनाव कराने की बात है, पंजाब में कौन चुनाव नहीं चाहता है? हम सभी चुनाव चाहते हैं। परंतु हमें पंजाब में स्थिति के अनुरूप कार्यवाही करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि वहां का माहौल क्या चुनाव कराने के लिए उपयुक्त है। क्या चुनावों की खातिर और सौ उम्मीदवारों की उग्रवादियों की गोलियों की बलि चढ़ा दिया जाए? यही बातें हमें ध्यान में रखनी हैं।

दूसरी बात अनभिज्ञता प्रकट करने के संबंध में है। विषमता और अभाव को पंजाब की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्या यह समस्या पंजाब को अतिरिक्त पानी देकर, पजाब को चंडीगढ़ देकर अथवा पंजाब में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कार्यवाही करके हल की जा सकती है? शायद नहीं, क्योंकि वास्तविकताएं कुछ और हैं। सबसे पहले हमें उन कारणों का पता लगाना होगा जिनकी वजह से पंजाब में यह हालात पैदा हुए हैं। जब तक आप समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचते तब तक आप सही रास्ता नहीं अपना सकते और न ही हम कोई ऐसा तरीका अथवा नीति बना सकते हैं जो अंततः इस समस्या को सुलझा सकती है। समस्या का विश्लेषण करते समय हमें दो कारणों पर विचार करना होगा। एक तो बाह्य कारण है जो आज की स्थिति के लिए उत्तरदायी है। साम्राज्यवादी ताकतें भारत में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रही है और इन प्रयासों में पंजाब को मुख्य निशाना बनाया गया है उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, यह सर्वविदित है।

किंतु जब हम उग्रवादियों की बात करते हैं तो पाकिस्तान का उल्लेख करना पड़ता है। जनरल जिया के सत्ता संभालने के समय से ही पाकिस्तान की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य पंजाब में अस्थिरता पैदा करना है जोकि दो प्रयोजनों पर आधारित है। पहला प्रयोजन आर्थिक और नशीली दवाओं से संबंधित है तथा दूसरा अधिक खर्च किए बिना भारत पर दबाव बनाए रखने की नीति अपनाना है। मैं आर्थिक समस्या की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की कमजोर अर्थ-व्यवस्था के बारे में हम सभी जानते हैं। फिर भी पाकिस्तान की सैन्यीकरण, परमाणु शक्ति के रूप में उभरके, उद्योग-धंधे लगाने इत्यादि की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं।

1980 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण पाकिस्तान के लिए एक वरदान साबित हुआ। यद्यपि उनके सामने व्यापार घाटा और अन्य समस्याएं भी थीं। विदेशी मुद्रा की भी समस्या थी। जनरल जिया ने सोच-समझकर नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने की नीति अपनाई और इससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुई। यह बताया गया है कि 1980 और 1985 के बीच पाकिस्तान ने नशीली दवाओं का व्यापार करके अनधिकारिक रूप से 3 बिलियन डालर अर्जित किए। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान में सेना, अफसरशाही और नशीली दवाओं को बेचने वालों के बीच एक गठबंधन हुआ। नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के बारे में हम सब जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि गोल्डन ट्रायेंगल दक्षिण पूर्व एशिया और अफगानिस्तान में स्थानांतरित हो गया है। इस क्षेत्र में नशीले पदार्थों की सप्लाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के रास्ते से होती है—विशेष रूप से भारत के पश्चिमी तट क्षेत्र, महाराष्ट्र, गुजरात और पाकिस्तान के सिन्ध क्षेत्र का उपयोग इस उद्देश्य हेतु किया जा रहा है। यहां से नशीले पदार्थ भारी मात्रा में मिडल ईस्ट भेजे जाते हैं जहां से इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अन्य देशों के गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जाता है।

मेरे पास आंकड़े हैं जिन्हें मैं बताऊंगा। 1989 में मादक औषधि व्यापार में से भारत में कुल 2,714 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई थी जिसमें से 1,635 किलोग्राम अर्थात 60.2 प्रतिशत हीरोइन अकेले पकिस्तान की थी। 8,179 किलोग्राम हशीश पकड़ी गई थी उसमें से 3,892 किलोग्राम अर्थात 47.6 प्रतिशत हशीश पाकिस्तान की थी। 1990 में भारत में 2,150 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गयी, उसमें 1,655 किलोग्राम अर्थात 76.9 प्रतिशत पाकिस्तान की थी। इस प्रकार यह मादक औषधि की समस्या मौलिक समस्या है जो आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रही है। पंजाब में अनेक आतंकवादी संगठन केवल मोहरा हैं परन्तु पाकिस्तान के औषधि माफिया उनका समर्थन करते हैं। इसलिए आप इस समस्या के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए कारंवाई मुम्बई, अहमदाबाद जैसे शहरों और पश्चिमी तट पर करनी होगी। यदि आप इस मादक औषधि व्यापार को रोकने तथा समाप्त करने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वहीं कारंवाई करनी होगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पंजाब समस्या को हल करने के लिए स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो अथवा खुफिया ब्यूरो के निदेशक ने क्या किया है ? पंजाब समस्या को हल करने में वित्त मंत्रालय के इस संगठन की क्या भूमिका है तथा गृह मंत्रालय के साथ क्या तालमेल है ? यह स्पष्ट नहीं है। जब तक हम इस व्यापार को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हम आतंकवाद की समस्या का हल नहीं कर पायेंगे।

इसके साथ-साथ यह बन्दूक की तस्करी की भी समस्या है। ऐसे बहुत से आतंकवादी संगठन हैं जो केवल बंदूक प्राप्त करने के लिए ही इस व्यापार को करते हैं। ये संगठन भी इन्ही शहरों में हैं। इस प्रकार पाकिस्तान का मूल उद्देश्य आर्थिक लाभ था जिसके द्वारा उसे मादक औषधि व्यापार से विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और आज भी आतंकवाद, नौकरशाही तथा औषधि माफिया के बीच सांठगांठ का पाकिस्तान की राजनीति पर प्रभाव है। हमें इस समस्या की तरफ अपना ध्यान देना है।

दूसरे, यह भारत के विकास को रोकने का सरल और सस्ता तरीका है, इस बात का प्रमाण है। यदि भारत कुछ करना चाहता है तो हमें बातचीत नहीं करनी है बल्कि हमें पाकिस्तान की इस विशेष कार्यवाही के समान प्रभावी कार्यवाही शुरू करनी है।

जहां तक घरेलू पक्ष का संबंध है, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि पंजाब की समस्या सुविधाओं का अभाव अथवा बेरोजगारी के कारण नहीं है। उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। हम 1980 की घटनाओं पर अपना ध्यान दें। कुछ कट्टरपंथी नेताओं का गुट था जो सिखों का नेतृत्व हथियाना चाहता था और दूसरों को निकालना चाहता था। इसी तरह कुछ बेरोजगार युवक हैं जो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये युवक ऐसे लोग हैं जो देश में हर जगह हैं। मुम्बई में लोग धन अथवा अन्य सामिग्री के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास यह नेतृत्व, बेरोजगार युवक खालिस्तान की मरीचिका और विचारधारा का आधार है। इसके अतिरिक्त हमें उनके लिए आवश्यक विदेशी समर्थन भी प्राप्त है तथा हमारे पास प्रथकतावाद और विद्रोह का मूल हल भी है। इसलिए जब हम पंजाब की बात करते हैं तो इसे कानून और व्यवस्था की समस्या समझा जाता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पंजाब की समस्या कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि यह विद्रोह की समस्या है और हमें इसे उसी रूप में समझना है। जब तक हम पंजाब समस्या को विद्रोह नहीं समझेंगे तब तक हमारी कार्यवाही निर्देशित अथवा दिग्-भ्रमित रहेगी क्योंकि विद्रोह और कानून-व्यवस्था की समस्या से निपटने के तरीके अलग-अलग हैं। हमें इस पर अपना ध्यान देना है। पिछले कुछ सप्ताह से यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। अब हमें आतंकवादियों द्वारा अपनाये गये भिन्न-भिन्न तरीके की कार्यवाही पर ध्यान देना है। पंजाब की सीमाओं के अतिरिक्त आतंकवाद का विस्तार करने के लिए इन्होंने अपनी कार्यवाही का बिस्तार कर दिया गया है। हमें पता चला है कि रोमानिया के राजदूत का अपहरण हो गया है। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश में रुद्रपुर और सिरसां का नरसंहार भी देखा है। अब यह समाचार छापा है कि आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश में आपराधिक गिरोहों को किराये पर लिया है।

3.00 म० प०

इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रकों में स्थिरता पैदा की जाए, सिख और हिन्दुओं के बीच विभाजन किया जाए और मुसीबत पैदा की जाए। सौभाग्य की बात है कि अब देश की जनता आतंकवाद ने कृत्यों को समझ गई है और हम भी सावधानीपूर्वक कार्यवाही कर रहे हैं। आतंकवादियों ने दूसरा तरीका यह अपनाया है कि कानून लागू करने वाले अधिकारियों के परिवारजनों की निर्मम हत्या की जाए। इसका भी उद्देश्य स्पष्ट है कि पुलिस बल का मनोबल गिराया जाए, जनता में आतंक फैलाया जाए और प्रशासन में रुकावट पैदा की जाए। इस प्रकार यह बड़ी गम्भीर चिन्ता का विषय है, हमें इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करनी है। आज पंजाब में ऐसी स्थिति है कि आम आदमी की आशा टूट चुकी है और कोई भी प्रशासन जनता के जान-माल की रक्षा के लिए नहीं है। पिछले दो वर्षों से निष्क्रियता पंजाब की राजनीति की पहचान बन गई है इसलिए हमने इसे परिस्थितियों पर छोड़ दिया है। सौभाग्य की बात है कि पिछले जून केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बन गई और आशा की एक किरण नजर आने लगी है कि अब कुछ किया जा सकता है।

महोदय, मैं बधाई देता हूं कि कांग्रेस सरकार ने पंजाब में सेना तैनात कर दी है और मैं सरकार को इसके लिए भी बधाई देता हूं कि उसने पंजाब के अधिकांश जिलों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया है क्योंकि आगे कार्यवाही करने का यही तरीका है। यह सब कुछ कहने के बाद अब हम स्पष्ट कार्यवाही का उल्लेख करना चाहते हैं! इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे

पहले पंजाब के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। हमें केवल स्पष्ट नीति ही नहीं बनानी चाहिए बल्कि इसे लागू भी किया जाना चाहिए। इस नीति को कब तक लागू किया जाना चाहिए ? इसे केवल एक अथवा दो वर्ष तक ही नहीं बल्कि 5, 10 और 15 वर्ष तक लागू की जानी चाहिए। पंजाब समस्या का कोई अल्पकालीन समाधान नहीं है। हमें विद्रोह की समस्या से दीर्घकालीन कार्यवाही के द्वारा निपटना है। हमने मिजोरम में विद्रोह की समस्या को देखा है और उसका हल निकाला है। परन्तु वहां दो दशक तक विद्रोह की समस्या रही और अन्त में हमने इसे हल कर दिया। इसलिए पंजाब के लिए दीर्घकालीन नीति बनाई जानी चाहिए और इसके लिए कोई तरीका निकाला जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली शर्त राजनीतिक सहमति है। हमें यह राजनीतिक सहमति ढूंढनी है कि पंजाब की समस्या के लिए जहां तक बुराई को समाप्त करने का संबंध है. इसके लिए सेना की तैनाती सहित सब कुछ किया जाए। यह भी राजनैतिक सहमति जुटाई जाए कि बुराई को समाप्त करने के लिए सभी तरीके ठीक होंगे।

अब मैं मानवाधिकारों का उल्लेख करता हूं। मानवाधिकारों की बड़ी चर्चा हुई है। आम आदमी के लिए केवल दो ही तरीके हैं। वह या तो आतंकवादियों के दबाव में आये अथवा राज्य बलों के समक्ष झुके। हम क्या पसंद करेंगे ? क्लब में मानवाधिकार की बात करना बहुत आसान है परन्तु एक राष्ट्र के रूप में हम मानवाधिकार की वेदी पर पंजाब के आम आदमी का बलिदान नहीं कर सकते इसलिए इस सभा ने विशेष रूप से बलों को पूरा कानूनी समर्थन दिया है ताकि वे पंजाब में अपने तरीके से जब चाहें, जहां चाहे कार्यवाही कर सकें। केवल तब ही हम इस समस्या को हल कर सकते हैं।

दूसरे, एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए क्योंकि यह समस्या राष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से फैल रही है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय और विश्व के अन्य प्रमुख देश इससे चिन्तित हैं। इसलिए भारत को परस्पर कार्य करने के लिए संगठन बनाना चाहिए ताकि औषधि व्यापार की समस्या को खत्म किया जा सके। आपको बड़े-बड़े मादक औषधि व्यापारियों पर हमला करना है, छोटे व्यापारियों को पकड़ने से इसका हल नहीं होगा। इसलिए इस समय समन्वित अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास करने की आवश्यकता है। अगला कदम इस समस्या की जांच के लिए संगठनों का एक राष्ट्रीय समूह बनाना है तथा खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा बलों और अन्य बलों की समन्वित निकाय बनाना है।

मैं आसूचना अधिकरणों के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। समस्याओं के समाधान में राज्य सरकार के प्रयत्नों की असफलता का एक कारण आसूचना अभिकरण है। मैं किसी खास आसूचना अभिकरण पर आरोप नहीं लगा रहा। वे कार्य करने और उसका परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं। लेकिन इस देश में आसूचना अभिकरणों की इतनी बहुतायत है कि आसूचना के विकास का प्रयास नष्ट हो जाता है। बहुत से आसूचना अभिकरणों में देश के हित को भी त्याग देने की हद तक प्रतिस्पर्धा है। कोई भी व्यक्ति सूचना पाते ही दिल्ली भाग जाता है। वह पड़ोस के सुरक्षा बल के कमांडर को भी इसके बारे में जानकारी नहीं देता। वह इसकी जानकारी दिल्ली में ही देना चाहता है। जब तक यह सूचना दिल्ली से वापस आती है तब तक आसूचना की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। उनमें से कुछ वित्त मन्त्रालय के अधीन हैं; कुछ गृह मन्त्रालय के अधीन हैं; कुछ रक्षा मन्त्रालय के अधीन हैं और कुछ मन्त्रिमण्डल सचिवालय के अधीन हैं। हमें किसी

समय इस पर आघात करना चाहिए। उनके कार्य के पर्यवेक्षण के लिए एक संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए। यह भारत को छोड़कर विश्व के हर देश में ऐसी व्यवस्था है। हमें यह समस्या उठानी है जिससे कि आसूचना का कार्यकरण इस सदन के अधिकार क्षेत्र में आ सके। हमें तहसील स्तर से लेकर जिला, राज्य तथा देश के स्तर तक आसूचना अभिकरणों को एकीकृत करना होगा जिससे कि सुरक्षा बलों तथा मारक बलों को सूचना मिल सके और जो किसी खास आसूचना अभिकरण के साथ समन्वय स्थापित कर सके।

सुरक्षा बलों के संचालन में काफी भ्रम है। इसीलिए हम सफल नहीं हो रहे हैं। हम सेना की बात करें। जब हम सैनिक अधिकारियों की सहायता के लिए सेना तैनात करते हैं तो इसके कार्यकरण का अलग अर्थ होता है। जब हम किसी विद्रोह को दबाने के लिए सेना तैनात करते हैं तो यह अलग तरह से कार्य करेगी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि हमें इस समस्या को विद्रोह के रूप में देखना चाहिए न कि कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में। स्थानीय पुलिस पूरी तरह अप्रभावी हो गई है और इस विद्रोह की समस्या से नहीं निपट सकती क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ उनके सम्बन्ध हैं, उनके परिवार के सम्बन्ध तथा वे स्वयं उग्रवादियों की गोलियों का निशाना बन जायेंगे। इसलिए सेना, सीमा सुरक्षा बल, सी० आर० पी० एफ० या अन्य केन्द्रीय अभिकरणों की आवश्यकता होती है जोकि विश्वसनीय आसूचना तन्त्र की सहायता से समस्या से निपट सकते हैं। हम तभी कुछ कर सकते हैं।

यदि सेना की बात करें तो आप उन्हें जिले के आयुक्त के अधीन कर दें और उनसे काम करने को कहें तो वे कभी काम नहीं कर सकते। पुलिस अधीक्षक अथवा उपायुक्त की इच्छा पर और एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए कहना कमांडर के लिए अपमान है। इसीलिए बड़ी अस्पष्टता है।

दूसरे जब विभिन्न बल कार्य कर रहे हों तो एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी की अनेक संभावनायें रहती हैं जिससे अस्पष्टता की स्थिति हो जाती है। इसलिए जब हम सुरक्षा बल, बी० एस० एफ०, सी० आर० पी० एफ० या सेना तैनात करें तो स्पष्ट रूप से उनका कार्यक्षेत्र और दायित्व निर्धारित कर देना चाहिए। तभी वे ठीक ढंग से कार्य कर सकते हैं।

पहले एन० एस० जी० को एक विशिष्ट बल के रूप में विकसित किया गया था जो किसी भी स्थान पर आघात कर सके। अब यह शक्ति के रूप में विकसित हो रही है। अब यह विशिष्ट बल नहीं रह गया। इसमें आप बहुत सारे लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। अब आप उन्हें अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा तथा अन्य दायित्व का अतिरिक्त कार्य सौंप रहे हैं। यदि आप इसे एक विशिष्ट बल बनाये रखना चाहते हैं तो आपको उसे यह कार्य नहीं सौंपना चाहिए। एक छोटा-सा बल आतंकवाद की समस्या से निपट सकता है। आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए हमें बड़ी सेना की आवश्यकता नहीं है।

हम लोगों ने इस समस्या से निपटने के लिए अवकाश प्राप्त सैनिकों को लेकर राष्ट्रीय राइफल्स नामक संगठन का गठन किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि यह विशेष संगठन अलग से क्या कर सकता है। उसके स्थान पर आप सेना की एक टुकड़ी क्यों नहीं खड़ी करते। जब आप एक संगठन बनाते हैं तो आपको उसका मुख्यालय बनाना होता है, उसके कर्मचारी रखने

होते हैं और उसके लिए प्रशासनिक आधार बनाने पड़ते हैं। इससे परेशानी बढ़ती है और राष्ट्रीय राजस्व की हानि होती है। हमें इसे कहीं न कहीं रोकना ही होगा। मेरे विचार से इस देश में राष्ट्रीय राइफल्स की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें या तो सशस्त्र बल या अर्ध सैनिक बल में परिवर्तित कर दीजिए और तब भी वे अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं।

दूसरे कदम के रूप में इस देश के प्रत्येक राज्य में सेल गठित किये जाने चाहिए जिससे आतंकवाद से लड़ा जा सके और नशीली दवाओं के व्यापार तथा आतंकवादी संगठनों से संबंध के किसी भी चिन्ह को कड़ाई से दबाया जा सके। मुंबई शांत है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वहां कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं चल रही है। वहां बड़ी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। अपने अभियानों के लिए उन्हें आर्थिक आधार चाहिए। किसी चीज पर बड़े आक्रमण करने के लिए वे इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में यह भी स्पष्ट हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा में अन्य लोगों को भी भाग लेना है। आप पहले ही 20 मिनट बोल चुके हैं।

श्री सुधीर सावंत : राजनीतिक प्रक्रिया में हमें सतर्कता से चलना है बिना यह देखे कि सरकार ने क्या कहा है।

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (अमरावती) : वह वास्तव में अच्छी सलाह दे रहे हैं। मैं उन्हें और समय देने के लिए आपसे अनुरोध करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है। आपकी सिफारिश के पहले ही और आपकी सिफारिश के अनुमान से ही उन्हें बीस मिनट का समय दिया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वह राज्य सभा में उपसभापति रह चुकी है। उन्हें कुछ अनुभव तो है ही।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढ़ाना) : उन्हें सिफारिश करने का तो अधिकार है ही।

श्री सुधीर सावंत : सरकार ने जो कुछ कहा है उस पर विचार किए बिना कि जनवरी या फरवरी में चुनाव कराये जायेंगे, हमें वास्तविकतायें देखनी चाहिएं और उस पर विचार करना चाहिए। मेरे विचार से वास्तविकताओं को देखते हुए निकट भविष्य में चुनाव नहीं कराये जा सकते क्योंकि फिर चुनाव कराकर क्या हमें उग्रवादियों के हाथों 100 या 150 प्रत्याशियों का बलिदान करना है? यह संभव नहीं है क्योंकि पंजाब में जब तक आप जिला और तहसील स्तर पर प्रशासन कायम नहीं करते जिसमें सरकार शासन कर रही हो तब तक आप चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि अन्यथा चुनाव पेटिकाओं तक उग्रवादी और उनके शुभचिंतक ही पहुंचेंगे और असली लोग, सभी राष्ट्रीय दलों के कार्यकर्ता चुनाव पेटियों तक नहीं पहुंच पायेंगे। वे अलग-थलग पड़ जायेंगे। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अप्रैल माह।

श्री सुधीर सावंत : मैं सरकार से चुनाव कराने के अपने वादे पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।

अन्त में हमें एक बात अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। सिखों ने इस देश के लिए अपना

खून बहाया है । 1987 में बाना चोकी पर कब्जा करने के लिए 20000 फीट ऊंचाई पर जो लड़ाई लड़ी गई थी वह सिख सिपाहियों की पूरी टुकड़ी द्वारा लड़ी गई थी । मुझे यह देखने का सौभाग्य मिला था; इसमें प्रत्येक सिपाही सिख था । 1971 की लड़ाई के बाद हमने केवल एक व्यक्ति को परमवीर चक्र से सम्मानित किया है और वह हैं बाना सिंह जो कि सिख हैं । यदि आप सेना में दिए गए अलंकरणों की गणना करें तो आप पायेंगे कि यह सिख समुदाय ही है जिसको सभी प्रकार के अलकरण प्राप्त हुए हैं और इसीलिए एक राष्ट्र के रूप में हमें आतंकवादियों के चंगुल से लोगों को बचाना होगा और इसके लिए सपने नहीं बल्कि खून राष्ट्र को मोड़ सकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इस सदन में हर वर्ष पंजाब राज्य का बजट लाना सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है । परन्तु संभवतः परिस्थितियों ने इस देश तथा सरकार को ऐसे उपाय करने के लिए विवश कर दिया है और इसीलिए वे इस सदन के समक्ष पंजाब का बजट लाने के अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा कर रहे हैं ।

सामान्य रूप से तो इसे पंजाब राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा ही पारित किया जाना चाहिए था । लेकिन प्रश्न यह है कि हम कब तक ऐसा करते रहेंगे । क्या इसका कोई अन्त होगा या क्या निकट भविष्य में इस परिस्थिति के समाप्त होने के कोई आसार दिखाई देते हैं ? मेरे विचार से यहां हर कोई इस बात से सहमत होगा कि पंजाब राज्य हमारा सबसे विकसित और विकासशील राज्य रहा है जिसे हम एक समय प्रतिमान राज्य के रूप में देख रहे थे । पंजाब राज्य के लोग साहसी, परिश्रमी लोग हैं; नए-नए परिवर्तन लाने के बारे में वे अपने ही ढग से सोचते हैं । उन्होंने हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु गौरवपूर्ण भूमिका निभाई है । स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात, हमारे स्वतन्त्र देश में उन्होंने हमारी सीमाओं की रक्षा करने और हमारी संस्कृति तथा राष्ट्रीय प्रगति में भी अपना योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । ये सभी सर्वमान्य तथ्य हैं, इन्हें कोई नकार नहीं सकता । किन्तु आज यह भी सच है कि इस राज्य की स्थिति एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है; यह हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर चिन्ता का विषय बन गई है । दुर्भाग्य से कुछ भटके हुए युवकों ने गलत रास्ता अपना लिया है और वे हिंसा पर उतारू हो गए हैं, यह लोग न केवल हिंसा पर उतर आये हैं बल्कि हमारे विदेशी शत्रु हमारी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के लिए भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अतः यह एक गंभीर विषय है ।

महोदय, आज क्या स्थिति है ? सम्पूर्ण राज्य को अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । वास्तव में हमने राज्य को सेना के हवाले कर दिया है और वहां पर सेना को एक सहायक बल के तौर पर ही नहीं रहना बल्कि जरूरत पड़ने पर एक खास भूमिका भी निभानी है । केवल इसकी उपस्थिति मात्र से कुछ नहीं होने वाला । इसलिए किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमने कठोर उपाय किए हैं, वहां सेना भेजे जाने के बाद और इसे राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल रखने के लिए और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सहायता के लिए तैनात करने के बाद कोई अन्य उपाय बाकी नहीं बचता । यह अन्तिम उपाय है जिसे लागू किया जा चुका है ।

एक और बात है और वह सच भी है । माननीय वित्त मन्त्री जी सम्भवतः अपने उत्तर में सदन को इसकी जानकारी भी देंगे कि अधिकांश उद्योग अब राज्य से बाहर ले जाए जा रहे हैं ।

इनमें से कुछेक वास्तव में राज्य से भाग खड़े हुए हैं। अधिकांश वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। वे पंजाब से बाहर अपने उद्योग चलाने के लिए वैकल्पिक प्लाट खरीद रहे हैं। वे पंजाब में और अधिक पूंजीनिवेश नहीं करना चाहते। आज वहां यही स्थिति है। इसके अलावा, पंजाब के लोग भय के साये में जी रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन में पंजाब के बहुत से सदस्यों ने ठीक ही कहा था कि वे जो दिल्ली या पंजाब से बाहर रह रहे हैं, वे यह नहीं समझ सकते कि वहां के लोग कैसे रह रहे हैं और उनकी क्या-क्या समस्याएं हैं। मेरे विचार से भारत सरकार ने यह बहुत बड़ी गलती की है। इन्होंने अपने आपको पंजाब के लोगों से अलग-थलग कर लिया है। मुझे नहीं मालूम कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने सदन में बजट प्रस्तुत करने से पहले पंजाब का दौरा किया था या नहीं। क्या यह उचित नहीं था कि वित्त मन्त्री जी दिल्ली में बजट न बनाकर कम-से-कम चंडीगढ़ में जाकर बनाते? उन्हें पंजाब के अधिकारियों, लोगों, कुछ संगठनों, मजदूर संगठनों, व्यावसायिक संगठनों और जनता में लोकप्रिय व्यक्तियों इत्यादि से भेंट करना चाहिए था। सरकार को चाहिए था कि उनसे इस प्रयोजन से बातचीत करती कि वहां वे क्या महसूस करते हैं और इस मामले में पंजाब बजट का क्या स्वरूप हो। महोदय, मैं आपको याद दिलाता हूं कि पिछले सत्र के अन्तिम दिवस पर हमने सदन में पंजाब पर चर्चा की थी। जब मैंने यह कहा कि उन्हें बातों के इच्छुक लोगों को आमंत्रित करके उनके साथ एक गोल-मेज वार्ता करके यह प्रयास करना चाहिए कि उन्हें राजी किया जा सके या फिर कम-से-कम पंजाब की जनता और किन्हीं कारणों से नाराज लोगों को कोई सकारात्मक संकेत दिया जा सके। तब गृह मन्त्री जी ने मेरे इस सुझाव को लागू करने के लिए वचन दिया था। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि "देखिए हम आपको आमन्त्रित करते हैं, आपकी भागीदारी चाहते हैं। यह बात नहीं है कि आपके लिए हमारे दरवाजे बन्द हैं। कृपया चर्चा के लिए आइये और हमें अपनी राय बताइए।" आप मानिए या न मानिए। किन्तु मुझे विश्वास है कि वार्ता, सम्मेलन इत्यादि सदा सहायक होते हैं और जनतन्त्र के ढांचे में यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किन्तु मुझे खेद है कि उन्हें आमन्त्रित नहीं किया गया। गृह मन्त्री जी ने भी पंजाब की यात्रा करने का कष्ट नहीं किया। क्यों? यह कैसा डर है? इससे क्या संकेत मिला है? हम पंजाब के लोगों तथा देश को क्या बताने जा रहे हैं कि लोग ऐसी स्थिति मे तो रह सकते हैं परन्तु गृह मन्त्री या भारत सरकार के मन्त्रिमण्डल स्तर के मन्त्री में वहां जाने का साहस नहीं है या उन्हें यह सम्मान नहीं है कि वे वहां जाएं और लोगों से मिलें। यह बहुत गलत संदेश है। मैं यह कहूंगा कि इसमें सुधार किया जाना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करते आप लोगों का विश्वास नहीं जीत सकेंगे।

नाराज युवक केवल हमारे देश में ही नहीं बहुत से देशों में हैं। इतिहास इसका साक्षी है। बहुत से देशों में युवक अनेक बातों से नाराज होते हैं। युवा लोग अतिवादिता की सीमा लांघ जाते हैं। किन्तु उनसे बातचीत तो करनी पड़ेगी। जब नक्सलवाद विकसित हुआ तो यही सब हुआ था। मेरे मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी मुझसे सहमत होंगे कि पश्चिम बंगाल में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों के बुद्धिमान और योग्य युवक नक्सलवादी बन गये। वे गलत रास्ता अपनाकर गलत आदर्श के लिए खून बहाते रहे। किन्तु पश्चिम बंगाल के नेतागणों ने उनसे वार्ता की, उनकी समस्याओ को समझा तथा उनकी शिकायतें दूर कीं। इस प्रकार की राजनैतिक प्रक्रिया से अन्ततः क्या हुआ? अब पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया है। अब यह देश के दूसरे भागों में है किन्तु पश्चिम बंगाल में उतना नहीं है क्योंकि वहां की सरकार का दृष्टिकोण अलग

था, उन्होंने उनकी समस्याओं, नाराजगी को समझने का प्रयास किया था। उनके साथ बातचीत करके उन्हें यह महसूस कराया गया कि हम आपके गुस्से का कारण समझते हैं और आपकी शिकायतों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। यदि इस सदन से यह संदेश दिया जाता है कि हम सरकार से पंजाब में चुनाव न कराने का आग्रह करते हैं तो यह पंजाब के लोगों को जाने वाला दूसरा गलत संदेश होगा। हमारे पास अभी भी ढाई महीने बचे हैं, हमें क्या जल्दी है ? आप पंजाब के लोगों को यह क्यों बताना चाहते हैं कि हमें उनमें विश्वास नहीं है ? हम चुनाव नहीं कर सकते। फिर वे पूछेंगे : "कब तक ? आपने 8-9 वर्षों में चुनाव नहीं कराये और आप हमें हमारे मूलभूत अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं।" इसलिए कृपया ऐसे किसी सुझाव पर ध्यान न दें। वे ढाई महीने से कहते आ रहे हैं कि "स्थिति ठीक नहीं है। वहां सामान्य स्थिति नहीं है; हम चुनाव नहीं करा सकते।" इस पर ध्यान न दें। अन्य सम्भावनाओं के लिए भी गुंजाइश रखें तथा सामान्य स्थिति बहाल करने और चुनाव कराने के लिए अनुकूल स्थिति बनाने के प्रयोजन से प्रयास करते रहिए। गलतियां तो पहले ही की जा चुकी है। मैं किसी सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा। किन्तु कई सरकारों ने ऐसे कई मौके गंवा दिए जब सम्भवतः चुनाव करवाए जा सकते थे और लोगों को उस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता था। हमने कई अवसर गंवा दिये। किन्तु हमें भविष्य में कोई अवसर नहीं गंवाना चाहिए। मैं यह भी नहीं कह रहा कि चुनाव अप्रासंगिक हो तो भी इन्हें अवश्य करवाओ। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा किन्तु कृपया प्रयास जारी रखें और यह सुनिश्चित करें कि कुछ विचारों को कार्यरूप दिया जा सके और इसके लिए समुचित कार्यवाही की जाए।

सभापति महोदय, मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह उन व्यक्तियों, संगठनों को आमंत्रित करने का प्रयास करे, जो यहां आकर पंजाब समस्या के बारे में बात करने के इच्छुक हैं। चाहे उनकी कोई भी विचारधारा हो, कोई भी रुख हो, यदि वे आना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, तो कृपया उन्हें अवश्य बुलाइये, उनसे सामूहिक रूप से अथवा अलग-अलग बातचीत कीजिए और जो भी संभव हो कीजिए तथा पंजाब समस्या के बारे में एक गोल-मेज सम्मेलन अथवा कम-से-कम एक गोल-मेज वार्ता तो अवश्य ही आयोजित करने का प्रयास कीजिए और उनकी समस्याएं समझने की कोशिश कीजिए।

मैं समझता हूं कि पंजाब समस्या एक और मूल प्रश्न प्रस्तुत करता है। मैं काफी लम्बे अरसे से इस बात को स्वीकार करता आ रहा हूं कि केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता है। पंजाब के मामले ने इस समस्या को बहुत साफ कर दिया है। अब समय बदल गया है और विगत चालीस वर्षों के दौरान अनेक चीजें बदल गई हैं। सोवियत संघ में जो कुछ हो रहा है उसे हम सब देख रहे हैं। इतना शक्तिशाली देश आज विखंडित हो रहा है। वहां के लोग अपनी स्वायत्तता चाहते हैं, वे चाहते हैं कि अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियां तैयार करने के लिए उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार मिले। अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। अब इस सोच का कोई महत्व नहीं रह जाएगा कि हमारा केन्द्र अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। इस देश में हम कुछ ऐसा संतुलन बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहे है कि हमारा केन्द्र मजबूत हो किन्तु इसके साथ ही राज्यों को भी अनावश्यक रूप से नहीं दबाया जाए। अब वे दिन चले गए हैं जब राज्यों की बिल्कुल नहीं चलती थी और उनकी नीतियां इत्यादि के बारे में दिल्ली में निर्णय लिया जाता था। इससे पहले कि ये सब बातें कोई अन्य राष्ट्रीय

समस्या खड़ी कर दें, हमें चाहिए कि केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में गम्भीरता से विचार करें और कुछ कदम उठाएं तथा यही उपयुक्त समय भी है, राजनीतिक कारणों से कुछ राज्य सरकारों को बर्खास्त करके हमें अपनी आंखें बन्द नहीं कर लेनी चाहिए। जब लोग यह महसूस करने लग जाते हैं कि उन्होंने जो सरकार चुनी थी वह राजनीतिक कारणों अथवा किसी अन्य कारण से किसी को पसन्द नहीं है और इसीलिए चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है तो इससे लोगों की आस्था जड़ से खत्म हो जाती है और तब वे लोग या तो हथियार उठा लेते हैं अथवा असंवैधानिक उपाय अपनाने लगते हैं, अतः हमें चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां नहीं बनने दें। क्योंकि हमारा राष्ट्र बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। यह एक सामाजिक और राष्ट्रीय मामला है न कि किसी एक पार्टी का मामला। प्रत्येक व्यक्ति इस बात से चिन्तित है कि राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के लिए पंजाब और जम्मू कश्मीर में हमारे विदेशी शत्रुओं को पनपने का मौका मिल रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में अत्यन्त गम्भीरता से विचार किया जाए।

हमारी सरकार की दूसरी असफलता यह है कि हम किसी कारणवश विदेशों में लोगों के समक्ष अपने मामले के पक्ष में तर्क नहीं दे पाए हैं और अपनी बात का कायदा नहीं कर पाए हैं और पाकिस्तान ने कई अवसरों पर हमारे देश की छवि को गलत रूप में प्रस्तुत किया है। वे महसूस करते हैं कि हम जम्मू-कश्मीर में कुछ समुदायों के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं; ऐसा समझा जा रहा है कि हम पंजाब के लोगों को समुचित अधिकार प्रदान नहीं कर रहे हैं और उनकी आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं; शायद हम कुछ ऐसे उपाय अपना रहे हैं जो लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं और शायद इसीलिए हम ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं अथवा कतिपय समुचित आन्दोलनों को भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे देशों में और मित्र देशों में हमारी राष्ट्रीय छवि को सही तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार किया जाना चाहिए और पाकिस्तान पर दबाव डाला ही जाना चाहिए। कुछ देश, जिन्होंने शुरू में हमें गलत समझा था, अपनी भूल सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं; किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं, अब समय आ गया है जब भारत सरकार सिर्फ आतंकवाद की समस्या के बारे में विस्तार से बातचीत करे और हमारे आन्तरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का मामला उठाए। यह केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला नहीं है; यह एक ऐसा मामला है जहां पाकिस्तान के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत बनाया जाना चाहिए और सभी देशों की ओर से उस पर दबाव डाला ही जाना चाहिए।

मुझे खुशी है कि चीन के प्रधान मंत्री श्री ली पेंग हमारे देश की यात्रा पर आ रहे हैं। यहां तक कि चीन भी हमारे इस मामले को अच्छी तरह नहीं समझ सका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे सम्बन्ध हैं। अतः भारत को चाहिए कि वह चीन के प्रधानमन्त्री की भारत यात्रा का समुचित लाभ उठाए। चीन के समक्ष हमारा मामला इस ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि चीन भी पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाले कि वह इन आतंकवादी गतिविधियों के लिए सहायता न दे और हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। आज ऐसा वातावरण तैयार हो गया है जिसमें चीन हमें भलीभांति समझना चाहता है। हम चीन

को भलीभांति समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम दोनों केवल एशिया में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के भी बड़े देशों में से हैं।

अतः हमें एक ऐतिहासिक अवसर मिला है और भारत को इस मामले को चीन के प्रधान मंत्री के साथ उठाना चाहिए ताकि चीन भी पाकिस्तान पर दबाव डाल सके तथा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करके, कुछ क्षेत्रों का सौदा करके और यह सोच कर कि शायद पाकिस्तान की सहायता करके अथवा पाकिस्तान के हितों को उठाकर किसी प्रकार का राजनैतिक लाभ मिलेगा, पाकिस्तान की मदद ही नहीं करता रहे। यह भी नहीं होने देना चाहिए। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इन बातों को गंभीरता से ले।

अन्त में, मैं यही कहूंगा कि आपको इस सत्र में, हो सके तो अगले सप्ताह अथवा दस या पन्द्रह दिन बाद जब प्रधान मन्त्री वापस आ जायें—यहां के सभी दलों की एक बैठक करने के सभी संभव प्रयास किये जायें। सिर्फ वही सुझाव ही नहीं जो सभा में दिये जाते हैं बल्कि अन्य विभिन्न राजनीतिक दलों के सुझावों को समझने का भी प्रयास किया जाये। उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के राजनीतिक नेताओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सरकार को सही मायनों में इसे एक राष्ट्रीय मामला बनाने का प्रयास करना चाहिए। पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर की समस्या को हल करने तथा मोटे तौर पर केन्द्र-राज्य सम्बन्धों एवं इस समस्या से जुड़े अन्य मामलों पर समाधान निकालने हेतु सामूहिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

मैं भारत सरकार की समस्याओं को समझता हूं। मैं यह नहीं कह रहा कि प्रयास नहीं किये गए हैं, प्रयास किए गए हैं लेकिन दुर्भाग्यवश वे सफल नहीं हो पाये हैं और स्थिति बिगड़ती जा रही है। संपूर्ण राज्य को अब अशान्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इससे हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है। हमें यह अहसास देना चाहिए कि अब हमारा राष्ट्र दृढ़ता और समझ-बूझ से अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। यह तथ्य कि जो कार्य किसी राज्य की विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए उसे इस सदन के सामने प्रस्तुत करना ही यह बताता है कि पंजाब राज्य में असाधारण स्थिति चल रही है।

मैं पंजाब की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि मैं पंजाब के मामले में संघ सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का समर्थन नहीं करता। मेरा सुविचारित मत है कि पंजाब की समस्या उन व्यक्तियों की उपज है जो उस समय सरकार में थे। तब केन्द्र सरकार को सोचना चाहिए था कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी कारण आज हमें अत्यधिक खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के बारे में भारत सरकार ने उग्रवादियों को बहुत छूट दे रखी है। यदि सरकार ने पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल की तरह से कार्य किया होता तो इस समस्या को पहले ही हल कर लिया गया होता। हमें याद करना चाहिए कि उन्होंने हैदराबाद और अन्य रियासतों के मामले को इस देश का गृह मंत्री बनने के बाद किस प्रकार हल किया

था। मैं यह समझता हूं कि आज भी हमें स्वर्गीय सरदार पटेल का तरीका अपनाना होगा, जिन्होंने देश के एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी थी। पंजाब में सेना न भेजने के कारणों से मैं सहमत नहीं हूं। इसे मणिपुर, मिजोरम, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों में, जहां उग्रवाद की समस्या सबसे अधिक है, तैनात किया गया है। सेना भेजने से मणिपुर में आतंकवाद कम हो गया है यद्यपि यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई है। मिजोरम में यह समस्या हल हो गई है, अब असम में इस समस्या को हल किया जा रहा है और हमें इसके हल होने की आशा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पंजाब में प्रभावी रूप में सेना क्यों नहीं भेजी गई है ? अतः मेरा सुझाव है—जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है—कि हमें प्रभावी रूप से सरकार की सहायता करने हेतु दृढ़तापूर्वक सेना को वहां पर नियुक्त किया जाना चाहिए जैसा कि पूर्वोत्तर राज्यों में किया गया है।

मैं समझता हूं कि यदि पंजाब आतंकवादियों के कारण खो जाता है, तो केवल पंजाब ही नहीं खोना पड़ेगा बल्कि हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी खो देंगे। पंजाब में जो कुछ हुआ है उससे मेरे राज्य मणिपुर तथा कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी उग्रवादियों को बढ़ावा मिला है। वे सोचते हैं कि एक दिन उन्हें भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याएं पैदा करने का अवसर मिल जायेगा और वे उस क्षेत्र को इस देश से अलग करने का दावा पेश कर देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह उन लोगों की करनी है जो यहां दिल्ली की सरकार में आसन ग्रहण किए हुए हैं। कभी उन्होंने पंजाब की उपेक्षा की थी और इस समय कुछ अन्य राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। इस समय भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग उपेक्षित-सा महसूस करते हैं। यदि हम उस क्षेत्र के लोगों पर ध्यान दें तो उनकी समस्याओं को अभी भी हल कर सकते हैं। इस समय मणिपुर में युवकों द्वारा आन्दोलन किया जा रहा है। मणिपुर के सभी छात्र यूनियन और अन्य संगठन मणिपुरी को एक राष्ट्र भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हिन्दी फिल्मों का प्रदर्शन बन्द करवा दिया है। वे आन्दोलन कर रहे हैं। वे वहां अधिक मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। मणिपुरी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने में क्या कठिनाई है? यदि हम इसकी उपेक्षा करते रहे, तो यह क्षेत्र भी एक दिन पंजाब की तरह हो जायेगा और इसे हल करने में काफी समय लग जायेगा।

संक्षेप में, मेरा सुझाव है कि यदि पंजाब समस्या का हल निकालना है, तो इसे दृढ़ निश्चय के साथ हल करना होगा, दृढ़तापूर्वक और न कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। हमें पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आना होगा। यदि हमने स्थिति को इसी प्रकार बने रहने दिया, तो यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मसला बन जायेगा। उस समय इस समस्या को हल करना अति कठिन हो जायेगा। यह मसला संयुक्त राष्ट्र के मंच पर चला जायेगा। उस समय तो यह बहुत ही जटिल हो जायेगा। यद्यपि काफी विलम्ब हो चुका है, मेरा प्रस्ताव है कि सरकार को पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। हमें उस राज्य में सेना तैनात करके आतंकवादियों को बाहर निकालने की कार्यवाही करनी चाहिए।

अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि फरवरी में वहां जो चुनाव कराने का प्रस्ताव है उसके लिए आपको वहां ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। जब तक इस प्रकार का माहौल नहीं बनता चुनाव कराने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

पंजाब की समस्याओं को हल करते समय मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों पर भी ध्यान देना चाहिए जहां युवा वर्ग अपनी समस्याओं को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं।

श्री विजय नवल पाटिल (इरन्दोल) : सभापति महोदय, मैं पंजाब के संबंध में अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। दुर्भाग्य से, पिछले दस वर्षों से इन मांगों पर उस राज्य में चर्चा होने की बजाय संसद में की गई है।

वर्तमान पंजाब जिसका पुनर्गठन लगभग 25 वर्ष पहले हुआ है उसके लगभग एक तिहाई काल के बजट पर इस गरिमापूर्ण सदन में चर्चा की गई है। आज एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज उस राज्य के संसद सदस्य भी यहां नहीं हैं जो पंजाब की प्राथमिकताओं, उसकी समस्याओं के बारे में अपनी आवाज उठा सकें।

सभापति महोदय, भौगोलिक स्थिति के कारण तथा पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा के कारण, पंजाब समस्या गहराती चली जा रही है। पाकिस्तानी हमारे शत्रु पड़ौसी बन गए हैं। बंगलादेश बन जाने के बाद इसकी शत्रुता बढ़ गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि बंगलादेश के टूटकर अलग होने की घटना का वह बदला लेना चाहता है और यही कारण है, पंजाब को भारतीय उप-महाद्वीप से अलग करना चाहता है। केवल यही नहीं इसके बाद यदि संभव हो तो यह जम्मू तथा कश्मीर को भी हड़प लेना चाहता है। पाकिस्तान का खतरा बढ़ता जा रहा है, जब हम यह सुनते हैं कि वह देश दस परमाणु बम विकसित करने में लगा हुआ है जिसमें प्रत्येक की क्षमता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम के बराबर है। लेकिन आशा की किरण यही है कि चीन ने पाकिस्तान को एम-9 प्रक्षेपास्त्र की सप्लाई करना बन्द कर दिया है और जैसा कि श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा है, यदि हम पाकिस्तान के रवैये के खिलाफ विश्व जनमत तैयार कर लें तो पंजाब में आतंकवाद की समस्या को हल करने में हमें सहूलियत हो जायेगी। यह अब सर्वविदित है कि पाकिस्तान पंजाब में आतंकवादियों के माध्यम से भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध लड़ रहा है। पंजाब के लोगों के लिए उनके राज्य में कानून और लोकतन्त्र की बहाली आवश्यक हो गया है। महोदय, हमें तत्काल कदम उठाना चाहिए और वहां जो बुलेट की स्थिति विद्यमान है उसे हम बैलेट की स्थिति में बदल दें। पंजाब केवल पंजाबियों का नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण देश का एक हिस्सा है। यह हमारे देश की बहुत-सी आवश्यकताओं को पूरा करता है। पंजाब में अशांति एवं असामान्य स्थितियों के बावजूद इस वर्ष के दौरान भी इसने केन्द्रीय पूल में लगभग 70 प्रतिशत गेहूं दिया है। धान के मामले में भी यही स्थिति है। यह देश के अन्य भागों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए उतना ही उपजाऊ है जितना पंजाब के निवासियों के लिए है। यद्यपि हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है फिर भी हम इस समय खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर हैं लेकिन अगले पांच वर्षों में खाद्यान्नों की कमी हो जायेगी। ऐसी स्थिति में, यदि पंजाब में स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है तो गेहूं और धान की उपज में कमी आ जायेगी और सारे देश को तथा जनता को परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है। पंजाब में लम्बे समय तक सेना तैनात से कोई अपेक्षित सफलता हासिल होने वाली नहीं है और सरकार के पास यह आखिरी विकल्प होना चाहिए। जैसे रोगी को बचाने के प्रयास में डाक्टर रोगी में रक्त चढ़ाते हैं लेकिन वे

लम्बे समय तक ऐसा करते हैं तो रक्त विष में बदल जाता है। उसी प्रकार यदि पंजाब में सेना को लम्बे समय तक तैनात रखा गया तो इससे वहां सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो पाएगी। मैं तो कहूंगा कि इसका समाधान केवल वहां चुनाव कराने से ही होगा।

हम खालिस्तान बनाने की मांग का विरोध कर रहे हैं लेकिन हम ईमानदारी से पंजाब को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहते हैं। हमें इस बात पर भी गौर करना होगा। जब राज्य बनाए गए थे तो पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी बनाई गई थी। किसी राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उक्त राज्य के लिए पृथक राजधानी ही चाहेगा। लेकिन पंजाब की पृथक राजधानी नहीं है। चण्डीगढ़, जो संघ राज्य क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। कांग्रेस सरकार ने प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया है कि केन्द्र से एक ऐसा सन्देश भेजा जाय कि अब राजीव—लौंगोवाल समझौता अथवा इसी प्रकार का कोई समझौता लागू किया जाएगा ताकि पंजाब के लोग विशेषकर नरम किस्म के आतंकवादी अथवा वे लोग, जिनसे बातचीत की जा सकती है, कुछ समाधान निकलने की सोच सकते हैं।

सभापति महोदय, राज्य के लिए पृथक राजधानी का होना अनिवार्य है लेकिन इसके विपरीत जो कुछ पंजाब में हो रहा है मैं वह स्थिति आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। 1985 में एक लघु सचिवालय का निर्माण शुरू किया गया था। तत्कालीन राज्यपाल श्री एस० एस० रे के इस वायदे के साथ फरीदकोट में लघु-सचिवालय का शिलान्यास किया गया कि तीन वर्ष की अवधि में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके लिए 3.75 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया, लेकिन इसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया, यह अभी भी अधूरा पड़ा है। अब धनराशि का आकलन 8 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

यही स्थिति सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर की है। इसका हरियाणा का हिस्सा 90 प्रतिशत तक पूरा हो गया है लेकिन पंजाब में 25 प्रतिशत भी पूरा नहीं हो पाया है। प्रचुर कृषि उत्पादन केवल पंजाब के लोगों के लिए ही नहीं चाहिए बल्कि इसकी समूचे भारत को आवश्यकता है। इसीलिए इस नहर का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। यदि उत्पादन अधिक होगा तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

हम देखते हैं कि पंजाब में बड़े उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं। हमें वहां सरकारी क्षेत्र के उपक्रम जैसे इलैक्ट्रॉनिक्स आदि के उपक्रम की स्थापना से शुरुआत करनी चाहिए और इनमें स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें वहां स्थानीय लोगों को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके विपरीत, हम देख रहे हैं कि लुधियाना में होजरी उद्योग बुरी तरह पिछड़ रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन दे। लेकिन हम देखते हैं कि आर्थिक राजसहायता तक समाप्त कर दी गई है। जहां तक पंजाब में उद्योगों का संबंध है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कम किया जाना होगा।

सभापति महोदय, हम आदमखोरों को मेहनतकश बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमें लोकतान्त्रिक साधन अपनाने होंगे। मैं अपने मित्र श्री सावन्त की इस बात से सहमत नहीं हूं कि चुनाव इस समस्या का समाधान नहीं है। पिछले 10 वर्षों का हमारा अनुभव बताता है कि दस वर्ष (1980—1990) की अवधि में लगभग तीन वर्ष तक जब पंजाब में निर्वाचित सरकार सत्ता

में थी तो उस दौरान वहां हत्याएं कम हुईं। दस वर्ष की अवधि के अन्दर यदि आप प्रति वर्ष का औसत देखें तो पाएंगे कि निर्वाचित सरकार के कार्यकाल के दौरान हत्याएं काफी कम हुईं। यही कारण है, कि हम ऐसी उम्मीद करें कि इस सम्माननीय सभा में चर्चा किया जा रहा यह पंजाब का अन्तिम बजट हो और पंजाब के आगामी बजट पर पंजाब विधान सभा में बहस होगी। कम से कम इस दसवीं लोक सभा में इस सभा में पंजाब के बजट पर बहस करने का हमारे लिए कोई और अवसर नहीं आएगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। इसका समर्थन करते हुए मैं पंजाब की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

महोदय, दस वर्षों से अधिक समय से इस सदन में पंजाब की स्थिति पर बहस की जाती रही है और प्रशासन के लिए आवश्यक धन भी दिया जा रहा है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख है इस सदन के सदस्यों को इस सम्बन्ध में कोई भी 'आधार सामग्री' नहीं दी जाती है। ऐसी सामग्री के अभाव में पंजाब की वर्तमान स्थिति के बारे में सरकारी पक्ष को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हम गैर सरकारी प्रकाशनों पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हैं। मैं सरकार से पंजाब की वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। वहां के प्रशासन के लिए धन देने से पूर्व सदन को पंजाब में मौजूद स्थिति के बारे में जानने का अधिकार है। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय इसके लिए सहमत होंगे या नहीं। अभी हाल ही में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसकी एक प्रति मेरे पास है। इसे श्री अविनाश सिंह ने लिखा है। वे पिछले कई वर्षों से पंजाब की राजनीति और घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। मैं उनके लेखन से उद्धृत कर रहा हूं, "पंजाब फिर से खतरनाक स्थिति में आ गया है। बल्कि यह धीरे-धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है। लोगों को बसों से बाहर खींच कर गोली मारी जा रही है, कुछेक को सड़क के किनारे ढाबों में मारा जा रहा है, रेलगाड़ियों पर हमला किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों के परिवारों को मारा जा रहा है। बैंकों को आग लगाई जा रही है। स्थिति में अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन आतंकवादी और सशस्त्र सेनाएं जीतने के लिए लड़ रही है—लेकिन दोनों के दर्जनों व्यक्ति मारे जा रहे हैं।"

मैं जानना चाहता हूं कि लेखक द्वारा वर्णित स्थिति सही है या नहीं। क्योंकि पंजाब में आम आदमी का प्रशासन में जरा भी विश्वास नहीं रहा है। वह वास्तव में आगे कुंआ और पीछे खाई वाली स्थिति में फंस गया है। एक तरफ वह आतंकवादियों से डरता रहेगा और दूसरी ओर सशस्त्र सेनाओं के पंजे में रहेगा।

इस लेख में ऐसी ही बातें कही गई हैं। मैं इन सबको मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा। मैं उद्धृत करता हूं, "लोग उन लोगों से घृणा करते हैं जो निर्दोष लोगों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की हत्या कर रहे हैं। वे पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्यों की हत्या के विरुद्ध हैं। लेकिन वे वर्दी वालों अर्थात प्रशासन के साथ भी नहीं हैं, क्योंकि वे महसूस करते है कि सरकार उनकी दुख से पूरी तरह उदासीन है और सैन्यकर्मी उनके दुखों को बढ़ा रहे है।"

वहां यह स्थिति है। इसलिए हमें पंजाब के लोगों की असली समस्या को समझना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि पंजाब की जनता को कोई गलत संदेश ना जाए। पंजाब की स्थिति से अत्यंत सावधानीपूर्वक निपटा जाए तथा लोगों को विश्वास में लिया जाए।

मेरे विचार से पंजाब की समस्या मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक समस्या है।

4.00 म० प०

पंजाब के लोगों की मनोवैज्ञानिक समस्या यह है कि मुख्यतः सिख समुदाय को केन्द्रीय सरकार और उसके दृष्टिकोण के बारे में बहुत गलतफहमी है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि अभी भी सरकार द्वारा उनके समुदाय के प्रति अपनाई गई नीति के बारे में उनके पूर्वाग्रह हैं। सदन के कई माननीय सदस्यों ने भी यह बात कही है। हम सिख समुदाय द्वारा इस देश की एकता और अखंडता के लिए किए गए बलिदानों और सेवाओं को भुला नहीं सकते हैं। मेरे विचार में हमें सिख समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें उनके दिल को छूना है दिमाग को नहीं, और हमें उन्हें भारत सरकार की पंजाब के प्रति सच्ची भावना का दिग्दर्शन भी करवाना है।

हम अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम पंजाब के लोगों के बारे में महसूस क्यों नहीं करते हैं क्योंकि वे सदन में अपने प्रतिनिधि नहीं भेज पाए हैं? हम उन्हें उनके प्रतिनिधि चुनने का मौका क्यों नहीं देते हैं? मैं अपने मित्र श्री कामत से सहमत नहीं हूं कि पंजाब में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। हम ऐसे कब तक चलते रहेंगे। एक लोकतान्त्रिक देश में लोगों की आकांक्षाओं तथा उनकी भावनाओं को कुचलना सम्भव है क्योंकि वहां ऐसा वातावरण तैयार करना प्रत्येक का कर्त्तव्य है ताकि वे अपने प्रतिनिधि चुन सकें। हम उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते।

बेशक, वहां कानून और व्यवस्था की समस्या है। हमारे दुश्मन स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु कुछ अज्ञात कारणों की वजह से हम अपने दुश्मनों के हाथों में क्यों खेलें? इसलिए भारत सरकार के लिए यह उचित समय है कि वह इस देश की एकता और अखंडता के लिए सम्पूर्ण सिख समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिख समुदाय के मनोवैज्ञानिक डर को दूर किया जाना चाहिए।

अनेकता में एकता की भूमि में धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतन्त्र के सम्मुख आने वाली चुनौतियों का सभी समान धर्मनिपेक्ष विचारधारा वाले दलों द्वारा मिलकर सामना करना चाहिए। गुरूद्वारों की सुरक्षा मस्जिदों की सुरक्षा से जुड़ी है। परन्तु ऐसा केवल चुनावों के माध्यम से ही सम्भव है, एक वर्गीय दृष्टिकोण द्वारा नहीं तथा हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों तथा इसाइयों द्वारा राष्ट्रीय इच्छा शक्ति का दावा करके ऐसा सम्भव है। सभी वर्गों, समुदायों तथा पिछड़ी जातियों की संस्कृति, भाषा तथा परम्परा की हमारी वैभवशाली राष्ट्रीय विरासत के अंग के रूप में सुरक्षा की गारन्टी देने की आवश्यकता है। एकता तथा एकता की भावना विदेशी ताकतों के प्रतिकूल इरादों को नाकाम कर देगी।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि वह राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और किन्ही भी परिस्थितियों में प्रधान मत्री तथा सरकार पंजाब में 15 फरवरी को चुनाव कराने के वायदों से पीछे न हटें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पंजाब के लोगों, विशेषतौर पर सिख समुदाय, जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, का पूरा विश्वास फिर खो देंगे।

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह सही समय है जब हम यह महसूस करते हैं कि गोली इस समस्या का समाधान करने में असफल हो गई है। यह समय नयी शुरूआत करने का है। पंजाबियों की कुछ उचित मांगों को मानकर हमें शुरूआत करनी चाहिए। यदि लाल-डेंगा और उसके साथियों को क्षमा किया जा सकता है तो पंजाब के पथभ्रष्ट युवाओं का विश्वास क्यों नहीं जीता जा सकता है? पंजाब के साथ-साथ पूरा देश एक ज्वालामुखी पर बैठा है। हमने अपने सामने शक्तिशाली सोवियत संघ का विभाजन देखा है। हम यह क्यों नहीं महसूस करते हैं कि एक संघीय ढांचा ही हमारे देशवासियों की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से सम्बन्धित अधिकांश बुराइयों का जवाब है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करे।

सभापति महोदय : श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक। आप अपना भाषण पहले ही शुरू कर चुके थे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अधिक समय न लें।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाणा) : मुझे खेद है कि सुबह प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात जब मेरा नाम पुकारा गया था तो मैं सभा में उपस्थित नहीं था। मैं अपना भाषण समाप्त करने के लिए दो मिनट का समय और लूंगा। कल मैं अपने भाषण की लगभग समाप्ति पर ही था।

आज समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि अकाली दल (मान) के अध्यक्ष, श्री सिमरनजीत सिंह मान ने पंजाब में सेना की तैनाती की निन्दा की है। केवल यही बात नहीं है। उसने यह भी दावा किया है कि पंजाब से कई हजार युवक पाकिस्तान भागने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उसने यह भी सुझाव दिया है कि पाकिस्तान सरकार को भागे हुए युवकों को शरणार्थियों का दर्जा देना चाहिए। इसलिए, इस क्षण जब हम पंजाब बजट पर चर्चा कर रहे हैं मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि जब सरकार ने सेना तैनात करने का निर्णय ले लिया है, जब सरकार ने पंजाब में चुनाव कराने का निर्णय ले लिया है, तो पंजाब में कुछ वर्ग इन प्रयासों को विफल करने का प्रयास करेंगे। और इसलिये, जैसा कि कई माननीय सदस्य पहले ही इंगित कर चुके हैं, आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखने वाले विभिन्न राजनैतिक दल एक साथ हों तथा एक समान नीति बनायें, संयुक्त मोर्चा बनायें और पंजाब की स्थिति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करें।

ज़िम्मेदारी निश्चय ही सरकार की है। सरकार ने कतिपय उपाय किए हैं, किन्तु उन्हें राजनैतिक प्रक्रिया जल्द से शुरू करनी होगी। इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार पंजाब की स्थिति पर चर्चा के लिए आने वाले दिनों में एक सर्वदलीय बैठक बुलाये तथा एक समान नीति विकसित करने का प्रयास करे।

केवल इतना ही नहीं। वर्तमान समस्या पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद

की बैठक बुलाये जाने की भी आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता परिषद् पंजाब में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए सरकार तथा राजनैतिक दलों की ओर से जो कार्रवाइयां की जानी आवश्यक हों, उन पर विचार कर सकती है ताकि एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव हो सकें।

दूसरे, आतंकवाद को बढ़ने से रोकने की नीति तथा पंजाब समझौते के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जा सकती है।

मैं सरकार को यह सलाह भी देना चाहूंगा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने पर भी विचार कर सकती है जहां लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

मैं सदन का अब और अधिक समय नहीं लूंगा किन्तु अन्त में मैं यह बताना चाहूंगा कि पंजाब के राज्यपाल ने यह अभूतपूर्व कदम उठाया है कि पंजाब के उद्योगपतियों के एक शिष्ट-मण्डल के साथ हाल ही में वित्त मन्त्री महोदय से मिले हैं और उद्योग से संबंधित कुछ मांगें प्रस्तुत की हैं। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं :

पहले से विद्यमान तथा नयी इकाइयों के लिए विविध देनदारों तथा उपान्त सीमा में मझोली तथा बड़ी औद्योगिक इकाइयों के मामले में 15 प्रतिशत तथा लघु क्षेत्र के मामले में 10 प्रतिशत की कमी करना, विभिन्न कच्चे मालों के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखकर कार्य-कारी पूंजी का पुनर्विनियोजन और जब तक पुनर्विनियोजन न हो, तब कार्यकारी पूंजी की सीमाओं में अब की तुलना में कम-से-कम 15 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों अमृतसर, फीरोजपुर, गुरदासपुर में कम-से-कम दो वर्षों के लिये तथा अन्य जिलों में एक वर्ष के लिये सावधि ऋणों का स्थगन, पंजाब स्थित इकाइयों के लिये कार्यकारी पूंजी का कम-से-कम एक वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निर्धारण तथा विनियमन, बैंक की ऋण सीमाओं में स्वतः वृद्धि तथा पंजाब राज्य में ऋणों पर रोक हटाना।

यह एक बड़ा ही अभूतपूर्व कदम था जिसकी पंजाब के राज्यपाल ने चेष्टा की थी। इससे पूर्व कोई राज्यपाल राज्य से संबधित कतिपय मामलों के निपटारे के लिए चर्चा करने हेतु किसी केन्द्रीय मन्त्री के समक्ष शिष्टमंडल नहीं ले गए थे। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इसे बड़ी गम्भीरता से ले तथा प्रस्तुत की गई मांगों पर अपने द्वारा लिये गए निर्णयों की घोषणा करे।

महोदय, यह सरकार बने पांच महीने हो गए हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि गृह मंत्री महोदय ने आज तक पंजाब का दौरा नहीं किया है। पंजाब की स्थिति इतनी गंभीर है कि सारा राष्ट्र चिन्तित है। किन्तु ऐसी गंभीर स्थिति में भी गृह मंत्री महोदय ने अभी तक अशान्त पंजाब की एक बार भी यात्रा नहीं की। इसलिए, मैं यह मांग करता हूं कि गृह मंत्री को समय खोये बिना पंजाब की यात्रा करनी चाहिए। राजनैतिक प्रक्रिया को शुरू करने और तेज करने तथा पंजाब के लोगों को विश्वास में लेने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पंजाब बजट के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया है।

गत कुछ वर्षों से इस सम्पूर्ण राष्ट्र का ध्यान आतंकवादियों द्वारा पंजाब और कश्मीर के हजारों निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की ओर दिलाया गया है।

जैसा कि 24 नवम्बर, 1991 के 'सन्डे टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी पाकिस्तान से कहा है कि वह पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में तोड़फोड़ की गतिविधियों के लिए आतंवादियों को मदद देने तथा शह देने की कोशिश न करे। सरकार इस तथ्य को भी जानती है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर हमारे क्षेत्र में अवैध तरीके से प्रवेश कराया जाता है जो कि ऐसी हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं।

महोदय, हमारी सरकार को पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द कराने तथा आतंकवादियों को हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कराये जाने के बारे में पाकिस्तान पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव डालने के लिए कुछ ठोस कदम अवश्य उठाने चाहिए। पंजाब में बेरोजगार युवकों के लिए और अधिक रोजगार के अवसर जुटाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए ताकि उनका ध्यान ऐसी आपराधिक गतिविधियों से हटाया जा सके।

वर्तमान सरकार द्वारा पंजाब में चुनाव कराने तथा वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया पुनः बहाल करने के निर्णय को देखते हुए मैं यह भी सचेत कर देना चाहता हूं कि आगामी चुनाव में आतंकवादियों को मुख्य भूमिका न निभाने के लिए पहले से ही समुचित उपाय किए जायें क्योंकि चुनाव में उनकी भागीदारी राष्ट्र के लिए अत्यधिक खतरनाक सिद्ध होगी।

महोदय, पंजाब की समस्या सुलझाने के लिए हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए और वहां सच्ची लोकतांत्रिक स्थिति बहाल करनी चाहिए, हम सबको इस समस्या को एकजुट होकर और शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं पंजाब बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : जनाबे मोहतरम् चेयरमैन साहब, मैं पंजाब के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पंजाब के ऊपर आज जितनी बहस चली है तो मैं इस पर ज्यादा जोर दूंगा। आज हमारे श्री धर्मपाल सिंह मलिक साहब ने जिस चीज पर जोर दिया था तो हम यह सोचें कि किस तरह के हालात पैदा हुए और हम उन हालात पर गौर करें तथा आगे न बढ़ने दें। पंजाब के हालात किसी से नहीं छिपे हैं। जब मैं 1984 से 1989 तक संसद सदस्य था तो मुझे मॉस कांटेक्ट के लिए पंजाब भेजा गया था। वहां के हालात करीब से जानने का मौका मिला। वहां के लोगों के ऐसी फिलींग्स थीं जो अब आगे जा चुकी है। पंजाब, हिन्दुस्तान का दिल है। वहां के लोग इस मुल्क के सच्चे वफादार और बहादुर लोग हैं। इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए पंजाब सबसे आगे रहा। आज भी आप देखें कि अंडमान-निकोबार के पत्थरों पर 75 प्रतिशत पंजाब के लोगों के नाम मिलेंगे। हमें सोचना है कि इन हालात को कैसे काबू किया जाए, जिनसे देश को खतरा है। उससे निपटने के लिए हम सब लोगों को मिलकर कोई सोल्युशन ढूंढना चाहिए। आर्मी का भेजना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर, हम बार-बार आर्मी का इस्तेमाल करते

रहेंगे तो आर्मी की वही हालत एक दिन हो जायेगी जो कि आज पुलिस की हालत है। हर काम के लिए आर्मी का इस्तेमाल करेंगे तो आर्मी का वही करेक्टर गिर जाएगा जिस तरह आज पुलिस का कई जगहों पर देखने में आता है। जो कुछ खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। यह दुख की बात है कि आज इस सदन में पंजाब का कोई नुमाइन्दा नहीं है। हमारे गवर्नर साहब ने पब्लिक दरबार का सिलसिला शुरू किया है तो क्यों न ऐसे मौके पर हमारे होम मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर उनमें जाएं और उन लोगों के हालात को करीब से जानें और सोचें कि वहां क्या तकलीफ है। क्या ऐसे हालात तो नहीं कि लोग आतंकवाद का नाम लेकर दूसरे लोगों को मारते हों, इतना बड़ा खून-खराबा होता हो। क्या ऐसे हालात तो नहीं कि मुल्क में अफरा-तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है और आतंकवाद के नाम पर दूसरों को फंसाने की कोशिश की जाती है। इन चीजों को गहराई से सोचना होगा और मुल्क के लोगों में विश्वास पैदा कर सकें। हम पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठें और यह सोचें कि मुल्क में जो लोग रहते हैं, उनकी जान और अमन की हिफाजत हो सके। कई चीजों का दुख होता है, जैसे बनारस का इंसीडेंट हुआ। या ऐसी चीजें जब भी चुनाव आता है, चुनाव के शुरू होते ही लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है। आज आजादी मिले हुए इतने साल हो गए, उसके बावजूद भी लोगों के अन्दर वोट लेने के लिए एक ऐसा नारा दे दिया जाता है जिससे एक समुदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा पहाड़ ढाते हैं उन पर जिसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन फिर भी लोग बर्दाश्त करते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह से बनारस के अन्दर लोगों के साथ अत्याचार और जुल्म ढाए गए, यह एक जिन्दा मिसाल है। इन चीजों से ही ऐसी चीज पैदा होती है और लोग आगे आते हैं।

एक माननीय सदस्य : पंजाब पर बोलिए।

श्री अयूब खां : मैंने उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया है, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश इस मुल्क का वैसे ही हिस्सा है जैसे कि पंजाब है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं। अगर उनके साथ जुल्म होता है तो उनके ऊपर भी वही बीतेगी जो पंजाब पर गुजरती है। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। हमको और आपको सच्चाई से बोलना है। आतंकवाद किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो वह आतंकवाद ही है, इसमें कोई लिहाज नहीं बरतना चाहिए। लेकिन एक रिक्शा चलाने वाला जिसको यह भी पता नहीं है कि बाबरी मस्जिद कहां है उसकी पीठ पर छुरा घोंप दिया जाए, यह भी गौर करना होगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां दिल्ली में जगह-जगह पर चैक पोस्ट बने हुए हैं। वहां पर पगड़ी बांधे हुए आदमी को रोका जाता है, इसलिए रोका जाता है कि वह एक सरदार है। यह कितने दुःख की बात है कि हर सरदार हमें आतंकवादी नजर आता है।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : यह···**···ने 1982 में एशियाड के समय शुरू किया था।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया ऐसे किसी व्यक्ति का नाम न लें जो इस समय अपने बचाव के लिए सदन में उपस्थित नहीं है,···**···के सम्बंध में कोई भी उल्लेख कार्यवाही से हटा दिया जायेगा। कार्यवाही में···**···का कोई उल्लेख नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : मेरे अजीज दोस्त मुझे भी पता है आप पंजाब की चीज को डाइवर्ट क्यों करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अयूब खां, अपना भाषण जारी रखिए। मैं आप सज्जनों से अनुरोध करूंगा कि आप हस्तक्षेप न करें।

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : पाकिस्तान के जनरल अयूब खां बोल रहे हैं।

श्री अयूब खां : हां, मैं वही अयूब खां हूं जिसने पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बनाया था। हम वही हैं जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना सारा कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। हमें आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमें अपने मुल्क की, मादरे वतन की आशीर्वाद की जरूरत है। इस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, हम सबका दायित्व है इस मुल्क की एक-एक इंच जमीन की हिफाजत करना। चाहे कश्मीर हो, पंजाब हो या दूसरा अन्य हिस्सा हो। अगर मुल्क के दूसरे हिस्से में आग लगे और अगर मुल्क का वफादार है तो वह खुशी से नहीं बैठ सकता। चाहे अयोध्या हो, बनारस हो या पंजाब हो। हमें गौर करना होगा कि पंजाब के लोगों का दिल जीतें। उनको यह महसूस कराना पड़ेगा कि हमारे मन में उनके प्रति पूरा मान और सम्मान है। उसी तरह से आप भी मुल्क के बाशिंदे हैं, आपको भी वही हक है जो दूसरों को प्राप्त है। हमारा दायित्व बनता है हम सबकी हिफाजत करें।

हमारे होम मिनिस्टर और सब लोगों को वहां जाकर वहां की मेजर प्राब्लम्स को जानना चाहिए। पब्लिक दरबार के अन्दर होम और फाइनेंस मिनिस्टर जायें और उनसे बात करें और सांसदों का भी डेलीगेशन जाये और उनसे प्रमुख समस्याओं पर बातचीत की जाये। जितने भी ग्रुप हैं चाहे किसी भी तरह के हों, किसी भी सीमा में हों उन सबसे बात की जाये, उनकी जरूरतें पूरी की जायें, उनकी जो मांगें हैं, जो फैसले हुए हैं उन पर कहीं तो प्रगति होनी चाहिए। चण्डीगढ़ जो पंजाब को देने की बात हुई थी, उसमें कहीं न कहीं अमल हो, जो उद्योग हैं, जो पंजाब में लघु उद्योग हैं वे आला दर्जे का प्रोडक्शन देते हैं। वहां के लोग कभी भूखे-नंगे नजर नहीं आयेंगे। वे मेहनतकश लोग हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। ज्यादा से ज्याद उनको सहूलियात मिलनी चाहिए। इंडस्ट्रीज इस्टेबलिश करने के लिए प्राइवेट सैक्टर को बढ़ावा मिलना चाहिये। मैं आपसे अपील करूंगा कि आर्मी को वहां भेजने से कोई समस्या का हल होने वाला नहीं है। हम

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस तरह के हालतों को पैदा करें कि दुश्मन की निगाह हमारे पंजाब पर न आ सके और कभी दुश्मन कोशिश नहीं कर सके पंजाब को मादी बनाकर वह मुल्क को कमजोर कर सके।

सभापति महोदय : अयूब साहब वाईंड अप कीजिये।

श्री अयूब खां : ओ० के० साहब। पाकिस्तान एक छोटा-सा मुल्क है जिसका हमारे हिन्दुस्तान के मुकाबले कोई वजूद नहीं है। जब हम उस मुल्क का नाम लेते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे देश और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। यदि हमारे सुझाव पर वह अमल नहीं करे तो हमें सख्ती से काम लेना चाहिए। वह पाकिस्तान कभी इस मुल्क के सामने ठहर नहीं सकता। हमारा बड़ा मुल्क है जिसके पास बहुत ताकत है, हथियारों से हर तरह से लैस है जिसकी कोई सीमा नहीं है।

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ताकत और बुलैट के इस्तेमाल के बजाय, हमें उनका दिल जीतना चाहिए। उनके जख्मों पर मरहम लगा सकें, उनके धर्म-स्थलों का आदर-सम्मान कर सकें, उनको इज्जत दे सकें, उनको भी वही पब्लिसिटी मिल सके जो टी० वी० पर और ब्राडकास्टिंग पर दूसरी चीजों को देते हैं। मेरे यही चन्द सुझाव हैं। आपने मुझे टाइम दिया, इसलिए शुक्रिया।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति जी, मुझे पंजाब बजट पर जो बोलने का अवसर दिया, उसके जरिए मैं कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहता हूं कि आखिर पंजाब के अन्दर जो स्थिति पैदा हुई, उस सबके लिए जिम्मेदार कौन है? गुरुओं की जो पवित्र धरती थी, शहीदों की जन्मभूमि थी और उधम सिंह, मदन लाल धींगड़ा, भगत सिंह और लाला लाजपत राय जैसे वीरों की जो मातृभूमि रही है, जिसने देश की आजादी की रक्षा के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। इतिहास इस बात का साक्षी है। उसी पंजाब के अन्दर तत्कालीन जो सत्ताधीश थे, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए लोगों ने भिंडरावाले को जन्म दिया, दल खालसा को जन्म दिया और अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने के लिए पंजाब के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण पैदा किया, इतिहास इस बात का साक्षी है। वह भिण्डरावाला और उसके अनुयायी लोग भस्मासुर बनकर आज हमारे देश के लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं। इसके पीछे जो मूल कारण थे, उसको खोजना पड़ेगा।

सन् 1984 के अन्दर जो ब्लू स्टार आप्रेशन हुआ था। जब कभी छोटा-सा कार्य बिना योजना के किया जाता है तो वह राष्ट्र के लिए कितना विकराल रूप धारण कर सकता है, पंजाब इस बात का साक्षी है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर तत्कालीन रहनुमाओं द्वारा कश्मीर के अन्दर धारा 370 के अंतर्गत विशेषाधिकार नहीं दिया जाता, अगर मिजोरम में चुनाव जीतने के लिए वहां के लोगों को विशेषाधिकार नहीं देते तो पंजाब की महत्वाकांक्षा जाग्रत नहीं होती और आज जो खालिस्तान की मांग हो रही है, वह मांग हरगिज नहीं होती। परन्तु उस समय के रहनुमाओं ने इस देश के अंदर कुछ लोगों के तुष्टिकरण करने के लिए कुछ ऐसे बीज बोये जिसके कारण हमारे देश में पृथकतावादी तत्वों को प्रोत्साहन मिला। आज हम सब पंजाब के दुख से दुखी हैं। पंजाब हमारी वज्र के समान रक्षा करने वाली भुजा है। पंजाब एक प्रकार से हमारे देश का गौरव रहा है और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आतंकवाद

की जबरदस्त कार्रवाई के बावजूद, पाकिस्तान के निरंतर प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद भी पंजाब के अन्दर रहने वाले हिन्दू-सिक्ख भाई-भाई की तरह रह रहे हैं। कितने ही षड्यंत्र किए गए कि हिन्दू-सिक्ख आपस में लड़ पड़ें लेकिन इस सबके बावजूद सब एक हैं और सारे राष्ट्र में एक-रस होकर रह रहे हैं।

सभापति जी, मैं सरकार के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि पंजाब में आज रोज 25-30-40 निर्दोष लोगों का खून बहाया जा रहा है।

अब बहुत हो चुका। अब तो हमें इस अध्याय को बंद करना पड़ेगा। हमारी संवेदनशीलता कहां चली गई है ? मैं भारत सरकार से और लोगों से कहना चाहता हूं कि पहले तो एक या दो हत्याएं होती थीं तो बवंडर खड़ा कर दिया जाता था, लेकिन आज पंजाब के अंदर गाजर-मूली की तरह निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। सतलुज और ब्यास का पानी खून से लाल हो गया है और पाकिस्तान का प्रोत्साहन पाकर आतंकवादी नित नए उपाय बरतकर कभी रेलों को जला देते हैं, कभी चलती रेलों में मुसाफिरों पर बम फेंककर उड़ा देते हैं, कभी बैंकों को लूट लेते हैं, कभी डाकखानों में आग लगा देते हैं और उनकी वहां अपनी मनमानी चल रही है। हमारे नेता पहले से कहते थे कि पंजाब में सुरक्षा पट्टी का निर्माण किया जाए, पंजाब को सेना के हवाले किया जाए पर उस समय हमारी बात नहीं मानी गई थी। अगर उस समय सुरक्षा पट्टी का निर्माण हो जाता, अगर उस समय पंजाब को सेना के हवाले कर दिया जाता जैसे अब किया गया है तो निश्चय ही आतंकवाद के ऊपर काबू पा लिया जाता, परंतु "मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की।"

मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार और हम सब संवेदनशील बनें। पंजाब की समस्या के नाम पर राजनीतिक रोटियां न सेकें। मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब सारे देश के अंदर लोक सभा के आम चुनाव हो रहे थे तो पंजाब की जनता ने सोचा कि शायद हमें भी इन चुनावों का मौका मिल जाएगा और विधान सभा के चुनावों का मौका मिल जाएगा। सारी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। उम्मीदवार भी हिम्मत करके आगे आए, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई थी। उस समय चुनाव भली प्रकार से हो सकते थे जिन चुनावों की बात आज बार-बार की जाती है। मान्यवर, अगर उस समय यही सेना और यही सैनिक सुरक्षा बल पंजाब के अंदर लगाए जाते तो क्या वहां पर चुनाव नहीं हो सकते थे ? जब असम के अंदर चुनाव हो सकते हैं, जब उग्रवाद से पीड़ित अन्य राज्यों में चुनाव हो सकते हैं तो वहां पर भी चुनाव की परिस्थितियां पैदा की जा सकती थीं, लेकिन कांग्रेस के लोग उस समय मैदान छोड़कर भाग गए और आज चुनाव की बात करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि हम निश्चित अवधि तक पंजाब के अंदर चुनाव कराकर जाएं। परन्तु जब तक आतंकवाद को वहां पर जड़-मूल से खत्म नहीं किया जाता है और वहां की जनता निर्भीकता के साथ स्वतंत्र रूप से वोट डालने के लिए नहीं जा सकती, तब तक पंजाब के अंदर सेना तैनात रहनी चाहिए और सेना को पूरा अधिकार देना चाहिए।

आज पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे अड्डे हैं जहां से उग्रवादियों को भेजा जा रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि—

"बहादुर कब किसी का आसरा अहसान लेते हैं,
उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं।
दिलावर मर्द का लोहा सब मान लेते हैं,
जो कमजोर होता है कान उसका सब पकड़ लेते हैं।"

तो भारत सरकार उन उग्रवादियों के जो अड्डे पाकिस्तान के अंदर हैं, बार-बार कहने पर भी जब पाकिस्तान के कान में जूं नहीं रेंगती है तो उन अड्डों को नष्ट कर देना चाहिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देनी पड़ेगी। पाकिस्तान भाई-चारे की बात को नहीं समझता है। वह हमारी सद्भावना को नहीं समझता है। वह हमारी उदारता का आदर नहीं करना चाहता है, इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान को इसके लिए मजबूर किया जाए कि या तो वह उग्रवादियों को प्रोत्साहन, आश्रय देना बंद करे, नहीं तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आज कश्मीर की समस्या हो या पंजाब की, उसी तरह से असम में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कहीं नक्सलाइट और कहीं नागा रूपों में ये उग्रवादी, खाड़कुओं और जंगजुओं के नाम पर जो लोग तस्कर थे, डकैत थे और जो स्मगलिंग करने वाले थे, वे इनके अंदर घुस गए हैं और जो भिंडरवाले फोर्स के नाम पर लोग नकली पैड छपवाकर लोगों के पास भेज देते हैं। रोज जो अपहरण की घटनाएं हो रही हैं वे सब प्रकाश में नहीं आ रही हैं। आज स्कूलों और कालेजों में पढ़ाई बंद पड़ी है। वहां जाकर आतंकवादी ऐसी-ऐसी धमकियां देते हैं या उनसे पैसा वसूल करने की चेष्टा करते हैं या उनके नौजवानों या नवयुवतियों या माताओं-बहनों को उठाकर ले जाते हैं या मौत के घाट उतार देते हैं। ये सारा जो पंजाब मे हो रहा है, अत्यंत दुखद है। वहां सेना को पूरा अधिकार देना होगा। ढीलेपन से काम नहीं चलेगा। सुरक्षा बलों ने बहुत प्रयास किया। अब जो के० पी० एस० गिल साहब को पंजाब में भेजा है तो सारे पंजाब को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, उनको पूरा अधिकार दिया जाए। जैसे कि "आपरेशन राईनो" असम में सफल होने जा रहा है, ऐसे ही 1991 में आपने जो पंजाब में सेना भेजी है, उस सेना का भेजने का मिशन भी अवश्य ही सफल होकर रहेगा, अगर उस सेना को पूरे अधिकार आपने दे दिए, यह मांग मैं आपके जरिए करना चाहता हूं।

इसके साथ ही पंजाब की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण भी सरकार को बातचीत के जरिए ठीक प्रकार से करना चाहिए। लेकिन आतंकवादियों से बातचीत तभी की जाए जब वे हमारे भारत के संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करें, भारत के संविधान में अपनी आस्था व्यक्त करें। इससे पहले पृथकतावादी ताकतों से कोई बात नहीं करनी चाहिए। हां, पंजाब के जो संगठन, पंजाब के जो लोग, संविधान में आस्था रखते हैं, विभिन्न राजनैतिक गतिविधियां वहां संचालित करते हैं, उन्हें अवश्य बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाए। वहां जिस तरह से खुले दरबार लगते हैं, उसमें राज्यपाल महोदय को काफी सफलता मिल रही है। ऐसी बातों को वहां और बढ़ाया जाये।

मान्यवर, रेद्दू जैसे राजनयिक का जिस तरह से अपहरण कर लिया गया, और आज तक हम उनका कोई पता नहीं लगा सके, यह हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। विदेशी राजनयिकों का इस तरह अपहरण हो जाने से विश्व के देशों में एक प्रकार से हमारी मजाक उड़ती है। इस-

लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि रादू अपहरण जैसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, उनका शीघ्र पता लगाया जाए, इसकी आप व्यवस्था करें। पंजाब को भारत की भुजा कहा जाता है, उस भुजा की हर तरह से रक्षा की जानी चाहिए। पंजाब का बजट, जिसे सदन में लाया गया है, उसे तो जैसे-तैसे हम पास करना ही पड़ेगा लेकिन पंजाब के साथ, राजस्थान की दो समस्याएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने भाखड़ा-व्यास कंट्रोल बोर्ड के बारे में जो निर्णय दिया है, भारत सरकार द्वारा उसके क्रियान्वयन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे राजस्थान को उसके हिस्से की बिजली, और उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। इस सबसे बढ़कर, गंगानगर जिले में आने वाली नहर बिल्कुल खराब हो गई है, बिल्कुल टूट-फूट गई है। उसकी मरम्मत की आवश्यकता है लेकिन राजस्थान ने उसके 15 दिन के क्लोजर की प्रार्थना पंजाब से की थी कि हमें 15 दिन का क्लोजर दे दो, पंजाब की ओर से हमारी प्रार्थना मानी नहीं गई। राज्यपाल महोदय ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हू क्योंकि पंजाब में अभी राष्ट्रपति शासन है कि उसके पड़ोसी राज्यों की जो समस्याए हैं, उनका निराकरण करने की दिशा में ठोस कार्यवाही करे।

अन्त में, एक बात और कहना चाहता हूं। पंजाब में तो आपने सेना भेज दी लेकिन राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों मे भी अनेक इलाके ऐसे हैं जहां आतंकवादियों की घुसपैठ है, उन स्थानों के लिए भी सेना भेजने या सुरक्षा बलों की व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाए ताकि आतंकवादी पंजाब से हतोत्साहित होकर कहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा आदि राज्यों में जाकर, अपनी गतिविधियां प्रारम्भ न कर दें, कहीं दूसरे राज्यों में वैसी ही अनहोनी घटनाएं प्रारम्भ न हो जायें, जिनके कारण बाद में हमें पछताना पड़े। इसलिए थोड़ा इस ओर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ मैं पुरजोर शब्दों मे विश्वास व्यक्त करता हूं कि पंजाब भारत का हिस्सा है, पंजाब भारत का हिस्सा था और पंजाब भारत का हिस्सा रहेगा। वह दिन अवश्य आयेगा जब वहां आतंकवाद की समस्या हल होगी। हम राजनीतिज्ञ लोग देशभक्ति के साथ, भारत माता के सच्चे सपूत मानकर, निष्ठापूर्वक, समर्पित भाव से यदि प्रयास करेंगे तो निश्चय ही पंजाब हमारा अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पंजाब की अनुदान मांगो सम्बन्धी इस चर्चा में भाग लिया है।

महोदय, आप जानते हैं कि पंजाब 11 मई, 1987 से राष्ट्रपति शासन के अधीन है, इस वाद-विवाद में जिन सभी सदस्यों ने भाग लिया है उन्होंने यह चिन्ता व्यक्त की है कि पंजाब में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वे चाहते हैं कि पंजाब में चुनाव हों और वहां यथाशीघ्र एक लोकप्रिय सरकार गठित की जानी चाहिए। पंजाब का इतिहास हमें यह याद कराता है कि इसने विगत समय में सभी चुनौतियों का सामना किया है। इसका इतिहास और परम्परा यह दिखाती है कि पंजाब में विगत समय में सभी अवसरों पर स्थिति के अनुरूप कार्य किया है। मैं

माननीय सदस्यों को याद दिलाता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने इस सदन को आश्वासन दिया था कि सरकार पंजाब में चुनाव कराने के लिए वचनबद्ध है। पंजाब में चुनाव 15 फरवरी, 1992 तक अथवा इससे भी पहले कराए जाएंगे।

चर्चा के दौरान अनेक सदस्यों ने कहा है कि माननीय गृह मंत्री को पंजाब का दौरा करना चाहिए। मैं इस सम्मानीय सभा को बताना चाहता हूं कि अगले सप्ताह ही माननीय गृह मंत्री पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं तथा वहां की स्थिति को स्वयं देखेंगे। वह वहां भी चर्चा करेंगे।

सरकार आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प है। मैं सदस्यों की इस चिन्ता से सहमत हूं कि आतंकवादियों और अलगाववादियों को अपने उद्देश्यों के लिए चुनावों का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भारत के संविधान का पालन करने जैसे आधारभूत मुद्दे तथा हमारे प्रिय देश की एकता और अखंडता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। चुनाव पूरे होने पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना हो जाने से पंजाब समझौता, नदी जल के बंटवारे और भू-भाग आदि के अन्तरण जैसे बकाया मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध होगा। माननीय गृह मंत्री ने सभा को पहले ही यह आश्वासन दिया है कि सरकार स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठायेगी।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि बजट के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। श्री शरद दिघे ने यह मुद्दा उठाया है। मैं इस सम्माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि पंजाब के वर्ष 1991-92 के बजट के सम्बन्ध में पिछले सत्र में लोक सभा में जो दस्तावेज पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं वे हैं—वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगें। इन दो दस्तावेजों को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 202 और 203 के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन वाले किसी राज्य के मामले में केवल ये ही दस्तावेज है, जो संसद में पेश किए जाते हैं तथा इन्हें पहले ही पेश किया जा चुका है।

माननीय सदस्यों ने पंजाब के बजट के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे उठाये हैं। मैं इस सम्माननीय सभा को बता देना चाहता हूं कि पंजाब की अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार आया है। पंजाब के बजट में योजना परिव्यय 1010 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय सहायता की राशि 600 करोड़ रुपये है। ऋण-स्थगन और ब्याज 190 करोड़ रुपये का है। पंजाब में परिवर्तनशील स्थिति के बावजूद, पिछले वर्ष 1990-91 में स्वीकृत योजना परिव्यय 905 करोड़ रुपये था किन्तु उपलब्धियां 945 करोड़ रुपये की थीं। इस प्रकार उपलब्धि में 40 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। छठी पंचवर्षीय योजना में पंजाब राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 5.08 प्रतिशत था। सातवीं योजना में पंजाब का सकल घरेलू उत्पाद 6.40 प्रतिशत होने की आशा है।

अनेक सदस्यों ने पंजाब में निर्माण क्षेत्र और उद्योगों के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। छठी योजना के प्राकलन में निर्माण क्षेत्र का विकास 6.45 प्रतिशत था, सातवीं योजना में इसके 10 प्रतिशत होने की आशा है।

किंतु जहां तक कृषि का सम्बन्ध है यह वर्तमान स्थिति पर निर्भर है। यद्यपि पंजाब में भारत की 2.5% जनसंख्या है और भारत के समस्त क्षेत्रफल का 1.54% क्षेत्र है, किंतु इसका गेहूं का उत्पादन 23%, कपास का 24% और चावल का 9% है।

गत वर्ष गेहूं का उत्पादन 121 लाख टन था और धान का उत्पादन 65 लाख टन था।

जहां तक खाद्यान्नों की खरीद का संबंध है पंजाब से 49% चावल और 60% गेहूं खरीदा गया।

इस वर्ष पंजाब में 116.5 लाख टन गेहूं और 63 लाख टन धान का उत्पादन होने की आशा है।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, पंजाब में 1.60 लाख लघु उद्योग एकक हैं और उनमें 6.68 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। पंजाब में मझौले और बड़े उद्योगों की संख्या 372 है तथा उनमें 1.74 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

वर्ष 1987-88 में उद्योगों के लिए आशय पत्रों और पंजीकरणों की संख्या 85 थी और वर्ष 1989-90 के दौरान यह संख्या 229 है।

वहां बिजली की उपलब्धता अच्छी है और वहां श्रमिक अशान्ति नहीं है, इससे निर्माण क्षेत्र के विकास में सहायता मिली है।

कृषि और उद्योग क्षेत्र में भारी मांग होने के बावजूद बिजली की स्थिति असाधारण रूप से अच्छी है। ताप बिजली घर विश्वसनीय ढंग से काम कर रहे हैं। बिजली की 46% खपत कृषि पर होती है। पंजाब में प्लान्ट लोड फैक्टर के साथ बिजली घरों में बिजली की स्थिति सन्तोषजनक है। कुल मिलाकर बिजली घर संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रहे हैं।

रोपड़ बिजली घर वर्ष 1992-93 में कार्य करना शुरू कर देगा, जिसकी बिजली उत्पादन की क्षमता 420 मैगावाट की होगी।

चालू वर्ष में रणजीत सागर बांध को 170 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गए हैं।

पंजाब में विकेन्द्रीकृत योजना प्रारम्भ की गयी है और गत वर्ष यह प्रमुख नया परिवर्तन किया गया है। जिला स्तर पर विकेन्द्रीकृत योजना पद्धति है। सरकार चाहती है कि जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में योजना प्रक्रिया में जिला स्तर पर लोगों को शामिल किया जाये।

बोर्ड द्वारा विकास की धनराशि वास्तविक आवश्यकताओं और स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च की जाती है। राज्य योजना बोर्डों के लिए 284 करोड़ रुपये दिये गए हैं। इस बोर्ड में प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि और सरपंच कार्य करते हैं।

रोजगार के बारे में बहुत कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से शिक्षित युवकों की रोजगार की समस्या के समाधान हेतु सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों से युवकों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधाएं दी जाती हैं।

महोदय, जहां तक शिक्षित बेरोजगार युवकों का संबंध है, 1990-91 में उन्हें राजसहायता के द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए तथा डेरी परियोजनाओं, मुर्गीपालन, सूअर-पालन, मत्स्यपालन आदि के लिए उन्हें 15 प्रतिशत की राजसहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती क्षेत्रों के युवकों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 15 प्रतिशत की राजसहायता सहित उन्हें एक लाख रुपये तक का कर्ज दिया जा रहा है। प्रशिक्षण और राजसहायता के लिए एक केन्द्र बनाया गया है जो एक पंजीकृत संस्था है। इसे विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण और रोजगार केन्द्र के नाम से जाना जाता है और यह केन्द्र सामाजिक एकता के लिए है। इसमें 4304 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है, उनमें से 2330 युवकों का सेना और अर्ध सैनिक बलों में चयन हो गया तथा शेष युवकों को कुछ नियमों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी मिल गई। इन कार्यक्रमों से राज्य 36,500 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।

महोदय, राहत और पुनर्वास के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। 1984 दंगों और आन्तरिक दंगों के दौरान हुई विधवाओं को 1000 रुपए तक की राशि प्रति माह के हिसाब से जीवन निर्वाह भत्ता दिया गया। यह भत्ता 1 मई, 1990 से दिया गया है। अविवाहित पुत्रियों और बहनों के लिए 10,000 रुपए का शादी अनुदान दिया जाता है तथा रोजगार में भी इन्हें वरीयता दी जाती है।

सभापति महोदय : किसकी अविवाहित पुत्रियां और बहनें ? क्या प्रत्येक अविवाहित पुत्री और बहन को यह अनुदान दिया जाता है ?

श्री शांताराम पोतदुखे : जी नहीं, महोदय। यह अनुदान केवल दंगा पीड़ितों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रहीत राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी। 2,000 रुपए पंजाब जाने के लिए यात्रा खर्च के रूप में दिये जाते हैं। 500 रुपए परिवहन अनुदान के रूप में दिए जाते हैं और यदि मकान किराये पर लेना हो तो 300 रुपए मकान किराये के लिए दिये जाते हैं। आतंकवादियों द्वारा मारे गए 7809 परिवारों को 38.28 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 7.41 करोड़ रुपए आन्तरिक शरणार्थियों को दिए गए हैं।

पंजाब की नाजुक स्थिति के परिणामस्वरूप आतंकवादी गतिविधियों से अनेक परिवार विस्थापित हो गए हैं। कुछ परिवार रोजी-रोटी कमाने वाले व्यक्ति की हत्या के कारण पीड़ित हैं। राज्य सरकार द्वारा पता लगाये गए ऐसे परिवारों का पुनर्वास किया जाता है। इनमें विधवाओं के लिए 1000 रुपए का मासिक जीवन निर्वाह भत्ता और मारे गए व्यक्तियों की अविवाहित पुत्रियों तथा बहनों के लिए 10,000 रुपए का शादी अनुदान सम्मिलित है। आतंकवादी हिंसा के पीड़ित परिवारों को मासिक पेंशन के अतिरिक्त 50,000 रुपए की अनुग्रहीत राशि दी जाती है। अक्तूबर, 1991 तक इस श्रेणी के 7809 परिवारों को 38.28 करोड़ रुपए की राशि दी गयी।

इसी प्रकार शरणार्थियों को 2500 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से परिवहन भत्ता और 300 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से किराया भत्ता देकर अपने घर वापस जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अब 15,477 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है और 8.44 करोड़ रुपए

दिए जा चुके हैं। इस प्रकार सरकार आतंकवादी हिंसा से पीड़ित परिवारों के दुख कम करने के लिए प्रत्येक प्रयास कर रही है।

अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कही हैं। श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा है कि उद्योग का विकास नहीं हुआ है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पंजाब में उद्योगों की कमी नहीं है। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक छोटे और बड़े उद्योगों का संबंध है, चार वर्षों अर्थात् 1987-88 से लेकर 1990-91 तक की अवधि, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान पंजाब ने इनमें अनुकूल विकास किया है। 1989-90 में 21 औद्योगिक एककों की तुलना में 1991 में 23 औद्योगिक एकक स्थापित किए गए। 1987-88 में 19 एकक और 1988-89 में 18 एकक स्थापित किये गए। 1991 में उद्योग में 200 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश किया गया। 1989-90 में छोटे पैमाने के 13601 एककों की तुलना में 1990-91 में ऐसे 14000 एकक स्थापित किये गए। 1991 में 12-11-1991 तक उद्योगों के लिए 17 आशय पत्र जारी किए गये, 12 उद्योगों को लाइसेंस दिये गए और 194 उद्योगों का पंजीकरण किया गया।

श्री मुकुल वासनिक ने राज्यपाल की वित्त मंत्री महोदय के साथ हुई बैठक के बारे में मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार माननीय राज्यपाल द्वारा की गई मांगों की शीघ्र जांच करेगी। वित्त मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे।

मेरे विचार से गृह मंत्री माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए अधिकांश प्रश्नों का जबाब देने में सक्षम हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि उनके द्वारा उठाई गई बातों को नोट किया जा रहा है और उनके अधिकांश प्रश्नों का जवाब लिखित में दिया जाएगा। मैं गृह मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि सभा में विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलायें और सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में लें और राजनैतिक सहमति जुटायें।

इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से पंजाब बजट पारित करने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पंजाब बजट के लिए दो कटौती प्रस्ताव थे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव—अनुपस्थित

श्री दाऊ दयाल जोशी—अनुपस्थित

श्री भगवान शंकर रावत—अनुपस्थित

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1991-92 के लिए (पंजाब) बजट के संबंध में सारे कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

17.00 म०प०

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 30 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए अनुदानों की मांगें (पंजाब)

मांग की संख्या	मांग का शीर्ष	16-9-1991 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	कृषि तथा वन	84,98,94,000	27,53,22,000	28,32,98,000	9,17,75,000
2.	पशुपालन और मछली पालन	34,94,01,000	1,34,62,000	11,64,67,000	44,88,000
3.	सहकारिता	12,76,17,000	54,69,05,000	4,25,39,000	18,23,00,000
4.	रक्षा सेवाएं कल्याण	3,73,86,000	37,50,000	1,24,62,000	12,50,000
5.	शिक्षा	4,42,88,48,000	23,43,000	1,47,62,83,000	7,82,000
6.	निर्वाचन	5,01,27,000	—	1,67,09,000	—
7.	उत्पाद शुल्क तथा कराधान	12,62,82,000	—	4,20,93,000	—
8.	वित्त	2,20,17,48,000	7,75,72,000	73,39,16,000	2,58,58,000
9.	खाद्य और आपूर्ति	3,64,95,000	6,71,04,48,000	1,21,64,000	—
10.	सामान्य प्रशासन	14,94,89,000	—	4,98,30,000	—
11.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1,38,98,89,000	—	46,32,96,000	—
12.	गृह मामले तथा न्याय	1,84,04,07,000	7,50,00,000	61,34,70,000	2,50,00,000

13. उद्योग	10,51,38,000	29,63,25,000	3,50,46,000	9,87,75,000
14. सूचना तथा लोक सम्पर्क	4,74,93,000	—	1,58,31,000	—
15. सिंचाई तथा बिजली	11,34,55,47,000	4,74,31,47,000	3,78,18,50,000	1,58,10,49,000
16. श्रम तथा रोजगार	4,98,63,000	—	1,66,20,000	—
17. स्थानीय सरकार, आवास तथा शहरी विकास	15,57,45,000	21,20,81,000	5,19,14,000	7,06,93,000
18. कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार	1,76,25,000	—	58,76,000	—
19. योजना	2,18,59,36,000	—	72,86,45,000	—
20. कार्यक्रम कार्यान्वयन	3,00,000	—	1,00,000	—
21. लोक निर्माण कार्य	1,42,01,35,000	75,22,00,000	47,33,80,000	25,07,34,000
22. राजस्व तथा पुनर्वास	68,00,51,000	—	22,66,82,000	—
23. ग्रामीण विकास तथा पंचायतें	32,42,25,000	—	10,80,76,000	—
24. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	90,90,000	63,42,000	30,30,000	21,13,000
25. सामाजिक और महिला कल्याण और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	39,60,67,000	4,18,82,000	13,20,22,000	1,39,61,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
26.	राज्य विधान मंडल	1,82,88,000	—	60,96,000	—
27.	तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	28,88,04,000	39,63,000	9,62,69,000	13,20,000
28.	पर्यटन और सांस्कृतिक मामले	1,94,76,000	2,59,50,000	64,92,000	86,50,000
29.	परिवहन	88,88,10,000	22,04,11,000	29,62,71,000	7,34,72,000
30.	चौकसी	1,78,77,000	—	59,59,000	—

17.02 म० प०

पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* *

श्री शान्ताराम पोतदुखे : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री शान्ताराम पोतदुखे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गए।

*दिनांक 26-11-91 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री शान्ताराम पोतदुखे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17.05 म० प०

जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक —जारी

सभापति महोदय : अब सभा जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे चर्चा करेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा इस विधेयक पर बोल रहे थे। वे अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : सभापति महोदय, मंत्री जी की ओर से यह संशोधन विधेयक प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड को सशक्त और आर्थिक दृष्टि से और संपन्न बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रायः सभी सदस्यों ने इस विधेयक को लाने के लिए मंत्री जी का स्वागत किया है और इस बोर्ड को और सशक्त बनाने का अनुरोध किया है।

मान्यवर, जल और वायु प्रदूषण की गंभीरता यदि सचमुच आप जानना चाहें तो यह सच है कि केन्द्र सरकार ने इस गंभीरता को कभी समझने का प्रयत्न और प्रयास नहीं किया और न प्रदेश सरकारों ने इस दिशा में कभी कोई ध्यान दिया है।

17.07 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

मान्यवर, देश की आजादी के 44 वर्षों के बाद जल प्रदूषण की स्थिति भयावह बन चुकी है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान की ओर से जो जानकारी दी गई है,

उसके अनुसार जिन 29 नदियों का अध्ययन उन्होंने किया है, उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि देश में 70 प्रतिशत नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा और जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी के पानी को प्रदूषण रहित बनाया गया है, इसके अतिरिक्त नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है।

सभापति महोदय, हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक जीवन में नदियों का कितना महत्व है, यह किसी से छिपा नहीं है। सिंचाई के साधनों के अतिरिक्त पीने के पानी की व्यवस्था इन्हीं नदियों से होती है। अनेक पर्वों पर इन पवित्र नदियों में लाखों लोग स्नान करते हैं। अभी 4 दिन पूर्व कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं को इन नदियों में स्नान करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिन नदियों को श्रद्धा और पवित्रता के साथ देखा जाता था, आज उन नदियों के पास से निकलते हुए बदबू और गंदगी इतनी होती है कि कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं हो सकता।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे अपने प्रभाव से इन बोर्ड्स को इतना सशक्त कर दें कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। यह सारे राष्ट्र का उत्तरदायित्व है। आज हमारी सारी व्यवस्थाएं चौपट पड़ी हैं। यदि आप इन बोर्ड्स को सशक्त करने की बात कह रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि आपके अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वे इसके प्रति चिंतित नहीं हैं। अभी आज से 3 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने यह बात कही थी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि गंगा घाटी में नए उद्योगों के लिए तब तक लाइसेंस न दें जब तक वे कचरा फेंकने तथा अन्य प्रकार के वेस्ट का समाधान करने के लिए बोर्ड को आश्वस्त न कर दें। लेकिन इतने लम्बे समय के उपरांत इस बारे में जिस प्रकार का परिवर्तन आना चाहिए था, वह नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे अपने वैधानिक कर्त्तव्य के प्रति, विशेष रूप से इन बोर्ड्स के अधिकारी अपने कर्त्तव्यों के प्रति, निष्ठावान नहीं हैं। यहीं तक नहीं मान्यवर, नगर पालिका और महा-नगर पालिका, जिनका कि बहुत बड़ा योगदान इस प्रदूषण की रोकथाम पर हो सकता है, न तो प्रदेश के बोर्ड्स के द्वारा उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण है और न ही केन्द्र के बोर्ड्स की ओर से उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण है।

मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 90 प्रतिशत नगरों में कोई सीवर लाइन नहीं है, ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है। सारे का सारा पानी, सारी की सारी गन्दगी वहां पर सड़ कर समाप्त हो जाती है। उसके बाद यदि महामारियां और बीमारियां फैलेंगी तो उसकी रोकथाम कौन करेगा? ऐसी अवस्था में हम जी रहे हैं। 44 वर्षों की आजादी के बाद हम लोगों ने क्या किया है? ये उपलब्धियां हम लोगों के सामने देखने को मिलती हैं। ग्रामीण जीवन के अन्दर हमारे बोर्ड्स की बात आती है, आप चले जाइये, दलित, छोटे वर्ग, अनुसूचित जातियों की बात यहां बहुत उठायी जाती है, जोर-जोर से चिल्लाते हैं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, उनके जीवन के अन्दर क्या दुर्गति है, किस प्रकार से उनके मोहल्ले के अन्दर, कालोनियों के अन्दर पानी सड़ रहा है और किस तरीके से बीमारियों के कारण उन लोगों को हर वर्ष, उनके परिवारजनों को मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस ओर विशेष रूप

से ध्यान दें और इस बोर्ड को सशक्त करके कानून की पकड़ में उन सब अधिकारियों को आना चाहिये, जिससे परिवर्तन दिखायी पड़े। मान्यवर, जो सबसे मुख्य विषय है, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस दिशा में कुछ कार्य करें। आज सर्वेक्षण बोर्ड्स के माध्यम से, इस प्रकार के जितने भी माध्यम से उनका निवारण होता है और सर्वेक्षण अदालतों की क्या स्थिति है, वह आपसे छिपी हुई नहीं है। बरसों लग जाते हैं, किसी को भी दण्ड का भागी नहीं होना पड़ता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके लिए अलग के कोर्ट्स की स्थापना की जाए और उनको अधिक से अधिक अधिकार देकर इस दिशा में समाधान करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए।

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा यह बात भी कही गयी कि दसवीं कक्षा तक प्राकृतिक पर्यावरण के सर्वेक्षण और सुधार के लिए शिक्षा की व्यवस्था शुरू करायी जाए। हमारे देश के अन्दर एक जन-आन्दोलन हो जाना चाहिए। प्रदूषण क्या है। प्रदूषण अछूत है। हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए और सच्चाई यह है कि यह कुछ नहीं है। आपने पिछले दिनों प्रदर्शनी की। आपके माध्यम से छोटे-मोटे कार्य हो रहे हैं, लेकिन इस भयंकर रोग से बचने के लिए आम जनता में जागृति पैदा करनी चाहिए। यहीं तक नहीं प्रदेश और केन्द्र सरकार इसके लिए पर्याप्त सुधार करे और जो संबंधित संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से, उनको आप इस दिशा में जोड़िए ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता की भावना आए कि इससे हम कैसे मुक्ति पाएं। अन्यथा आने वाले वर्षों में इस जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से कैसे मुक्ति पायेंगे ? मेरी दृष्टि में कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है। यहीं तक नहीं डीजल और पेट्रोल के माध्यम से, उसमें से जो तत्व निकाल सकते हैं, जो कैन्सर का कारण बनते हैं, केन्द्र सरकार ने स्वयं कहा कि उन तत्वों को हम मिटा देंगे, लेकिन इस बात को जानते हुए कि इससे कैन्सर को बल मिल रहा है, इस दिशा में अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। आपके मंत्रालय के माध्यम से इन सब चीजों पर रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से, उन बोर्ड्स के माध्यम से यह भी चाहूंगा कि आज बड़े-बड़े नगरों के अन्दर हजारों-लाखों की संख्या में मवेशी शहरों में आ गए। कानपुर के अन्दर 80 हजार मवेशी हैं उनके मूत्र और मल आदि को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण बीमारियों का फैलाव हो जाता है। जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जल प्रदूषण के कारण हमारे देश के अन्दर 15 लाख बच्चे मौत के मुंह में धकेल दिए जाते हैं। जितने गरीब लोग हैं उसका दो चौथाई भाग जल प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में चला जाता है। हम लोगों को दवाई नहीं दे सकते, माफ करें, 44 वर्ष इस सदन में सब कुछ हुआ, गरीबों के लिए सब चर्चाएं हुईं, लेकिन गरीब किस प्रकार से जी रहा है इस राष्ट्र के अन्दर, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। यहीं तक नहीं, दिल्ली, जिसे हम राष्ट्र की राजधानी कहते हैं, यमुना की यहां क्या दुर्गति बन चुकी है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

इसी प्रकार से जल प्रदूषण के कारण लखनऊ के अंदर गोमती में सभी मछलियां नहीं रहीं। अधिकांश परिस्थिति बन चुकी है। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, जिन पर आप निश्चित रूप से निर्णय ले सकते हैं। रसायन उद्योग, शुगर इंडस्ट्री, लैदर उद्योग और डिस्टीलरी वगैरह जैसे

उद्योगों की पचास-साठ साल पूर्व ऐसे स्थानों पर स्थापना हो चुकी है, जो कि घनी बस्ती का रूप ले चुके हैं, जिसके अन्दर दिल्ली आती है। हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड प्लांट—शकूरबस्ती और डी० सी० एम० कैमिकल्स, वहां रहने का औचित्य क्या है। किसी समय वहां भोपाल जैसी ट्रेजेडी पुनः हो सकती है। उस समय आपके पास कुछ नहीं होगा। उस प्लांट को यहां से हटाने से अरबों रुपये की संपत्ति वहां बनेगी और लाखों रुपये की जमीनें लेकर वे कहीं भी भिजवा सकते हैं। इनके चयन के बारे में माननीय मंत्री जी का उद्योग विभाग को स्पष्ट निर्देश जाना चाहिए कि इन उद्योगों का ऐसी जगहों पर निर्माण कराया जाए जो कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो। ऐसा अभी संभव नहीं है। आपके बोर्ड की ऐसी स्थिति है कि लाइसेंस उनको देंगे जिसमें उनको सुविधा मिल जायेगी। कुछ उद्योग ऐसे हैं जबकि उनको लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर इलैक्ट्रोनिक इंडस्ट्री मात्र असेम्बल करने का काम करती है तो वहां लाइसेंस देने की क्या आवश्यकता है। कुछ निर्णय, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए हैं। लेकिन बरसों से आपके प्रदूषण बोर्ड के सामने अभी भी पड़े हैं। सिंचाई विभाग का जमुनानी, जिला नैनीताल के अन्दर पिछले सात वर्षों से आपके यहां पड़ा हुआ है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : आप किस प्रदूषण बोर्ड की बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। उसके माध्यम से निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उनको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों रुपया खर्च होना है। लगातार महंगाई के कारण और प्राइस इंडेक्स उठने के कारण वहां पर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आप इन बोर्डों को अमेंडमेंट के माध्यम से सशक्त कराना चाहते हैं तो उसके अन्दर ऐसे अधिकारी हों जैसे हमारे जिलाअधिकारी श्री टी० जार्ज जासफ रह चुके हैं, उनके माध्यम से अधिक से अधिक कार्य कराएं ताकि इन समस्याओं का निराकरण हो सके, मुझे ऐसी आशा है। इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इसके लिए प्रयत्नशील हैं और प्रयास कर रहे हैं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह देश के लिए हर दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आजकल हर जगह हर चीज में मिलावट हो रही है, चाहे हवा, पानी या खाने में हो इसलिए सरकार बहुत ही उपयोगी संशोधन लाई है। इसमें कोई शक नहीं कि पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए और कुछ कर बढ़ाना है जिससे अधिक पैसा हो और नियंत्रित कर सके। हर चीज में खर्च बढ़ा हुआ है। इस सरकार को यह निश्चित कर देना चाहिए कि कितना पैसा एकत्र होगा और कितना पैसा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में चला जायेगा और कितना पैसा पर्यावरण रोकने के काम में लगेगा। यह भी आवश्यक है कि अधिकारियों को अवश्य दिया जाय, लेकिन उसका दुरुपयोग न हो। इसके लिए मंत्री को अभी से कदम उठाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि करदाता का विश्वास कम हो रहा है। वह इसलिए कम हो रहा है कि वह समझता है कि जितना पैसा वह देता है वह पैसा राज्य सरकार व कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो जाता है या उसका दुरुपयोग होता है।

हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं उनमें से अधिकांश प्रदूषित हो चुकी हैं। इनको रोकने

के लिए जर्मनी में एक अखबार निकलता है। वहां की सरकार ने तय कर रखा है कि अगर ऐसा काम होता है तो उसका फोटो छाप दें और बता दें कि अमुक कारखाना प्रदूषण कर रहा है तो उस कारखाने को बहुत अधिक दण्ड दिया जाता है और उस अखबार को उसके लिए पैसा दिया जाता है। जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए न केवल सरकार पग उठाये, बल्कि वह अन्य एजेंसीज का भी उपयोग करे। हम देख रहे हैं कि हमारे शहर बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में दुर्ग से जहां से मैं आता हूं वहां क्षिप्रा नदी है। वहां जितने भी कारखाने हैं, सरकारी लोहे का भी कारखाना है, उन सबका पानी उस नदी में जाता है। हमने इसी मंत्रालय को करीब दो या तीन महीने पहले कहा था कि उस पर नियंत्रण करें, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो केन्द्र की सरकार है वह किन्हीं कारणों से नियंत्रण करने में असमर्थ है। राज्य सरकार की ओर से जो प्रदूषण कंट्रोज समिति है उसका सहयोग नहीं मिल रहा है। सहयोग नहीं मिल रहा है, चूंकि यह ऐसा विषय है सरकार की कंक्रेंट लिस्ट में है उसे प्रदूषण रोकने का अधिकार है। राज्य सरकार का कंट्रोल बोर्ड भी है और केन्द्र सरकार का भी है। अगर राज्य सरकार उस पर अमल नहीं करती हो तो केन्द्रीय सरकार सामने आये और उसे अपने नियंत्रण में ले और अपने अधिकार का उपयोग करे। जो अधिकार दिया जाता है वह इसीलिए दिया जाता है।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : चालीस साल से प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, कोई एक साल से नहीं हुआ है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : प्रतिदिन बहुत कारखाने खुल रहे हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : कुल 11 खुले हैं। उसकी इजाजत मंत्री जी ने दी है। आज की तारीख में एक भी कारखाना कल्पनाथ राय की इजाजत के बिना नहीं खुल सकता। (व्यवधान)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : आप यदि धैर्य रखें तो आपकी समझ में आ जायेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि···

श्री दाऊ दयाल जोशी : एक साल में थोड़े ही प्रदूषण आ गया। आज की तारीख में जो कारखाने खुल रहे हैं, माननीय प्रदूषण मंत्री की परमीशन के बिना नहीं खुल रहे हैं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट के कारण से लोहे की जो रोलिंग मिल्स हैं वह अधिक खुल रही हैं। 1984 में जहां 14 रोलिंग मिल्स थीं वहां अब 150 हो गई हैं। 6 महीने के अन्दर करीब 6 रोलिंग मिल्स और बढ़ गई हैं। उनका भी पानी नदी में जा रहा है। 6 कारखाने अभी तीन-चार महीने में खुले हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा किसी को दोष देने का अभिप्राय नहीं है। यह तो एक प्रणाली है इसलिए आप प्रणाली को देखें। आप जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं कि बी० जे० पी० पर हमला हो रहा है। पहले की सरकार ने नहीं रोका तो हम उसको भी गलत कह रहे हैं, आज की सरकार की भी गलती है अगर वह नहीं रोकती है। मेरे कहने का मतलब है कि चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो इसको रोका जाना चाहिए। उसके लिए ही यह बिल आया है। हमको इस बात पर सोचना चाहिए, जैसे मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा, ठीक कहा और किसी नदी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदूषण बढ़ गया है। हम जानते हैं कि नदियों में प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है क्योंकि नये-

नये कारखाने खुल रहे हैं। यद्यपि पिछली सरकारों ने भी गलती की और इस सरकार ने भी की हैं। चाहे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही हो या बी० जे० पी० की सरकार हो, इस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है। यदि राज्य सरकार नहीं कर सकती है तो केन्द्रीय सरकार को कंक्रेंट लिस्ट में वह अधिकार ले लेना चाहिये और उस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिये। उसका दुरुपयोग न करे। यह जानना जरूरी है और मेरा कहना भी है कि हमने शिकायतें भेजीं और उसकी जांच भी हुई लेकिन जांच में कह दिया गया कि प्रदूषण नहीं है। मैं यह बात भिलाई स्टील प्लांट के बारे में कह रहा हूं। उस कमेटी ने कैसे कह दिया कि प्रदूषण नहीं है, क्या गोलमाल कर दिया और काम खत्म कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अधिकार का सही उपयोग किया जाना चाहिये। हमने जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल बनाये हैं, उसको नियंत्रण में रख लें, एक सीमा रखें। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करुंगा कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कोई भी सुझाव आयें, तो उस पर विचार किया जाना चाहिये।

सभापति जी, आज मध्य प्रदेश के भिलाई स्टील प्लांट के अन्तर्गत कई कारखाने खुल रहे हैं और वहां भी प्रदूषण बढ़ रहा है। यदि केन्द्रीय सरकार के लोह प्लांट में क्षमता नहीं है तो पैसा खर्च करके उसको रोक सकते हैं। मैंने पिछले अधिवेशन में भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया था, हो सकता है कि किन्हीं कारणों से वे अमल में न ला पाये हों लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में तेजी के साथ प्रगति करें और इस सरकार को हमारा पूर्ण समर्थन है। यद्यपि पानी का प्रदूषण रोकने के लिए व्यवस्था है लेकिन साथ में हवा, जमीन का जो प्रदूषण है, उसको भी रोकने का प्रयत्न करें। आज हवा में गैस आ गयी है, उसका कारण यह है कि आज हवा में धुंआ अधिक हो गया है, उसको रोकने के लिए जितने भी आधुनिक यन्त्र हैं, वे इस्तेमाल में लाये जायें। मैं उदाहरण के तौर पर भिलाई के स्टील प्लांट के बारे में कहना चाहता हूं। इस तरह के कई और कारखाने खुलते जा रहे हैं उनमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के हैं। उनसे धुंआ निकलता है, उसको रोकने के लिए जमीन में उसकी एक मशीन लगायी जाती है, उससे रोका जा सकता है। इस दिशा में थोड़ा खर्च जरूर आता है लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है। दिल्ली हो या देश के अन्य शहर हों, प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। चूंकि हमारे मंत्री जी सक्रिय और युवा हैं, इसलिए मेरा ऐसा ख्याल है कि वे इस तरफ ध्यान देंगे। जो देश के अन्दर सैण्ट्रल टेरिटोरीज हैं, वहां प्रदूषण कम है। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में मंत्री जी खास ख्याल रखेंगे कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करायेंगे ताकि कोई गोलमाल न हो।

अंत में मेरा यही कहना है कि चाहे पानी का प्रदूषण हो, या जमीन का हो या हवा का हो, इसको रोकने के लिए चाहे निजी या सरकारी कम्पनियों को जितना भी खर्चा करने की आवश्यकता हो, उनको करने के लिए आवश्यक मदद दें। इसमें अनावश्यक खर्चा न हो और केवल आवश्यक ही खर्च हो। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : सभापति जी, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि प्रभारी मंत्री के नाते व्यक्तिगत तौर से प्रदूषण को स्वच्छ रखने के लिए रुचि ले रहे हैं। अभी माननीय सदस्य जोशी जी ने माननीय सदस्य श्री चन्द्राकर जी को ऐसा ललकारा है जिससे सदन में आवाज प्रदूषण की समस्या हो गई है। ऐसा लगा कि इस सदन में भी हम सबको साऊंड

पोल्यूशन से रक्षा करनी पड़ेगी। मैंने तो कान बंद कर लिये थे लेकिन जो साउंड पोल्यूशन है, उसका इस सदन में नियंत्रण करना पड़ेगा और विशेषकर दिल्ली शहर में भी।

दिल्ली शहर में जो ट्रकों और बसों का भोंपू बजता रहता है और सारे के सारे महानगरों में ये समस्या है। आप विकसित देशों में जाइए तो वहां यह समस्या नहीं है। अगर किसी ने हार्न बजाया तो मालूम पड़ा कि गड़बड़ी हो गई है। इसलिए इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जो वायुमंडल के प्रदूषण की चर्चा की चन्द्राकर जी ने, और स्थानों की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बंबई—ये चार महानगर हैं और चार महानगरों में सरकार के नियंत्रण में, राज्य सरकार के नियंत्रण में यातायात का परिचालन होता है। लेकिन दिल्ली में सभापति जी, पता नहीं, आप किस मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन मैं राजपथ से दूर नहीं रहता हूं। जब डी० टी० सी० की बस जाती है तो उस समय हम लोगों को टाइटलर साहब याद आते हैं और हम सोचते हैं कि कमल नाथ जी के पास एक दरख्वास्त भेजें कि इनके विभाग द्वारा संचालित बसों से हो रहे प्रदूषण से रक्षा कीजिए। परन्तु शायद प्रदूषण के ख्याल से ही टाइटलर साहब दिल्ली यातायात परिवहन का निजीकरण कर रहे हैं।

माननीय चन्दूलाल चन्द्राकर जी जो हम सबके बुजुर्ग हैं, उन्होंने चर्चा की कि प्रदूषण में कुछ घोटाला होना है। इसके अंतर्गत मुझे याद आता है कि पिछली कांग्रेस (आई) सरकार में एक मंत्री थे और जब उनके गांव में उनसे पूछा गया कि आपको क्या विभाग मिल गया, तो उन्होंने कहा कि घबराइए मत, मुझे ऐसा विभाग मिल गया है कि मैं सब विभागों को नीचे रखूंगा। यह अखबारों में छपा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि माननीय कमल नाथ जी ऐसा सद्विचार नहीं रखते होंगे।

आपको याद होगा दक्षिण भारत में एक राजा थे। उनके एक मुंशी थे। वह मुंशी कुछ गड़बड़ किया करते थे। सब लोगों ने शिकायत की तो राजा ने कहा ठीक है, हम इसको समुद्र के किनारे रख देते हैं। थोड़े दिनों के बाद रिपोर्ट आई कि ये बहुत तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे तंग करते हैं। राजा ने पूछा कि उसका क्या हालचाल है। जवाब मिला कि वह तो बहुत खुश है। राजा ने पूछा कि वह कैसे खुश है तो जवाब मिला कि वह तो लहरें गिन रहा है। वह कहता है कि राजा का आदेश है कि इतनी ही लहरें एक जहाज जाने से आनी चाहिए, ज्यादा आएंगी तो कर देना पड़ेगा। इस प्रकार वह बहुत खुश है। पहले उद्योग-धंधों, कल-कारखानों के लिए इंस्पेक्टर राज होता था। अब कारखानों के लिए एक अफसर और बढ़ गया है और उद्योग-धंधों के लिए एक और बोझा बढ़ गया है।

सभापति जी, यह बहुत पेचीदा मामला है और खास तौर पर विकासशील देशों में ऐसा मामला है कि सब लोग चाहते हैं कि कल-कारखाने लगें। जब कल-कारखाने लगेंगे तो जमीन पर लगेंगे और कारखानों से प्रदूषण भी होगा। विकसित देशों में, सैकड़ों वर्षों में जिनका विकास हुआ है वहां कारखाने हैं। हम चाहते हैं कि कारखाने लगें पर प्रदूषण नहीं हो। इसकी व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारें अक्षम हैं। मैं राज्य सरकारों की आलोचना नहीं करना चाहता। इस सम्बन्ध में उन लोगों की रुचि नहीं है इस संबंध में चेतना जगानी होगी। आजादी के बाद पांचवें या छठे दशक में लोगों में यह चेतना नहीं जगी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना जीवन के लिए आवश्यक

है। पांचवे और छठे दशक में धड़ाधड़ कारखाने लगाये गए। चन्दूलाल जी ने कहा कि कारखाने लग रहे हैं। जोशी जी को कुछ पता नहीं। आपत्ति हुई। हर सरकार चाहती है कि कारखाने लगें। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में भी कारखाने लगें। प्रदूषण की कोई बात नहीं। सारे विकासशील देशों में यह काफी बड़ा विवाद का प्रश्न बना हुआ है। यह काफी पेचीदा प्रश्न है, काफी उलझा हुआ प्रश्न है कि कारखानों का विकास करना है तो प्रदूषण की समस्या होगी। यह मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों के बूते की बात नहीं है। इस पर केन्द्र को विशेष ध्यान देना चाहिए।

वैसे राज्य सरकारों के अधीन यह वाटर पौल्यूशन बोर्ड है। पानी में जो गंदगी छोड़ी जाती है, वह नदियों में गंदगी छोड़ी जाती है। जैसे गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिये बहुत बड़ी परियोजना चली और भूतपूर्व प्रधान मंत्री, स्व० राजीव गांधी जी ने उसमें काफी दिलचस्पी ली। बड़ी भारी योजना चली। गंगा के किनारे हमारे राज्य की भी राजधानी भी है। वहां भी एक बड़ी योजना गंगाजल को शुद्ध करने के लिये चली और अब भी चल रही है। कानपुर में काफी प्रयास किया गया, हरिद्वार में प्रयास हुआ, लेकिन कानपुर में जो प्रयास हुआ, क्या उससे अब तक कोई फायदा दिखाई दिया। कितने करोड़ रुपये अब तक गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिये खर्च कर दिये गये। क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में पूरी छानबीन करेगी कि गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिये, गंगा को स्वच्छ करने के लिये अब तक क्या-क्या किया गया और उसके क्या परिणाम सामने आये। कभी किसी ने उसका हालचाल पूछा। कितने पैसे अब तक खर्च हुए और उसकी क्या स्थिति है, भविष्य में उसकी क्या नियति है। मैं समझता हूं कि गंगा नदी को प्रदूषण से तभी मुक्त किया जा सकता है जब गंगा के किनारे बसने वाले लोगों की गरीबी दूर की जाये, उन्हें गरीबी से मुक्ति दिलाई जाये। मैं काशी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और मैंने गंगा में गन्दगी गिरते देखी है। आज भी गंगा में गंदगी आ रही है। कानपुर में भी गंदगी आ रही है। हां, हरिद्वार में जरूर जल कुछ साफ हुआ है, वह मैं मानता हूं लेकिन पटना में देख लीजिये, या जितना भी नीचे बढ़ते चले जाइये, सभी जगह गंदगी आपको मिल जायेगी। क्या हमारे पास आंकड़े हैं कि गंगा की सफाई पर कुल अब तक कितना पैसा खर्च किया जा चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिये, जो स्थिति है, उसे जरा चैक कर लें।

सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों में, वहां की राज्य सरकारों के अधीन, प्रदूषण को दूर करने के लिये जो बोर्ड गठित किये जाते हैं, वे उपेक्षित रहते हैं। जैसे टूरिज्म डिपार्टमैंट है, किसी राज्य में एक मंत्री को यदि कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं देना है तो उसे टूरिज्म का मिनिस्टर बना दिया जाता है और वह अपने आपको अपेक्षित महसूस करता है, वैसी ही स्थिति इन बोर्डों की है, जो पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए राज्यों में गठित किए गए हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी सदन में जो संशोधन लेकर आये हैं, वह अच्छा है, लेकिन इसके साथ-साथ राज्यों के स्तर पर, केन्द्र के स्तर पर, इन प्रदूषण बोर्डों में, हम संसद् सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिलायें, यह किस हैसियत में हो, सलाहकार की हैसियत से या सदस्य की हैसियत से, लेकिन हम संसद् सदस्यों का सहयोग एवं उपस्थिति भी उसमें होना चाहिये, सरकार को इसकी व्यवस्था करनी होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, इस विधेयक के पेश करने के दिन भी मैंने, विधेयक के बारे में कहा था कि इसका विरोध करनी भी कठिन है और समर्थन करना भी कठिन है। सभापति जी, अपने बोर्ड के बारे में···

श्री कमल नाथ : आप तो बोल चुके हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : जब यह विधेयक पेश हुआ था सदन में, मैं उस वक्त बोला था । उस वक्त मैंने विरोध किया था इन्ट्रोडक्शन के वक्त ।

सभापति जी, मेरा आग्रह है कि अभी भी मंत्री जी, इसको पारित होने के पहले, बोर्ड के क्रियाकलापों पर, आखिर एक भी पैसा क्यों खर्च किया जाये, बल्कि आप तो जल पर कर-वृद्धि की मांग कर रहे हैं, परन्तु जो पहले था, उसको भी क्यों रखा जाये, क्या अब तक इसकी उपलब्धियां रही हैं, वह संक्षेप में सदन के सामने आनी चाहिए ताकि इस सदन को और पूरे देश को जानकारी मिल सके ।

एक बात की ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम सब औद्योगीकरण चाहते हैं। इस दिशा में कुछ कदम हम आगे बढ़े हैं, अभी बहुत कदम आगे जाना है। सीधा गुस्सा झाड़ना कि उद्योग वाले जुर्म करते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप विचार करने के लिये प्रस्ताव पर बोल चुके हैं। आप इस पर दो बार नहीं बोल सकते ।

[हिन्दी]

लिस्ट में आपका नाम है, आप बोल चुके हैं। श्री शरत् चन्द्र पटनायक ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं इन्ट्रोडक्शन के वक्त बोला था ।

सभापति महोदय : नहीं कंसीडरेशन पर बोल चुके हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : आपका जो आदेश होगा, मैं वैसा ही करूंगा। कहिये तो कुछ कहूं, कहिए तो न कहूं ।

सभापति महोदय : कह नहीं सकते ट्वाइस ।

[अनुवाद]

आप एक ही विधेयक पर दो बार नहीं बोल सकते ।

श्री कमल नाथ : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : यह आपकी आपत्ति का प्रश्न नहीं है। नियम इसकी इजाजत नहीं देते। आप एक ही विषय पर दो बार नहीं बोल सकते ।

श्री शरत् चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को सदन में यह विधेयक लाने के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। तथापि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनकी ओर सरकार को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय ने जल के संरक्षण और इसके कम इस्तेमाल को प्रस्तावित विधेयक का एक मुख्य उद्देश्य बताया है। किन्तु जल उपकर अधिनियम, 1977 का उद्देश्य केवल प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाना है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि बदलते समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपकर अधिनियम, 1977 के उद्देश्यों को उचित शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिए।

यद्यपि विधेयक के प्रस्तावित प्रावधान सरकार के लिए जल के रक्षणीय उपयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे, लेकिन उद्योगों द्वारा प्रयुक्त जल के सामाजिक परीक्षण (सोशल आडिटिंग) का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में हतोत्साहित करने वाले कारकों पर विस्तृत रूप से विचार किया जाना चाहिए। जल के उपयोग में मितव्ययता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करने के बजाए इस संबंध में उद्योगों को अभिप्रेरित करना और जल प्रदूषण तथा जल की बर्बादी के बारे में जनता में जाग्रति पैदा की जानी चाहिए। कुछ विदेशी राष्ट्रों में प्रचलित प्रदूषण-कर लगाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और केन्द्रीय सरकार की मूल्यांकन तथा निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाए ताकि वांछित परिणामों की जानकारी के लिए समुचित सूचना प्राप्त की जा सके। विवादास्पद उपकर मामलों की जांच करने के लिए एक स्वतन्त्र अपीलीय प्राधिकरण होना चाहिए।

सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या कोई एक व्यापक अधिनियम समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त होगा ? वायु प्रदूषण गतिविधियों पर भी किसी प्रकार का कोई उपकर होना चाहिए। जल उपकर अधिनियम, 1977 की अनुसूची-I में कुछ ऐसे उद्योगों की सूची दी गई है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उद्योगों की यह सूची अनन्य है। चीनी, चमड़ा, कागज तथा इंजीनियरी उद्योगों जैसे कुछ अति प्रदूषणकारी उद्योग इस अधिनियम के अन्तर्गत लाए जाने चाहिए। इन उद्योगों को उपकर अधिनियम की परिधि में लाया जाना चाहिए। सागर प्रदूषण व मिट्टी के प्रदूषण को भी उपकर अधिनियम की परिधि में लाया जाना चाहिए।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत कितने मामले दायर किए गए हैं ताकि अधिनियम के तहत हतोत्साहित करने वाले कड़े प्रावधानों की व्यवस्था की जा सके।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र अर्थात उड़ीसा का बोलंगीर, पारिस्थितिक अवक्रमण का एक अनूठा उदाहरण है। अवक्रमित वन-भूमि तथा बड़े-बड़े भूभाग के कटाव के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र शनैः शनैः एक मरुस्थल में परिवर्तित होता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से बोलंगीर में यथासंभव शीघ्र 'समेकित परती भूमि विकास कार्यक्रम' आरम्भ करने का आग्रह करना चाहूंगा।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान उड़ीसा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के बेलपारा खंड में लंथ नदी के

किनारे स्थित ग्रेफाइट कारखाने से उत्पन्न प्रदूषण की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। प्रदूषित जल से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार को इस मामले में शीघ्र उपचारात्मक कदम उठाने चाहिएं।

अन्त में, इस नदी के रेत का रंग काला हो गया है और जल का रंग कैसा हो गया है मैं नहीं बता सकता। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बोलंगीर के बेलपारा में स्थित ग्रेफाइट कारखाने से उत्पन्न प्रदूषण के कारण यह हुआ है। मैं माननीय मंत्री से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करूंगा।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : मैं इस विधेयक के पीछे जो मन्तव्य है उसका समर्थन करता हूं।

आरंभ में मैं मंत्री महोदय श्री कमल नाथ को स्मरण कराना चाहूंगा कि आज वह एक बड़े शक्तिशाली तथा संवेदनशील मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं। आज उनकी शक्ति की सीमा आकाश तक है।

महोदय, आधुनिक समाज में प्रदूषण नियंत्रण बड़ा महत्वपूर्ण है। कई विकसित देशों ने प्रदूषण के कुप्रभावों पर वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं। इन देशों ने इस हेतु पृथक कोष का प्रावधान किया है। वास्तव में कुछ विकसित देश प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्प विकसित देशों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं।

आज हम कई तरह के प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। हमारी मुख्य चिंता जल और वायु प्रदूषणों को लेकर है। हमारे यहां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं। ये लगभग अन्य विभागों की तरह बन गए हैं और कानूनी उपबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने की उनके पास कोई शक्ति नहीं है। यह भी अन्य किसी निष्क्रिय विभाग की तरह एक विभाग बनकर रह गया है। अब केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिक शक्तिशाली बनाए जाने की आवश्यकता है। इसे अधिक प्रभावी निकाय बनना चाहिए ताकि उपबंधों को समान रूप से सम्पूर्ण देश में लागू किया जा सके।

महोदय, इस विधेयक में कुछ और कर लगाए जाने का प्रावधान है। मैं नहीं समझता कि मात्र कर लगाए जाने से ही प्रदूषण पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रभावी ढंग से इस कार्य को करना चाहिए। इस अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग अक्सर ही देखने में आता है।

अब मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा जहां इस कानून के उपबंधों ने नये उद्योगों की स्थापना में रुकावट पैदा की है। मेरे मित्र श्री आसकर फरनान्डेस यहां मौजूद हैं। उन्हें मालूम है कि 1972 के बाद पहली बार भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य में उडुपी तालुक में नन्दीपुर में एक ताप विद्युत परियोजना की स्थापना करने हेतु कुछ पूंजी निवेश करने के बारे में सोचा है और कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस उद्योग की स्थापना से होने वाले प्रदूषण के प्रभावों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है।

महोदय, सरकार को अच्छी तरह से पता है कि कर्नाटक में बिजली की बड़ी तंगी चल रही है और कर्नाटक सरकार विद्युत एककों को अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन करने हेतु पूरा-पूरा महत्व तथा प्रोत्साहन दे रही है। कर्नाटक बोर्ड ने इस परियोजना को पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है और उन्होंने यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य भी आरंभ कर दिया है कि यह एकक उनकी देखरेख में बनकर तैयार हो तथा ठीक प्रकार से कार्य करे। अब यह परियोजना, जो श्री कमल नाथ के अधीन है, पर्यावरण मन्त्रालय में स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है। मैं इस अवसर पर कर्नाटक राज्य के लोगों की तरफ से मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस परियोजना को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करें। यह परियोजना 3,000 करोड़ रुपये की है और यह एक रूसी सहायता प्राप्त परियोजना है। यदि हम इस परियोजना को शीघ्र आरंभ नहीं करेंगे तो संभवतः परियोजना ही व्यपगत हो जाएगी और वे इस बात पर विचार कर सकते हैं कि आगे सहायता दी जाए अथवा नहीं। अतः मेरा निवेदन है कि इस कानून के उपबंधों का दुरुपयोग न किया जाए तथा प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर नये उद्योगों की स्थापना के मार्ग में इसे रुकावट न बनने दिया जाए।

उन लोगों से निपटने के लिए जो इस प्रदूषण को फैलाते हैं चाहे वह जल प्रदूषण हो अथवा वायु प्रदूषण, हमें इन निकायों को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। हमें उन्हें पूर्ण समर्थन देना चाहिए। परन्तु साथ ही, समाज और देश के विकास को भी ध्यान में रखना होगा और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि वे सर्वशक्तिमान हैं और उन्हें चाहिए कि वह इस पर पुनर्विचार करके इस परियोजना को जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान करें।

मात्र अधिकाधिक कर लगाए जाने से प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। हमें अन्य तरीकों पर विचार करना होगा जिससे उस विभाग को मजबूत बनाया जा सके जिसे कानून के उपबंधों को कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया है और जो वस्तुतः प्रदूषण नियंत्रण का कार्य कर रहा है। कर पर कर लगाए जाने और उद्योगों की स्थापना अथवा उद्योगों को सुचारू रूप से चलने में अधिकारियों को बाधक बनाने की बजाय मंत्री महोदय निश्चय ही कहीं और से धनराशि जुटा सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के उपबंधों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस परियोजना को जितना जल्दी संभव हो, स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : सबसे पहले मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जो प्रत्यक्षतः केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाने तथा प्रदूषण को कम करने और नियंत्रित्र करने हेतु जल का अधिक से अधिक उपयोग करने की व्यवस्था करने की गरज से लाया गया है। इन बोर्डों के पास उपलब्ध धनराशि समग्र प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु बढ़ती लागत के अनुरूप नहीं रही है। अतः इस विधेयक को लाना आवश्यक हो गया है।

इस विधेयक में निर्दिष्ट दो उद्देश्य सराहनीय हैं। पहला, यह स्रोत पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपलब्ध बेहतरीन तकनीकी तथा व्यावहारिक उपायों को अपनाने को प्रोत्साहन देता है। दूसरे, इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की विशेषकर जल की बचत करना भी है।

किसी व्यक्ति अथवा औद्योगिक एकक द्वारा अपशिष्ट शोधन संयंत्र लगाये जाने की स्थिति में 70 प्रतिशत छूट देने संबंधी वर्तमान उपबंध का बहुत दुरुपयोग किया गया है। इस विधेयक की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उन लोगों को अधिक प्रोत्साहन दिया गया है जो प्रदूषण रोकथाम के उपाय करते हैं। साथ ही विधेयक में उन लोगों को निरुत्साहित करने का प्रस्ताव किया गया है जो निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कार्य नहीं करते। भविष्य में, प्रदूषण फैलाने वालों को अपेक्षाकृत अधिक उपकर देना होगा, जो मैं समझता हूं बिलकुल उचित है और इसे कठोरता से लागू किया जाना चाहिए।

अब मैं इस विधेयक से जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा करूंगा। जैसाकि एक माननीय सदस्य ने पहले कहा और ठीक ही कहा कि, जहां तक पेय जल की बात है, शायद यह सही है कि हमारे देश में एक भी ऐसा शहर नहीं है जो पीने हेतु भी 24 घंटे स्वच्छ जल की सप्लाई आश्वस्त कर सकता हो। इसके अतिरिक्त हजारों गांवों में पेय जल की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। जैसा कि एक अन्य सदस्य ने बताया, चर्मशोधनशालाओं द्वारा गंगा नदी में प्रवाहित किए जा रहे प्रदूषक पदार्थों से 'गंगा सफाई परियोजना' भी बुरी तरह से निष्प्रभावी हो रही है। धात्विक नमक से लेकर कमलैक्स सिथेटिक रसायन, पारा और संक्षारक तेजाब जैसे अत्यन्त विषाक्त पदार्थों से नदियां प्रदूषित हो रही हैं। एक बार जल प्रदूषित हो जाए तो वह मनुष्यों द्वारा पीने, नहाने अथवा अन्य किसी घरेलू उपयोग के योग्य नहीं रहता। अपशिष्ट पदार्थों में विद्यमान रसायनों के कारण खाद्य और रासायनिक विषाक्तता अथवा चर्म संक्रमण भी हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी मात्रा में रसायन विद्यमान हैं। प्रदूषित जल में रोगमूलक जीवाणुओं की मौजूदगी के कारण दस्त, पेचिस, आंत्रज्वर, आंत्रशोथ आदि जैसे रोग हो सकते हैं। इसी प्रकार प्राणघातक कार्बन मोनोआक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी वायु प्रदूषक गैसों से, जो भोपाल गैस दुर्घटना की याद ताजा कर देती हैं, दृष्टिदोष, सिर दर्द, अनिद्रा, मानसिक असन्तुलन, उच्च रक्तचाप, चक्कर आदि जैसे रोग अनेक लोगों को हो जाते हैं।

तीव्र औद्योगिकीकरण से विस्तृत जल स्रोतों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा भी है, लेकिन मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। मैं अभी यह स्पष्ट करूंगा कि किस प्रकार हमारे जल संसाधन इतने व्यापक नहीं हैं। आश्चर्य की बात है कि विश्व के जल की कुल मात्रा का 97 प्रतिशत जल समुद्रों और महासागरों में है, जो खारा है। शेष तीन प्रतिशत का भी बड़ा भाग हमारी पहुंच से बाहर है। यह या तो हिम खंडों, ग्लेशियर के रूप में विद्यमान है या भूमितल में गहरे पड़ा है। हमें तो अपनी प्यास बुझाने तथा गंदगी के विसर्जन के लिए नदियों, झीलों और आसानी से उपलब्ध पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हमारे उपयोग के लिए यह जो जल उपलब्ध है, वह मुश्किल से 0.3 प्रतिशत ही है। दुर्भाग्य से, यह जो थोड़ा-सा कीमती जल उपलब्ध है, यह भी अत्यधिक दूषित हो गया है। औद्योगिक अपशिष्ट, गन्दे पानी, खेतों से बहकर निकले हुए पानी, नदियों में अधिक पानी हो जाने और पनबिजली परियोजनाओं के परिणामस्वरूप भूमिगत स्थायी जलाशय सूखते जा रहे हैं। विश्वव्यापी आंकड़ों से पता चलता है कि जल के गलत प्रबंधन के कारण 25,000 लोगों की प्रतिदिन मौत हो जाती है। विश्व की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को साफ पानी उपलब्ध नहीं है जिसके कारण पांच साल तक के लगभग 46 लाख बच्चे दस्त की बीमारी से प्रति वर्ष मर जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, नौवीं लोक सभा के दौरान भी, मैंने एशिया की सबसे बड़ी चिल्का झील, जिसका पानी थोड़ा मीठा है तथा उड़ीसा राज्य में मशहूर अनसूया झील को सुन्दर और उपयोगी बनाने की बात को उठाया था तथा इस पर जोर दिया था कि इसमें फैली हुई काई को साफ करवाकर इसके पानी को स्वच्छ बनाया जाए। इन झीलों में मिट्टी के बहकर आने से इनमें भारी मात्रा में गाद इकट्ठा हो जाता है और इस जमीन का गलत ढंग से उपयोग शुरू हो जाता है तथा मछुआरों द्वारा अत्यधिक विदोहन भी किया जाता है। ये सुन्दर झीलें पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक स्थल तो हैं ही, साईबेरिया से घोर सर्दी के मौसम में आने वाले पक्षियों के लिए आश्रय-स्थल भी है। हमारी उत्कट इच्छा है कि चिल्का झील के लिए कनाडा की सहायता और अनसूया झील के लिए नार्वे की सहायता से विकास की जो बातचीत की गई है, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा तेजी से कार्यान्वित किया जाएगा।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

लोक सभा अब कल पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 नवम्बर, 1991/6 अग्रहायण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, दक्षिणी मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित